लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-31, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1968/29 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 31 — Friday December 20, 1968/Agrahayana 29, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
871	बस्ती (उत्तर प्रदेश) में पकड़ा गया चीनी साहित्य	Chinese Literature seized in Besti (U.P.)	1-6
872	नाइजीरिया में कार्य करने वाले इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारी	I.A.C. officers seruing in Nigeria	6-8
873	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पाकिस्थान स्थापना दिवस का मनाया जाना	Celebration of Pak. Foundation Day by Students of Aligarh Muslim University	8-11
874	उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनुशासनहीनता	Indiscipline in Universities and Colleges of Uttar Pradesh	11-13
875	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध जांच	Enquiry against Secretary of Indian Council for Cultural Relations	14
876	दिल्ली में नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या घटनायें	New Year Eve Incidents in Delhi	15
877	देश के कुछ भागों में जाने अथवा वहां भूमि खरीदने पर भारतीयों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Indians to visit or to purchase land in certain areas in the country	15-17
अ. सू. प्र. संख्या/S. N. Q. Nos.			
16	कलकत्ता में चुंगी की वसूली	Levy of Octroi in Calcutta	17-23

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.		
878 चीनी नागरीक को दिल्ली में व्यवसाय स्थापित करने की अनुमती	Permission to a Chinese National ot set up Business in Delhi	23
879 दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित और अपदस्थ करना	Suspension and dismissal of Delhi Police Personnal	23-24
880 केन्द्रीय स्कूल	Central Schools	24
881 अमरीका से दो 747 बोइंग विमान खरीदने के लिये प्राप्त किये जाने वाले ऋण की अदायगी	Re-payment of loan for the purchase of two 747 Boeings from USA	24-25
882 एयर इंडिया के निदेशक	Directors of Air India	25
883 सान्ताक्रूज हवाई अड्डा	Santa Cruz Airport	25-26
884 आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तथा अन्य पत्तनों का विकास	Development of Vishakhapatnam and other Ports in Andhra Pradesh	26
885 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि	Losses suffered by IAC	26-27
886 उत्तर प्रदेश में कोटाना अमीन नगर सड़क	Kotana Aminnagar Road in U.P.	27
887 हुगली पर दूसरा पुल	Second Hooghly Bridge	27-28
888 पाकिस्तान का भारत में सामरिक महत्व की स्थापनाओं को नष्ट करने का षड्यन्त्र	Pak plot to destroy strategic installations in India	28
889 विदेश व्यापार के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले भारतीय जहाज	Indian vessels engaged in Foreign Trade	28

ता. प्र. संख्या/S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
890	हवाई अडडों पर लगाया गया प्रवेश शुल्क / Levy of enterance fee at Airports	28-29
891	दार्जिलिंग में आई बाढ़ में लापता पर्यटक / Tourists missing in Darjeeling Floods	29
892	भारत के साम्यवादी दल की बिहार राज्य परिषद द्वारा ज्ञापन / Memorandum by Bihar State Council of Communist Party of India	30
893	सरकार द्वारा बिड़ला हाउस, नई दिल्ली का अर्जन / Acquisition by Government of Birla House, New Delhi	30
894	कलकत्ता में बी. एन. वी. पी. द्वारा नारे के पोस्टर / B N.V P. Slogan Posters in Calcutta	30-31
895	रूस से जहाजों का खरीदा जाना / Purchase of ships from USSR	31
896	प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन / Report of the Administrative Reforms Commission	31-32
897	मध्य प्रदेश में ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना / Recovery of a Transmitter in Madhya Pradesh	32-33
898	विदेशियों का अवैध प्रवेश / Illegal Entry of Foreigners	33
899	डिग्री कालेज बहरामपुर (पटना) के मंत्री के विरुद्ध आरोप / Charge against Secretary of Degree College, Behrampur (Patna)	33-34
900	विदेशी ईसाई धर्मप्रचारकों को देश से निकालना / Expulsion of Foreign Christian Missionaries	34
अता. प्र. सं. /U. S. Q. Nos.		
5197	दिल्ली के जिला न्यायाधीश के पास विचाराधीन शिकायतें / Complaints pending with the district Judge, Delhi	34
5198	केरल के डा. जार्ज थामस को अमरीका से धन मिलना / Money received by Dr. George Thomas of Kerala from USA	35

5199 जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली के उपकुलपति	Vice-Chancellor of Jamia Millia Islamia, Delhi	35
5200 जमायते-उल-उलेमा	Jamait-Ul Ulema	35–36
5201 भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया दुर्घटनाओं में हुई मौत और चोट के लिये दिया जाने वाला मुआवजा	Compensation paid for deaths or injuries in Air accidents by IAC and Air India	36–38
5202 त्रिपुरा में सीमा पार से पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाई जाना	Firing by Pak. Troops across Tripura	38–39
5203 गुजरात के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध आरोप	Charges against former Inspector General of Police, Gujarat	39
5204 विमान यात्रा का किराया	Air Fares	40
5205 मध्य प्रदेश में पर्यटन	Tourism in Madhya Pradesh	40
5206 मध्य प्रदेश में भाषाओं के विकास के लिये अनुदान	Grant for Development of Languages in M.P.	40–41
5207 प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी शिक्षा का अखिल भारतीय बोर्ड	All India Board of Technical Studies in Management	41–42
5208 इंडियन इंस्टीटयूट आफ मेनेजमेंट	Indian Institute of Management	42-43
5209 खान अब्दुल गफ्फार खां के गांधी जी सम्बन्धी विचार	Views of Khan Abdul Ghaffar Khan on Gandhiji	43
5210 माओ समर्थक तत्वों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां	Anti-national Activities of Pro-Mao Elements	43-44

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5211	बाढ़ की स्थिति में रक्षण कार्य	Rescue work during Floods	44
5212	पश्चिमी बंगाल में झगड़े	Clashes in West Bengal	45
5213	भारत संघ द्वारा अथवा उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालयों में दायर किये गये मुकदमें	Cases filed in Supreme Court by or against the Union of India	45
5214	उत्तर प्रदेश में इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिये कला अध्यापक	Art Teachers for Intermediate classes in U.P.	45–46
5215	उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषाओं की पढाई	Introduction of South Indian Languages in U.P, Schools	46
5216	प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल	Demonstration Multi Purpose Schools	46–47
5217	काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये तथा तोड़फोड़ करने वाले लोग	Pak. Infiltrators and Sabotours in Kashmir..	47
5218	अमृतसर में काजी नुरूद्दीन की हत्या	Murder of Kazi Nooruddin in Amritsar	47–48
5219	आसाम में घुसपैठ	Infiltrators in Assam	48–49
5220	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी परिषद् की बैठक के लिये कमरों का नियतन	Allotment of Rooms for the Meeting of the Students' Council by the Delhi University	49
5221	मंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारी	Personal Staff of Ministers	49
5222	न्यायाधिपति कपूर के लिये सुरक्षा गारद	Security Guard for Justice Kapur	50
5223	महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Maharashtra	50–51

5224 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान	National song and National Anthem	51
5225 जम्मू और काश्मीर में विशेष पुलिस संस्थान और केन्द्रीय जांच ब्यूरो	Special police establishment and Central Bureau of Investigation in Jammu and Kashmir	51–52
5226 नेफा में चीन समर्थकों की गिरफ्तारियां	Arrests of Pro Chinese in NEFA	52
5227 3–9–1968 को राष्ट्रपति के दौरे के समय कोइम्बटूर में 'हम-तामिल भाषियों' द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by "We Tamils" in Coimbatore on the President's visit on 3.9.68	52–53
5228 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच	C.B.I. Enquiries against Government Servants	53
5229 चण्डीगढ़ में ईटों की कमी	Brick shortage in Chandigarh	54
5230 चण्डीगढ में रियायती दरों पर भू भागों की बिक्री	Sale of Plots in Chandigarh on Concessional Rates	54
5231 पंजाब और हरियाणा द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय को यथांशों का न दिया जाना	Non-payment by Punjab and Haryana of their Share to Punjab University	55
5232 गुरुमुखी में निर्णयों का लिखा जाना	Recording of Judgements in Gurmukhi	55
5233 एयर इण्डिया की सेवाएं	Air India Services	55–56
5234 न्यायाधिशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण	Inter State Transfer of Judges	56
5235 दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कालेजों में पुरुष प्राध्यापकों की नियुक्तियां	Appointment of Male professors in Women's College in Delhi University	56–57

5236 चोरी की मूर्तियों का पकड़ा जाना	Seizure of Stolen Idols	57
5237 दिल्ली विश्वविद्यालय में एम. ए. के लिये पत्र व्यवहार पाठयक्रम	Correspondence course of M.A. in Delhi University	57
5238 पानों पर बिक्री कर का समाप्त किया जाना	Renoval of Sales Tax on Pan	57–58
5239 व्यापारियों की दिल्ली पुलिस के विरुद्ध शिकायतें	Traders complaints against Delhi Police	58
5240 राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा अत्याचार	Atrocities by U.P. Police Affer the President's Rule	58–59
5241 चौथी योजना में दिल्ली के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Delhi for the Fourth Five Year Plan	59
5242 नेहरू संग्रहालय के कर्मचारी	Employees working in the Nehru Memorial	59
5243 उत्तर प्रदेश बोर्ड की परिक्षायें	Uttar Pradesh Board Examinations	59-60
5244 जोरहाट जिले में पाकिस्तानी झंडे का लहराया जाना	Pak Flag Flown at Jorhat District	60
5245 ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन	Conversion by Christian Missionaries..	60
5246 हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Hindi Salahkar Samiti	61
5247 आसाम और मनीपुर में उपद्रवी नागाओं के शिविर	Hostile Naga Camps in Assam and Manipur	61
5248 दिल्ली में खतरनाक मकान	Dangerous Houses in Delhi	61–62

5249 दिल्ली में आग लगने की घटनाएं	Fire incidents in Delhi	62
5250 दिल्ली के एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का आचरण	Conduct of a Delhi S.D.M.	62
5251 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Central Government Employees	63
5252 दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट द्वारा गलत ढंग से मकान किराया भत्ता लेना	Wrong Drawal of House Rent by a Delhi Magistrate	63
5253 भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्	Indian Council of Social Science Research	63 64
5254 हतिया (रांची बिहार) में दंगे	Riots in Hatia (Ranchi Bihar)	64
5255 पुराने विमानों के स्थान पर नये विमानों की व्यवस्था	Replacement of old aeroplanes	64-65
5256 एयर इन्डिया	Air India	65
5257 इंड़ियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	65–67
5258 सरकारी क्षेत्र के होटलों में घाटा	Loss from hotels in the Public Sector	67
5259 रात्रिकालीन विमान सेवाएं	Night Air Services	67
5260 एयर इंडिया	Air India	67–68
5261 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	Hindustan Shipyard	68–69
5262 उड़ीसा में गैर सरकारी कालेज के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाना	UGC pay scales for non government College Teachers in Orissa	69

अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5263 रतनागिरी में मठ समिति प्रतिष्ठान का परिक्षण	Preserving of Monastic Establishment at Ratnagiri	69–70
5264 केन्द्री सड़क बोर्ड	Central Road Board	70
5266 कैरों की हत्या का मामला	Kiron Murder Case	70–71
5267 दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध	Crimes in DTU Buses	71
5268 अयोध्या में पुराने मन्दिरों को सुन्दर बनाना	Beautification of ancient temples at Ayodhya	71
5269 सरकारी कार्य के सम्बन्ध में बस द्वारा की गई यात्रा के टिकटों का दिखाया जाना	Production of Tickets for travel by bus in connection with Official work	72
5270 कांस्टेबुलों और हैड कांस्टेबुलों के लिये वस्त्र भत्ता	Clothing Allowance to Constables and Head Constables	72
5271 उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay scales of primary Teachers of U.P.	73
5272 भारत में विदेशी एजेंटों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करना	Foreign funds received by Foreign lobbies in India	73
5273 अंडे, मांस तथा मछली को लोकप्रिय बनाना	Popularising the use of eggs, meat and fish	73–74
5274 भारत और पाकिस्तान संघर्ष में राजस्थान में अल्प संख्यको का व्यवहार	Behaviour of minortiies in Rajasthan during Indo–Pak. Conflict	74
5275 नागाओं को प्रशिक्षण	Training to Nagas	74
5276 अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इन्जीनियरिंग कालेजों के पाकिस्तान जाने वाले स्नातक	Graduates of Engineering College Affiliated with Aligarh Muslim University leaving for Pakistan	74–75

अता. प्र. संख्या/U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5277 केरल सरकार द्वारा अधिक शक्तियों की मांग	Demand for more powers by Kerala Government	75
5278 दिल्ली में क्लबों में जुआ खेलना	Gambling in Clubs in Delhi	75–76
5279 श्री राम कृष्ण डालमिया द्वारा दिल्ली में एक सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का अपमान	Insult by Shri K.K, Dalmia of a S.D.M. in Delhi	76
5280 दिल्ली में भारतीय नेताओं की मूर्ति लगाना	Installation of statues of Indian Leaders in Delhi	76–77
5281 उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Orissa Government Officers	77
5282 हिन्दी अध्यापन योजना	Hindi Teaching Scheme	77–78
5283 पंजाब में हिन्दी	Hindi in Punjab	78
5284 बिहार में जेलरों और उपजेलरों की समस्याएं	Problems of Jailors and Deputy Jailors in Bihar	79
5285 गान्धी जयन्ती के अवसर पर (अक्तूबर, 1968) बन्दियों का जेलों से रिहा किया जाना	Release of Prisoners from Jails on the Gandhi Jayanti (October, 1968)	79–80
5286 बिहार में विश्वविद्यालयों और कालेजों के गैर अध्यापन कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance for Non-Teaching Staff of Universities and Colleges in Bihar	80
5287 केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Minister's Conference on Centre State Relations	80
5288 उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थक तत्व	Pro-pak. Elements in Uttar pradesh	80–81

अ.ता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5289	आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak. Infiltrators in Assam	81
5290	दिल्ली में यमुना पार की बस्तियों के लिये रिंग रोड	Ring Road for Trans-Yamuna colonies in Delhi	81
5291	साम्प्रदायिकता फैलाने वाले समाचार पत्र	Newspapers indulging in communal propaganda	82
5292	उत्तर प्रदेश में एक मैजिस्ट्रेट पर हमला	Assault on a Magistrate in U P.	82–83
5293	उत्तर प्रदेश में बांदा के निकट काने नदी पर पुल	Bridge over River Kane near Banda, U P.	83
5294	बिहार में भागलपुर जिले के सूईया थाने में पक्की सड़कें	Pucca Roads in Suiya Thana of Bhagalpur District (Bihar)	83
5295	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्थाओं के लिए वित्त की व्यवस्था	Financing of Institutes engaged in Scientific Research	83–84
5296	सेंधमारी के लिये मुकदमें की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति की रिहाई	Release of man awaiting trial for Burglary	84
5297	लद्दाख में विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियां	Central Scholarships to students in Ladakh	84
5298	लद्दाख में हाई स्कूलों में विज्ञान के अध्यापक	Science Teachers in High Schools in Ladakh	85
5299	मेरठ विश्वविद्यालय के लिये भूमि	Land of Meerut University	85
5300	विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में राज्यपाल	Governors as Chancellors of Universities	85

5301 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिये तैयार की गई विज्ञान की पुस्तकें	Science books prepared for Higher Secondary Schools prepared by N.C.E R T.	85-86
5302 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नये विषय	New subjects in Higher Secondary Schools ...	86
5303 कोसी नदी के तटबन्धों के क्षेत्र में लोगों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं	Education facilities to children residing within the embankments of Kosi River ...	87
5304 बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के जिला मुख्यालय के कालेजों को अपने नियन्त्रण में लेना	Taking over of Colleges in District Head Quarters of Border Area in Bihar	87
5305 दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक	Students and Teachers of Delhi University ...	87
5306 कांडला पत्तन पर रात को नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था	Night Navigation facilities at Kandla Port ...	87-88
5307 मेरठ क्षेत्र में जारी किये गये टैक्सी परमिट	Taxi Permits Issued in Meerut Zone	88
5308 मेरठ क्षेत्र में जारी किये गये मार्ग परमिट	Route Permits Issued in Meerut Zone ...	88
5309 दरभंगा में दंगे	Rioting in Darbhanga	89
5310 पादरी फैरर का भारत लौटना	Return of Father Ferrer to India	89–90
5311 फरक्का बांध के निकट विदेशी हथियार लिये लोगों की गिरफतारी	Arrest of Persons with Foreign Arms Near Farakka Barrage	90

5312	विदेशों में छपी अश्लील पुस्तकें	Foreign printed obsence Books	90-91
5313	बिहार में ताजिया	Tazia in Bihar ... —	91-92
5314	अयोध्या में स्वर्ग द्वारा घाट में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Amenities in Swarg Dwar Ghats in Ayodhya .. —	92
5315	निकोबार द्वीप समूह में व्यापार	Trade in Nicobar Islands — ...	92-93
5316	एन. के. हाई स्कूल बहरामपुर (पटना) के मुख्याध्यापक को बहाल करना	Reinstatement of Headmaster of N.K. High School Behrampur (Patna)	93
5317	बरहामपुर (पटना) में एक हाई स्कूल से धन का गोलमाल	Bungling of Funds from a High School in Behrampur (Patna) ...	93-94
5318	गुरु गोलवलकर की गतिविधियां	Activities of Guru Golwalkar	94
5319	राजस्थान में नर बलि	Human sacrifice in Rajasthan —	94-95
5320	ड्रैजर पुल (तलकर्षक कुंज) की स्थापना	Formation of a Dredger Pool	95
5321	मेरठ के एक गांव में एक हरिजन लड़की का अपहरण	Kidnapping of Harijan girl in Meerut Village	95-96
5322	औषध निर्माण (फार्मेसी) का स्नातक पाठ्यक्रम	Bachelor of Pharmacy Course	96
5323	हिमाचल प्रदेश में पिछड़े वर्गों के छात्रों को विद्यालय शुल्क देने से छूट	Exemption to Backward Classes Students from paying school Fee in Himachal Pradesh ...	97
5324	बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सलाहकार समितियां बोर्ड और अन्य संगठन	Consultative committee's boards and other organisatiions in Bihar, West Bengal and U.P.	97

अत.प्र.संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
5325	गोरखपुर में जय गुरुदेव शिविर	Jai Gurudev Camp at Gorakhpur	97
5326	गोरखपुर नगरपालिका क्षेत्र में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Gorakhpur Municipality	97–98
5327	बहुप्रयोजनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशनपुरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Multipurpose Higher Secondary School, Bishanpura Gorakhpur (U.P.)	98
5328	पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता	Indian citizenship to Pakistani Infiltrators ..	98
5329	मैसूर राज्य में पुल	Bridges in Mysore State	98–99
5330	मनीपुर में पुलिस कर्मचारियों तथा जेल कर्मचारियों के वेतन क्रमों का संशोधन	Revision of pay scales of police officials and jail staff in Manipur	99–100
5331	मनीपुर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड के वेतनमान	Selection Grade Scale for Teachers of Government Aided Schools, Manipur	100
5332	मनीपुर के स्नातकोत्तर छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां	Post Graduate scholarships for students of Manipur	100-101
5333	सिडनी में 23 नवम्बर, 1968 को एयर इंडिया के एक जैट विमान दुर्घटना	Mishap to Air India jet at Sydney on 23.11.1968	101
5334	शंकर की साप्ताहिक पत्रिका द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता	Shankar's International children Competition	101–102

5335 ग्रीन फील्ड्स कालोनी के प्लाट होल्डरों को अरबन इम्प्रूवमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा ठगा जाना	Cheating of the Greenfields colony plot holders by Urban Improvement Co. Ltd.	102
5336 उड़ीसा में खुदाई कार्य	Excavation work in Orissa	102–103
5337 दक्षिण कनारा में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या	Population of Minorities in South Kanara...	103
5338 बिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Bihar ...	104
5339 कलकत्ता और गौहाटी के बीच विमानों की कम उड़ाने	Insufficient Flights from Calcutta to Gouhati	104
5340 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, कलकत्ता के विमानों में भीड़	Rush for IAC services from Calcutta	104–105
5341 मानदेय भत्ते पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी	Government officials working on Honorarium	105
5342 दिल्ली कालिजों के छात्रों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Delhi Colleges students...	105–106
5343 जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा किये जाने वाले विविध खर्च	Miicellaneous expenditure incurred by District Magistrates	106
5344 इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन	Amendment of Allahabad University Act ...	106
5345 समुद्री तूफान के कारण पारादीप पत्तन के पत्तनों को क्षति	Damage to Paradeep Port Buildings as a result of Cyclone	106–107
5346 अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का अध्यक्ष (चेयरमैन)	Chairman of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	107

अता. प्रश्न संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
5347 होटलों में ठहरने का स्थान	Hotel Accommodation	107–108
5348 वर्ष 1968 के नोबल पुरस्कार बिजेता डा.खुराना को सुविधाएं	Facilites to Dr. Khorana, Nobel Prize Winner (1968)	108
5349 भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pakistani intrusions into Indian Territory ...	109
5350 मौसम सेवा व्यवस्था	Weather services system ..	109–110
5351 हथियारों को बरामद करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सहायता	C.B.I. Help for Recovery of weapons ...	110
5352 मनीपुर के पंचायत सचिवों की वेतन वृद्धि	Pay Revision of Panchayat Secretaries in Manipur	110
5353 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के वैज्ञानिक	Scheduled caste and scheduled tribe scientists in C,S.I.R. and other Institutes ...	110–111
5354 विद्यार्थियों को विज्ञान प्रतिभा अनुसंधान परीक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देना	Award of scholarships to students under science talent search Examination ..	111–112
5355 भारतीय भारवाही पौत लक्ष्मी जयन्ती को क्षति	Damage to Indian Freighter Laxmi Jayanti	112
5356 भर्ती सम्बन्धी योजना के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणियां	Comment of UPSC Re. Planning in Recruitment	112–113
5357 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर दायर किये गये मुकदमे वापिस लेना	Withdrawal of cases against central Government Employees	113

5358 नेशनल स्कूल आफ ड्रामा तथा एशियन थियेटर इन्स्टीट्यूट द्वारा खेले गये नाटक	Dramas staged by National School of Drama and Asian Theatre Institute ...	113-114
5359 साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिये जारी किये गये निमंत्रण पत्र	Invitation Cards Issued by various Programmes by Sahitya Akademi	114
5360 साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तकों के अनुवाद के बारे में प्रक्रिया	Procedure regarding Translation of books by the Sahitya Akademy	114-115
5361 विदेशों में वैज्ञानिक	Scientists in Foreign Countries —	115
5362 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	National Council of Educational Research and Training	115-116
5363 हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम	Hindi Medium in Universities in Hindi speaking States ... —	116-117
5364 जनगणना विवरणी में परिवर्तन	Changes in census enumeration returns ..	117
5365 चण्डीगढ सचिवालय में पदोन्नतियां	Promotions in Chandigarh Secretariat ...	118
5366 नेफा में चीन समर्थक पुस्तिकाएं	Pro Chinese leaflots in NEFA ...	118
5367 संगीत नाटक अकादमी को अनुदान	Grants to Sangeet Natak Akadmi	118-119
5368 राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5	National Highway No. 5	119
5369 साम्प्रदायिक शब्द की परिभाषा	Definition of the Term Communal	119-120
5370 सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया	Procedure for confirmation of Government Empyloyees	120-123

अता. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5371 अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित पद	Posts Reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes	123
5372 चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of employees of Chandigarh Administration	123
5373 चण्डीगढ़ में नीलामी	Auction in Chandigarh	124
5374 मौन्ट तहसील जिला मथुरा	Mant Tehsil, District Mathura	124
5375 पालम हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष से मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के विमान को निर्देश	Direction to plane of M.P. Chief Minister from Palam Control Room	124–125
5376 पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in West Bengal	125–126
5377 उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in U.P.	126
5378 उत्तर प्रदेश में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in U.P.	126–127
5379 राजस्थान के श्री वंश प्रदीप सिंह द्वारा गबन	Embezzlement by Shri Bans Pradeep Singh of Rajasthan	127–128
5380 इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में तकनीकी कर्मचारी	Technical employees in I.A.C.	128
5381 भारतीय वायु सेना से वाइकाउंट वायुयान खरीदना	Purchase of Viscount planes from IAF ...	128
5382 समाचार पत्रों पर अभियोग	Prosecution of newspapers	129
5383 नागपुर में एक मस्जिद के निकट हथियारों का पाया जाना	Arms found in a mosque near Nagpur ..	129

अता. प्र सं./U.S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.		
5384 आगरा में डकैतियां	Dacoities in Agra District	129
5385 आगरा में अपहरण के मामले	Kidnapping cases in Agra	130
5386 आगरा में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस तैनात करना	PAC deployed in Agra	130
5387 राजस्थान में खुदाई कार्य	Excavation work in Rajasthan	130
5388 हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in offices ...	131
5389 शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां	Activities of Sheikh Abdullah	131
5390 राजस्थान में पर्यटक केन्द्रों में परिवहन की सुविधायें	Transport facilities at Tourist centres in Rajasthan ...	132
5391 विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार का साधन	Publicity Media to attract Foreign Tourists	132
5392 जूनियर मोडल स्कूल, तलवाडा टाउनशिप (होशियारपुर)	Junior Model School Talwara Town-ship (Hoshiarpur)	132–133
5393 पौड़ी गढवाल जिले में सतपुली बांघाट बस मार्ग पर अस्थायी पुल	Temporary bridge on Satpuli Bang Ghat Bus Route in District Pauri Garhwal	133
5394 नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच	Enquiry against a New Delhi Magistrate ..	133–134
5395 इन्दिरा मार्केट, दिल्ली	Indra Market, Delhi	134
5396 वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग का अध्यक्ष	Chairman of the commission for Scientific and Technical Terminology	134
अतारांकित प्रश्न संख्या 906 दिनांक 15 नवम्बर, 1968 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to unstared Question No 906 dated 15 November 1968... ...	134–135

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	135
दिल्ली में दीवारों पर महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक इश्तहारों का लगाया जाना	Display of posters derogetory to Mahatma Gandhi on the walls in Delhi	135
श्री एस० एम० जोशी	Shri S M. Joshi	135
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y B. Chavan	135
बिहार में श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न	Question of Privilege re Arrest of Shri Madhu Limaya in Bihar ... —	136
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	136
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table — ...	137-141
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	142
कार्यवाही सारांश	Minutes	142
1966-67 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)	Demands for Excess Grants (General 1966-67	142
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	142
राज्य सभा से सन्देश	Messeages from Rajya Sabha — ..	142
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	143
पैंतीसवां तथा अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-fifth and thirty-eight Reports —	143
कच्छ के विकास तथा विमलगढ़ तलचेर रेल सम्पर्क के बारे में याचिकाएं	Petitions re. Development of Kutch and Bimlagrph-Talcher rail link	143
एकाधिकार तथा निर्द्यात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक	Monoplies and Restrictive Trade Practice Bill	143
संयुक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	143-144

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्यक्रम	Business of the House	144-146
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion Under Rule 388	146
संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 74 के परन्तुक का निलम्बन	Suspension of Proviso to Rule 74 in relation to Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	146
संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-second Amendment) Bill	146
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee... ...	146
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	147-149
श्री पी० वेंकटासूब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	149-151
श्री नंजा गौडर	Shri Nanja Gowder	151
श्री भगवती	Shri Bhagwati	151-152
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	152-154
श्री स्वैल	Shri Swell	154-155
श्री बासुमतारी	Shri Basumatari	155-156
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	156-157
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Premchand Verma	157
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	157-158
श्री एस० एम० जोशी	Shri S.M. Joshi	158
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B, Chavan	158
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	162
व्यालीसवां प्रतिवेदन	Forty second report	162
विदेश व्यापार नीति के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution re. Foreign Trade Policy Negatived	162
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	163-164
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	165-167

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	167–168
डा० रानेन सेन	Dr. Renen Sen ...	169–170
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	170–171
श्री एस० कुण्डू	Shri S. Kundu	171–172
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	173
श्री राजाराम	Shri Raja Ram ...	173–174
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	174
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati ... –	174
श्री वेतव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	174–175
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Mandhok ..	175
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	175
केन्द्रीय सेवाओं के कार्यकरण के बारे में संकल्प	Resolution re functioning of Central Services	178
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	178
दिल्ली परिषद् (अधिग्रहण तथा निष्कासन) संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में चर्चा	Discussion re non-implementation of assurances given during debate on Delhi Premises (Requisition and Eviction) Amendment Bill – ..	179
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	179–180
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao	180
राज्य सभा से सन्देश	Messeages from Rajya Sabha	181
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour Discussion	181
बन्द कपड़ा मिलें	closed Textile Mills – ..	181
श्री एस० आर० दामानी	Shri S.R. Damani ... –	181–183
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi	184

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377	...	.	185
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	...	...	185
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	...	...	185
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	...	..	185
श्री शिवाजी राव शं. देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh	...	...	186
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	...	...	186
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Changalraya Naidu	...	...	186
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	...	...	186
श्री नारायण रेड्डी	Shri M.N. Reddy	...	...	186
श्री म० ला० सोंधी	Shri M.L. Sondhi	—	...	187
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...	..	187
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B.K. Das Chowdhary	...	...	187
श्री ब० रा० भगत	Shri B.R. Bhagat	...	—	188
श्री दा० रा० चव्हाण	Shri D.R. Chavan	...	—	188
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	—	...	188
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddy	...	...	188
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	—	...	189
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	—	189
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	—	...	189

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1968/ 29 अग्रहायण, 1890 (शक)
Friday, December 20, 1968/*Agrahayana* 29, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Chinese Literature Seized in Basti (U.P.)

*** 871. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police raided the Someshwar Press in District Basti Uttar Pradesh in the month of September, 1968 and a large quautity of Chinese literature and other objectionable liteature was recovered therefrom;

(b) if so, the extent of Chinese and objectionable literature separately recovered therefrom; and

(c) the action taken by Government against the proprietors and managers of the said Press ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 21 सितम्बर, 1968 को पुलिस ने बस्ती में सामेश्वर मुद्रणालय से एक छपा हुआ इश्तहार, जिस पर मुद्रणालय का नाम नहीं था, तथा उसका ब्लाक बरामद किया इश्तहार में कुछ नारे लिखे थे जिनमें एक चेयरमैन-माओं-त्से-तुंग की प्रशंसा में था। पुलिस ने मुद्रणालय अधिनियम की धारा 3/12 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है क्योंकि इश्तहार में मुद्रणालय रेखा नहीं थी।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Police have raided the Press where the literature was printed and recovered materials of this type which has link with China and was sent by the China ? if so, then what was materials.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है , पुलिस को मुद्रणालय से कुछ छपे हुए इश्तहार और कुछ दूसरा साहित्य प्राप्त हुआ और उन छपे हुए इश्तहारों में कोई मुद्रणालय का नाम नहीं छपा था अतएव यह जांच की जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether any action has been taken against the employer or employees or the people of the Basti who are influnced by the Chinese ideology ? If so, then how many have been arrested and what kind of action has been taken against them.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked the number of persons against whom the action has been taken.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि कितने लोग इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं और ऐसे कौन से लोग है :

श्री विश्वनाथ राय : मैं जान सकता हूं कि देश में विभिन्न स्थानों में जो माओ समर्थक इश्तहार वितरित हुए हैं, उनका किसी के साथ कोई सम्बन्ध पाया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है, मैं देख रहा हूं कि देश के विभिन्न भागों में तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां बढ़ रही है जो चिन्ताजनक हैं । दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में माओ समर्थक नारे लगाये जा रहे हैं जो निश्चय ही चिन्ता का विषय हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : आजकल कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर से आरम्भ होकर बम्बई स्थित फ्लोरा फाउन्टेन तक जो प्रवृति बराबर उठती दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश बिहार आदि के क्षेत्रों में चीन में निर्मित माल की बड़े पैमाने पर जो तस्करी हो रही हैं और इस देश में विभिन्न नक्सलवादियों की बेरोक कार्यवाहियों को देखते हुए यह विचार उठता है कि इस देश में कोई सरकार नहीं है क्योंकि यहां हर किसी को मनमाना काम करने की छूट है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन सब तोड़ फोड़ और राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही हैं जो साहित्य अथवा चीनी दूतावास द्वारा केरल के कुछ नक्सलवादियों अथवा ऐसी कार्यवाहियों को करने वाले समूह को धन से सहायता हो रही है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रकार जो बढ़ा चढ़ा कर प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है उससे कभी कभी नक्सलवादी तत्वों को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ऐसे घटनाएं हो रही है और यहां कोई सरकार नहीं है । मेरे विचार में माननीय सदस्य को उत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य देना चाहिये । परन्तु मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं और मुझे इसकी चिन्ता है कि ये गड़बड़ी पैदा करने वाले तत्व देश में बढ़ रहे हैं और हमें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा । मेरे साथ मुश्किल तो यह है कि इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा ऐसे संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके । केवल किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य अथवा हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही करने का उपबन्ध है । ऐसा कोई भी कर

सकता है। कोई भी आपत्तिजनक इश्तहार के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। परन्तु जब किसी संगठित दल के विरुद्ध संगठित कार्यवाही करने का प्रश्न आता है तो मामला गम्भीर हो जाता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल में न केवल शहरी क्षेत्रों में अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विचारों की दीक्षा दी जा रही है और माओ के विचारों को उनमें फैलाया जा रहा है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा माननीय सदस्य के दल ने किया है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह तीन वर्ष पुरानी कहानी है.....

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : कलकत्ता के शहरी क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा प्रचार कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी माओ के विचारों की शिक्षा देने वाले गुप्त साहित्य घुमाया जा रहा हैं। क्या माननीय गृह मन्त्री यह स्वीकार करेंगे कि यह सब गुप्तचर विभाग की असफलता के कारण हुआ ? क्या वे ग्रामीण जनता में इन विचारों को फैलने न देने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से किसान विद्रोह को प्रोत्साहन मिलता है और जो नक्सलवादियों द्वारा खेतों में धावा बोलने और वहां से धान को लूटने के प्रयत्न में प्रकट होती हैं ? मंत्री महोदय ऐसे कौन से प्रभावशाली कदम उठा रहे हैं जिससे इन बातों को सक्षम रूप से रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में इश्तहार लगाए जा रहे हैं। हमने ऐसे इश्तहार के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कानूनी संभावनाओं का अध्ययन किया है। मेरी कानूनी सलाह है कि इस पर भारतीय दण्ड संहिता के धारा 124, के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। हमने बंगाल सरकार को इसके लिए सलाह दी है। यही कार्यवाही हम कर सकते हैं। परन्तु आमतौर पर मैं इस बात पर सहमत हूं कि देश में सशस्त्र विद्रोह द्वारा क्रान्ति करने का विचार फिर से उठ रहा है और हमें यह सोचना होगा कि क्या हम इसके बारे में कोई कार्यवाही कर सकते हैं। मैं निश्चय ही विरोधी दलों के नेताओं के साथ इन मामलों पर बात चीत करूंगा।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को देखते हुए कि चीन का साहित्य और माओ के चित्र देश में बड़ी संख्या में वितरित किये जा रहे हैं और इस तथ्य को देखते हुए कि दिल्ली स्थित चीन का दूतावास न केवल शस्त्र, गोलाबारूद तथा धन अपितु भारत के तथाकथित क्रान्तिकारियों को माओ के विचारों वाली पुस्तकें वितरित कर रहा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का दिल्ली स्थित चीन के दूतावास के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है अथवा पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र और कानून का उल्लघन कर रहा है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कम से कम गृह मन्त्रालय ने इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की हैं।

श्री हेम बरुआ : यह एक गम्भीर मामला है, मेरा विचार है कि वह इसको समझते होंगे। प्रश्न यह है कि गृह मन्त्री इसको जानते हैं अथवा नहीं। अगर वे इसको जानते हैं तो चीन के दूतावास के विरुद्ध उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि यह देश में सब तरह के उपद्रवों को प्रोत्साहन दे रहा है ? मेरे विचार में वे इसको भलि भांति जानते हैं.....

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अच्छी तरह जानता हूं ...अतएव वे मुझसे अधिक प्रश्न न पूछें।

श्री पें०वेंकटासुब्बया : हम गृह मन्त्री से इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को उठाया है। जैसे उनके पास इस समय इन कार्यवाहियों में रत राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को सुलझाने के लिऐ कोइ कानून नहीं हैं, क्या मैं गृह मंत्री से जानस कता हूं कि हमारी संसदीय प्रजातंत्र के विरुद्ध और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध तोड़ -फोड़ की कार्यवाहियां मन्त्री महोदय की दृष्टि में अपराध नहीं है। क्या उनको राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों में रत ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ? अगर उन को इस विधान द्वारा अधिकार न दिये जायें तो क्या वे इस सभा के समक्ष उचित विधान पेश करेंगे जिससे इन तोड़ फोड़ और राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को दबा दिया जाये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण ; मेरे विचार में सम्भवत: माननीय सदस्य ने मुझे ध्यान से नहीं सुना हैं। मैंने कहा है कि मैं सभा के विचारों से सहमत हूं। मैं सभा में विधान पेश करके आलोचनाओं को नहीं सुनना चाहता। परन्तु निश्चय ही जैसे मैंने कहा है कि यह गम्भीर मामला है और मैं राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करना चाहता हूं।

Shri Jharkhande Rai : China attacked our country on 20th October, 1962. Prior to this the portrait of Mao-Tse-Tung and a large number of literature was brought to our country and the people used to read them. Every where the talk of Chinese literature goes on after the happenings which took place just as has been asked about Basti. I want to know what is in the literature which the Indian Government regard as objectionable and what are the differences between the past literature and present literature which the Government did not regard as objectionable.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने पिछले 600 वर्षों का भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है। यही एक मुख्य बात है... ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम मंत्री महोदय से इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही उनको मेरे से इस मामले में इतिहास पढ़ना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप अपना ज्ञान अपने तक रखिए।

श्री शिव नारायण : मैं बस्ती का प्रतिनिधित्व करता हूं और यह प्रश्न बस्ती से सम्बन्धित है।

श्री नम्बियार : तब वह इन सभी बातों के लिए जिम्मेवार हैं ।

श्री शिव नारायण : मैं यहां सब खराब तत्वों के लिए भी जिम्मेवार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए ।

Shri Sheo Narain : Since last years I have told the Prime Minister and other Ministers that the officers arrange to procure articles like transistors, pens etc. from there. I want to know whether the Government will take drastic step regarding the mis-appropriation going on at Someshwar Press and Basti and tighten the security and improve the checking as well as transfer the present officers.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अधिकारियों का स्थानान्तरण एकदम करने का आश्वासन या वचन नहीं दे सकता परन्तु निश्चय ही मैं उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करूंगा ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार किया है कि क्या इन चीनी साहित्य और माओ के चित्र का उत्तेजना फैलाने वाले एजेन्टों और कुछ अन्य तत्वों के अलावा किसी विदेशी एजेन्सी के **वेतन-चिट्ठा** पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित और अपने हित के लिए उपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार इसको गम्भीर मामला समझती है अथवा क्या सरकार के पास इसकी सूचना है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : "उत्तेजना फैलाने एजेन्ट" से क्या तात्पर्य है । मैं वास्तव में ही नहीं जानता । परन्तु अधिकतर वे एजेन्ट हैं ।

श्री नम्बियार : ये एजेन्ट कौन हैं ? हम जानना चाहते हैं ।

Shri Lakshmi Kanthamma : May I know whether the attention of the Government have been drawn to this fact that chinese literature are being distributed to different places from the Chinese Embassy and a book named "Mao Sortalu" by Mao-Tse-Tung is being distributed free in Andhra Pradesh. If so, then what steps the Government have taken in this regard ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में ही मेरा ध्यान इन बातों की ओर भी दिलाया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government have not taken any drastic steps against the followers of Peking for their Anti-National activities. With the result a reaction is taking place among the people. Recently an effigy of Chairman Mao-Tse-Tung was burnt at Bombay. It is feared that if the portraits of Mao-Tse-Tung are shown, the people will clash with the demonstrators. Will the Government take such steps as to the showing of portraits of Mao-Tse-Tung and shouting slogans like "Mao-Tse-Tung Zindabad" or printing such posters may be declared as punishable offence and people indulging in such activities may be arrested ? If they are not taken in protective custody then probably they may have to face the public. What steps the Home Minister is taking to prevent such situation ?

Shri Y. B. Chavan : If some situation takes place, then they can also be arrested.

नाइजीरिया में कार्य करने वाले इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अधिकारी

*872. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और पदनाम क्या हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में नाइजीरिया में कार्य किया है और जो इस समय कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनकी सेवाएं किन शर्तों पर दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों को नाइजीरिया और बियाफरा के बीच चल रहे युद्ध में अग्रिम क्षेत्रों में सेनाओं को ले जाने के लिये नाइजीरिया के अधिकारियों ने आदेश दिये थे;

(घ) क्या सेनायें ले जाने वाले विमानों पर बियाफिरा के सैनिकों ने गोली चलाई थी, जिससे भारती विमान चालक-वृन्द के जीवन को खतरा पैदा हो गया था; और

(ङ) क्या भारत सरकार नाइजीरिया सरकार को कहेगी कि सेनायें ले जाने के लिये भारतीय विमान चालक-वृन्द का उपयोग न किया जाये ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण सभा पटल पर रखे जा रहे हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2809/68**]

(ग), (घ) और (ङ) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय कर्मचारियों का प्रयोग नाईजीरियन एयरवेज़ के लिये अनुसूचित सेवाओं अथवा चार्टर उड़ानों पर केवल सिविल विमानों के परिचालन के लिये ही किया गया था । एक या दो ऐसी घटनाओं की सूचना मिली थी जिनमें भारतीय विमान कर्मचारियों तथा उन विमानों की, जिनका कि वे परिचालन कर रहे थे, सुरक्षा को खतरा उपस्थित हुआ था, यद्यपि किसी भारतीय कर्मचारी को वास्तव में कोई चोट नहीं आई । मामले को नाईजीरिया की सरकार के साथ उठाया गया तथा नाईजीरिया सरकार ने नाईजीरिया में स्थित भारतीय कर्मचारियों की वैयक्तिक सुरक्षा एवं हिफाजत का आश्वासन दिया ।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, the reply given by the Hon. Minister in respect of part (c), (d) and (e) of the question is absolutely wrong and misleading. My direct question is whether Captain Jogleker has not written to the Government or management of Indian Airlines Corporation that he was asked to take the army of Nigeria to the front lines to fight with Biafra and the army was taken in his aircraft and the soldiers of Biafra fired on his plane and thus he had to face much trouble.

Dr. Karan Singh : I have no knowledge about such letter by Captain Jogleker. But as the statement, which has been laid on the table, shows that a contract between Nigerian Airways and Indian Airlines Corporation had taken place and due to this our personnels were there. At that time the conflict of Biafra was not so serious. But later on when

the conflict started, the employees of Indian Airlines were asked to do the work and they had to do it because they were bound with the contract. Two or three incidents of firing on the planes took place when our employees were flying them.

Shri George Fernandes : May I know whether the army were carried there or not ?

Dr. Karan Singh : I am saying that the troops were carried on them and not ammunition. When these incidetns took place, they were reminded of the contract, so they would have to carry on the work. They intimated us and made protests. We raised this question with the Nigerian High Commission On this they said that they would take the responsibility of safety of our men.

Shri George Fernandes : Mr Speaker. It is not cleare l. This responsibility is quite baseless. If they are taken to battlefield, then no one can take the responsibility of their safety. My question has two parts. The agreement which you have made with Nigerian Airways pertains to 1962. Six years have passed since the agreement took place. Due to war conditions in Nigerian during these six years the prices of articles rose double but no thought has been given to renew the contract or to enhance it or improve it during these six years. Then whether you will try to improve the contract, and

(2) As there is a war condition prevailing so will you take definite assurance from the Nigerian Government that the services of our pilots will not be utilised in the war at any cost.

(3) May I know whether there is a fact in it that the salaries and facilities of the pilots who go there on private contract, whether they are Europeans or Indians are more than the agreements you have made.

Dr. Karan Singh : The agreement, which we have made with them, is going to expire on march next year. After that we have no idea for a fresh agreement. If any one wants to remain there privately then it is his work with Nigeria. I do not know the pay which they give privately. But I want to give assurance that safety will be granted to our employees who are there upto March, 1969.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : विवरण में दिए हुए करार में सैनिक कार्यवाही में भाग लेने का कोई वर्णन नहीं है । इस सन्दर्भ में मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार कम से कम आगे से नाइजेरिया सरकार से कहेगी कि हमारे कर्मचारियों का उपयोग सैनिकों को युद्ध स्थल अथवा खतरे वाले स्थानों में विमानों द्वारा न ले जाने के लिए किया जाए ।

डा० कर्ण सिंह : उदाहरण के लिए करार के पेज 3 में कहा गया है "कि कम्पनी द्वारा कहे हुए किसी भी स्थान में अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए उन्हें जाना होगा ।" यह नाइजेरिया का अपना आन्तरिक मामला है । यह ऐसा नहीं है कि वे अन्य देश के साथ युद्ध कर रहे हैं बिआफरा का संकट स्वयं उसके देश में है । तो भी, जैसा कि मैंने कहा है, हमने इस मामले को नाइजेरिया सरकार के साथ उठाया है और इस समय कोई उपद्रव नहीं हैं ।

Shri Om Prakash Tyagi : India is a neutral country. She should not get her personnel utilized in other countrys' internal conflict, so that the people of there may not have feelings against us...(Interruption). So keeping in view her permanent policy will the Government of India take this into consideration that our planes and personnels should not be used in other countrys' internal troubles and wars.

Dr. Karan Singh : It is a good suggestion.

डा० रानेन सेन : कुछ समय पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि नाइजेरिया की सरकार अथवा एयरलाइन्स के साथ करार की शर्तें अगले मार्च तक समाप्त हो जायेगी और उसके बाद अगर कोई कर्मचारी वहां ठहरके नाइजेरिया सरकार के साथ कार्य करना चाहता हैं तो सरकार उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकती । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि नाइजेरिया में भयंकर संघर्ष चल रहा है जो एक तरह से गृह-युद्ध है । अगर कोई भारतीय कर्मचारी वहां मार्च के बाद रुकना चाहता है और गृह-युद्ध में फंस जाता है तो भारत की प्रतिष्ठा का क्या होगा ? इस बात को देखते हुए मंत्री महोदय यह वक्तव्य क्यों नहीं देते कि वहां की हालातों को देखते हुए कोई भी भारतीय कर्मचारी को वहां ठहरने की आज्ञा नहीं दी जायेगी ?

डा० कर्ण सिंह : किसी कर्मचारी के वहां रुकने का प्रश्न ऐसा है जो सापेक्ष नियमों के अन्तर्गत आता है चाहे वह रिजर्व बैंक हो अथवा मंत्रालय, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि सरकार की ओर से हम कोई करार नहीं कर रहे हैं ।

श्री मनुभाई पटेल : क्या कैप्टन जोगलेकर वाली घटना केवल एक ही है अथवा नाइजेरिया तथा अन्य देशों में और भी घटनाएं हुई है और नए करार करते समय इन बातों को न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने कहा है ऐसी दो या तीन घटनाएं हुई हैं । एक बार जब वे खेत से जा रहे थे तो बिचाफरा सैनिकों ने उन पर गोली चलाई । मैं कह नहीं सकता कि वे कैप्टन जोगलेकर थे या नहीं । मेरे पास कैप्टन जेदी, कुंकर, ओबेराय और गुलेरिया के नाम है । माननीय सदस्य ने जो भविष्य में होने वाले करार के लिए कहा हैं, उस पर हम विचार करेंगे ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पाकिस्तान स्थापना दिवस का मनाया जाना

*873 **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने जहां 15 अगस्त, 1968 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया वहां उसके साथ-साथ 14 अगस्त, 1968 को पाकिस्तान स्थापना दिवस भी मनाया; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे तत्वों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : No such celebration has come to notice of Government,

(b) Does not arise.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, this question is based on newspapers reports. Reports to this effect have appeared in many newspapers of U. P and Delhi. Have the Ministry of Education tried to ascertain the authenticity of the reports from the Ministry of Home affairs or is the reply of the hon. Minister based on the enquiries made by the U. P. State Government and the Central Government ?

Shri Bhagwat Zha Azad : We made enquiries from the Uttar Pradesh Government about it. After making an enquiry they said that they had no knowledge of it. We have also enquired from the Aligarh University. They have also stated there is no substance in it, it is completely baseless.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, reports of certain activities of a section of students of Aligarh University have appeared in the newspapers from time to time, which have created apprehensions in the minds of the people. Have you impressed upon the university authorities that such reports should be contradicted by them ?

Secondly, do Central Government conduct an enquiry on its part on receipt of such reports ? For example, some students of Aligarh University are reported to have celebrated the victory of Pakistani Hockey team over India. When such reports were published. Were they contradicted officially or if they were found to be correct, has any arrangement been made to work such activities ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, as already stated, it was reported in the newspaper and then this question was received. We asked the U. P. Government to make a thorough enquiry and report to us. They said that these were baseless. We enquired from Aligarh Universi y also about it. They also stated that there was no such celebration. If they say there is no truth in it, we feel it is sufficient.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि उस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने पाकिस्तान स्थापना दिवस मनाया था । सबको मालूम है । यह समाचारपत्रों में छपा है । लेकिन जब मंत्री महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से पूछा तो वे डर गये कि उन्होंने इसकी अनुमति दी । वे मन्त्री महोदय को नहीं बताना चाहते । वे इसको छिपाना चाहते थे । हम उस विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी एजेन्टों को शिक्षित कर रहे हैं । सरकार कम से कम अब इन मुसलमान विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों में भेजने और उनके पर स्थान अन्य सम्प्रदायों के विद्यार्थियों को दाखिल करने की बात क्यों नहीं सोचती ताकि उस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की गड़बड़ न हो ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर के आधार पर ही उत्तर नही दे रहा हूं । हमने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मामले की जांच की है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है ।

इसके अतिरिक्त मैं कह सकता हूं कि इस विश्वविद्यालय में न केवल मुसलमान विद्यार्थी ही नहीं अपितु बहुत से हिन्दू लड़के भी पढ़ रहे हैं । हम नहीं मानते कि वहां केवल पाकिस्तानी एजेन्ट थे । ऐसा कहना उस विश्वविद्यालय के प्रति न्यायोचित नहीं है ।

श्री पीलु मोदी : आपको इसका खण्डन करना चाहिए ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sometime back an enquiry committee was appointed to look into the affairs of Aligarh University during the tenase of Dr. Shrimali as Minister of Education. One of the findings of that enquiry committee was that mainly two groups, Viz. the committee and the communalists, were active in that university. But after the Sino-Pak collusion, both of them have united. It was during those days that we heard of some important documents pertaining to our border areas dating back to Akbar's regime being stolen from the Library of this university and being passed on to China.

In this background may I know whether it is a fact that the Council of Ministers had decided to affiliate all the colleges in Aligarh to the Aligarh University so as to give it a nationalistic character like the Banaras Hindiu University and to end the internal mismanagement in the university but a certain minister, who was not present at the particular meeting is reported to have objected to that decision and it has been reversed with the result that this decision has not been brought before the parliament ? How far it is ture ? Dr. Sen is not a politician but an educationist, so he should give a categorical answer ? What is the correct position ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : श्रीमन्, शिक्षा मंत्रालय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के लगभग समान संशोधन करने के लिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। मंत्रिमंडल ने इसे अपनी एक उप-समिति को सौंप दिया है जो इस पर विचार कर रही है और हम आशा करते हैं कि हम शीघ्र ही निर्णय कर सकेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, my question about the reversal of Cabinet decision has not been answered.

डा० त्रिगुण सेन : मन्त्रिमण्डल की उप-समिति की रिपोर्ट मन्त्रिमण्डल के सामने रख दी जायेगी। मन्त्रिमण्डल में क्या चर्चा हुई, मैं वह नहीं बता सकता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामलों की समय-समय पर कटु आलोचना की गई है। उस आधार पर मैं जानना चाहती हूं कि (क) विश्वविद्यालय में हिन्दू विद्यार्थियों और मुसलमान विद्यार्थियों का अनुपात क्या है; (ख) क्या सरकार "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय" से "मुस्लिम" शब्द निकालने और उसे वास्तविक सार्वदेशिक स्वरूप देने के लिये तैयार है; और (ग) क्या सरकार वहां के मामलों और वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिये एक सर्वदलीय समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है ?

डा० त्रिगुण सेन : विश्वविद्यालय में गैर-मुसलमान विद्यार्थियों की प्रतिशतता के बारे में पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे पास सही आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह लगभग बराबर अर्थात् 50 प्रतिशत है; हो सकता है कि वहां पर हिन्दू अधिक हों। मैं वहां गया था लेकिन मैंने वास्तविक संख्या मालूम नहीं की। दूसरे प्रश्न के बारे में, मुझे बताया गया था कि जब इस सभा ने "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय" से "हिन्दू" शब्द निकालने का प्रयत्न किया, तो यहां सभा में तथा सभा के बाहर बहुत गड़बड़ हुई। सरकार अब कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच करना आवश्यक नहीं है क्योंकि अब विश्वविद्यालय की गतिविधियों में कोई गलत बात नहीं है।

श्री जि० मो० बिस्वास : क्या आप "हिन्दू" और "मुस्लिम" दोनों नामों को निकालने पर विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बृहत् प्रश्न है।

Shri Ram Gopal Shalawale : Is it a fact that several hundred graduates of the Engineering College of the Aligarh Muslim University have migrated to Pakistan ? Whether it is also a fact that the Reader of the Electrical Engineering College of the university has gone to Pakistan without intimating anyone and he has also arranged to receive the amount at his credit in the Provident Fund account ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is correct that some of the students who passed out from Aligarh University, have gone to Pakistan. But it has no link with this question.

Indiscipline In Universities and Colleges Of Uttar Pradesh.

*874. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Mintster of Education be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that indiscipline in some universities and colleges of Uttar-Pradesh has been constantly increasing;

(b) Whether it is also a fact that the activities of this small number of indisciplined students create grave difficulties even for those students who pursue thier studies regularly.

(c) Whether it is further a fact that some political parties and persons also have a hand in creating trouble in the educational institutions; and

(d) If so, the measures proposed to be adopted by Government to check such tendencies ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) During the eurrent academic session students disturbances have occured in some universities and colleges in Uttar Pradesh.

(b) Yes, Sir.

(c) Although some students with political leanings are responsible for the trouble, it is difficult to say whether the political parties and persons as such are directly involved in creating the trouble.

(d) The State Government is maintaing vigilance on such incidents and taking appropriate action against the law breakers.

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, student unions are formed in the Universities and colleges with a view to enable the students to have some experience of their future responsibilities during their student life. But for sometime past it has been noticed that the political parties have been taking part in the elections to the student unions in the various states, particularly in U. P. They are offered money by outsiders and the elections are conducted on party lines. May I know whether the main reason or the present trouble in Uttar Pradesh is the systematic participation of political parties in these elections; if so, what is the reaction of the Ministry of Education in this regard ? Are the Education Ministry thinking of taking steps to remedy this situation ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is the firm view of the Education Ministry that the political parties should not take part into the activities of Universities and if it is a fact that the political parties do take part in these elections in Universities, the matter will be set right when these political parties realise themselves that they should not interfere in the affairs of the Universities.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that one of the main reasons for the agitations and troubles in the Universities in U. P. is the special preference given to the politicians over educationists in the appointment of Vice-Chancellors of these Univerisities ? Wherever politicians go, they try to create an atmosphere suiting their own ways ? If so, is our Education Minister going to set up a convention that only academicians would be appointed as Vice-Chancellors of the Universities ? The politicians should kindly be kept away from the Universities.

Secondly, the widespread discontent among the teachers of U P. is also one of the main factors responsible for these student agitations ? Since the Government of U. P. is here in Delhi, did the Education Minister discuss the matter with him ? If so, what has been the outcome ? Since it is the last day of the current session of Lok Sabha, we may kindly be apprised of it.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, we have all along stressed that while appointing Vice-Chancellors in all the states, the s ate Governments should consider only academicians and not politicians. The Education Commission has also made a similar recommendation and we have drawn the attention of the State Government to it. At present all the Vice-Chancellors of the Universities in U. P. are educationists but still there is discontent.

As regards the question of scales of pay of University teachers, it has already been solved. As regards others I cannot say anything at the moment since we are discussing the matter with them.

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know if any enquiry has been conducted about the disclosure made by Shri Prakash Vir Shastri during the discussion regarding the University on the 14th that some students fail every year but continue there as they are in receipt of economic aid from other sources ? If so, what are the results thereof ?

Secondly, do you propose to make changes in the present education system ? Are you going to make some fundamental and constuctive experiment which may create a sense of faith, devotion and sanctity on the University and inspire in them a feeling of self-discipline ?

Shri Bhagwant Jha Azad : Mr. Speaker, it is true that there are students in Universities who h many times and still they are continuing as students. As regards theis being helped by some political party, we have no information.

There can be no two opinions that our education policy should be such which may inspire devotion, allegiance and respect for the country among the students and we have stressed this point in our education policy and have asked the State Governments to act in this direction.

Shri Prakash Vir Shastri : Some students are paid for this job only.

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या सरकार उन राजनीतिक दलों के नाम बता सकती है, जो न केवल उत्तर प्रदेश अपितु सारे भारत में विश्वविद्यालयों और औद्योगिक क्षेत्रों में गड़बड़ी पैदा करते पाये गये हैं ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, I have already stated in reply to the original question that although some students with political learnings are responsible for such troubles, it is difficult to say whether some political parties or individuals are engaged in it.

श्री लोबो प्रभु : क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे भारत में ही विद्यार्थियों में असंतोष का मुख्य कारण उनके रोजगार के अवसरों के बारे में निराशा है; ये न केवल कम हो रहे हैं बल्कि वे हमारे विश्वविद्यालयों और स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा उत्तर-प्रदेश से विशेष प्रेम है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने का यह कारण नहीं है कि वहां के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने के कारण उनके केवल हिन्दी में प्रवीण होने से उनके रोजगार के अवसर उत्तर-प्रदेश तक ही सीमित हैं और शेष देश में नहीं मिलेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : कारणों का पता लगाने के लिये बनाई गई विभिन्न समितियों तथा की गई जांच के ये निष्कर्ष अवश्य हैं कि रोजगार के कम अवसर होना भी विद्यार्थियों में असंतोष का एक कारण है। जहां तक माननीय सदस्य के हिन्दी-विरोधी आक्षेप का सम्बन्ध है, यह कारण नहीं है।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : जैसाकि मंत्री महोदय ने अभी कहा, आज देश में बहुत से विद्यार्थियों में असंतोष है। क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिये की गई विभिन्न जांचों का यह निष्कर्ष है कि कम से कम 35 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, कम से कम 40 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिये कोई आवास नहीं है और विद्यार्थियों की बात तो जाने दीजिये, स्वयं शिक्षा शास्त्रियों में ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा का वातावरण तैयार करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इस सब मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि समस्या को प्रशासनिक रूप में हल करने के स्थान पर क्या वे यह प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के विद्यार्थियों को इस समय आ रही कठिनाइयों तथा आगामी 3–4 वर्षों में आने वाली कठिनाइयों को दूर हो जाये तथा क्या वे कोई दीर्घकालिक हल निकाल रहे हैं ताकि इस समस्या को प्रशासनिक रूप के स्थान पर मनोवैज्ञानिक रूप में हल किया जा सके ?

श्री भागवत झा आजाद : अभी कुछ दिन पहले विद्यार्थियों में असन्तोष के बारे में इस सभा में दो घण्टे की चर्चा हुई थी और रोजगार के अवसर कम होना, छात्रावासों में पर्याप्त आवास होना आदि ये सभी बातें उठाई गई थीं। उस समय हमने अपना दृष्टिकोण बताया था, हमने उनसे सहमति व्यक्त की थी कि इन्हें दूर करने के लिये निश्चय ही एक व्यापक दृश्यमान योजना होनी चाहिये।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के सचिव के विरुद्ध जांच

+

*875. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के प्रबन्ध निकाय ने परिषद् के सचिव के विरुद्ध आरोपों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो जांच का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के शासी निकाय ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के सचिव के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ।

(ख) जी नहीं । जांच समिति की रिपोर्ट भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the reasons for not conducting an enquiry so far as also the reasons for delay in completing the enquiry by the committee ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, it is not correct to say that no enquiry was conducted; in 1964 an enquiry committee was set up under the Chairmanship of Dr. C. D. Deshmukh, which held that these charges were baseless. Even after that many complaints were received, most of them being anonymous, and those which were submitted under signatures, the complainants could not be traced. Now when a Member of Parliament made a complaint, the Governing Body has set up a committee, which is working expeditiously.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the allegations received anonymously those received under signatures ?

Shri Bhagwat Jha Azad : That will be a long list and therefore, it is difficult to state them here.

Shri Onkar Lal Berwa : Please state a few of them.

Shri Bhagwat Jha Azad : Those allegations are not of confidential in nature. If permitted I may lay the charges made by Shri Choradia in Rajya Sabha in writing. There is nothing to conceal.

अध्यक्ष महोदय : आप इन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : I will lay the complete list.

New Year Eve Incidents in Delhi

*876. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the steps proposed to be taken by Government on the night of the 31st December, 1968 to ensure that the incidents of hooliganism that occurreds on the last New Year Eve in Delhi do not occur again ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The Delhi police are taking suitable steps to provide adequate patrolling and other necessary measures to ensure that there are no incidents of hooliganism during the New Year Eve celebrations.

Strict vigilance is also proposed to be maintained on shops to prevent unauthorised sale or service of liquor. Both 31st December, 1968 and 1st January, 1969 have been notified as dry days.

To ensure a smooth flow of traffic, adequate number of Traffic Policemen will be put on duty.

Adequate number of mobile vans will be pressed into service and patrolling intensified in various areas. Woman Police are also being put on duty.

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether "dry day" is applicable to every place including hotels.

Shri Vidya Charan Shukla ; I have no detailed information regarding the rules of "dry day", but the sale and drinking of liquor in public is not permitted on that day. I dont think here is any restriction on drinking in one's own premises on that day.

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know whether Government have drawn up any plan to avoid recurrence of the happenings of last year.

Shri Vidya Charan Shukla : I have given the outline of the plan drawn by us.

Restrictions on Indians to Visit or to Purchase Land in Certain Areas in the Country

* 877. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of those parts of the country where restrictions have been imposed on Indians for visiting those areas or for purchasing land, etc.:

(b) the time since these restrictions are in force, the rules under which these have been imposed and the reasons therefor; and

(c) the action being taken by Government to remove these restrictions ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2810/68]

Shri Kanwar Lal Gupta : From the reply given by the Minister, it appears that such restrictions are there in ten States or Union Territories. The protection of interests of tribals on backward people and security point of view have been given as the reasons for the same. But in practice such areas have no relations with the rest of the country and

they have reasons with Chinese or Pakistanis. I would like to know whether in view of the experience during last twenty years, the question of restrictions on movement will be reviewed and wherever liberalisation will be felt necessary it will be done.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार ने समय समय पर इस प्रश्न पर विचार किया है। जहां तक सुरक्षा की दृष्टि से लोगों के आदान प्रदान पर प्रतिबन्ध का प्रश्न है, उस पर पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध का दूसरा कारण आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करना है। जम्मू तथा काश्मीर में ऐसा स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ऐसा 1947 से पहले भी रहा है, इन मामलों पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : A number of foreign missionaries are working in such backward areas. I would like to know whether any cases have come to the notice of the Government regarding the participation in anti-national activities by Christian missionaries ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question is very relevant. The security and defence of the country is endangered when these foreign missionaries continue to live in this country.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब ऐसी बातें होती हैं तो उन्हें रोकना सरकार की नीति का भाग है चाहे उसका सम्बन्ध किसी विदेशी पादरी से हो।

Shri Tulsidas Jadhav : We do not go to serve the tribals and backward people and when others do it such accusations are hurled against them. Does Government consider it proper.

Shri Y. B. Chavan : I concede that those who serve the backward and downtrodden classes should be given facilities by the Government but the Government should also see that they do not do a disservice to them.

Shri Rabi Ray : I would like to know from the hon. Minister the restrictions on movements of hill people will be removed in view of the desirability of the hill people having contacts with each other.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक कुछ महत्वपूर्ण लोगों के वहां ठहरने के उद्देश्य से जाने का सम्बन्ध है, उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है परन्तु प्रतिबन्ध पूर्णतया हटा देना खतरनाक बात होगी।

श्री रंगा : क्या इस बात पर विचार किया गया है अथवा किया जायेगा कि यथासम्भव अधिक नगरों में कुछ ऐसे क्षेत्र रखे जायें जिनमें शेष भारत के लोग वहां कृषि के लिए अथवा वहां के लोगों को अपनी भूमि से वंचित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार के लिए वहां बसने तथा उन क्षेत्रों की सामाजिक अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए जा सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले पर अभी उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा ।

श्री कार्तिक उरांव : हाल ही में रांची में करकेनिया के ईसाई आदिवासियों से शिकायत मिली है कि एक विदेशी पादरी ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर 175 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली है तथा वहां एक बहुत बड़ा फार्म शुरू करने का आश्वासन दिया है । क्या सरकार ऐसी बातों को रोकने के लिए कोई तरीका अपनायेगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ क्षेत्रों में इसके बारे में कानूनी उपबन्ध है । मैं जानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में कानून का अनुचित लाभ उठाया गया है । उदाहरण के लिए छोटा नागपुर में ऐसा हुआ है । उसे रोकने के लिए हमें और कानूनी उपबन्धों पर विचार करना होगा ।

श्री कंडप्पन : मैं सरकार से अंदमान के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । वहां कुछ क्षेत्र आदिवासियों के लिए रक्षित किये गये हैं । निकोबार द्वीप को छोड़कर मैंने अंदमान में कोई आदिवासी नहीं देखा है । अब स्थिति यह हैं कि उपद्रवियों को वहां जाने तथा पूंजी लगाने से रोका जाता है ।

मैं जानना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र को रक्षित अथवा सुरक्षित घोषित करने से पहले सरकार इन सभी बातों पर विचार करेगी । क्या उन राज्यों से अग्रेतर जानकारी प्राप्त की जायेगी और सभा–पटल पर रखी जायेगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि जब इन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है तो स्थानीय लोगों की वास्तविक आवश्यकतायें भी ध्यान में रखनी होती हैं । अन्दमान में न केवल आदिवासियों के बल्कि वहां बहुत पहले से बसने वाले लोगों के हितों को भी देखना होगा ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कलकत्ता में चुंगी की वसूली

+

अ० सू० प्र० 16. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री मुहम्मद इमाम : **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में जाने वाले माल पर चुंगी वसूली करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या ऐसी वसूली सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के सिफारिश के अनुसार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सरकार ने इस आशय की एक प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) अपेक्षित सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : चुंगी वसूल करना एक अप्रचलित बन गया है जिससे राज्य हठपूर्वक चिपके हुए हैं । चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं में सभी पार्टियों की ओर से प्रायः एक मत होकर मांग की गई है कि चुंगी वसूली समाप्त की जाये । सड़क कराधान जांच समिति ने भी इसका विरोध किया था, परिवहन विकास परिषद की जुलाई में बंगलौर में हुई बैठक में इसका विरोध किया था तथा मन्त्री महोदय ने भी इसका विरोध ही किया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सब ने इसका विरोध किया था, सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर सकती है राज्य सरकारें भविष्य में चुंगी वसूली पर निर्भर न करें और यदि इस व्यवस्था को समाप्त करने में विलम्ब हो, तो आगे नई चुंगी न लगाई जाये ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य के दृष्टिकोण के साथ मुझे सहानुभूति है । प्रश्न केवल यह है कि जहां इस समय चुंगी वसूल की जाती है, वहां के जब तक कोई दूसरी व्यवस्था का सुझाव नहीं दिया जाता और स्थानीय निकायों के लिए न केवल वर्तमान आधार पर अर्पित उत्तरोतर बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार भी धन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक चुंगी वसूली व्यवस्था समाप्त नहीं की जा सकती है । हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं । केलकर समिति ने नगरपालिका बिक्री कर, बिक्री कर पर नगरपालिका अधिभार, समूचे तौर पर बिक्री कर पर अधिभार आदि वैकल्पिक करों का सुझाव दिया है । कुछ लोगों ने ईंधन कर का सुझाव दिया है । हम इन सब विषयों पर विचार कर रहे हैं और आशा है कि हम कोई हल निकाल लेंगे । महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त की है । मैसूर सरकार भी कोई दूसरा कर लगाने के बारे में सोच रही है ।

जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल उन कुछ राज्यों में से है जिनमें अब तक चुंगी वसूल नहीं की जाती है किन्तु अब वह चुंगी लगाने की बात सोच रहा है । मुझे थोड़ी आशंका इस बात की है कि यदि कलकत्ता नगर निगम का यह प्रस्ताव क्रियान्वित हो गया तो देश में चुंगी को समाप्त करने का 25 वर्ष से चल रहे हमारे प्रयत्नों को धक्का लगेगा । किन्तु मैं नहीं कह सकता कि मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं । समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार पढ़ने के दो दिन बाद ही मैंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिख दिया था और मुझे आशा है अन्य सम्भावित विकल्पों पर विचार किये बिना कलकत्ता नगर निगम चुंगी कर लगाने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

श्री सु० कु० तापड़िया : कलकत्ता नगर निगम विश्व में अपने किस्म की एक ही संस्था है। हाल के वर्षों में इस निगम की एक भी बैठक ऐसी नहीं हुई जो निर्धारित समय तक पूरी चली हो। इन बैठकों को सदा बीच में स्थगित करना पड़ा था। कोई भी ऐसा निगमायुक्त ऐसा नहीं था जो अपने पद पर पूरे कार्यकाल तक रहा हो, उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ा। फिर भी यह निगम एक ऐसा कर लगा रहा है या लगाने का प्रयत्न कर रहा है जिसके सब लोग विरुद्ध है। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ करना होगा। संसद की दोनों सभाओं ने प्रायः सर्वसम्मति से जिस बात की निन्दा की है यदि यह सांविधिक निगम अथवा निकाय उसे अपनाना चाहता है तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है ? क्या हमें केवल बातों तक ही सीमित रहना चाहिए ?

श्री मुहम्मद इमाम : चुंगी कर लगाने की सब ने निन्दा की है। इसकी अनेक बुराइयां हैं। यह राज्यों के बीच बाधा ही उत्पन्न नहीं करता अपितु इससे अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इससे स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार फैलता है। ये स्थानीय निकाय स्वेच्छा-पूर्वक जितना चाहें चुंगी बढ़ा देते हैं जिससे उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। हाल में बंगलौर निगम कुछ वस्तुओं पर चुंगी बढ़ाना चाहता था जिसकी बुरी प्रतिक्रिया हुई और बंगलौर बन्ध का आयोजन किया गया।

यह प्रसन्नता की बात है कि मैसूर सरकार चुंगी कर को समाप्त करके उसके स्थान पर कोई दूसरा कर लगाना चाहती है।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चुंगी कर अब अप्रचलित सा हो गया है क्या सरकार इस कर के कुपरिणामों को दूर करने तथा स्थानीय निकायों को कुछ सहायता देने के लिये, अन्यथा इन निकायों को बड़ी कठिनाई हो जायेगी, कोई समिति नियुक्त करेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि एक और समिति नियुक्त करने से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि अनेक समितियां पहले ही नियुक्त की जा चुकी हैं। संसद की दोनों सभाएं चुंगी का कड़ा विरोध कर चुकी हैं। अब केवल यह बात शेष रह गई है कि चुंगी कर के स्थान पर आय की कोई दूसरी व्यवस्था की जाये। हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : चूंकि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू है। अतः क्या केन्द्रीय सरकार कलकत्ता निगम को यह नहीं कह सकती कि वह चुंगी कर न लगाये ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं :

श्री क० नारायण राव : चुंगी कर के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त की गई सभी समितियों का एक मत से यह विचार था कि यह कर हानिकारक है। केसकर समिति का भी यही निष्कर्ष है। अब केवल यह बात रह जाती है कि इस कर के स्थान पर आय की कोई दूसरी व्यवस्था की जाये। इस सन्दर्भ में हाल की एक सदस्य ने एक पृथक टिप्पणी दी है जिसमें

उन्होंने उन राज्यों में जिनमें इस समय चुंगी व्यवस्था है तथा उन राज्यों में जिनमें राज्य सरकार चुंगी लगाने की बात सोच रही है, अन्तर बताया है। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य कुछ राज्यों में इस समय चुंगी व्यवस्था नहीं है। ये राज्य अलाभप्रद स्थिति में हो सकते हैं। इस बात को देखते हुए कि कलकत्ता नगर निगम ने अभी तक चुंगी कर नहीं लगाया है किन्तु अब उसका एक दम चुंगी लगाने का विचार इस बात का द्योतक है कि वह इससे लाभ उठाना चाहता है। क्या उपर्युक्त सदस्य द्वारा अलग टिप्पणी में दिये गये सुझाव का कलकत्ता निगम के चुंगी कर लगाने के प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध है और यदि हां, तो क्या जो कुछ भी कार्यवाही की जायेगी वह सभी राज्यों पर लागू होगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

श्री बलराज मधोक : स्थानीय निकायों के पास आय के बहुत कम साधन हैं और चुंगी कर उनमें से एक साधन है और यह ऐसा साधन है जो घटाया-बढ़ाया जा सकता है। इसलिये स्थानीय निकायों के लिये आय के अन्य साधनों का पता लगाने का प्रयत्न कर रही अनेक समितियों ने अनेक सुझाव दिये हैं। दिल्ली सम्बन्धी मोरारका समिति ने चुंगी कर बढ़ाने का सुझाव दिया था। परिवहन कर्ताओं की मुख्य कठिनाई यह है कि उन्हें प्रत्येक स्थान पर रुकना पड़ता है चाहे उन्हें अपना माल न उतारना हो। क्या परिवहन मन्त्री बड़े नगरों के से होकर जाने वाली सड़क के आस पास उप सड़क आदि निर्माण करने पर विचार करेंगे ताकि जिन ट्रकों को वहां अपना सामान नहीं उतारना होता है वे वहां पर न रुक कर सीधे जा सकें ? इससे कठिनाई नहीं होगी और स्थानीय निकायों के लिये आय के साधन भी बन जायेंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : उपलब्ध साधनों के अन्दर हम उप-सड़क बनाने का कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। किन्तु इससे चुंगी की समस्या हल नहीं होगी। इसका हल केवल यह है कि स्थानीय निकायों के लिये आय की कोई दूसरी व्यवस्था की जाये और तब उन से चुंगी कर समाप्त करने के लिये कहा जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने गृह-कर के रूप में कलकत्ता निगम को करोड़ों रुपये देने हैं और राज्य सरकार सार्वजनिक मोटर गाड़ियों पर सारा सड़क कर वसूल करती है, क्या कलकत्ता निगम को चुंगी कर न लगाने के लिये कहने से पहले निगम को एक मुश्त अनुदान देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : कलकत्ता नगर निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान देने का कोई प्रश्न नहीं है। इस समय स्थिति यह है कि कोई चुंगी कर नहीं लगाया जा रहा है। कलकत्ता निगम का अपने बढ़ते हुए व्यय के लिये अधिक धन मांगना उचित है। उसका लगभग 5 करोड़ रुपये का एक नया खर्चा बढ़ा है। अतः पश्चिम बंगाल सरकार से हमारा सुझाव है कि वह इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने से पहले अन्य विकल्पों को ढूढ़ने का प्रयत्न करे।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : भूतपूर्व हैदराबाद रियासत में इस प्रकार का कर लगाया जाता था जिसे सीमा शुल्क कहा जाता था। यह चुंगी भी सीमा शुल्क के समान ही

है। क्या मन्त्री महोदय समूचे देश में इस चुंगीकर को इस आधार पर समाप्त करने के लिए कोई कानून बनायेंगे कि यह कड़क परिवहन में एक सबसे बड़ी बाधा है। छोटे छोटे शहरों में निर्धन किसानों को अपने उत्पादों पर चुंगी कर देना पड़ता है। यदि सरकार इसे समाप्त नहीं करना चाहती है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिससे नगरपालिकाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों को भी चुंगी से होने वाली आय का अंश मिले ?

डा० वी०के०आर०वी० राव : माननीय सदस्य के सुझाव मानने की स्थिति में संविधान मे संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि चुंगी का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि 52 के अन्तर्गत आता है ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : चुंगी से होने वाली आय को ग्राम पंचायतों और नगर-पालिकाओं में बांटने के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री समर गुह : कलकत्ता एक महा नगर हैं। इसकी 35 प्रतिशत जनसंख्या देश के अन्य भागों के लोगों की है, देश का 45 प्रतिशत निर्यात व्यापार और 20 प्रतिशत आयात व्यापार तथा 15 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन करने का सौभाग्य कलकत्ता को ही प्राप्त है। कलकत्ता पर न केवल कलकत्ता की समस्याओं को अपितु सारे देश की समस्याओं को हल करने का उत्तरदायित्व है। अतः कलकत्ता के लिए केन्द्रीय सहायता आवश्यक है। यह स्वाभाविक है कि जबकि देश के अन्य भागों में चुंगी कर लिया जाता है, कलकत्ता निगम ने भी अपने बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिये आय के साधन के रूप में चुंगी कर लगाने का विचार किया है। इसलिये निगम को कर न लगाने का सुझाव देने से पहले उसे वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिये निगम जैसी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायेगी ? क्या सरकार कलकत्ता निगम को कोई ऐसा ठोस सुझाव देगी जिससे उसे कर अथवा किसी अन्य रूप में कोई आय हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं।

श्री समर गुह : बैठक बुलाने के बारे में पूछे गये मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस प्रश्न पर स्थानीय स्वायत शासन मन्त्री परिषद की समिति ने विचार किया था और सब इस कर को समाप्त करने के पक्ष में थे। कठिनाई केवल यह है कि चुंगी कर के स्थान पर आय का कोई दूसरा साधन ढूंढा जाये। इस प्रश्न पर विचार-विमर्श चल रहा है और कोई हल निकाला जायेगा।

श्री वेदव्रत बरुआ : चुंगी कर को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करते समय आय के दूसरे साधन का प्रश्न बीच में नहीं आना चाहिए। विधान के अनुसार नगर निगम, नगर-पालिकाएं तथा स्थानीय निकाय चुंगी कर लगा सकते हैं। इन निकायों के पास धन की बहुत कमी रहती है। यदि एक बार यह निर्णय कर लिया जाता है कि कोई नगर निगम, नगर-पालिका अथवा स्थानीय निकाय चुंगी कर न ले तो मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के

लिये क्या कार्यवाही करेंगे कि चुंगी नहीं ली जा रही है और जहां पहले से ली जा रही है वहां समाप्त कर दी जाये ? आय का अन्य साधन ढूंढने का मामला बाद में आता है क्योंकि यदि इस पर पहले से विचार किया जाता है तो चुंगी कर समाप्त नहीं हो सकता है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : 50 करोड़ रुपये की आय वाले विषय पर बाद में विचार करना बहुत कठिन है ।

श्री लोबो प्रभु : चूंकि चुंगी कर के स्थान पर आय का अन्य साधन ढूंढने की बात चल रही है अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर लिया गया है कि कलकत्ता निगम में जो अत्यधिक कर्मचारी हैं उनकी छंटनी किस प्रकार की जायेगी ? क्या मन्त्री महोदय कलकत्ता निगम को सुझाव देंगे कि वह अपने कर्मचारियों की छंटनी करके बचत करे जिससे चुंगी कर न लगाना पड़े ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य के सुझाव के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित कर दूंगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Are the Government aware that small sellers of vegetables, sweets and fish are put to hardships due to octroi duty and if so are the Government considering the question of abolishing this duty ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरी जानकारी के अनुसार कुछ वस्तुओं पर चुंगी नहीं ली जाती है और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा बताई गई वस्तुएं उनके अन्तर्गत आती हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि हाल में मन्त्री महोदय ने चुंगी कर के विरुद्ध विचार व्यक्त किये थे अथवा हम यह समझें कि मन्त्री महोदय भी उपाध्यक्ष महोदय की भांति जो निजी तौर पर कुछ और कहते हैं और सभा में कुछ और ही करते हैं, दुमुंही बात में विश्वास करते हैं ? डा० राम सुभग सिंह ने एक आरोप लगाया था किन्तु उसका खण्डन नहीं किया गया इसीलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पीठाध्यक्ष अधिकारी चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो अथवा कोई माननीय सदस्य पीठासीन हों—द्वारा किया निर्णय साधारण बात नहीं समझी जानी चाहिए । हो सकता हम गलती करते हैं किन्तु इस प्रकार आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । इससे सभा का मान घटता है क्योंकि सभा ही सर्वोच्च है ।

श्री रंगा : मैं इस घटना के समय उपस्थित नहीं था किन्तु मैं इस प्रकार की घटनाएं अशोभनीय हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : पीठाध्यक्ष पर किये गये आक्षेपों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल कर नाराजगी व्यक्त करना संसदीय तरीका है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : यह आक्षेप कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने भी यही कहा है । माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने मुझे बताया है कि कल कुछ माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर जाने लगे थे । हमने किसी एक विषय के लिये एक घन्टे का समय नियत किया था । सरकार अथवा उपाध्यक्ष ने यह समय नियत नहीं किया था । आपको इसे बढ़ाने का अधिकार है । यदि माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर जाने लगें और शोर करने लगें तो सभा की कार्यवाही कैसे चल सकती है ? यह उचित नहीं है । सभा से मेरा अनुरोध है कि चाहे कुछ भी हो, माननीय सदस्यों को अध्यक्ष पीठ की ओर नहीं बढ़ना चाहिए । ऐसा करना खतरनाक है । यह एक बुरा पूर्व उदाहरण बन जायेगा ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : कदाचित आप शाम को हुई घटना के बारे में कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय में समय पूरा हो चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

चीनी नागरिक को दिल्ली में व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति

*878. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी चीनी नागरिक को दिल्ली में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिये हाल ही में अनुमति दी गई है तथा क्या किसी चीनी नागरिक ने हाल ही में दिल्ली में कोई प्लाट खरीदा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे चीनी नागरिकों ने पहले कलकत्ता में चल रहे बैंक आफ चाइना से पूंजी प्राप्त करके यहां अपने उद्योग चलाने आरम्भ कर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान चीनी मूल के एक भारतीय नागरिक ने नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में एक नूडल बनाने के लिये डेढ़ एकड़ का एक प्लाट खरीदा है । ऐसी खरीदों के लिये किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) ऐसे कोई तथ्य सरकार के ध्यान में नहीं आये है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Suspension and Dismissal of Delhi Police Personnel

*879. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Abdul Ghani Dar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that some Police personnel of Delhi Police have been suspended and dismissed from service during the period from July to September, 1968 ;

(b) if so, the reasons for their suspension and dismissal, respectively;

(c) whether it is a fact that he number of crimes being committed by the Poice personnel of De hi Police is increasing continuously ; and

(d) if so, the action being taken by Government to check them ?

The Minister of State in the Mini try of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The reasons for their suspension/dismissal are negligence in duty, misconduct, gross indiscipline, involvement in criminal cases, etc.

(c) 60 cases have come to the notice of Delhi Administration in which Delhi Police personnel were alleged to have been involved in criminal cases during the peroid from 1-1-1968 to 18-11-1968. However, there is no indication to show that the number of such crimes is increasing continuously.

(d) Whenever allegations or complaints are made against Police officers, they are enquired in to by Delhi Administration in accordance with law and departmental regulations.

Central Schools

***880. Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri T. P. Shah :**
Shri Har Dayal Devgun : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Central School in the country at present ;

(b) the number of those among them in which the medium of instruction is Hindi ; and

(c) the action being taken to make Hindi the medium of instruction in the rest of the schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 118.

(b) and (c) : The medium of instruction in Central Schools is Hindi and English. The question of adoption of one or the other medium does not arise, since these schools are expected to have both as the medium of instruction.

Re-Payment of Loan for the purchase of two 747-Boeings from U. S. A.

***881. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the two 747 Boeing planes proposed to be bought from U. S. A. in 1971 on a loan of 45 crores of rupees at an interst of 8 percent would be able to earn enough profit in 7 years period to repay this loan with interest ; and

(b) if not, in how many years the loan would be repaid and the estimated loss or profit on their operation ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Air India foresees no difficulty about repaying the loan obtained for the purchase of two Boeing 747 aircraft with in the stipulated 7 years repayment schedule.

(b) Does not arise.

एयर इण्डिया के निदेशक

*882. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और इनमें से कौन कौन से सदस्य पांच वर्ष से अधिक समय से इस पद पर हैं ; और

(ख) किन-किन निदेशकों के विदेशों में बैंकों में खाते हैं और इनमें से कौन-कौन से निदेशक पंजीकृत निर्यात-गृहों से सम्बद्ध है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) :(क) एयर इंडिया के बोर्ड के, जिसका कि 15-4-67 को पुनर्गठन किया था, वर्तमान सदस्यों के नाम तथा तिथियां जिनसे कि वे बोर्ड के लगातार रुप से सदस्य चले आ रहे हैं, निम्नलिखित है—

	सदस्य का नाम		तिथि जिससे वह लगातार रूप से बोर्ड का सदस्य है
1.	श्री जे० आर० डी० टाटा	चेयरमैन	12.6.1953
2.	डा० भरत राम	सदयस्य	14.8.1967
3.	एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	सदस्य	7.9.1964
4.	श्री एच० एन० रे	सदस्य	22 7.1967
5.	एयर मार्शल एम० एस० चतुर्वेदी	सदस्य	24.11.1966
6.	श्री के० टी० सतारावाला	सदस्य	11.7.1967
7.	श्री जे० एन० गोयल	सदस्य	15.4.1967
8.	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	सदस्य	15.4.1967
9.	श्री के० एन० मुकर्जी	सदस्य	15.4.1967

(ख) सूचना तत्तकाल उपलब्ध नहीं है ।

Santa Cruz Airport

*883. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state.

(a) whether it is a fact that a plane of the Indian Airlines Corporation got damaged at Santa Cruz Airport in the beginning of current year as three cows were grazing there resulting in the loss of about five lakhs of rupees ;

(b) whether it is also a fact that such incidents often take place at this airport ;

(c) whether it is also a fact that some days before the said incident, the pilot of a foreign plane did not land at the said airport as he saw a corpse-like object there;

(d) whether the Airport authorities had any information to this effect and whether some enquiry was conducted by them ; and

(e) if so, whether Government propose to take some concrete steps to prevent such incidents in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No Indian Airlines aircraft was involved. However, an Air India Boeing aircraft operating service AI-III from Bombay to New-York via London, hit three cows on the runway during take off at Santa Cruz Airport. The aircraft landed back safely. The total cost of repairs to the damage suffered by the plane is estimated between rupees five and seven lakhs.

(b) No, Sir. This was the first incident of its kind at Santa Cruz airport.

(c) and (d) : Yes, Sir. On 16th January 1968, the Civil Aviation personnel on duty, on routine runway inspection of Santa Cruz Airport, found a person lying on the runway. A United Arab Airline aircaft was accordingly asked by the Control Tower to hold over the field for 15 to 20 minutes. The Police authorities were informed and took charge of the man who was unconscious and removed to hospital.

(e) It has been decided to construct a brick wall around the operational area, as barbed wire fencing used to be cut and pilfered by outsiders. Surveillance of the operational area has also been strengthened and intensified.

आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तथा अन्य पत्तनों का विकास

*884. **श्री वे० कृ० दास चौधरी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के क्षेत्रीय परिवहन सर्वेक्षण यूनिट ने आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तथा अन्य मध्यवर्ती और छोटे पत्तनों के विकास के लिए 14 करोड़ रुपये की योजना की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हो ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० 2811/68**]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हानि

*885 **श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी :**
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने चालू वर्ष के बजट में भी घाटे के लिए व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे निरन्तर घाटा होने के क्या कारण है ;

(ग) इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि भविष्य में ऐसे घाटे कम हों ; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के घाटे से कब तक उबरने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नही उठते ।

(घ) इण्डियन एयर लाइन्स ने चालू वर्ष में 69.20 लाख रुपये के लाभ का अनुमान लगया है ।

Kotana Aminnagar Road in U. P.

***886. Shri Raghuvir Singh Shastri :** (a) Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh had requested the Central Government to give priority to the construction of Kotana-Baraut-Dhannaura Pulthi-Aminnagar Sarai road and to include it in the Fourth Plan ;

(b) if so, the decision taken by the Central Government in this regard ; and

(c) the time by which the construction of this road would be started and by when it would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and b) : No, Sir. The road in question is a State road and it is for the State Govenment to take a decision, as they are responsible for all matters connected with State roads.

(c) It is under stood that recently on 25.11 1968, the State Government accorded necessary sanction for the construction of the Kotana-Barut Section (6½ miles) of the road. A decision regarding the construction of the remaining section from Baraut to Aminnagar Sarai is yet to be taken by them.

हुगली पर दूसरा पुल

***887. श्री रवि राय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इच्छा प्रकट की है कि कलकत्ता में प्रिनसेस घाट के स्थान पर हुगली पर दूसरा पुल का निर्माण विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से अनिवार्यतः कुछ भारतीय फर्मों द्वारा ही किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन):(क) और (ख): जी नहीं। हुगली के ऊपर का प्रस्तावित दूसरा पुल स्थानीय सड़क पर पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल सरकार से ज्ञात हुआ है कि उसने निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कागज तैयार कर लिए हैं। हाल ही में हुगली नदी पुल अधिनियम राष्ट्रपति के अधिनियम के रुप में बनाया गया है जिससे राज्य सरकार को हुगली नदी पुल आयुक्त नियुक्त करने की शक्ति मिल गयी है। ये आयुक्त हुगली नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि आवश्यक हो तो भारतीय कम्पनियों और विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग-प्रबन्ध के विषय में विचार करना राज्य सरकार पर निर्भर करता हैं।

Pak Plot to Destroy Strategic Installations in India

*888. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that Pakistan has hatched a plot to get the Indian strategic factories, ships and bridges destroyed or burnt through the Indian nationals themselves by offering them various allurements and India has come across some evidence in this regard ;

(b) if so, whether it is also a fact that some of the said Indian nationals have been held ;

(c) is so, the names thereof and the offences for which they have been held ; and

(d) the steps taken by Government to prevent such sabotage in future ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Government have no such information.

(b) to (d) : Do not arise.

Indian Vessels engaged in Foreign Trade

*889. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the numbr of vessels engaged in Foreign Trade which are owned by Indians ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K. R. V. Rao) : As on 30-11-1968, there were 174 Indian Ships engaged in foreign trade.

हवाई अड्डों पर लगाया गया प्रवेश शुल्क

*890. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों में प्रवेश पर हाल ही में लगाये गये एक रुपया प्रति व्यक्ति के शुल्क से भारत के प्रत्येक हवाई अड्डे को अब तक लगभग कितना कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार प्रमुख हवाई अड्डों से विमान पर विदेशों को जाने वाले सभी यात्रियों पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लेने का भी प्रस्ताव है।

(ग) यदि हां, तो इससे कुल कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) क्या इस प्रकार प्राप्त होने वाले शुल्क और प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित शुल्क को हवाई अड्डों के विस्तार तथा सुधार के लिए प्रयोग में लाया जायेगा ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रत्येक हवाई अड्डे पर विमान क्षेत्र प्रवेश शुल्क से नवम्बर, 1968 के अन्त तक वसुल हुई आय निम्न प्रकार से है—

	रुपये
बम्बई (सान्ताक्रूज)	6,49,861
कलकत्ता (डम डम)	2,51,594
मद्रास (मीनाम्बचकम)	1,97,050
दिल्ली (पालम)	4,69,444
योग	15,67,949

(ख) चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से किसी से भी विदेश यात्रा के लिये सवार होने वाले यात्रियों पर प्रति यात्री 15.00 रुपये का एक यात्री सेवा शुल्क लगाने का प्रस्ताव है ।

(ग) यात्री सेवा शुल्क से कुल मिलाकर 45 लाख रुपये की वार्षिक आय होने का अनुमान लगाया गया है ।

(घ) विमान क्षेत्र प्रवेश शुल्क एवं प्रस्तावित यात्री सेवा शुल्क से होने वाली कुल आय फिलहाल भारत की संचित निधि (कंसालिटेड फंड आफ इंडिया) में जमा की जाती है, तथा वह विशिष्ट रूप से किसी प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट नहीं की जाती है ।

दार्जिलिंग में आई बाढ़ में लापता पर्यटक

*891. **डा० सुशीला नैयर :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दार्जिलिंग के क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण वहां बहुत से पर्यटक लापता हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे किन किन देशों के हैं ; और

(ग) उ का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : पश्चिमी बंगाल की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दार्जिलिंग क्षेत्र में हाल की बाढ़ में कोई भी पर्यटक लापता नहीं बताया गया है ।

Memorandum by Bihar State Council of Communist Party of India

*892 **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be please to state :

(a) whether it is a fact that a Memorandum was submitted to him by the Bihar State Council of the Communist Party of India when he visited Patna on the 10th October, 1968 for participating in the meeting of Parliamentary Consultative Committee of Bihar ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reaction of Government thereto ; and

(d) the action taken so far in regard to the points raised in the Memorandum ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the memorandum is placed on the table of the house. **[Placed in Library. See No. L. T. 2812/68]**

(c) and (d) : The suggestions made in the Memorandnm concern a number of Departments and are under examination by them.

सरकार द्वारा बिड़ला हाउस, नई दिल्ली का अर्जन

*893: **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम बरुआ : **श्री शशि भूषण :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला हाउस, नई दिल्ली को सरकारी नियन्त्रण में लाने के लिये अनेक संसद सदस्यों ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्री द्वारा 17-12-1968 को सदन में दिये गये वक्तव्य में पहले ही बता दी गई हैं ।

कलकत्ता में बी० एन० वी० पी० द्वारा नारे का पोस्टर

*894. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि गत दो महीनों से समूचे कलकत्ता में बी० एन० वी० पी० द्वारा 'बंगाली जागो' 'बगाली बांगला बचाओ' और 'बंगाली गोरजे ओथो' जैसे बड़े-बड़े नारे दिवारों पर लिखे पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो बी० एन० वी० पी० क्या है और इस पर किस दल अथवा संस्था का नियंत्रण है ; और

(ग) ऐसे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) चालू वर्ष के बीच से ऐसे नारे देखे गये हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सन 1956 में किसी समय लगभग 25 सदस्यों की श्री सन्जीव रे द्वारा बी० एन० वी० पी० (बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी) बनायी गयी थी। यह दावा करती है कि वह राजनीति से पृथक है किन्तु "जागो बंगालो संगसद" 'अमारा बंगाली सतान दल तथा अखण्ड भारत संघ' तथा इस प्रकार की गई समान धारणा वाली संस्थाओं से सम्बन्ध रखती है।

(ग) दीवारों को विकृत करने के लिए श्री संजीव रे पर मुकदमा चलाया गया था। संस्था की गतिविधियों पर सतर्कता रखी जा रही है।

रूस से जहाजों का खरीदा जाना

*895. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री न० कु० सांधी :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुस सरकार ने भारत सरकार को आस्थगित भुगतान के आधार पर जहाज बेचने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : हमारे निवेदन पर यू० एस० एस० आर० ने भारत को नौ परिवहन टन भार की पूर्ति करने में रुचि दिखाई है। हमारी आवश्यकताएं उन्हें बतादी गई हैं और अब वे उसका अध्ययन कर रहे हैं। मूल्य भुगतान के शर्त इत्यादि जैसे ब्यौरों पर विचार विमर्श करने की स्थिति अभी नहीं आई है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन

*896. **श्री साजू पाण्डेय :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार को अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से प्रत्येक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सार क्या है ; और

(ग) अध्ययन के बाद उन्हें कहां तक क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अब तक सरकार को निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं—

(i) नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं,

(ii) योजना के लिये व्यवस्था (अन्तरिम प्रतिवेदन),

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम,

(iv) वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

(v) योजना के लिये व्यवस्था (अन्तिम प्रतिवेदन),

(vi) आर्थिक प्रशासन,

(vii) भारत सरकार का शासनतन्त्र और उसकी कार्य प्रणाली

(viii) जीवन बीमा प्रशासन ।

(ख) प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन के सभा पटल पर पहले ही रख दी गई हैं या संसद पुस्तकालय में रखी हैं ।

(ग) सरकार का विचार उन्हें, जहां तक सम्भव हो सके, कार्यान्वित करने का है ।

Recovery of a Transmitter in Madhya Pradesh

***897. Shri Sharda Nand :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police had recovered a transmitter which is supposed to have been dropped by an aeroplane in Shahdol District of Madhya Pradesh in September or October 1968 and some pamphlets written in the Chinese language and a photograph of Mao have also been recovered along with the said transmitter ;

(b) if so, the details regarding the findings of the enquiry conducted in this regard ; and

(c) the name of the country to which the said articles pertain and the action taken by Government in the matter ?

The Home Minister (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : According to information furnished by the State Government on the 21st September, 1968, in a village about 70 Kilometers from Shahdol, two wood cutters found, in a dense forest, a parachute like cloth hanging on a tree as also a box hanging from another tree nearby. They brought down the articles and found that a ticking sound was coming from the the box. The articles were seized and brought to Jitpur Police Station on 29th September, 1968. They were examied at Shahdol Police Station. The box contained an instrument and two Eveready batteries on which the marking "Made in U. S. A." was inscribed Two other small tins probably containing oil were also recovered along with a folding apparatus with a hook and wire which looked like an aerial. The box also contained some pamphlets in

Chinese and coloured picture which looked like a cartoon. On a preliminary examination of the articles by the Deputy Superintendent of Police (Radio), the equipment found did not appear to be either a radio transmitter or "receiver". Further inquiries are in progress.

विदेशियों का अवैध प्रवेश

*898. **बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्टर हंस गुंटर जोजफ तथा मिस्टर फ्रेंक कपलन नामक दो विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान के लिये जासूसी करने के उद्देश्य से बिना कोई यात्रा दस्तावेज लिये पाकिस्तान से आसाम में घुस आये थे और उन्हें सीमा सुरक्षा दल द्वारा लक्ष्मी बाजार में गिरफ्तार कर लिया गया था ;

(ख) उनके पास किस किस प्रकार के दस्तावेज तथा फोटो लेने के उपकरण पकड़े गये ;

(ग) इन विदेशियों की राष्ट्रीयता क्या है और हमारे देश में उनके अवैध प्रवेश का उद्देश्य क्या था ; और

(घ) इन विदेशियों की गतिविधियों के बारे में सम्बद्ध विदेशी दूतावास ने क्या स्पष्टीकरण दिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रतिबन्धि क्षेत्र में परमिटों के न होने के कारण दो विदेशी लखी बाजार में गिरफ्तार किये गये। उनके पास ढाका में भारत के उपायुक्त द्वारा जारी किये गये पासपोर्ट तथा मान्य यात्री विजा थे। वर्तमान अवसर पर,वे लंका से भारत में घुसे तथा कलकत्ता से नसम में आये थे। सरकार के पास ऐसी सामग्री नहीं है जिससेपता चले कि वे पाकिस्तान के लिये जासूसी के उद्देश्य में असम में घुसे थे।

(ख) उनके पासपोर्ट और एक यात्री चैक-बुक के अतिरिक्त उनके पास असम व नेफा के नक्शे थे। उनके पास फोटो लेने का कोई उपकरण नहीं पाया गया।

(ग) तथा (घ) : श्री जोजफ एक जर्मन राष्ट्रियक है। श्री कपलन के पास एक आस्ट्रियन पासपोर्ट था। तथापि आस्ट्रियन दूतावास ने सरकार को सूचित किया है कि श्री कपलन एक आस्ट्रियन नागरिक नहीं है और उन्हें जो पासपोर्ट जारी किया गया था आस्ट्रियन सरकार द्वारा उसे तत्पश्चात रद्द कर दिया गया है। उनके विजों के प्रकार को देखते हुए, जो मान्य थे, इस देश में उनके आने का उद्देश्य पर्यटन था। उनकी गतिविधियों पर दूतावासों को कोई हवाला देना आवश्यक नहीं है।

Charge Against Secretary of Degree College, Behrampur (Patna)

*899. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a charge has been levelled against the Secretary of the Degree College, Behrampur, Patna, for em-bezzlement of thousands of rupees from the College funds ;

(b) whether it is also a fact that the District Education Officer, Patna had recommended suspension of all kinds of Government grants being paid to the College by Board of Secondary Education, Bihar vide his letter No. 1173 dated the 30th September, 1967.

(c) whether it is also a fact that Government grants being paid to the college have not been suspended so far ; and

(d) if so, the action being taken by Government against the said Secretary of the College ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d):: Government of India has no knowledge of the existence of Degree College at Behrampur.

Expulsion of Foreign Christian Missionaries

*900. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Nationalist Christian Association had demanded expulsion of foreign Christian Missionaries from India ;

(b) whether it is also a fact that the Association has stated that the Indian National Church is competent enough to safeguard the interests of Indian Christians ;

(c) whether it is further a fact that this demand has been stated to be essential for the national security;

(d) if so, whether Government propose to nationalise Christian Missions in the country with a view to put an end to anti-national elements ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a),(b)and(c) Certain memoranda to some such effect have been received from time to time from that Association and also from an organisation calling itself the Indian National Church, to which that Association is affiliated.

(d) and (e) : It is the policy of Government that foreign missions in India should be progressively Indianised. Antinational elements can be dealt with under the provisions of the appropriate laws and particularly the law relating to foreigners where foreigners are involved.

दिल्ली के जिला न्यायाधीश के पास विचाराधीन शिकायतें

5197. **श्री लताफत अली खां** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : दिल्ली के जिला न्यायाधीश के पास कितने आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 476,479 ए के अधीन और कितनी न्यायालय में की गई अवैध गतिविधियों तथा दस्तावेजों के गायब किये जाने से सम्बन्धी शिकायतें विचाराधीन पड़ी हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दिल्ली के जिला तथा सत्र न्यायाधीश के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 476/479 क के अधीन विचाराधीन पड़े आवेदनों की संख्या ... ...एक न्यायालय में अवैध गतिविधियों तथा दस्तावेजों के गायब किये जा। से सम्बन्धित शिकायतें.....पचहत्तर

केरल के डा० जार्ज थामस को अमरीका से धन मिलना

5198. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के डा० जार्ज थामन को अमरीका से 50,000 डालर का एक बड़ा दान मिला है और उनके समाचार पत्र 'केरल ध्वनि' के लिए छः हजार डालर प्रतिमास मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो इन दान कर्त्ताओं के नाम क्या हैं तथा उन्होने इस दान तथा मासिक धन देने का क्या प्रयोजन बताया है ;

(ग) डा० थामस को अब तक कुल कितना दान मिला है ; तथा यह किस-किस तारीख को मिला है ;

(घ) क्या आय करके प्रयोजन इसे 'अप्रत्याशित आय' माना जाता है अथवा "आय" तथा क्या उसे "अन अर्जित आय' माना जाता है ; और

(ङ) डा० थामस के समाचार पत्र 'केरल ध्वनि' की नीति क्या है क्या यह साम्यवाद विरोधी है अथवा साम्यवादी समर्थक ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) : 23-8-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5194 के और 15-11-1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 910 के पहले दियेगये उत्तरों कीओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और आगे तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सदन के सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

Vice-Chancellor Jamia Millia Islamia, Delhi

5199. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some months ago Professor M. Mujeeb, Vice-Chancellor of Jamia Millia Islamia of Delhi, took part in a public meeting held in Kashmir in July last alongwith Sheikh Abdullah wherein the latter expressed the view that India should quit Kashmir ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) It has not come to Government's notice that Professor M. Mujeeb had participated in such a meeting.

(b) Does not arise.

जमायतें उल उलेमा

5200. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमायते-उल-उलेमा में मफ्ती अब्दुल गलीफ और 'अलजमीयत' के सम्पादक रहमत नजामी को, 27 जनवरी, 1968 को मेरठ में हुए साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) किन धाराओं के अन्तर्गत वे पकड़े गये थे और उन पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनी राशि की जमानत पर उन्हें छोड़ा गया ;

(ग) उन पर चलाये गये मुकदमों का परिणाम क्या निकला ;

(घ) क्या जमायते-उले-उलमा ने अधिकृत रुप से इन लोगों को अलग कर दिया है और उनकी साम्प्रदायिक गतिविधियों की निन्दा की है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या जमायते-उल-उलेमा' पर साम्प्रदायिक संगठन होने का आरोप इसी आधार पर नहीं लगाया जा सकता और सरकार द्वारा उसे दिये जाने वाले अनुदानों को बन्द नहीं किया जा सकता ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : श्री मुफ्ती अब्दुल खालीक और श्री रहमत नजामी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 332, 307, 323, 427, 120 ख के अधीन एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनमें से प्रत्येक को 3000 रुपये की दो जमानतें और इसी राशि के एक वैयक्तिक बांड पर जमानत पर छोड़ दिया गया।

(ग) मामले की जांच पूरी की जा चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर लिये गये हैं ।

(घ) राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) तथा (च) : ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन कोई संगठन साम्प्रदायिक घोषित किया जा सके। व्यक्तियों के विशिष्ट प्रतिकूल कार्य से उपयुक्त कानूनों के अधीन निपटा जाता है।

भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया दुर्घटनाओं में हुई मौत और चोट के लिये दिया जाने वाला मुआवजा

5201. श्री बाबू राव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत या विदेशों में हुई विमान दुर्घटना में मारे गये या जख्मी हुए यात्रियों के लिये प्रति यात्री कितना मुआवजा दिया जाता है ;

(ख) मुआवजे की राशि किस आधार पर निश्चित की जाती है और यात्री की मृत्यु के पश्चात यह मुआवजा किसे दिया जाता है और निगम द्वारा उत्तराधिकारी या हिताधिकारी का निर्णय किस प्रक्रिया से किया जाता है ;

(ग) क्या यह मुआवजा भारतीय अथवा विदेशी सभी यात्रियों को भारत और विदेशों में दिया जाता है और किस मुद्रा में ; और

(घ) गत 10 वर्षों में वर्षवार कितने भारतीय और विदेशी लोग विमान दुर्घटनाओं में मारे गये और उन्हें प्रत्येक निगम द्वारा कितना मुआवजा दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के के मामले में किसी विमान कम्पनी (एयर केरियर) द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा 1929 के वारसा कांवेशन के अनुसार दिया जाता है, जिसका कि भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस कांवेंशन के अनुसार, वाहक (केरियर) के जान बूझकर गलती करने और जान बूझकर दुर्व्यवहार के मामले को छोड़कर (जिसमें वाहक के एजेन्ट अथवा कर्मचारी सम्मिलित हैं) मृत्यु अथवा घायल होने के मामलों में दिया जाने वाला अधिकतम मुआवजा (i) 1,25,000 गोल्ड फ्रांक्स (62,000,00 रुपये) प्रति यात्री, (ii) प्रति किलोग्राम रजिस्टर्ड समान की हानि के लिये 250 गोल्ड फ्रांक्स (124.00 रुपये), तथा (iii) ऐसी वस्तुओं की हानि के लिए जिनको यात्री ने स्वम अपने साथ रखा हो, प्रति यात्री 5,000 गोल्ड फ्रांक्स (2,500.00 रुपये)। उपर्युक्त अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत वाहक की देयता वास्तव में हुई हानि के लिये है।

भारत के अन्दर देशीय उड़ानों के दौरान हुई दुर्घटनाओं के मामले में मृत्यु अथवा शारीरिक चोट के मामले में दिया जाने वाला मुआवजा निम्न प्रकार है :—

(1)	मृत्यु अथवा यात्री को कोई शारीरिक चोट लगने अथवा घायल होने पर जिसके कि परिणाम स्वरूप वह अपने व्यापार अथवा व्यवसाय में अपने को लगाने अथवा उसमें कार्यरत होने के लिए स्थाई रूप से आयोग्य हो जाता/जाती है ;	
	(क) दुर्घटना की तारीख को 12 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के यात्री के मामले में	42,000.00 रुपये
	(ख) दुर्घटना की तारीख को 12 वर्ष के कम उम्र के यात्री के मामले में।	21,000.00 रुपये
(2)	यात्रीको किसी ऐसे शारीरिक चोट के मामले में जिसके कि परिणाम स्वरुप वह अस्थाई तौर पर अपने व्यापार अथवा व्यवसाय अथवा काम को करने में पूर्णतया अयोग्य हो जाता/जाती है।	40.00 रुपये प्रति दिन उस अवधि तक जब तक की वह लगातार आयोग्य रहता/रहती है, किन्तु अधिकतम मुआवजा 8,000.00 रुपये होगा।

(ख) मुआवजा इंडियन कैरियेज बाई एयर एक्ट, 1934 के नियम 22 तथा परिवहन मन्त्रालय (नागर विमानन पक्ष) की अधिसूचना संख्या जी एस आर 1967 दिनांक 17 नवंबर 1963 के अनुसार दिया जाता है। मुआवजा मृत यात्रियों के वैद्य उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा उसी प्रकार का दूसरी स्वीकार्य प्रमाण देने पर दिया जाता है।

सम्बद्ध यात्री की मृत्यु के बारे में दी जाने वाली कुल राशि को ठीक-ठीक मालूम कर लेने के बाद रकमें परिवार के सभी सदस्यों को उनसे सम्मिलित रसीद लेकर सम्मिलित रूप से देदी जाती है या ऐसे सदस्यों में से किसी को भी दे दी जाती है बशर्ते कि अन्य सभी सदस्यों से इस आशय का सहमति पत्र ले लिया गया हो कि उन्हें उस व्यक्ति को जिसे कि वास्तव में रकम दी जा रही है, रकमें दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक परिवार के नाबालिग सदस्यों का सम्बन्ध है उनके अपने अपने अभिवाहक अपने संरक्षितों की ओर से ऐसा पत्र दे सकते हैं। जहां कि परिवार के सदस्य ऐसा सहमति पत्र देने में रजामन्द नहीं है या सदस्यों में आपस में विवाद है, उस मामले में निर्धारित की गयी मुआवजे की राशि अदालत में जमा करदी जाती है, और वाहक एक अन्तर अभिवचनीय (इन्टर प्लीडर) मुकदमा दायर करता है और यह परिवार के सदस्यों पर छोड़ दिया जाता है कि वे उस राशि के लिए अन्तर अभिवचन करे व उसे प्राप्त करें जो कि जमा की गयी राशि मे से अदालत द्वारा प्रत्येक को दिया जाये।

(ग) मुआवजा सभी यात्रियों को चाहे वे किसी भी राष्ट्रिकता के हों दिया जाता है तथा दावे भारत तथा विदेशों में भी निपटाये जाते हैं। निपटारा उस देश की सरकारी मुद्रा में किया जाता है जिस देश में दावे का निपटारा किया गया हो।

(घ) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2813/68]

त्रिपुरा में सीमा पार से पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाई जाना

5202. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर, 1968 के दूसरे सप्ताह में बरोजेन्द्र नगर में त्रिपुरा सीमा के उस पार से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कई गोलियां चलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस गोलीबारी के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए ;

(ग) क्या गत तीन महीनों में त्रिपुरा में भारतीय सीमा में घुस आने की कोई अन्य घटनायें भी हुई हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गत तीन महीनों में त्रिपुरा सीमा के पार पाकिस्तानी सेनाओं की गतिविधियां बढ़ जाने की कोई जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जब 13 अक्तूबर, 1968 को कुछ भारतीय नागरिक मवेशियों को पाकिस्तान सीमा के साथ लगे बरोजेन्द्र नगर के निकट चार लैण्ड में मवेशियों को ले जा रहे थे पूर्वी

पाकिस्तान राईफल के कर्मचारियों ने उन्हें इस भूमि में आने के लिए चेतावनी दी क्योंकि पाकिस्तान उस भूमि पर अपना दावा करता था। इस पर भारतीय नागरिकों में से अधिकांश क्षेत्र से चले गये और कुछ बच्चे पीछे रह गये। पूर्वी पाकिस्तान राईफल कर्मचारियों ने सायं लगभग सवा पांच बजे बच्चों को डराने के लिए हल्की मशीन गन के चार या पांच विस्फोटक छोड़े जो लगभग 10 मिनट तक चलते रहे। चार लैण्ड में किसी को चोट नहीं लगी। फिर भी, एक छुटमुट गोली वरोजेन्द्रनगर के एक भारतीय नागरिक श्री प्रकाश चन्द्र लस्कर को लगी जो भारतीय क्षेत्र में अपनी भूमि पर कार्य कर रहा था। उसकी बाईं जांघ पर चोट लगी और वह अस्पताल में भर्ती कराया गया।

(ग) 1 अगस्त, 1968 से 31 अक्तूबर 1968 तक की अवधि में घुसपैठ की 41 घटनाएं हुई हैं जो अलग अलग इस प्रकार है: –

मवेशी हांकना	27
अपहरण	4
पेड़ों को अवैध काट गिराना	3
डकैती	2
संघ लगाना	1
भारतीय राष्ट्रिकों पर प्रहार करना और घायल करना	1
सीमा खम्बों की क्षति	1
अपराध करने की चेष्टा	2
योग	41

(घ) और (ङ) : आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी टुकड़ियां सशक्त रही, किन्तु हाल में पाकिस्तान द्वारा सैनिक गतिविधियों को विशिष्ट रूप से कड़ा नहीं किया गया है। सीमा पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किये हैं।

गुजरात के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक के विरुद्ध आरोप

5203. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के भूतपूर्व पुलिस महानिरीक्षक श्री जे० डी० नागरवाला के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर राज्य सरकार से परामर्श करके अभी विचार किया जा रहा है।

Air Fares

5204 **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the present rates of air fares charged by the Indian Airlines and Air-India are being reconsidered; and

(b) if so, the comparative position of the air fares in India and those of the Airlines of other countries of the world ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b): There is no proposal at present to revise air fares in India; charged by Indian Airlines. A comparative statement showing the air fares in India and those charged by airlines in Europe and U.S.A., is plased on the Table which will show that airfares in India are comparatively low. **[Placed in Library. See No. LT-2814/68]**

As regards international air fares, these are regulated by the International Air Transport Association (I.A.T.A) of which Air India is a member. Certain proposals were submitted by Air-India at the I.A.T.A. Traffic Conference at Cannes in September 1968, for excursion fares on the routes Australia-New Zealand-India and North America-India-Pakistan as well as promotional fares on the Trans-Pacific routes. These proposals are to be reconsidered at the next I.A.T...Traffic Conference in February 1969.

Tourism in Madhya Pradesh

5205. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to spend Rs. 52 crores on tourism in the country during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the amount proposed to be spent in Madhya Pradesh for this purpose;

(c) whether Government have any scheme to construct hotels at tourist centres in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan; and

(d) if so, the names of the places where these hotels would be constructed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b): The allocation for Tourism in the Fourth Five Year Plan is still under consideration.

(c) and (d) There is no proposal to construct hotels in Madhya Pradesh, but the India Tourism Development Corporation have plans for a hotel at Gwalior.

Grant for Development of Languages in M. P.

5205. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance or any other type of assistance given to Madhya Pradesh for the development of Chhatisgarhi, Bundeli and Nimadi languages during the period from 1965-66 to 1967-68;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the manner in which the State Government have spent money therefor the development of the regional languages ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) No proposal were received from the State Government during 1965-66 to 1967-68 for the development of Chhatisgarhi, Bundeli and/or Nimadi. As such, the question of Central assistance does not arise.

(c) This is entirely the concern of the State Government.

प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी शिक्षा का अखिल भारतीय बोर्ड

5207. श्री सूरज भान : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले डा० ए० रामास्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय बोर्ड ने भारतीय उद्योगों में तथाकथित प्रबन्ध प्रशासकों की कमी को दूर करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीकी बोर्ड की उपपत्तियों की मोटी-मोटी बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को भी अनुभव किया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को चलाने के लिये लगभग 36,000 प्रशिक्षित प्रबन्धकों की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो इस तकनीकी बोर्ड की सिफारिशों को, विशेषकर भारतीय उद्योगों में प्रबन्धकों की उक्त कमी को दूर करने तथा भारतीय उद्योगों में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त प्रबन्धकों की नियुक्ति करने के बारे में की गई सिफारिशों को, क्रियान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग): प्रबन्ध में तकनीकी अध्ययन सम्बन्धी अखिल भारतीय बोर्ड द्वारा 1964 में डा० ए० रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में भारत के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए प्रबन्धकों के लिए आवश्यकताओं के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। मुदालियर समिति का अनुमान था कि, चौथी आयोजना के लिए 22,000 करोड़ रुपये के अनुमानित विनियोग के आधार पर, लगभग 36,000 प्रबन्धकों की आवश्यकता होगी। अन्य बातों के साथ-साथ, समिति ने सिफारिश की थी कि प्रबन्ध में प्रशिक्षण के लिए, विशेष रूप से अंशकालिक आधार पर विभिन्न केन्द्रों में सुविधाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

(घ) प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, प्रबन्ध में अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में 14 केन्द्र या तो आयोजित किए जा चुके है या आयोजित किए जा रहे हैं। जब ये केन्द्र पूर्णरूप से कार्य करने लगेंगे, तो इनमें प्रत्येक वर्ष लगभग 740 उम्मीदवारों को शिक्षा दी जा सकेगी।

प्रबन्ध में पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए चार विश्वविद्यालय केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ष 95 उम्मीदवारों को दाखिल किया जा सकता है। मास्टर्स डिग्री स्तर तक प्रबन्ध में पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए अहमदाबाद और कलकत्ता

में दो अखिल भारतीय संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें 220 उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष दाखिल किया जा सकता है। ये संस्थान तथा साथ ही विश्वविद्यालय केन्द्र, भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियात्मक प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यकारी विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रहे हैं।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट

5208. **श्री सूरज भान :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते और अहमदाबाद का इण्डियन इन्स्टट्यूट आफ मेनेजमेंट और हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज यू० एस० एडमिशन, फोर्ड फाउन्डेशन या ऐसे ही किसी अन्य संगठन से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1968 तक गत तीन वर्षों में उपरोक्त मेनेजमेंट संस्थाओं को किस प्रकार की और कितनी सहायता मिली है;

(ग) भारत में प्रबन्धकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम इस सहायता से किस हद तक लाभान्वित हुआ है;

(घ) व्यापार प्रणालियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिये क्या इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षित और विदेशी विशेषज्ञों को भारत में आने की अनुमति दी गई; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जो विदेशी विशेषज्ञ अथवा अध्यापक भारतीय मेनेजमेंट संस्थाओं में आये, उनके नाम क्या-क्या हैं और वे किस-किस संस्थाओं में आये, कितने कितने दिन तक भारत में ठहरे और उनमें से प्रत्येक किस क्षेत्र का विशेषज्ञ था ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। तीनों संस्थाओं को फोर्ड फाउन्डेशन से अनुदान प्राप्त हुए हैं।

(ख) तीनों संस्थाओं द्वारा अब तक फोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त हुए अनुदान निम्न प्रकार हैं :—

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद
25,01,000 डालर

इण्डियन इन्स्टीट्यूट मेनेजमेंट, कलकत्ता
22,87,250 डालर

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज, हैदराबाद
2,13,500 डालर

यह सहायता पुस्तकों, उपकरणों, विदेशी दक्षता तथा सलाहकारों, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू०एस०ए०) और विदेशों में भारतीय दक्षता के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं और निर्माण कार्यों के रूप में प्राप्त हुई है।

(ग) यह सहायता इन संस्थाओं के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने वालों तथा छात्रों के लिए अच्छी प्रशिक्षण व्यवस्था करने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है।

(घ) जी हां।

(ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2815/68]

खान अब्दुल गफ्फार खां के गांधी जी सम्बन्धी विचार

5209. श्री समर गुह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांधी जी की जीवनी और उसके उद्देश्य के बारे में गांधी जी के घनिष्ठ साथी खान अब्दुल गफ्फार खां के विचार एकत्र करने को वांछनीय समझती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति ने, जो गांधी शताब्दी समारोह की व्यवस्था कर रही है, खान अब्दुल गफ्फार खां से मिलने के लिए अप्रैल, 1967 में काबुल को 10 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा था। इस दल ने गांधी जी की जीवनी तथा उद्देश्य के बारे में तथा अन्य कई विषयों पर खान अब्दुल गफ्फार खां के विचारों को लिपिबद्ध किया था। इन लेखों का एक भाग अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित किया जा चुका है। लेख के अन्य भागों को उचित अवसरों पर प्रसारित करने का विचार है।

(ख) राष्ट्रीय समिति द्वारा की गयी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इस मामले में आगे कोई कदम उठाने का विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

माओ समर्थक तत्वों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां

5210. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1968 को चीन समर्थक साम्यवादियों ने माओ-त्से-तुंग के चित्रों को लिये हुए कलकत्ता की गलियों में परेड की थी तथा माओ समर्थक विप्लवी नारे लगाये थे;

(ख) क्या माओ-वादी तत्वों द्वारा कलकत्ता की गलियों की दीवारें नित्य पोत दी जाती हैं;

(ग) क्या माओ-समर्थक ऐसी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी समझी जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये कानूनी उपबन्धों का उपयोग किया जा सकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का विचार कानून बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 21 नवम्बर, 1968 को बंकिम चटर्जी स्ट्रीट पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था जिसमें माओ-त्से-तुंग के चित्र दिखाये गये थे ।

(ख) और (ग) : कलकत्ता की कुछ गलियों की दीवारें अक्सर कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के उग्र वर्ग द्वारा आपत्तिजनक नारों से पोत दी जाती हैं । नारों में से कुछ राष्ट्रविरोधी प्रकृति के होते हैं ।

(घ) और (ङ) वर्तमान कानून के अधीन माओ की प्रसंशा में केवल नारे लगाना, इश्तहार लगाना दण्डनीय नहीं है किन्तु जहां इस प्रकार का शोर या प्रदर्शन जनशान्ति को खतरा पैदा करता है या जो भारत की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता को नहीं मानता, उस पर प्रश्न उठाता है या विघटित करता है या करने का इरादा रखता है, कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है ।

बाढ़ की स्थिति में रक्षण कार्य

5211. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पुलिस के अधिकारियों ने उत्तरी बंगाल में आयी बाढ़ में बड़े जोश के साथ अपने जीवन को खतरे में डालकर भी लोगों को बचाने का कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उनमें निम्नलिखित पुलिस अधिकारी हैं :—

श्री जितेन्द्र नाथ गांगुली
श्री आर० एन० भट्टाचार्य
श्री ध्रुबदास चटर्जी
श्री एम० बी० दहल
श्री सकल देव ओझा
श्री बुद्धिमान प्रधान
श्री कर्ण बहादुर छत्री

इन व्यक्तियों के अतिरिक्त कई अन्य पुलिस कर्मचारी भी हैं जिन्होंने साहसी बचाव कार्य किये हैं ।

(ग) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में झगड़े

5212. **श्री समर गुह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार मास के दौरान पश्चिम बंगाल में अनेक झगड़े हुए हैं जिनमें विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य और समर्थक शामिल थे और जिनके कारण अनेक लोग मारे गये और घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणामस्वरूप मरने और घायल होने वाले व्यक्तियों की क्या संख्या है; और

(ग) सरकार ने ऐसे हिंसापूर्ण कार्यों को रोकने तथा अगले फरवरी मास में मध्यावधि चुनावों के दौरान शान्ति बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

भारत संघ द्वारा अथवा उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालयों में दायर किये गये मुकदमें

5213. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत संघ द्वारा अथवा उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमे दायर किये गये;

(ख) गत पांच वर्षों में कितने मुकदमों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में भारत संघ के विरुद्ध डिग्री दी गई अथवा निर्णय किये ग

(ग) 30 सितम्बर, 1968 को भारत संघ द्वारा अथवा उसके विरुद्ध दायर किये गये कितने मुकदमें उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़े थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 अक्तूबर, 1963 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि में दायर किये गये मुकदमों की संख्या :—

(i)	भारत-संघ द्वारा	....	707
(ii)	भारत-संघ के विरुद्ध	....	1067

(ख) उपरोक्त अवधि में उन मुकदमों की संख्या जिनमें भारत-संघ के विरुद्ध डिक्री हुई थी या निर्णय हुआ था :—

(i)	पूर्णतया	....	505
(ii)	आंशिक रूप से	....	15

(ग) 591.

उत्तर प्रदेश में इण्टरमीडियेट कक्षाओं के लिये कला अध्यापक

5214. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कालेजों में इण्टरमीडियेट कक्षाओं को कला (ड्राइंग) पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये क्या शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित हैं और उनको क्या वेतनमान दिया जाता है;

(ख) इस विषय में किन-किन विश्वविद्यालयों में एम० ए० की कक्षाएं आरम्भ की गयी थी; और कब;

(ग) इण्टर की कक्षाओं को यह विषय पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं, जिन्हें इस आधार पर प्राध्यापक का वेतनक्रम नहीं दिया जाता कि वे इस विषय में एम० ए० नहीं है;

(घ) इस विषय में एम० ए० की कक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व इण्टर की कक्षाओं में यह विषय पढ़ाने वाले अध्यापक कितने थे; और

(ङ) क्या इन अध्यापकों को एम० ए० की अर्हता की शर्त से मुक्त करने का सरकार का विचार है, जिसमे कि वे प्राध्यापक का वेतनक्रम प्राप्त कर सकें और ऐसा न करने पर क्या इस वेतनक्रम के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु उन्हें अध्ययन अवकाश देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ): राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषाओं की पढ़ाई

5215. श्री सिद्दया : क्या शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दक्षिण भारत की भाषाओं की पढ़ाई के बारे में 26 जुलाई 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित करली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख): अतारांकित प्रश्न संख्या 1298 का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश की सरकार के कर्मचारियों को दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ाने से था, न कि स्कूलों में । विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2816/68]

प्रयोगात्मक बहुप्रयोजनीय स्कूल

5216. श्री सिद्दया : क्या शिक्षा मंत्री प्रयोगात्मक बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के बारे में 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) चौथी लोक सभा के पांचवें सत्र, 1968 के दौरान दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई को दिखाने वाली सूचना, अनुपूरक विवरण संख्या 1 की क्रम संख्या 12 के अनुसार 12-11-1968 को लोक सभा में रखी जा चुकी है।

काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठिये तथा तोड़फोड़ करने वाले लोग

5217. श्री अदिचन :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित आज़ाद काश्मीर रेडियो के इस प्रसारण की ओर दिलाया गया है कि पद्मश्री मुहम्मद दीन की जिसने वर्ष 1965 में काश्मीर में पाकिस्तानियों की सशस्त्र घुसपैठ के बारे में सर्वप्रथम सूचना दी थी, हत्या कर दी गयी है, जबकि वास्तव में श्री मुहम्मद दीन अभी जीवित हैं;

(ख) क्या इस प्रसारण से उक्त श्री मुहम्मद दीन की हत्या करने के किसी षड़यंत्र और उस राज्य में पाकिस्तान के सशस्त्र घुसपैठिये और तोड़ फोड़ करने वाले लोग होने के कोई प्रमाण मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गयी जांच-पड़ताल के वास्तविक परिणाम क्या निकले हैं; और

(घ) काश्मीर के सीमावर्ती युद्ध-विराम रेखा के क्षेत्रों में से तोड़ फोड़ करने वाले लोगों को समाप्त करने के लिये प्रभावशाली ढंग से स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्थिति का सामना करने के लिये सरकार सतर्क है।

अमृतसर में काजी नूरुद्दीन की हत्या

5218. श्री गंगा रेड्डी : क्या गृह-कार्य मंत्री 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजी नुरुद्दीन पेप्टिक फोड़े के रोग से पीड़ित थे और डा० वेरी से परामर्श करके चंडीगढ़ गये थे और उन्हें चंडीगढ़ के मेडीकल कालिज अस्पताल में दाखिल किया गया था और चंडीगढ़ से बम्बई, बम्बई से नागपुर और वापसी औरंगाबाद के

विमान प्रमाणपत्र तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नागपुर में सविधि जमा की रसीदें उनके साथ थी तथा वापस आते हुये उनका आपरेशन किया जाना था;

(ख) क्या उनके पास कोई ऐसा संदेहजनक दस्तावेज भी था जिसके कारण उसे गोली मार दी गई थी; और

(ग) क्या न्यायिक जांच इस बीच में पूरी करली गई है ? और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार काजी नुरुद्दीन जेवेड को 3-8-1968 को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान चडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया और 9-8-1968 को छोड़ दिया गया। वह पेष्टिक फोड़े के रोग से पीड़ित था और उसे शल्य चिकित्सा की सलाह दी गई थी। फिर भी, उसने 9 तारीख को यह कहते हुए अस्पताल छोड़ दिया कि वह औरंगाबाद मेडिकल कालिज में अपनी अन्तिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद वापस आयेगा।

दण्डाधिकारीय जांच अभी प्रगति पर है। जांच समाप्त होने के बाद अधिक ब्यौरा प्राप्त होने की आशा है।

आसाम में घुसपैठ

5219. श्री अदिचन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1963 से जुलाई, 1968 तक वर्षवार आसाम में कितने पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घुसपैठ की है;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष उनमें से कितने-कितने देश से बाहर निकाले गये हैं; और

(ग) कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये इस समय आसाम में अवैध रूप से ठहरे हुये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 जनवरी 1963 से जुलाई 1968 की अवधि के दौरान आसाम में आये पाकिस्तानी घुसपैठियों की निश्चित संख्या मालूम नहीं है। फिर भी, उस अवधि के दौरान राज्य के भीतर या सीमा पर 11,736 नये घुसपैठियों का पता लगा। इस अवधि के दौरान पता लगाये गये इन नये घुसपैठियों के वर्ष-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	पता लगाये गये नये पाकिस्तानी घुसपैठिये
1963	5743
1964	1334
1965	1287
1966	1370
1967	1238
1968 (जुलाई तक)	764

(ख) उक्त भाग (क) में निर्दिष्ट घुसपैठियों को या तो सीमा पर पीछे धकेल दिया गया या जांच या सजा के पश्चात् पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया ।

(ग) आसाम में इस समय ठहरे हुये पाकिस्तानी घुसपैठियों की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है । राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 72,000 है ।

Allotment of Rooms for the Meeting of the Students' Council by the Delhi University

+5220. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Vice-Chancellor of the Delhi University allots Rooms of the University for the meetings of the Students' Council, a students' body connected with Jan Sangh and also makes speeches in the meetings;

(b) whether it is also a fact that a number of teachers are connected with this body and they carry on propaganda among the students for this body in the campus of the University; and

(c) if so, the action being taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) The Vice-Chancellor presided over a function in October, 1968, arranged by the Chhatra Vikas Parishad, a non-political organisation consisting of students and teachers. The function was held in the Tagore Hall of the University to welcome foreign students on Diwali Day.

(c) The Chhatra Vikas Parishad being a student-teacher organisation, the question does not arise.

मंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारी

5221. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल-मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों को सभी श्रेणियों के कितने व्यक्तिगत कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध की जाती हैं;

(ख) उक्त कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में मितव्ययता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): एकत्रित की गई सूचना के अनुसार मंत्रिमण्डल-मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के निजी कर्मचारी वर्ग में सभी श्रेणियों के 466 व्यक्ति थे और 1967-68 के दौरान उन पर 25,34,977.40 रुपये व्यय किये गये थे ।

(ग) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के निजी कर्मचारी-वर्ग के लिये एक पैमाना निर्धारित कर दिया गया है । अतिरिक्त कर्मचारी-वर्ग के लिये अथवा पदों की क्रम पदोन्नति के लिये सभी प्रस्तावों की, उन्हें स्वीकृत किये जाने से पूर्व, ध्यान पूर्वक जांच की जाती है । कर्मचारी कार्य करने के लिये चक्रानुक्रम के आधार पर बुलाए जाते हैं ताकि समयोपरि-भत्ते पर खर्च कम हो ।

न्यायाधिपति कपूर के लिये सुरक्षा गारद

5222. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी हत्या जांच में गवाही लेने हेतु सितम्बर, 1968 में उनकी बम्बई यात्रा के दौरान न्यायाधिपति जे० एल० कपूर के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गारद का सम्बन्ध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त सुरक्षा गारद की आवश्यकता किन कारणों से उत्पन्न हुई है; और

(ग) क्या सरकार को न्यायाधिपति कपूर के जीवन को गम्भीर खतरे की जानकारी मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) और (ग): एक सदस्यीय आयोग की तथा जांच के दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक समझी गई थी।

महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था

5223. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त समाजवादी दल (महाराष्ट्र) के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 27 अगस्त, 1968 को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) उस ज्ञापन में क्या मांगें अथवा प्रार्थनायें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन में कही गई बातों के बारे में जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इसमें मांग की गई थी कि प्रत्येक घटना के लिये जिसमें जीवन हानि हुई हो न्यायिक जांच की जाय, राज्य में पुलिस व्यवस्था के कार्य संचालन की तहकीकात की जाय, राज्य के अविकसित भागों के लिये चतुर्थ योजना में विशेष आवंटन किया जाय तथा साम्प्रदायिक दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये व साम्प्रदायी मेल-मिलाप को बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव देने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जाय और राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्यों के आचरण की और साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय दंगों में उनके द्वारा किये गये कार्य की जांच कराई जाये।

(ग) और (घ): फिर भी ज्ञापन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। उन्होंने सूचित किया है कि राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास

के क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार ने पहले ही एक उच्चस्तरीय योजना और पुनरीक्षण मण्डल की स्थापना कर दी है। वे गोली चलने की प्रत्येक घटना में, जिसमें जीवन हानि हुई हो, न्यायिक जांच कराना सम्भव नहीं समझते हैं। ऐसी जांच उन मामलों में की जाती है जहां दण्डाधिकारीय जांच के निष्कर्षों से इसकी आवश्यकता प्रतीत होती हो या जिसमें राज्य सरकार के मत में ऐसा करने के प्रत्यक्ष आधार हो। राज्य सरकार को किसी पुलिस कर्मचारी का समाज विरोधी या साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ मिलने की किसी घटना की जानकारी नहीं है अतः वह पुलिस व्यवस्था के कार्य संचालन में तहकीकात करना आवश्यक नहीं समझती है। महाराष्ट्र के 1967 के बड़े साम्प्रदायिक दंगों में से कुछ की जांच पहले ही केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, साम्प्रदायिक दंगों में जांच करने के लिये, जांच आयुक्त द्वारा की जा रही है। और राज्य सरकार कोई अन्य आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझती है। राज्य सरकार के पास साम्प्रदायिक या क्षेत्रीय दंगों में राज्य मंत्रियों द्वारा भाग लिये जाने की कोई सूचना नहीं है, अतः वह इस सम्बन्ध में कोई जांच कराना आवश्यक नहीं समझती है।

National Song and National Anthem

5224. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jaganath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the statement made by the late Shri Jawaharlal Nehru in reply to Starrted Question No. 502 on the 25th August, 1948 and stated ;

(a) the comparative position of the National Anthem 'Jana-Gana-Mana' and the National Song 'Vande Mataram;

(b) whether Government recognise the complete song of 'Vande Mataram'; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 'Jana-Gana-Mana' and 'Vande Mataram' have to be honoured equally. When both the songs are to be sung' 'Vande Mataram' should come at the beginning and 'Jana Gana-Mana' at the end of the fuction.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Special Police Establishment and Central Bureau of Investigation in Jammu and Kashmir

5225. Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri J. B. Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5235 on the 23rd August, 1968 regarding Special Police Establishment and the Central Bureau of Investigation in Jammu and Kashmir and state :

(a) the present position in regard to the jurisdiction of the Special Police Establishment and the Central Bureau of Investigation in Jammu and Kashmir; and

(b) whether the President has a right to purchase property in Jammu and Kashmir or not ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The reference made by two Courts in Jammu and Kashmir in cases in which the accused have challanged the jurisdiction of the S. P. E. in that State were fixed for haring by the High Court of J & K on 19. 12. 68 at Jammu. The judgement of the High Court is awaited.

(b) In addition to clause (2) of article 256 of the Constitution which casts an obligation on the Government of Jammu & Kashmir to acquire or requisition property on behalf of and at the expense of the Union we are advised that the Union also has certain executive powers under Article 298 which extend to the acquisition, holding and disposal of property for the purposes of the Union. The implications of these executive powers of the Union in relation to the State of Jammu and Kashmir are being examined.

Arrests of Pro-Chinese in NEFA

5226. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 633 on the 23rd August, 1968 and state :

(a) the number of Pro-Chinese persons arrested in Nefa so far and the method of their activities;

(b) whether these elements are connected with any political party of India; and

(c) if so, the names of these political parties ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) A few persons have been arrested on suspioion and investigations are in progress.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

3-9-1968 को राष्ट्रपति के दौरे के समय कोइम्बूर में "हम तामिल भाषियों" द्वारा प्रदर्शन

5227. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं को "हम तामिल-भाषी" दल के सदस्य कहने वाले 8 व्यक्तियों को यह घोषणा करने पर हिरासत में लिया गया था कि वे 3 सितम्बर, 1968 के दिन राष्ट्रपति के कोइम्बटूर के दौरे के समय काले झंडों का प्रदर्शन करेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि वहां उस दल की ओर से विच्छेदी नारों से युक्त पोस्टर लगाये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे कोई इश्तहार नहीं लगाये गये थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच

5228. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा कितने मामलों में सरकार के राजपत्रित और गैर राजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की जा चुकी है;

(ख) कितने मामलों में निर्णय अन्तिम रूप से किया जा चुका है;

(ग) अपराधों और तत्सम्बन्धी निर्णयों का स्वरूप क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों में वर्षवार ऐसे कितने मामलों में जांच की गई है और कितने मामले अभी विचाराधीन है; और

(ङ) कितने मामले 5 वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जनवरी, से अक्तूबर, 1968 की अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों (राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित अधिकारी) के विरुद्ध जांच के 1391 नये मामले लिये ।

(ख) उपरोक्त (क) में निर्दिष्ट मामलों में से 494 का निर्णय अन्तिम रूप से किया जा चुका है ।

(ग) उपरोक्त (ख) में दिखाये गये 494 मामलों के सम्बन्ध में अपराधों के स्वरूप और तत्संबंधी निर्णयों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2817/68]**

(घ) 1963 से 1967 तक की अवधि में सरकारी कर्मचारियों (राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित अधिकारियों) के विरुद्ध लिये गये मामलों और प्रत्येक वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े मामलों की संख्या नीचे दी जाती है :-

वर्ष	लिये गये मामलों की संख्या	वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े मामलों की संख्या
1963	1249	शून्य
1964	1730	1
1965	1824	3
1966	2053	28
1967	1926	156

(ङ) शून्य ।

चन्डीगढ़ में ईटों की कमी

5229. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ द्वारा चण्डीगढ़ में ईटों की कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : इस क्षेत्र में इस समय 9 सरकारी तथा 3 निजी ईटों के भट्टे हैं। क्षेत्र में प्लाट-मालिकों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये चण्डीगढ प्रशासन द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये है :-

(I) विद्यमान तीन निजी ईट के भट्टों के अतिरिक्त तीन निजी भट्टियों को, जिन्होंने क्षेत्र में ईंट के भट्टे लगाने के लिये लाईसेंसों के लिए आवेदन दिये थे, आवश्यक अनुमति दे दी गई है। उन सभी निजी पार्टियों को, जो ईंट के भटूटे लगाने के इच्छुक है, आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(II) चण्डीगढ प्रशासन के अनुरोध पर पंजाब सरकार ने, जिसने ईटों के संभरण के लिए पहले परमिट-प्रणाली लागू कर रखी थी, उस प्रणाली को वापस ले लिया है। इससे चण्डीगढ में ईटों की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी हद तक सहायता मिली है।

चण्डीगढ़ में रियायती दरों पर भू-भागों की बिक्री

5230. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ में उच्च वेतन पाने वाले डाक्टरों तथा इंजीनियरों को मकान बनाने के लिए रियायती दरों पर भू भाग आवंटित किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों तथा कालेजों और स्कूलों के शिक्षकों को भी ऐसे भू भाग आवंटित करने की कोई योजना अथवा कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। इंजीनियरों और डाक्टरों को रियायती दरों पर प्लाट आवंटित नहीं किये गये हैं।

(ख) निम्नलिखित के अनुरोधों पर विचार करने का प्रस्ताव है :-

(I) चण्डीगढ स्थित शिक्षा संस्थाओं के प्रोफेसर तथा शिक्षक जिन्होंने अपने विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(II) वे शिक्षक जिन्होंने राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार जीते हैं।

(III) राजधानी परियोजना के भू दृश्य निर्माण में लगे हुए कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने इस परियोजना में काफी समय से कार्य किया है।

पंजाब और हरियाणा द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय को यथांशों का न दिया जाना

5231. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ को अपने अपने यथांशों का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) क्या इन यथांशों की अदायगी न होने से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति कठिन हो गई हैं जिससे कि विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों के नियमित वेतन देने तथा अन्य भुगतान करने में कठिना उत्पन्न हो रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। राज्य सरकारों ने अपने हिस्से के अनुदान की विश्वविद्यालय को अदायगी कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुरुमुखी में निर्णयों का लिखा जाना

5232. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि (मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चण्डीगढ) ने केन्द्र शासित प्रदेश की घोषित भाषा नीति के विरुद्ध, उत्परिवर्तन मामलों के निर्णय पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि में लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ के लिए जनगणना अधिकारी की नियुक्ति के लिए उसी अधिकारी के नाम की सिफारिश की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना के अतिरिक्त चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में संयुक्त पंजाब राज्य के कुछ गांव, जो पंजाबी क्षेत्र के भाग है, और कुछ गांव, जो हिन्दी क्षेत्र के भाग हैं, शामिल हैं। अधिकारी ने तत्कालीन हिन्दी क्षेत्र के कुछ गांवों के तीन मामलों के सम्बन्ध में उत्परिवर्तन आदेश पंजाबी में इस निष्कपट विश्वास से लिखे कि ये गांव तत्कालीन पंजाबी क्षेत्र के भाग थे।

(ग) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के जनगणना कार्यालय में एक पद के लिए उस अधिकारी के नाम की सिफारिश की गई थी। तथापि, उस कार्यालय में उसके लिए कोई पद पाना सम्भव नहीं हुआ।

Air India Services

5'33. Shri Prakash Vir Shastri :
Sh.i Shiv Kumar Shastri :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether the services of Air India has been further extended;

(b) whether the services of Air India could not be extended to a number of important countries in spite of the fact that Air India occupies an important place among the most modernised airlines in the world; and

(c) the names of the additional routes or countries where the services of Air India are likely to be introduced in the near future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) During 1968-69, Air-India introduced two additional weekly service to the United Kingdom via West Asia, a fourth weekly frequency to Tokyo, a new terminator service to Kuwait via Bahrain. and touched at two new stations in Africa, namely, Entebbe (Kampala) in Uganda, and Addis Ababa in Ethiopia on tho route to Nairobi.

(b) Further extension of the services of Air-India will have to depend on availability of aircraft, commercial potential of the routes from the point of view of Air-India as also on the traffic rights obtained from the countries concerned.

(c) Air-India has under consideration proposals for serving new stations in Holland and in Scandinavia on their route to the United Kingdom. It is also considering introduction of services to or through East European countries. Philippines and Combodia, as also a trans-pacific service to the West Coast of the American Continent.

न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण

5234. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या गृह-कार्य मंत्री न्यायाधीशों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के बारे में दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6622 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले पर विचार कर लिया हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय के कब तक लिये जाने की सम्भावना हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग): न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है किन्तु उनका ऐसा कोई स्थानान्तरण करने का विचार नहीं है जब तक यह अनिवार्य न हो। तथापि, वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि क्या न्यायाधीशों की प्रथम नियुक्ति के समय कुछ नियुक्तियां राज्य के बाहर से की जाये।

Appointment of Male Professors in Women's College in Delhi University

*5235. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that male professors are not generally appointed in Women Colleges in the Delhi University;

(b) if so, whether it is a fact that there are male American Professors in the Miranda College;

(c) if so, the reasons for making this exception; and

(d) whether it is also a fact that they are indulging in undesirable propaganda ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is only one male American Visiting Professor under the US-India Women's College Exchange Programme.

(d) No, Sir.

Seizure of Stolen Idols

5236. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police have seized some stolen idols and have also arrested their sellers on the 23rd September, 1968 in Tilak Nagar, New Delhi; and

(b) if so, whether any clue of theft committed in the various museums of the country has also been found therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. However, the allegedly stolen idols were recovered on the 22nd September 1968.

(b) No, Sir.

Correspondence Course for M. A. in Delhi University

5237. Shri Bibhuti Mishra :
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of Eductaion be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scheme to introduce correspondence course for M. A. by the school of Correspondence Course and Continuing Education of the Delhi University; and

(b) if so, the time by which the said scheme would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagawt Jha Azad) : (a) The question of introducing Correspondence Courses at post-graduate level in arts subjects is under consideration of Delhi University.

(b) It is not yet possible to indicate any time-limit.

पानों पर बिक्री कर का समाप्त किया जाना

5238. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पान वालों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पान पर कोई बिक्री कर न लगाया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि पान वाले बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्माता नहीं है तथा उन पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के बिक्री कर आयुक्त ने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने से इंकार कर दिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): सरकार को ऐसा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया गया है ।

(ग) तथा (घ): दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि बिक्री कर के एक सहायक आयुक्त के समक्ष दायर की गई एक अपील में राजस्थान उच्च-न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया था । 'निर्माताओं' शब्द की व्याख्या के सम्बन्ध अन्य उच्च-न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अपील अधिकारी ने यह पुष्ट किया कि पान व्यापारी निर्माता है और तैयार पान कर लगाने योग्य हैं । अब इस अपील–आदेश के पुनरीक्षण को अधिमानित किया गया है । चूंकि मामला न्यायाधीन है अत: भारत सरकार का इस समय कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

Traders Complaints Against Delhi Police

5239. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints against the Delhi Police for challaning petty traders without assigning any reasons;

(b) the total amount of fines recovered and the particulars of the persons arrested in this connection during the last 6 months;

(c) whether it is a fact that a deputation of some office-bearers of Jan Sangh met the Lt. Governor in this connection; and

(d) if so, the action taken by Government in regard to their demands ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) An amount of Rs. 2,50,902/- has been recoverd as fine during the period from 1-5-68 to 31-10-68. None was arrested in this connection.

(c) Yes, Sir. The delegation made certain suggestions in regard to the drives undertaken by the Delhi Administration to clear the city of its slums and eliminate traffic congestion etc. in the interest of the safety of the public.

(d) Taking into consideration these suggestions, suitable instructions have been issued by Delhi Administration to their executive officers in regard to traffic clearance operations in Delhi.

Atrocities by U. P. Police After the President's Rule

5240. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Onkar Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by the Uttar Pradesh State Government regarding atrocities by the Uttar Pradesh police after the imposition of President rule there; and

(b) the number of complaints which are of serious nature and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Facts are being ascertained from the State Government.

चौथी योजना में दिल्ली के लिये केन्द्रीय सहायता

5241. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(ख) सड़कों, परिवहन, जल प्रदाय तथा गंदी बस्तियों का सुधार और आवास पर कितनी कितनी राशि खर्च की जायेगी;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने इस योजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी थी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे पूर्णतः पूरी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) तथा (घ): अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ-राज्य-क्षेत्र की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 387.78 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

Employees working in the Nehru Memorial

5242. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 on the employees working in the Nehru Memorial as pay, Dearness Allowance and over-time allowances; and

(b) the expenditure likley to be incurred thereon in 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Education Shri Sher Singh) : (a) and (b): The requisite information is given in the statement. **[Placed in Library See No. LT- 2818/68]**

Uttar Pradesh Board Examinations

5243. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the students numbering about 3 lakhs who had passed Uttar Pradesh Board Examinations were not awarded Certificates to that effect by the Education Board during the last three years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken to issue certificates to students who have not been awarded such certificates and the time likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir, but marks sheets were duly supplied to all the examinees immediately after the announcement of results.

(b) Non availability of the particular type of paper required for the certificates.

(c) The certificates for the 1966 examinations have since been printed, and will be issued as soon as possible. Those for the years 1967 and 1968 will be issued about six months after their printing on receipt of paper, for which efforts are being made.

Pak Flag Flown at Jorhat District

5244. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistani flags were flown in Jorhat area of District Darrang in Assam during August and September, 1968 which were later confiscated by the Police; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them by the Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन

5245. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा अनेक राज्यों में विशेषतः आसाम में, बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इन राज्यों में कितने व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन किया गया; और

(ग) इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ईसाई धर्म प्रचारकों के ऐसे समाचार हैं कि वे अपनी धर्म प्रचारक गतिविधियां को असम समेत कुछ क्षेत्रों में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

(ख) मध्य प्रदेश धर्म स्वातांत्रय अधिनियम 1968 के अलावा जो अभी हाल में 20 अक्तूबर, 1968 को लागू हुआ, एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मपरिवर्तन की सूचना और पंजीकरण के लिये कोई कानून नहीं है। अतः पूछी गई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के उपबन्धों के अधीन, सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुये अन्तः करण की स्वतन्त्रता तथा धर्म के अबैध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। अतः धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन

5246. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कार्य में उत्तरोत्तर हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में हिन्दी सलाहाकार समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य कृत्य क्या है तथा हिन्दी के प्रचार के लिये इस समिति ने क्या ठोस प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान । हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 9 जून 1967 को किया गया था ।

(ख) और (ग): समिति का कार्य सरकारी काम काज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को सलाह देना है । समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2819/68]**

आसाम और मनीपुर में उपद्रवी नागाओं के शिविर

5247. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उपद्रवी नागाओं ने आसाम तथा मनीपुर के कुछ क्षेत्रों में शिविर स्थापित कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कैम्प राकेटों, राकेट छोड़ने वाले उपकरणों मार्टरों और मशीन गनों से लैस हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आसाम में ऐसे शिविरों की मौजूदगी के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है । मनीपुर में ऐसे शिविर हैं ।

(ख) और (ग): ऐसे शस्त्र मनीपुर में कुछ शिविरों में पाये गये थे । सुरक्षा दल ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने की उपयुक्त कार्यवाही करते हैं और कुछ शिविर पहले ही नष्ट कर दिये गये हैं ।

Dangerous Houses in Delhi

5248. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of houses declared dangerous in Delhi from January to October, 1968 in respect of which action is being taken to demolish them;

(b) whether Government propose to provide assistance to the house owners to reconstruct the houses; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to the information received from the Delhi Municipal Corporation, out of 427 dangerous houses, 423 houses have already been demolished. In one case, a stay order has been obtained by the owner. In the remaining three cases, the usual formalities are being completed.

(b) and (c) There is no scheme with the Delhi Administration to provide any assistance to the house owners for reconstructing their demolished houses. If these persons are eligible to get a loan under the Middle Income Group Housing, Low Income Group Housing and Village Housing Projects loan schemes, they could apply for it.

Fire incdients in Delhi

5249. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Sari Hardayal Devgun :
Shri T. P. Shah :
Shri S. S. Kothari :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1199 on the 26th July, 1968 regarding fire incidents in Delhi and state the value of the goods lost in the 82 fire incidents mentioned in the reply cited above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): According to the Delhi Fire Service, the estimated loss due to these fire incidents is over Rupees seventy nine lacs approximately.

Conduct of a Delhi S. D. M.

5250. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hardayal Devgun :
Shri T. P. Shah :
Shri S. S. Kothari :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1156 on the 26th July, 1968 and State:

(a) whether the enquiry into the conduct of the Sub-Divisional Magistrate of Delhi has since been completed;

(b) if so, the findings thereof;

(c) if not, the reasons for delay; and

(d) the time by which this enquiry is likely to be concluded ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes. Sir.

(b) to (d): The Sub Divisional Magistrate called the Sub-Inspector inside the Jail. This fact has been entered in the order sheet of the Sub-Divisional Magistrate dated the 10th May, 1968. The entry of the Sub-Inspector as Reader in the Jail Register which is made by a Jail Official, and not by the Sub-Inspector, appears to be the result of misunderstanding since the Sub-Inspector was not in uniform.

Retirement of Central Government Employees

5251. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri R. Barua :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. R. Laskar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1217 on the 26th July, 1968 and state:

(a) whether a decision has been taken by Government to amend the rules so as to provide for retirement of Central Government employees on attaining the age of 50 years after giving three months' notice;

(b) if so, the decision taken;

(c) if not, the reasons for delay; and

(d) the time by which a decision is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c)and(d): Certain suggestions of the representatives of the Staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery in the matter are being examined and a final decision would be taken as soon as possible.

Wrong Drawal of House Rent by a Delhi Magistrate

5252. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri T. P. Shah :
Shri S. S. Kothari :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1158 on the 26th July, 1968 and state:

(a) whether the recoveries regarding the house rent allowance drawn by a Magistrate of Delhi have since been made from him; and

(b) if not, the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Indian Council of Social Science Research

5253. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hardayal Devgun :
Shri T. P. Shah :
Shri S. S. Kothari
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1191 on the 26th July, 1968 and state:

(a) whether Government have examined the recommendations made by the Committee set up by the Planning Commission in regard to the setting up of an Indian Council of Social Science Research;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay; and

(d) the time by which the recommendations are likely to be examined ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b : Yes, Sir. A copy of the Goverament Resoultion on this subject is Placed on the Table on the House. [Placed in Library. See No. LT- 2820/68]

(c) and (d) Does not arise.

हतिया (रांची बिहार) में दंगे

5254. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह कार्य मंत्री 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हतिया में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में बिहार सरकार से तथ्य अब मालूम कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीड़ितों को मुआवजा देने, दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने तथा दोषी कार्यकारी अधिकारियों, पुलिस तथा हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) स्थिति को सामान्य बनाने तथा भविष्य में ऐसे दंगे फिसाद न होने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हतिया भारी इंजीनियरिंग टाउनशिप में सन 1967 के साम्प्रदायिक दंगों में हत्या की 14 तथा लूट इत्यादि की 42 शिकायतें प्राप्त हुईं। लूट के मामलों में दोषी बताये गये व्यक्तियों की संख्या 22 थी और हत्या के मामलों में 1 थी। इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। जांच के लिये कोई मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

(ग) दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त राहत दी गई है। पुलिस अधिकारियों और दण्डाधिकारियों के विरुद्ध, जिनकी दंगों के दौरान की चूंकि राज्य सरकार के ध्यान में आई हैं, विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(घ) राज्य सरकार ने हतिया में एक सब-डिवीजन बनाया है और सब-डिवीजनल अधिकारी के रूप में एक अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया है। उन्होंने हतिया पुलिस थाने की शक्ति को भी प्रर्याप्त रूप में बढ़ा दिया है और हतिया में सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन को रखने का निश्चय किया है।

Replacement of old aeroplanes

5255. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of old aeroplanes operating on inland routes in the country proposed to be replaced by new modern aeroplanes; and

(b) whether the new modern aeroplanes are proposed to be purchased from abroad or manufactured in the country ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b): 5 DC-3 (Dakota) aircraft are at present being used on internal scheduled services of the Indian Airlines. These will be replaced over the next year or two by HS-748 aircraft, manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, Kanpur.

एयर इंडिया

5256. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पर्यटन तथा उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया से सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तियों ने विदेशों के साथ किये जाने वाले करारों तथा खरीदारी के मामलों में हस्तक्षेप किया है और विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

5257. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के स्थापना के समय इसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी और 31 मार्च, 1968 तक के आंकड़े कितने हैं;

(ख) कम्पनी ने 31-3-68 तक कितना ऋण देना था और उसमें से केन्द्रीय सरकार बैंक तथा अन्य संस्थाओं का कितना ऋण था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन ने कितना धन ब्याज के रूप में दिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में कार्य परिणाम, कैसे रहे, कितना लाभ तथा कितनी हानि हुई, हानि के मुख्य क्या कारण हैं; और इसका 1968-69 का अनुमान कितना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की सम्पूर्ण पूंजी सरकार द्वारा दी गई है । 1953 में, जब इंडियन एयरलाइन्स स्थापित की गई थी, इसकी पूंजी 302.41 लाख रुपये और 31.3.68 को 2194.16 लाख रुपये थी । इसमें से आधी "इक्वीटी पूंजी" और शेष आधी "डिबेंचर पूंजी" मानी जाती है ।

(ख) पूंजी के अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स को सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिये जाते। आस्थगित भुगतान के आधार पर प्राप्त किये गये विमानों और फालतू पुर्जों की खरीद पर कारपोरेशन की देयता 31.3.1968 को 2329.18 लाख रुपये थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन द्वारा ब्याज के रूप में दी गयी राशि निम्न प्रकार है:-

	1965-66	1966-67	1967-68
	(लाख रुपयों में)		
विमान और फालतू पुर्जों की खरीद पर ब्याज और वित्त व्यवस्था सम्बन्धी (फाइनेंसिंग) प्रभार।	40.32	78.53	128.51
"डिबेंचर पूंजी" पर दिया गया ब्याज।	–	35.66	71.31
योग	40 32	114.19	199.82

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य चालन परिणामों का ब्यौरा तथा 1968-69 के प्राक्कलन निम्न प्रकार हैं :—

	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69 के प्राक्कलन
		(लाख रुपयों में)		
परिचालन राजस्व	2332.70	2700.53	3473.65	3830.00
परिचालन व्यय	2331.03	2978.83	3341.09	3562.80
परिचालन लाभ (+) हानि (-)	(+)1.67	-278.30	(+) 132 56	(+) 267.20
गैर-परिचालन राजस्व	84.61	108.99	41.06	65.00
गैर-परिचालन व्यय	53.95	254.19	211.73	263.00
शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	(+)32.33	-423.50	-38.11	(+) 69.20

वर्ष 1966-67 के दौरान हुई हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित थे।

(i) जून, 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन जिसके परिणामस्वरूप ऋणों की पुनः अदायगी और उन पर ब्याज की अदायगी से कारपोरेशन का बोझ बढ़ गया।

(ii) दुर्घटनाओं में दो कैराविल विमानों की हानि, एक की फरवरी, 1965 में और दूसरे की सितम्बर, 1966 में जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में हानि हुई।

(iii) कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ वेज बिल।

और अधिक विमानों की प्राप्ति, और साथ ही अगस्त 1967 से किरायों तथा माल भाड़े की दरों की वृद्धि के कारण हानि 1967–68 के वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम हुई।

कारपोरेशन का अनुमान है कि वे वर्ष 1968-69 के दौरान 69.00 लाख रुपये का लाभ कमायेंगे।

Loss from Hotels in the Public Sector

5258. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the extent of loss estimated to be suffered in respect of each of the hotels in the public sector during the current financial year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : It is difficult to make any precise estimate of the financial results for a year which has still more than three months to run. It is expected, however, that Ashoka Hotel will make a profit, and while Ranjit and Lodhi Hotels may incur losses these will be made up by the profit earned by Janpath Hotel.

Night Air Services

5259. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the routes on which night mail and passenger air services have been started and the routes on which they are proposed to be introduced during the current financial year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The Indian Airlines have introduced night air mail services, which carry passengers also, on the following routes

(i) Delhi-Nagpur-Delhi

(ii) Bombay-Nagpur-Bombay

(iii) Madras-Nagpur-Madras

(iv) Calcutta-Nagpur-Calcutta

There is not proposal at present to introduce night air mail services on additional routes.

एयर इंडिया

5260. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया की साम्य पूंजी कितनी है और उस पर सरकार, विदेशी कम्पनियों या बैंकों का कितना ऋण है;

(ख) इसके गत तीन वर्षों के कार्य संचालन के परिणाम, लाभ की दर, विदेशी मुद्रा की आय कितनी है और उक्त अवधि में कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में उसे सरकार से कोई सहायता मिली है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2821/68]

(ग) भारत सरकार एयर इंडिया को कोई उपदान नहीं देती है । लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किरायों और भारत के अन्दर देशीय सेक्टरों के किरायों में अन्तर को दृष्टि में रखते हुए एयर इंडिया के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से, उनके अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के क्रम को जारी रखते हुए देशीय सेक्टरों पर यात्रा करने के लिए, किराये की जो राशि लेते हैं आनुपातिक रूप से उससे अधिक राशि इंडियन एयरलाइन्स को दें । एयर इंडिया द्वारा देय इस अतिरिक्त राशि का 50% नागर विमानन विकास निधि से दिया जाता है । 1967-68 के दौरान यह राशि 3,78,232/- रुपया थी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

5261. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना के समय तथा 31-3-68 को इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी थी,

(ख) कम्पनी ने 31-3-68 तक कितना ऋण देना था और उसमें से केन्द्रीय सरकार बैंक तथा अन्य संस्थाओं का कितना ऋण था,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन ने कितना धन ब्याज के रूप में दिया है, और

(घ) गत तीन वर्षों में कार्य परिणाम कैसे रहे कितना लाभ अथवा कितनी हानि हुई, यदि हानि हुई है तो उसके मुख्य कारण क्या हैं, और इसका 1968-69 का अनुमान कितना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० के० वी० आर० वी० राव) :

		अधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी
(क) (1)	स्थापना के समय ।	10,00,00,000	3,09,90,000
(2)	31-3-68 को	10,00,00,000	6,20,42,000

(ख) 4,05,26,491 रुपये जिनमें से 96,83,640 रुपये केन्द्रीय सरकार से और 3,08,43,851 रुपये स्टेट बैंक आफ इंडिया से ।

(ग) 1965-66 6,45,413 रुपये
1966-67 15,90,707 रुपये
1967-68 23,35,383 रुपये

(घ) निवल लाभ

1955-66 1.45 लाख रुपये
1966-67 2.05 लाख रुपये
1967-68 1.23 लाख रुपये
1968-69 2.67 लाख रुपये
(अनुमानित)

लाभ मुख्यतः शिपयार्ड द्वारा किये गये कुछ जहाज मरम्मत और बाहरी संरचना कार्यों से हुआ ।

उड़ीसा में गैर सरकारी कालेज के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाना

5262. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान गैर सरकारी कालेज के प्राध्यापकों के लिए लागू कर दिये हैं:

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस उद्देश्य के लिये राज्य को अपने अंशदान का धन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह राशि क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने की योजना के अधीन सहायता के केन्द्रीय भाग की अदायगी भारत सरकार द्वारा की जाती है, न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ।

(ग) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही अदायगी का प्रश्न उठेगा ।

रतनागिरी में मठ समिति प्रतिष्ठान का परिक्षण

5263. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1967-68 और 1968-69 में उड़ीसा के रतनागिरी स्थित मठ संबंधी प्रतिष्ठान परिरक्षण के लिए कोई धनराशि अलाट की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

1967-68	—	4,000 रुपये
1968-69	—	3,150 रुपये

(ख) 1967-68 के दौरान, निम्नलिखित मरम्मत के कार्य किये गये: —

(i) कोठरियों की दीवारों से टूटी-फूटी ईंटों को निकालना और उन स्थानों को उसी किस्म की ईंटें लगाकर मरम्मत करना ।

(ii) दीवारों के सिरों की इस प्रकार मरम्मत करना, जिससे पानी उनके अन्दर न जा सके ।

(iii) असमतल फर्श के टूटे फूटे पत्थरों के स्थान पर सीमेंट के गारे अथवा यथावश्यक नए पत्थर लगाकर मरम्मत करना ।

(iv) फर्श के नीचे उचित मिकदार में सीमेंट कंकरीट डालना । कुल मिलाकर, इन मदों पर 4,027 रुपये खर्च हुए थे । 1968-69 के दौरान, निम्नलिखित मरम्मत के कार्य शुरू किए जाएंगे ।

(i) ईंटों की दीवारों पर पुश्ता लगाना; और

(ii) दीवारों के सिरों की इस प्रकार मरम्त करना, जिससे पानी उनके अन्दर न जा सके ।

चालू वित्तीय वर्ष में 3,150 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

केन्द्री सड़क बोर्ड

5264. श्री रा० की० अमीन : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क बोर्ड के गठन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के गठन में देरी होने के क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख): जैसा मूलत: प्रस्ताव था, केन्द्रीय सड़क बोर्ड स्थापित न करने का निर्णय किया गया है । तथापि इसके स्थान में एक केन्द्रीय सड़क समिति बनाने का प्रश्न हाल में विचाराधीन है ।

कैरों की हत्या का मामला

5266. श्री यशपाल सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कैरो हत्या के मामले की जांच की अब तक की स्थिति क्या है; और

(ख) इस मुकदमे की कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): मामला न्यायाधीन है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि मामला अभी तक तर्क-वितर्क की अवस्था में है।

दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध

5267. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की बसों में गत वर्षों की तुलना में, अपराध बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख): जी नहीं, श्रीमान। 1-1-1968 से 15-10-1968 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को 292 मामले सूचित किये गये जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 293 मामले सूचित किये गये।

(ग) बस-रूटों तथा बस-अड्डों पर पुलिस के सिपाही वर्दी में तथा सादे कपड़ों में ड्यूटी पर तैनात किये जाते हैं। उन बस-रूटों पर, जो विशिष्ट रूप से प्रभावित हैं, विशेष गस्त का प्रबन्ध किया जाता है।

Beautificaion of Ancient Temples at Ayodhya

5268. Shri J. B. Singh : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5191 on the 23rd August, 1968, and state :

(a) whether proper attention has been paid to remove the obstruction caused to the view of the ancient temples by the embankments of Ghagra bridge at Ayodhya and prevent accumulation of filth and dirt around the temples ;

(b) whether Government propose to beautify the bank of Saryoo river so as to make it more attractive in view of the religious feelings of the people ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhankt Darshan) : (a) Some obstruction to the view of the ancient temples from the river is inevitable, but it is possible to get a very good view from the new ghats. Attention is also being paid to prevent accumulation of filth and dirt in front of the temple, as already detailed in the reply to the Unstarred Question No 5191.

(b) and (c) No such proposal is under the consideration of the Government of India. The matter is the concern of the State Government.

Production of Tickets for travel by Bus in connection with Official work.

5269. **Shri Shardanand ;**
Shri Onkar Singh

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to an order issued by the Central Intelligence Bureau, the employees of the Bureau who travel by bus in connection with their official duties are being asked to produce bus tickets for the purpose of reimbursement of exepnditure incurred by them ;

(b) whether it is also a fact that the bus tickets are checked by different ticket checkers and, therefore, there is a possibility of the tickets being damaged or not returned by the ticket checkers ;

(c) whether Government by relaxing the relevant order of the Department, propose to do the provision under which the employees travelling on official duty are required to produce bus tickets for the purpose of reimbursement of expenditure ; and

(d) if so, when ?

The Minister Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Bus tickets are checked by ticket checkers and then returned to the passengers. However, due consideration is given if the cencerned Government servant is not in a position to produce the bus ticket under special circumstances.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Clothing Allowance to Constables and Head Constables

5270. **Shri Shardanand :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Clothing Allowance is paid to those constables and Head constables, who are on deputation to the Central Intelligence Bureau from various States and are working against the same posts, whereas dress is supplied free of cost to the persons working against similar posts in States ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to grant Clothing Allowance to the said Constables and Head Constables ;

(d) if so, the date from which the said allowance would be granted to them ; and

(c) if not, the reasons therefor in view of the fact that it is granted to them in the States ?

The Minister of Home Affirs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b): The deputationist Constables and Head Constables in the Intelligence Bureau are entitled to a uniform allowance of Rs. 30/- and Rs. 40/- per annum respectively provided they furnish a certificate to the effect that necessary uniform has been maintained throughout the period for which the uniform allowance has been claimed,

(c) to (e): Do not arise.

Pay Scales of Primary Teachers of U. P.

5271. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether primary school teachers of U. P. had demanded a raise in their pay scales some time back ; and

(b) the time by which the U. P. Government are likely to give them increased pay scales in accordance with the Kothari Commission's report as has been done by other States ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) It will be possible as soon as funds are available.

Foreign Funds received by Foreign lobbies in India

5272. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) whether Government are aware that Russian, American, Chinese and Pakistani lobbies are working in the country which receive funds from foreign countries regularly for organising conferences and seminars and for encouraging sabotage, strikes and other activities to save the interests of the countries they support ;

(b) the report of the Intelligence Department in this regard ; and

(c) the action proposed to be taken by Government against such elements ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c), The report of the Intellligence Bureau regarding the use of foreign funds in the last General Elections and for other purposes is still under examination.

Popularising the Use of Eggs, Meat and Fish

5273. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are popularising the use of eggs, meat and fish among the children in the country ;

(b) whether it is also a fact that Government are attempting to mislead the innocent children by teaching them that eggs, meat and fish are our food ;

(c) whether Government are aware that there is great discontentment and dissatisfaction among the people of vegetarian food habits over this policy of Government ; and

(d) if so, whether Government propose to make improvements in the text books of educational institutions and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (d) Preparation of textbooks for use in schools is primarily the responsibility of the State Governments, The model books produced by N. C. E. R. T. do not contain any reference to the subject. Their books on science contain information about the food

contents and nutritional value of different food articles without any exhortation for using particular type of diet.

Behaviour of Minorities in Rajasthan During Indo-Pak Conflict

5274. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) the extent of truth in the report published in Navbharat Times of the 10th October, 1968 to the effect that Rajasthan Government is reported to have stated that the active support of minorities in Rajasthan is largely responsible for intrusion and other successes of Pakistan in that State during Indo-Pak hostilities in September, 1965 ;

(b) whether Rajasthan Government has urged upon the Central Government to enact a special law for withdrawing Citizenship Right of those people belonging to minority communities who had run away to Pakistan during Indo-Pak, hostilities ; and

(c) if so, which Government propose to accede to the request of the Rajasthan Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have seen the press report.

(b) A reference was received from the State Government regarding action to be taken against persons who had migrated to Pakistan during the Indo-Pak conflict of 1965.

(c) The matter is being examined.

Training to Nagas

5275. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narendra Kumar Salve :
Shri J. H. Patel :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinse trained Naga hostiles are imparting in guerilla warfare to about 100 young men of District Sibsagar on the orders of Nagaland ;

(b) whether it does not prove that this is a part of the Chinese plan to convert the whole of Assam into South Vietnam ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Eleven persons from Assm were suspected to have received training from Naga hostiles in the use of explosives and other sabotage activities. They were all arrested and are in custody. Cases against them are under investigation.

(b) and (c): The Government are aware of the assistance provided to Naga hostiles and regard Chinese propaganda and other material support to hostile tribals as interference with our country's internal affairs. Security forces are maintaining constant vigilance against hostile activity and adequate measures to safeguard the security of the country have been taken.

Graduates of Engineering College Affiliated With Aligarh Muslim University Leving for Pakistan

5276 **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Education be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that several hundred Graduates of the Engineering College affiliated with the Aligarh Muslim University, have left for Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that the Reader of Electrical Engineering College of Aligarh Muslim University left for Pakistan without informing any body and has arranged to get his Provident Fund amount from there itself ;

(c) whether it is further a fact that some other officers are also preparing to leave for Pakistan in the same manner ; and

(d) if so, the step, which Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to the information collected by the State Government of Uttar Pradesh, 184 Engineers out of 2305, who graduated from the College of Engineering and Technology, Aligarh Muslim University left for Pakistan during the period 1967.

(b) One Professor in the Department of Electrical Engineering of the Aligrah Muslim University, who resigned from his post in the University, is reported to have gone to Pakistan after obtaining an emergency certificate from the Pakistan High Commission. The Aligarh Muslim University authorities have issued instructions not to disburse any amount in his Provident Fund account to him or to any body on his behalf.

The authorities are not aware of any such move on the part of officers of the Aligarh Muslim University.

(d) Does not arise.

Demand for more powers by Kerala Government

5277. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri R. Barua :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Government of Kerala have demanded more powers from the Central Government and the Akali leaders of Punjab have supported the proposal of the Kerala Government ; and

(b) if so, the reaction of Central Government to the said demand ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information furnished by the State Government of Kerala, a memorandum was forwarded in 1967 to the Central Government on certain aspects of Union-State financial relations. They have not made any other demand.

According to information furnished by the Punjab Government, in the All India Akali Conference held at Batala on September 28 & 29, 1968, the Akali party (Sant Group) passed a resolution demanding greater autonomy for the States.

(b) Government do not think any basic changes in the existing constitutional provisions relating to relations beween the Central and the States are called for.

Gambling in Clubs in Delhi

5278. **Shri Raghuvir Singh Shastri** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that gambling is prevalent in clubs of Delhi ;

(b) if so, whether clubs have the permission to indulge in gambling ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) if not, the reasons for not taking any action to check gambling ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla) : (a) Government have received complaints about prevalence of gambling in some clubs of Delhi.

(b) to (d): Private clubs in Delhi have to abide by Public Gambling Act. The Delhi Administration keep vigilance and take suitable legal action whenever such offences. come to notice. During the period from 1.1.1968 to 31.10.1968, six cases have been registered by Delhi Police against clubs for alleged violation of the gambling law.

श्री राम कृष्ण डालमिया द्वारा दिल्ली में एक सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट का अपमान

5279. डा० सुशीला नैयर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जुलाई 1968 को दिल्ली में श्री राम कृष्ण डालमिया ने सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट श्री रमेश सहगल को गालियां दी थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्री सहगल ने श्री डालमियां के विरुद्ध एक अभियोग दायर किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारी के सम्मान की रक्षा के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग): श्री सहगल ने न्यायालय की मानहानि की कार्यवाही आरम्भ करने के लिये जिला दण्डाधिकारी को रिपोर्ट की । जिला दण्डाधिकारी द्वारा रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी गयी । उच्च न्यायालय ने श्री राम कृष्ण डालमिया को न्यायालय की मानहानि के लिये दोषी ठहराया और उसको एक चेतावनी दी ।

Installation of Statues of Indian Leaders in Delhi

5280. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in the proposals which were under consideration for sometime back to instal statues of Netaji Subhash Chandra Bose in front of Red Fort and Swami Shradhanand ji in fornt of Chandni Chowk Town Hall, Delhi ;

(b) when a final decision is likely to be taken in this regard ; and

(c) whether proposals to instal statues of some other Indian leaders at some other places have since been finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The decision regarding the site for installation of the statue of Netaji Subhash Chandra

Bose has yet to be taken. The proposal for installation of the statue of Swami Shradhanand Ji in front of Chandni Chowk Town Hall, Delhi has not been accepted. However, the question of finding another suitable site for the same is still under consideration. No indication can be given as to when the final decision will be taken.

(c) The statues of Sarvashri Asaf Ali, Deshbhandu Gupta, Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Motilal Nehru and Govind Ballabh Pant have already been installed in Dehli/New Dehli. Besides, there is at present a proposal to instal a statue of Mahatma Gandhi at India Gate.

उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत

5281. श्री अ० दीपा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फूलबनी जिले के जिला मैजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट और बौधा के सबडिवीजन अधिकारी के द्वारा उस क्षेत्र के कुछ संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने, विशेष क्षेत्र विकास योजना प्रतिवेदन में पानी समुदाय के हरिजनों को बदनाम किये जाने, फूलबनी और दारूगांबादी में मुख्य डाक-घर के भवन का निर्माण रोके जाने, विभिन्न कस्बों में गरीब लोगों के मकानों के नष्ट किये जाने, उस जिले में सूखे की स्थिति कम बताकर उसके बारे में राज्य सरकार को गलत रिपोर्ट दी जाने और नवम्बर, 1968 में फूलबनी जेल में नजरबन्द विद्यार्थियों को तार तथा टेलीफोन का प्रयोग करने की अनुमति न दी जाने के कारण इन अधिकारियों के विरूद्ध सरकार को हाल ही में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन शिकायतों के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं और सदन के सभा-पटल पर एक विवरण यथासमय रख दिया जाएगा ।

Hindi Teaching Scheme

5282. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the amount spent during the last 13 years on Hindi Teaching Scheme introduced by his Ministry in 1955 ;

(b) the number of employees who passed Prabodh, Praveen and Pragya examinations under the Scheme ;

(c) whether it is a fact that the employees who get 55, 69 and more than 60 per cent marks in the above examinations are awarded Rs. 100, Rs. 200 and Rs. 300 respectively ;

(d) whether it is also a fact that the trained employees did not submit any note in Hindi during the period despite lakhs of rupees and time spent on these examinations because Government's policy was not to use Hindi in official work ;

(e) whether as a result of this policy all the employees have forgotten Hindi although they have passed the examinations ; and

(f) if so who is responsible for spending money like this for the cause of Hindi and not making use of it in official work ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A sum of about Rs. 1,76,00,000 has been spent on the Hindi Teaching Scheme during the last 13 years. This is exclusive of expenditure incurred on the grant of one increment to non-gazetted employees on passing Prayga examination and Hindi Stenography/typing tests.

(b) So far about 2,10,000 employees have passed one or more courses under the Hindi Teaching Scheme.

(c) Cash awards are not granted for passing the Prabodh examination but are granted on passing the Praveen and Pragya examinations in the following manner :

First Prize of	Candidates securing
Rs. 300/ each.	70% or more marks.
Second prize of	Candidates securing
Rs. 200/-each.	60% to 69% marks and
Third prize of	Candidates securing
Rs. 100/-each.	55% to 59% marks.

(d) to (f) : Both Hindi and English languages are used for the official purposes of the Union. Central Government employees are free to use either of these languages for purpose of noting and drafting. Hindi is being taught not only to enable employees to note and draft in Hindi but also to provide a working knowledge of Hindi to those employees who do not know it so that they may be able to handle communications received in Hindi (without receiving translation thereof in the English language). As the use of Hindi increases, the Hindi training imparted to the employees will become more and more useful.

Hindi in Punjab

5283. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Resolution passed by the Punjab Arya Sammelan that Punjab Government do not accept Hindi as a second language thus depriving the 40 per cent Hindi speaking people in Punjab of their fundamental right ; and

(b) the steps Government propose to take to safeguard the constitutional rights of the minority community, as demanded by the Punjab Arya Maha Sammelan, because only Punjab language in Gurmukhi script has been recognised as official language in Punjab ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government of Punjab have received a copy of the Resolution.

(b) By virtue of the Punjab Official Language Act passed in December, 1967 Punjabi was adopted as the Official language of the State. There is already an adequate machinery, Constitutional and otherwise, to safeguard the interests of linguistic minorities. In regard to the medium of instruction in Schools, Sachar Formula is still operative.

Problems of Jailors and Deputy Jailors in Bihar

5284. Shri Ramavatar Shastri : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether 33 Members of Parliament had written any letter to him about the problems of Jailors and Deputy Jailors in Bihar during the last session of Parliament,

(b) whether the letter contained a request to revise their pay scales and to grant them gazetted status ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ;

(d) the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) and (d) : The matter is under examination of the State Government.

Release of Prisoners from Jails on the Gandhi Jayanti (October, 1968)

5285. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that old and such other prisoners as had been undergoing a long term of imprisonment were released from jails in various States before the expiry of their term of imprisonment on the 2nd October last on the occasion of Gandhi Jayanti ;

(b) if so, the names of the said States and the number of prisoners released, State-wise ;

(c) whether it is also a fact that none of the prisoners in Bihar was released on the occasion of Gnndhi Jayanti ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government have been considering any scheme for the release of such prisoners from jails on the occasion of Gandhi Centenary Celebrations in 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The number of prisoners released by the Government of Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh on 2nd October 1968, is as follows :—

Name of State	No. of prisoners released
Orissa	56
Rajasthan	6
Uttar Pradesh.	70

Information in respect of the Government of Madras is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt. The remaining States have not released any prisoners on the date.

(c) to (e) : No prisoner was released on the Gandhi Jayanti occasion in Bihar in 1968.

All States and Union Territories excluding Madars, Orissa and Rajasthan, propose to give remissions in sentences of long-term prisoners on the occasion of Gandhi Centenary

Celebrations in 1969. Information in regard to Jammu & Kashmir is being collected and will be laid on the Table of the House.

Dearness Allowance for Non-Teaching Staff of Universities and Colleges in Bihar

+5286. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Education Department of Bihar Government had directed the Accountant General, of Bihar through a letter dated the 17th September, 1967 to pay Dearness Allowance to the non-teaching staff of universities and colleges at the rate of Rs. 10 per month with effect from the 1st April, 1967;

(b) whether it is also a fact that the State Government had sanctioned Rs. 4,20,000 to the State University Commission towards the expenditure under this item during 1967—68;

(c) if so, whether it is further a fact that the non-teaching staff (Class III and IV) of the Colleges have not received the said dearness allowance so far;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) whether Government propose to reconsider the payment of dearness allowance to the said employees ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e): Payment of Dearness Allowance to the non-teaching staff of constituent colleges and University Departments has been made. The final order in respect of affiliated colleges were issued only recently and Dearness Allowance is expected to be paid to the non-teaching staff shortly.

Chief Minister's Conference on Centre State Relations

5287. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to hold a Conference of Chief Ministers for considering in detail the relations between the Centre and the States; and

(b) if so, when the said Conference is proposed to be held ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

Pro Pak Elements in Uttar Pradesh

5288. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Inspector-General of Police, Uttar Pradesh has received some complaints regarding Pakistani elements spreading panic and disturbing peace in Masuri, Nahal and Dhabarsi villages of Meerut District;

(b) wherher it is also a fact that the cows are slaughtered openly in the said villages; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) State Government have no such information.

(c) Does not arise.

PAK Infiltrators In Assam

5289. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) The number of Pakistani infiltrators who came and settled in Assam since April 1967 till date;

(b) the steps taken by Government to expel them; and

(c) the number out of them who have been expelled so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The exact number of Pakistani infiltrators who entered Assam during the period from April, 1967 to 31st October, 1968 is not known.

(b) The BSF set-up has been strengthened and border outposts have been re-sited strengthened, etc. to facilitate greater frequency of patrolling at the border. In addition, there is a net-work of police watch posts both on the borders and in the interior of the State affected by this problem for maintaining a constant vigil to detect fresh and old infiltrators.

(c) During the period under reference, 2,281 fresh infiltrators were detected and all of them were either pushed back at the border or sent back to Pakistan after trial/ conviction, etc.

Ring Road for Trans-Yamuna Colonies in Delhi

5290. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to construct another ring road for trans-Yamuna colonies with a view to connect these colonies with the original ring road near Shanti-Vana, Delhi;

(b) if so, when the said scheme is likely to be implemented;

(c) whether it is a fact that a survey in regard to the proposed ring road has also been conducted; and

(d) if so, the reasons for delay in the construction of the said road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) No Sir.

(b) to (d): Do not arise.

Newspapers Indulging in Communal Propaganda

5291. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Sharda Nand :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government and several State Governments have launched prosecutions against newspapers and journals propagating communalism;

(b) if so, the names of those State Governments and the newspapers against whom prosecutions have been launched by them;

(c) the names of the newspapers against whom prosecution have been launched by the Central Government;

(d) whether some of the cases have been decided; and

(e) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e) : The Central Government had sanctioned two prosecutions one each against "Mother India" and the "Organiser", before powers to lodge complaints under Section 153A of I. P. C. had been delegated to the Delhi Administration in May 1968. A statement containing details of prosecutions launched against newspapers and Journals in respect of writings promoting feelings of enmity or hatred between different communities by State Government/Union Territory Administration is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L T- 2822/68]**

Assault on a Magistrate in U. P.

5292. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri B. D. Gupta, Magistrate, was beaten by a goonda at the instance of the Police of Banda District (Uttar Pradesh) eight or nine months back and the said goonda was awarded imprisonment;

(b) if so, the details of the incident and the action taken in the matter;

(c) whether it is also a fact that the Police of the said District is engaged in earning money in collusion with dacoits and goondas and the police has nothing to do with law and order; and

(d) whether Government would make arrangements for the personal protection of the Member of parliament from the Banda Constituency of U. P. who has voiced protests against the corruption allegedly rampant in the police there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Viday Charan Shukla) : (a) and (b) :It is reported by the Government of Uttar Pradesh that Shri B. D. Gupta was assaulted on 23rd April 1968 by two persons while he was returning from the Court. The two persons were overpowered by passers by and were arrested. They were awarded rigorous imprisonment for a period of four months. The assault was not made at the instance of the police of Banda District.

(c) No, Sir.

(d) State Government have reported that there is no danger to the life and property of the Member of Parliament.

Bridge Over River Kane Near Banda U. P.

5293. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the traffic between District Banda and District Hamirpur, Uttar Pradesh remains dislocated for about six months because of Kane river between the said two districts consequent to which there is heavy loss of trade;

(b) whether the Government of Uttar Pradesh has been approached many times for providing a bridge over the said river near Banda but no heed has been paid in this regard;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to approve the construction of the said bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) to (d) : The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

बिहार में भागलपुर जिले के सूईया थाने में पक्की सड़कें

5294. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भागलपुर जिले में सुइया थानों में इस क्षेत्र को मुंगेर जिले में संग्रामपुर के साथ जो व्यवहारात; एक मात्र एक ऐसा स्थान है जहां से होकर इस क्षेत्र के लोग बाहर के लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं मिलाने वाली कोई उपयुक्त पक्की सड़क नहीं है,

(ख) यदि हां, तो सूइया को संग्रामपुर से मिलाने वाली कच्ची सड़क को पक्का बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : हमारी पूंछताछ यह बताती है कि जिला भागलपुर में सूइया थाना नाम की कोई जगह नहीं है। अपितु जिला मुंगेर में संग्रामपुर को मिलाने वाली कटोरिया से बेलहार सड़क पर एक जगह सूइया बाथान है। संभवतया माननीय सदस्य इस सड़क का उल्लेख कर रहे हैं। यह राज्य सड़क है अतः बिहार सरकार इसके निर्माण के लिये मुख्य रूप से सम्बन्धित है। यह ज्ञात हुआ है कि सड़क के दो भाग हैं अर्थात (1) कटोरिया-वेलहार सड़क का भाग और (2) भागलपुर जिले की सीमा तक बंका-बेलहार सड़क का भाग। राज्य प्राधिकारियों द्वारा इन दो खंडों पर कार्य हाथ में ले लिया गया है और प्रगति पर है।

वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्थाओं के लिए वित्त की व्यवस्था

5295. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य जिस पर भारत में एशिया फाउंडेशन के बन्द होने का कुप्रभाव पड़ा है, करने वाली संस्थाओं के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये योजना आयोग के पास 50 लाख रुपये की एक निधि स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग): समाज विज्ञान अनुसंधान के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद स्थापित करने का निर्णय किया है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान परिषद के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। एशियाई प्रतिष्ठान के बन्द हो जाने के फलस्वरूप समाज विज्ञान के क्षेत्र में लगी जिन संस्थाओं और संगठनों पर प्रभाव पड़ा है वे भी सहायता के लिए परिषद को आवेदन करने के पात्र होंगे।

सेंधमारी के लिये मुकदमें की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति की रिहाई

5296. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक युवक को जिसे नई दिल्ली में सेंधमारी के लिये मुकदमें की प्रतीक्षा में 15 महीने जेल में रहना पड़ा 22 जुलाई 1968 को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया;

(ख) यदि हां तो उस पर मुकदमा करने में विलम्ब के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। तथापि, युवक को न्यायिक जांच के उपरान्त न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : जांच करने तथा मुकदमा चलाने में बताए गये विलम्ब की दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजाब पुलिस नियमों के उपबन्धों के अधीन आवश्यक जांच की जा रही है।

Central Scholarships to Students in Ladakh

5297. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of scholarships awarded by the Centre to the students in Ladakh is inadequate; and

(b) the steps being taken by Government to increase the number of these scholarships and their amount ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b): The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Science Teachers in High School in Ladakh

+5298. **Shri KushoK Bakula :** Will the Minister of **Education** be pleased to state whether it is a fact that there are no Science Teachers in two high schools in Ladakh ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) The two High Schools in Leh and Kargil have Science Teachers.

मेरठ विश्वविद्यालय के लिये भूमि

5299. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ में औरंग शाहपुर डिग्गी को ग्राम सभा की भूमि प्रबन्धक समिति की कुछ भूमि को भी मेरठ विश्वविद्यालय के लिये अर्जित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस भूमि का मुआवज़ा दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि दी और यह राशि औरंग शाहपुर डिग्गी की ग्राम सभा की ओर से किस खाते में डाली गयी है या जमा कराई गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी नहीं। तथापि, इस गांव की कुछ भूमि को पुनर्ग्रहण करने के लिए कार्यवाही, भूमि अभिग्रहण अधिकारी, मेरठ के पास निपटान के लिए पड़ी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Governors as Chancellors of Universities

*5300. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have been considering the point that Governors who are also Chancellors of Universities should or should not act on the advice of the Council of Ministers in regard to the affairs of Universities; and

(b) if so, the time by which the position in this regard is likely to be clarified ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : Yes, Sir. The matter concerns the State Governments.

Science Books Prepared for Higher Secondary Schools Prepared by N. C. E. R. T.

5301. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that books of Physics, Chemistry, Zoology and Botany prepared by the National Council of Educational Research and Training for Higher Secondary Schools in Delhi on the recommendations of UNESCO project were introduced in some selected schools in Delhi on an experimental basis before prescribing them in syllabi of course for other Higher Secondary Schools;

(b) if so, the number and names of such schools;

(c) whether the material required for carrying out experiments was made available in the laboratories of the said schools; and

(d) if so, the basis on which Government drew the conclusion that the said books would be useful for Higher Secondary Schools ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The first stage of NCERT-UNESCO Science Project that is under way relates to curriculum development and preparation of textbooks for teaching physics, chemistry, biology and mathematics at the middle school stage (classes VI-VIII). The curriculum and textbooks produced have been introduced on an experimental basis in selected schools in Delhi. The syllabus for these subjects has been prescribed as an integral part of the curriculum.

After the middle school stage is over, similar work will be under taken for the higher secondary stage.

(b) A list is laid on the table of the House. **[Placed in the Library See. No. LT – 2823/68]**

(c) The equipment already available in the schools is being used. In addition, NCERT has produced and supplied special teaching, demonstration and experimental materials.

(d) The curriculum and textbooks produced under the Project are based on a careful study of the problems of science teaching at the school stage and the need to improve standards. The results obtained in the experimental schools are quite encouraging.

New Subjecte in Higher Secondary Schools

5302. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the extent of justification for introducing those new subjects in Higher Secondary Schools which have been prescribed on the recommendation of UNESCO project this year;

(b) whether the students are capable of bearing the additional burden of new subjects prescribed for them;

(c) whether this additional burden of subjects for study is having some adverse effect on the minds of the students; and

(d) whether Government have conducted a survey in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : The programme aims at teaching physics, chemistry and biology as separate disciplines in classes VI to VIII in place of General Science and does not involve any additional burden for the students. The Education Commission also has made the same recommendation in order to improve the standard of science teaching at the school stage. The project started in October, 1965.

(c) There have been no such reports

(d) The programme is being supervised by the National Council of Educational Research and Training.

Education Facilities to Children Residing Within the Embankments of Kosi Ri er

5303. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have taken some stepes in regard to regularising the education fo the children of the people residing within the embankments of Kosi river which has been badly distrupted owing to floods;

(b) whether Government propose to exepmt the said chil 'ren from the payment of school and college fee and give them some financial aid for the purchase of books, etc; and

(c) if so, the extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Taking Over of Colleges in District Head Quarters of Border Area in Bihar

+ 5304. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over the Colleges in the District Headquarters of the border areas of Bihar;

(b) whether any suggestion to this effect has been received from the State Government; and

(c) if so, the details thereof and the re-action of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b): No, Sir.

(c) Does not arise.

दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक

5305. श्री रा० की० अमीन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और रूस के बीच चल रहे शीत युद्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक काफी अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों को दूसरे देश प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कांडला पत्तन पर रात को नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था

5306. श्री रा० की० अमीन : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ के कांडला पत्तन पर, यद्यपि यह मुख्य पत्तन है, रात को नौचालन सम्भव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो कांडला पत्तन में रात को नौचालन की सुविधाओं का विकास करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : कांडला पर रात्रि नौचालन सुविधाओं को जारी करने की योजना के अंग के रूप में तट स्थित ट्रांजिट बीकनों के लिये नौचालन प्रकाशों के दो जोड़े प्राप्त किये गये हैं। इन बीकनों के 1969 के मध्य तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है। अतिरिक्त ट्रांजिट बीकनों के लिए प्रकाश के एक और जोड़े को लेने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इन प्रकाशों के प्राप्त होने तथा लगाये जाने पर कांडला पर रात्रि नौचालन शुरू कर दिया जाएगा।

Taxi Permits Issued in Meerut Zone

5307. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Zonal Transport Officer in Meerut Zone has issued a large number of permits for private taxis during the last five years; and

(b) if so, the names of the persons to whom such permits were issued and also names of the places for which issued ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) : The required information is being collected from the U. P. Government and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Route Permits Issued in Meerut One

5308. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Zonal Transport Officer of Meerut Zone has issued new route permits on some private routes during the last five years;

(b) if so, the number of route permits, the routes and names of the persons to whom such permits were issued; and

(c) the criteria for issuing these permits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) : According to the Government of U. P., the Regional Transport Authority, Meerut, issued 161 new permits on 46 routes to the persons indicated in the statement during the last five years. [**Placed in Library. See No. LT-2824/68**]. The statement however, does not include the names of 83 persons, who were granted permits on orders in apeal passed by the State Transport Appellate Tribunal, U. P.

(c) The Regional Transport Authority heard all the applicants, who were present on the dates of the meatings and also examined the claims of those, who could not be present. According to the Government of U. P., after taking into consideration the provisions of Section 47 of the Motor Vehicles Act, 1939, and the qualifications and comparative merits of all the applicants the Authority granted permits to those who had better qualifications.

दरभंगा में दंगे

5309. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिले में जयनगर में 6 नवम्बर, 1968 को अल्प-संख्यक समुदाय के चार व्यक्तियों की, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, मारपीट की गई थी; उन्हें घुमाया गया तथा एक होटल को लूटा गया था;

(ख) क्या यह सब कुछ साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से किया गया था तथा इस कालेज के कुछ विद्यार्थी और पुलिस के एक हवालदार तथा एक कांस्टेबल, जिन पर उपद्रवी लोगों ने हमला किया था, द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से यह रोका गया था;

(ग) क्या 6 नवम्बर, 1968 को किसी भी उपद्रवकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, परन्तु घायल हुए चारों व्यक्तियों तथा उन्हें बचाने वाले विद्यार्थियों को ही गिरफ्तार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 6 नवम्बर, 1968 को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक महिला पर तथा कथित प्रहार किया गया जब कि वह एक बण्डल ले जा रही थी जिसमें गौमांस था। उसके द्वारा यह बतलाये जाने हर कि गौमांस एक होटल में सप्लाई किया जाता है, होटल के मालिक और उसके दो नौकरों पर भी प्रहार किया गया। होटल को भी कुछ क्षति पहुंचाई गई। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय खण्ड विकास अधिकारी और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। एक कालिज के विद्यार्थी ने स्थिति को सम्भालने में प्राधिकारियों की सहायता की। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295 क और बिहार मवेशी परिरक्षण तथा सुधार अधिनियम की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत महिला, होटल के मालिक तथा उसके दो नौकरों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। उन्हें 6-11-1968 को गिरफ्तार किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/379/323 के अन्तर्गत 13 व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया जिन्होंने उन्हें पीटा था। चूंकि 6 नवम्बर को वे व्यक्ति फरार रहे, 7 नवम्बर, 1968 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। विद्यार्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

(घ) राज्य सरकार ने किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं पाया है।

Return of Father Ferrer to India

5310. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri R. Barua :
Shri Chengalaraya Naidu :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Father Ferrer who was asked to leave India sometime back has again come to India with Government's permission;

(b) whether Government of India have asked him not to indulge in activities for which he was asked to leave earlier;

(c) if not, whether Government propose to impose such a restriction on him till he continues residing in India; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Father Ferrer was not expelled from India. He has been granted a visa for work in Andhra Pradesh.

(b) to (d): There are adequate powers under the Foreigners Act, 1946, and the Orders made thereunder to deal with any foreigner who is found indulging in undesirable activities.

Arrest of Persons with Foreign Arms Near Farakka Barrage

5311. **Shri Sharda Nand:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some persons were arrested in the vicinity of a cinema hall of Venia Village near Farakka Barrage in October, 1968; and foreign arms and ammunition, hand grenades, and other fire-arms were recovered from them in large quantities;

(b) if so, the number of persons arrested in this regard and the action taken against them so far; and

(c) the details regarding the material recoverd and the names of the countries to which the said material pertained ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c): Eight persons were arrested in the vicinity of the Cinema Hall at Beniagram and the following material was seized from them:—

(1) Spare parts of 12 bore DBBL Guns of indigenous manufacture,

(2) 12 cartridges manufactured in U. S. A., Rumania, Great Britain and India; and

(3) Some house-breaking implements.

A case under section 399/402 I. P. C. and 25 Arms Act has been registered against them and is under investigation.

विदेशों में छपी अश्लील पुस्तकें

5312. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों में छपी अश्लील पुस्तकें बड़े नगरों में बड़े पैमाने पर बिक रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी पता है कि इन पुस्तकों का किशोरावस्था के बालकों के मन और चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि "बैड रूम फिलासफर" जैसी अश्लील पुस्तक रेलवे प्लेटफार्मों पर बुक स्टाल पर बेची जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की पुस्तकों के विक्रय को रोकने का सरकार का विचार है;

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय सरकार समय समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह देती रहती है कि अश्लील पुस्तकों, पत्रिकाओं इत्यादि के प्रदर्शन तथा बिक्री को रोकने के लिए वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण और सुधार किया जाय। उन्हें ऐसे बुक-स्टालों पर बार बार छापे मारने की भी सलाह दी गई है, जो उनके ध्यान में अश्लील प्रकाशनों की बिक्री और भण्डार करते पाये गये हैं। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा बुक-स्टालों के ठेकेदारों से किये गये समझौतों में अश्लील साहित्य के प्रदर्शन और बिक्री को रोकने के लिये व्यवस्था मौजूद है। रेलवे के पर्यवेक्षण कर्मचारी भी यह सुनिश्चित करने के लिये कि अश्लील किताबों इत्यादि का भण्डार न हो या बिक्री के लिए प्रदर्शन न हो, बार बार प्लेटफोर्म पर स्थित बुक-स्टालों की जांच करते हैं।

Tazia in Bihar

5313. Shri Lakhan Lal Kapur : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a licence for taking "Tazia" of Chalisabha to Karbala was not issued to the minority community of Thakurganj, Purnea District, Bihar by the Government and as a result thereof the "Tazia" is lying as it is since the 19th May, 196 ;

(b) whether it is also a fact that some prominent residents of Thakurganj were declared offenders under Section 107 and detained for five days in Kishanganj:

(c) whether it is further a fact that the Commissioner of Agalpur was deputed to look into the matter; and

(d) if so, the details of the report submitted by the Commissioner and the reasons for which the case under Section 107 is not coming up for hearing as also the reasons for not giving licence for taking "Tazia" to Karbala ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information received from the State Government an application for permission to take out a 'Tazia' which would be about 40 feet in hight, on the traditional route, was received by the district authorities. Since a 'Tazia' of this height could not pass under a telephone line running across the traditional route, the permission was granted for taking out the 'Tazia' along another route. The 'Tazia' was not taken out.

(b) To guard against the possibility of breach of peace in the town preventive action under section 107 Cr. P. C. was taken against some persons.

(c) Yes, Sir.

(d) In the inquiry the Commissioner learnt that the 'Tazia' which was not taken out this year would be taken out at the next Moharram. According to information

received from the State Government proceedings initiated under section 107 Cr. P. C. have been dropped on 5th December, 1968.

अयोध्या में स्वर्ग द्वारा घाट में सुविधाओं की व्यवस्था

5314. **श्री रा० कु० सिंह :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अयोध्या में स्वर्ग द्वार नामक पुराने घाटों के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय राजपथ संख्या एल० 28 पर पुल बनाये जाने के कारण प्रयोग में नहीं लाये जाते लोगों को सुविधायें देने के लिये कुछ उपाय करने के सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों को कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस पर काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : निम्नलिखित निर्माण कार्यों के लिए भारत सरकार ने 5.30 लाख रुपये का अनुमान मंजूर किया है जो राष्ट्रीय मुख्यमार्ग निधि का प्रभार्य है :-

(1) स्वर्गद्वार घाट के बदले पुल से धारा के ऊपर की ओर नियामक बन्द के किनारे किनारे 1000 वर्ग फुट के नये घाटों की व्यवस्था,

(1) नियामक बन्द के पीछे के निम्नस्थ क्षेत्र को ऊंचा करना तथा उसे हरा स्थल बनाना,

(3) इन क्षेत्र में निकास के लिए उचित नालियों की व्यवस्था ।

ये निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा पूरे किये जा रहे हैं ।

जनता के लिए सायवान, बेन्च, रोशनी और पानी के नल, इत्यादि जैसी सुविधाओं की, यदि आवश्यक हों तो राज्य सरकार द्वारा समुचितत: व्यवस्था की जानी चाहिए । क्योंकि नियमानुसार ऐसे निर्माण कार्यों पर व्यय राष्ट्रीय मुख्यमार्गों के विकास के लिए आबंटित निधियों से नहीं पूरा किया जा सकता है ।

Trade in Nicobar Islands

5315. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bal Raj Modhok :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether there is free trade in Nicobar Islands or any company holds monopoly thereof;

(b) if any Company holds monopoly, the name thereof and the reasons therefor:

(c) whether certain other firms and traders are also proposed to be allowed to start trading there in the near future; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : Trade in Nicobar islands, which are reserved areas, is regulated by the Andman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956 and Rules framed thereunder. No person other than a member of an aboriginal tribe is, except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted by the Chief Commissioner, allowed to carry on any trade or business in any such area.

At Car Nicobar a tribal company viz., the Nicobarese Commercial Company started functioning on 1. 7. 1967. However, the Car Nicobar Trading Co. whose license expired on 30. 6. 1967 is also carrying on trade in the island by virtue of an interime injunction issued by the Calcutta High Court. M/S. R. Akoojee Jadwet & Co., the erstwhile licensees, are also continuing their trade in the island on the strength of the interim injunction issued by the Calcutta High Court. At Nancowrie, the Nancowrie Trading Co., whose licence expired on 30. 9. 1967, is continuing their trade by virtue of another interim injunction issued by the Calcutta High court.

Provisions of the Andman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956 relating to the powers of the Chief Commissioner to regulate trade under licence have been challenged as Ultra Vires of the Constitution and the matter is sub-judice in the Calcutta High Court. The Andman and Nicobar Administration and its Officers have been restrained from interfering with the trading rights of the erstwhile licensees or disturbing status quo.

Reinstatement of Headmaster of N. K. High School Behrampur (Patna)

5316. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Raj Kumar Singh Yadav, the discharged Headmaster of N. K. High School Behrampur Patna was reinstated vide letter No. 41522-24 dated the 13th December, 1967 of the Board of Secondary Education, Bihar;

(b) whether it is also a fact that the Board of Secondary Education has revised its orders regarding the reinstatement of Shri Yadav which is beyond its juridiction; and

(c) if so the action being taken by Government for the reinstatement of Shri Yadav ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Bungling of Funds from a High School in Behrampur (Patna)

5317. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bungling worth several thousands of rupees in respect of the funds of a High School at Behrampur in Patna came to light vide Government Audit Report No. 327/1958-59;

(b) whether it is a fact that the person concerned was prosecuted in the court and the proceedings of the court against him have been postponed; and

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action being taken by Government for recovering the amount of money involved in the said bungling ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) A sum of about Rs. 2.5 thousand is alleged to have been mis-appropriated by school authorities.

(b) and (c) The Officer incharge, Masaurhi Police Station, District Patna was informed to take necessary action for realising the money in case it was not deposited by a particular date. The Ex-Secretary of the school, Shri Nasib Lal, however, requested for a copy of the audit report and asked for time to explain, which has been allowed. The District Education Officer, Patna has been asked to give him a copy of the audit report and to stay further action.

गुरु गोलवलकर की गतिविधियां

5318. **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री लतीफत अली खां :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरु गोलवलकर दिल्ली में और भारत के अन्य भागों में साम्प्रदायिक शक्तियों को संगठित कर रहे हैं और साम्प्रदायिक आधार पर भाषण दे रहे हैं, और

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या उनके मंत्रालय ने उनके साथ कोई मुलाकात की थी और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : श्री गोलवलकर ऐसे भाषण दे रहे हैं जिनकी मुख्य विषय-वस्तु उनकी हिन्दू राष्ट्र की धारणा है। सरकार इस धारणा को धर्म-निरपेक्षता के मूल सिद्धान्तों के विपरीत समझती है। गृह मंत्रालय ने श्री गोलवलकर के साथ कोई मुलाकात नहीं की थी।

राजस्थान में नर बलि

5319. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंका :

क्या गृह-कार्य मंत्री 15 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के एक गांव में एक हरिजन लड़के की बलि दी जाने के मामले की प्रारम्भिक जांच पड़ताल के बारे में राजस्थान सरकार से इस बीच कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में किन्हीं व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और किन अपराधों के लिये; और

(घ) क्या सरकार ऐसे अपराधों के मूल कारण के बारे में अब किसी निष्कर्ष पर पहुंची है और यदि हां, तो सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है और क्या देश से ऐसे अपराधों को समाप्त करने के लिये देश की दण्ड विधि में कोई संशोधन करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : 15 नवम्बर को सदन के सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह बताया गया था कि सभी अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है और मामला न्यायाधीन है ।

(घ) ऐसे अपराधों की घटना कुछ व्यक्तियों में अन्ध-विश्वास के कारण मालूम पड़ती है। फिर भी इसके मूल कारणों की एक विस्तृत जांच करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए विद्यमान कानून के उपबन्ध पर्याप्त हैं ।

"ड्रेजर पूल" (तलकर्षक कुंज) की स्थापना

5320. श्री किरितविक्रम देव वर्मन : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ड्रेजर पूल" (तलकर्षक कुंज) बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पूल के लिये अथवा पत्तन न्यासों के द्वारा इस बीच कोई नये ड्रेजर प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) यदि तलकर्षक की उपेक्षा की गयी, तो देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न होने वाली गम्भीर स्थिति से निपटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : वर्तमान समय में फिलहाल दो निकर्षण पोतों के एक जहाजी बेड़े सहित एक निकर्षण सगठन की स्थापना पर जांच की जा रही है ।

बड़े पत्तनों में उपलब्ध निकर्षण जहाजी बेड़े तथा आर्डर दिये गये निकर्षण पोतों को बनाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2825/68] चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्तमान जहाजी बेड़े में वृद्धि करने के कार्यक्रम पर अभी जांच की जा रही है ।

मेरठ के एक गांव में एक हरिजन लड़की का अपहरण

5321. डा० सुशीला नेयर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक, 24 सितम्बर, 1968 को दैनिक समाचारपत्र 'पेट्रियट' में छपा इस आशय का समाचार देखा है कि मेरठ के एक गांव में एक जमींदार की सहायता से एक हरिजन लड़की का अपहरण किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन ग्रामवासियों ने गृह-कार्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री से शिकायत की है और मामले की जांच करने की मांग की है;

(ग) क्या इस बीच लड़की बरामद कर ली गई है;

(घ) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ङ) इस घटना का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना न होने पाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जिला प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार लड़की के अपहरण के आरोप झूठे थे ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Bachelor of Pharmacy Course

+ **5322. Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for introducing a Bachelor of Pharmacy course in the capital is under consideration of Government for a long time;

(b) if so, the details thereof;

(c) if the said course has not been introduced so far, the reasons therefor;

(d) the duration of the course and the minimum educational qualifications laid down for admission thereto; and

(e) the year of the Bachelor of Pharmacy course to which a diploma holder in Pharmacy whould be eligible for admission ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e) The Delhi Administration has proposed in its Fourth Five-Year Plan that a degree course in Pharmacy should be instituted in one of the technical institutes in the capital, preferably in Delhi College of Engineering and the course should be affiliated to Delhi University. The question of granting affiliation to the course is under the consideration of Delhi University.

The course proposed is of four-year duration with higher secondary as the minimum admission qualification and the contents and standard will be according to the recommendations of the All India Council for Technical Education. Subject to the approval of the University, the scheme also envisages that students who have passed the pre-medical course of Delhi University or equivalent examination or those who have passed the diploma examination in pharmacy may be admitted to the second year of the course.

The course will be started after the Delhi University has approved and granted affiliation and the necessary plan provision and budget provision have been made.

Exemption to Backward Classes Students from Paying School Fee in Himachal Pradesh

5323. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Backward Classes students are exempted from paying Higher Secondary School Fee in Himachal Pradesh;

(b) if so, whether it is also a fact that inspite of this exemption, full fee is charged from the children of Government employees belonging to Backward Classes getting more

than Rs. 300/—per month as their pay, and half fee is charged from the children of Backward Class Government employees getting less than Rs. 300/—; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No Sir.

(b) and (c) : The question does not arise.

Consultative Committees Boards and Other Organisations in Bihar, West-Bengal and U. P.

5324. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the Ministry-wise and Department wise names of the Consultative Committees, Boards and other organisations at State level and Districts level in Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh and the work allotted to each;

(b) the number of public workers and the number of Government officials attached to each such Committees, Board organisation;

(c) whether the numbers are nominated only once and if not, the number of times a number can be renominated and the term of each such nomination; and

(d) the expenditure incurred on these organisations during the years 1966-67 and 1967-68, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : The information is being collected from the Government of Bihar. West Bengal and U. P. and will be placed on the table of the House as soon as it is received.

'Jai Gurudev' Camp at Gorakhpur

5325. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the name and temporary and permanent addresses of 'Jai Gurudev' who delivered sermons in Gorakpur and several other Districts of U. P. and who organised a camp in Gorakhpur Raj Ghat for delivering sermons on the 28th and 29th October, 1968;

(b) whether he delivered lectures on (i) "Soorat Shabd Yog", (ii) "Tritiya Natra", and (iii) "Ishwar Prapti" and also advised people that no vote should be cast in favour of any political party; and

(c) if so, the reasons of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) : Facts are being ascertained from the State Government.

Construction of Houses in Gorakhpur Municipality

5326. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of persons who have constructed houses and shops on Nauzal land in authorised and unauthorised manner in Gorakhpur Municipality area, Town Area

Gola, Town Area Barhal Ganj, Town Area Pipraich, Town Area Siswa, Town Area Nautanva in District Gorakhpur, U. P.; and

(b) the names, designations and addresses of persons who occupied the Nauzal land in an authorised or unauthorised manner and the action taken or proposed to be taken against the persons who occupied the land in an unauthorised manner ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The information is being collected and immediately on receipt, it will be placed on the Table of the House.

Mismanagement in Multipurpose Higher Secondary School, Bishanpura. Gorakhpur (U. P.)

5327. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been serious mismanagement since August, 1968 in Multipurpose (Swawlambi) Higher Secondary School, Bishanpura, Gorakhpur (Uttar Pradesh);

(b) whether it is also a fact that Government grant to the aforesaid School has been stopped since 1962 and if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to resume such grant to that School and if not, the reasons therefor; and

(d) the action taken to remove the mismanagement in the aforesaid school ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d) : The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha in due course.

पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता

5328. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी घुसपैठियों को, जो कि 1965 के संघर्ष के दौरान भारत आ गये थे, भारतीय नागरिकता दे दी गयी है और 5000 व्यक्तियों के मामले में ऐसी नागरिकता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन परिस्थितियों में यह नागरिकता और विशेष रूप से राजस्थान के सीमा क्षेत्र में रहने की अनुमति दी गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र उपलब्ध होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मैसूर राज्य में पुल

5329. **श्री लोबो प्रभू :** क्या **परिवहन** तथा **नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मैसूर राज्य में ऐसे पुलों की संख्या कितनी है जिन पर 5 लाख रुपये से अधिक लागत आयी है और जो पूरे हो गये हैं परन्तु प्रवेश मार्गों के न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाये जा सकते ;

(ख) क्या यह सच है कि मंगलौर राज्य मार्ग पर मारावूर पुल और उदिपी–मोडूबेल मार्ग पर एलीबूर पुल को बने हुये पांच वर्ष पूरे हो गये हैं परन्तु पहुंच मार्गों के न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाये गये ; और

(ग) दक्षिण कनारा जिले में भूमि अर्जन के प्रश्न में अनेक वर्षों के विलम्ब के क्या कारण है और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है क्योंकि प्रवेश मार्गों के निर्माण में विलम्ब के कारण न केवल पुलों पर लगी राशि बेकार पड़ी है बल्कि जनता भी पुलों के उपयोग की सुविधा से वंचित है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : पूरे किये गये पुलों में ऐसे कोई पुल नहीं हैं जिनपर पांच लाख से अधिक लागत आयी हो और जिन्हें पहुंच मार्गों के अभाव में प्रयुक्त न किया जा सकता हो ।

लगभग 11 लाख रुपये की अनुमानित लागत का मारबूर पुल मई, 1964 में पूरा किया गया था । पुल के पहुंच मार्ग भी सिवाय तारकोल पुताई के अब पूरे हो गये हैं । तारकोल पुताई के जनवरी 1969 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है । तथापि पुल और पहुँच मार्गों का प्रयोग जनता द्वारा किया जा रहा है । लगभग 2.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एलीबूर पुल सिवाय ऊपरी तह और हाथ रेलों से संबंद्ध कार्य के, जो जारी है, पूरा हो गया है। मणीपुर की ओर अर्थात् मंगलौर की तरफ के पहुँच मार्ग भी लगभग पूरे हो गये हैं । लेकिन एलीबूर की ओर की आवश्यक भूमि राज्य लोक निर्माण विभाग को अभी तक नहीं सौंपी गयी है ।

ये दोनों पुल राज्य सड़कों पर पड़ते हैं । अतः इस मामले से राज्य सरकार सम्बद्ध है । राज्य प्राधिकारियों से ज्ञात हुआ है कि भूमि अभिग्रहण में विलम्ब किसी व्यक्ति विशेष की त्रुटि के कारण नहीं हुआ है बल्कि कानून के अन्तर्गत अनेक प्रक्रिया प्रावस्थाओं के कारण हुआ है ।

मनीपुर में पुलिस कर्मचारियों तथा जेल कर्मचारियों के वेतन क्रमों का संशोधन

5330. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार द्वारा आसाम के पुलिस विभाग के निरीक्षकों तथा सहायक उप–निरीक्षकों और जेल कर्मचारियों के वेतन–मानों में 1 अप्रैल, 1964 से किये गये अग्रेतर संशोधन को देखते हुए मनीपुर सरकार के उपरोक्त वर्गों के कर्मचारियों के वेतन–मानों का भी संशोधन सरकार द्वारा किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन वेतनमानों को आसाम के कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर लाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : आसाम में समान पदों के अग्रेतर संशोधन के आधार पर मनीपुर सरकार के पुलिस विभाग के अधीन निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षकों के पदों के वेतनमानों के संशोधन के लिये एक प्रस्ताव मनीपुर सरकार से प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है । आसाम में समान पदों के अग्रेतर संशोधन के आधार पर जेल कर्मचारियों के वेतनमानों के अग्रेतर संशोधनों का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मनीपुर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान

5331. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अध्यापकों को वही वेतनमान दिया जाता है जो कि सरकारी हाई स्कूल के अध्यापकों को मिलता है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी श्रेणी के स्कूलों के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान देने का निर्णय कर लिया है ।

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा अन्य श्रेणी के स्कूलों के अध्यापकों को भी उक्त वेतनमान के आधार पर वेतन दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मनीपुर के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान के अनुसार वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मनीपुर में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमानों के लिये व्यय सम्बन्धी मंजूरी जारी करने के लिये प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

मनीपुर के स्नातकोत्तर छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

5332. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने मनीपुर के स्नातकोत्तर छात्रों को किस आधार पर छात्रवृत्तियां दी हैं ।

(ख) मनीपुर में विषयवार, कितने-कितने स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।

(ग) वस्तुतः कितने स्नातकोत्तर छात्रों को ऐसी छात्रवृत्तियां दी गई हैं और 1968-69 में ऐसी छात्रवृत्तियां पाने वाले छात्रों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार छात्रवृत्ति की शर्तों को और उदार बनाने पर विचार कर रही है जिससे अधिक छात्र इन छात्रवृत्तियों से लाभान्वित हो सकें ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) स्नातकोत्तर छात्र-वृत्तियां देने के लिये विद्यार्थियों का चयन कुल 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थियों में से योग्यता के आधार पर किया जाता है ।

(ख) विषय	छात्रवृत्तियों की संख्या
फिजिक्स, कैमिस्ट्री और अंग्रेजी	प्रत्येक में चार

(ग) 1968-69 के लिये अभी तक कोई स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति मंजूर नहीं की गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

सिडनी में 23 नवम्बर, 1968 को एयर इंडिया के एक जैट विमान की दुर्घटना

5333. श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 नवम्बर, 1968 को सिडनी में एयर इंडिया का एक 707 जैट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । यह सत्य है कि एयर इंडिया का बोईंग विमान 23 नवम्बर, 1968 को सिडनी हवाई अड्डे पर उतरते समय दाहिने भीतरी टायर के फट जाने के कारण मामूली रूप से क्षति-ग्रस्त हुआ । टायर फटने के कारण, उतरते समय तीव्र तिरछी हवा थी । साज-समान अथवा व्यक्तियों को कोई क्षति नहीं हुई ।

शंकर की साप्ताहिक पत्रिका द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता

5334. श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शंकर की साप्ताहिक पत्रिका द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल-प्रतियोगिता में अनेक देशों के बालक भाग लेते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतियोगिता के आयोजकों को केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता प्राप्त होती है अथवा शंकर की साप्ताहिक पत्रिका के व्यवस्थापक ही स्वयं इसका आयोजन करते हैं ; और

(ग) विश्व के बालकों में अपनी गतिविधियों को अधिक लोकप्रिय और व्यापक बनाने के लिये क्या इस संगठन को कोई सहायता देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए, भारत सरकार वित्तीय तथा अन्य सहायता देती रही है ।

(ग) प्रतियोगिता के लिए सरकारी सहायता देने के प्रश्न का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

ग्रीन फील्डड्स कालोनी के प्लाट होल्डरों को अरबन इम्प्रूवमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा ठगा जाना

5335. **श्री टी० पी० शाह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कांबले :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय से ग्रीन फील्ड्स कालोनी के प्लाट होल्डरों के मामले के सम्बन्ध में स्पीष्टकरण प्राप्त कर लिया गया है कि अरबन इम्प्रूवमेंट कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली ने उनको समाचार पत्रों में यह विज्ञापन देकर ठगा है कि यह कालोनी मंजूरशुदा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : मामला परीक्षाधीन है ।

उड़ीसा में खुदाई कार्य

5336. **श्री बेघर बेहेरा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पुरातत्वीय महत्व के विभिन्न स्थानों के नाम क्या हैं, जिनकी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् खुदाई की गयी है और उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उड़ीसा में कितने मन्दिरों तथा ऐतिहासिक स्मारकों की रासायनिक पदार्थों से सफाई सजावट आदि की गई है और प्रत्येक के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या उड़ीसा में पुरी जिले में बानपर में दक्ष प्रजापति मन्दिर (केन्द्रीय सरकार का सुरक्षित स्मारक) के बस जाने की सूचना सरकार को मिली है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कौन-कौन से पुरातत्वीय कार्य आरम्भ करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है और उसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क): निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई की गई थी :

1.	शिशुपालगढ़	1948 और 1950
2.	धौली	1950
3.	जोगाडा	1956-57

4.	रत्नगिरि	1957–60
5.	उदयगिरि	1958-59
6.	कुचै	1961–62

खुदाई पर हुए खर्चे के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) तेरह मन्दिरों तथा अन्य स्मारकों पर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया गया था। उनमें से प्रत्येक पर हुआ खर्च निम्नलिखित है:—

		रुपए
1.	लिंगराज मन्दिर	38,136
2.	परशुरामेश्वर मन्दिर	6 878
3.	ब्रह्मेश्वर मन्दिर	20,443
4.	भोग मण्डप और नट मण्डप	13,305
5.	माया देवी मन्दिर, कोणार्क	9,646
6.	राजा रानी मन्दिर	22,702
7.	सूर्य मन्दिर कोणार्क	31,608
8.	बेताल देव मन्दिर	7,473
9.	मुक्तेश्वर मन्दिर	3,879
10.	खण्डगिरि गुफाएं	4,159
11.	रोकशेलटर रावण छाया सीता बहन जी	1,711
12.	रत्नगिरि	294
13.	अशोक राजाज्ञा	293

(ग) केन्द्रीय सरकार की जानकारी के अनुसार मन्दिर परिरक्षण की अच्छी हालत में है।

(घ) स्मारकों की मरम्मतें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सामान्य बजट अनुदान में से की जाती हैं, न कि आयोजना के अन्तर्गत इसलिए आयोजना बजट के अन्तर्गत मरम्मत के कार्य के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है।

दक्षिण कनारा में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या

5337. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण कनारा की कुल जनसंख्या में मुसलमानों और ईसाईयों की जनसंख्या का अनुपात क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सन् 1961 की जन-गणना के अनुसार दक्षिण कनारा जिले की कुल जनसंख्या में मुसलमानों और ईसाईयों का अनुपात क्रमशः 9.73 प्रतिशत और 10.45 प्रतिशत था।

बिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

5338. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में बिहार में और विशेषकर रांची जिले में आदिवासियों पर पुलिस ने गोली चलाई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी बार गोली चलाई गई थी और कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1968 में जिला रांची में तीन अवसरों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी । ब्यौरा इस प्रकार है:–

(1) 2 जून को चीरी में, जिसमें 6 व्यक्ति मरे और चार घायल हुए,

(2) 21 जुलाई, 1968 को रेडीह में, जिसमें एक व्यक्ति मरा और एक घायल हुआ,

(3) 27 अक्तूबर को चैनपुर में, जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये और 13 घायल हुये ।

कलकत्ता और गौहाटी के बीच विमानों की कम उड़ानें

5339. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि कलकत्ता और गोहाटी के मध्य उड़ानें यात्रियों को ले जाने केलिये पूर्णतया अपर्याप्त है और उन्हें यात्रा के लिये एक सप्ताह या इससे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यात्रियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इन्डियन एयरलाइन्स सप्ताह में कलकत्ता-गौहाटी सेक्टर पर 821 सीटों और गौहाटी-कलकत्ता सेक्टर पर 889 सीटों की धारिता प्रस्तुत करती है, लेकिन पिछले तीन महीनों के दौरान सप्ताह में कलकत्ता-गौहाटी सेक्टर पर 726 और गौहाटी-कलकत्ता सेक्टर पर 664 सीटें इस्तेमाल की गयी हैं । यदि यातायात के लिए आवश्यक हुआ और यदि विमान उपलब्ध हुए तो कारपोरेशन अधिक धारिता की व्यवस्था करेगी ।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, कलकत्ता के विमानों में भीड़

5340. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तरी बंगाल में हाल ही में बाढ़ से रेलवे लाइन के टूट जाने से कलकत्ता स्थित इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यालय में अभूतपूर्व भीड़ थी और स्थान न मिलने के कारण सैकड़ों व्यक्ति कई दिनों तक वहीं रुके पड़े रहे; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : उत्तरी बंगाल में हाल की बाढ़ के कारण रेल की पटरी के टूट जाने से कलकत्ता में गौहाटी और बागडोगरा दोनों के लिये यात्रियों की भीड़ थी। आपातिक स्थिति की आवश्यकता पूर्ति के लिये इन्डियन एयरलाइन्स ने 48 अतिरिक्त उड़ानें परिचालित कीं तथा प्रभावित क्षेत्रों में लगभग कुल 3850 यात्रियों का विमान द्वारा वहन किया।

मानदेय भत्ते पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी

5341. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने अधिकारी प्रति महीने एक रुपये मानदेय भत्ते पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन अधिकारियों के पद क्या हैं; और

(ग) उनकी नियुक्ति किन नियमों तथा शर्तों पर हुई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली कालेज के छात्रों द्वारा प्रदर्शन

5342. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली कालेज के छात्रों ने शिक्षा और गैर-शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर बार-बार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या ऐसे हिंसक प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप दिल्ली के कालेजों का शैक्षिक वातावरण बिगड़ता जा रहा है और इससे छात्रों के अध्ययन पर दुष्परिणाम पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रदर्शनों की संख्या में वृद्धि के कारणों की जांच की है; और

(घ) क्या अधिकारियों की उदार प्रवृत्ति के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जब कुछ समय से, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अन्य विश्वविद्यालयों की भांति विद्यार्थियों में आंभ असन्तोष पाया जाता है।

(ख) यह ठीक है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शनों और हड़तालों से उनके अध्ययन पर बुरा असर पड़ता है।

(ग) विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के असन्तोष से उत्पन्न समस्या की जानकारी है। कुछ विशिष्ट मुद्दों पर, विश्वविद्यालय ने कारवाई की है और स्थिति को सुधारने के लिए आम उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

Miscellaneous Expenditure Incurred By District Magistrates

5343. **Shri Sheo Pujan Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) The amounts given by Government to the District Magistrates of Mathura, Agra and Aligarh districts during 1966-67 for meeting miscellaneous expenses and the items on which such amounts were spent by them;

(d) whether Government have looked into the case of the District Magistrate of Mathura who actually spent 5 or 10 percent of the entire amount and the remaining amont was shown as spent by merely completing the records, if so, the details of the amount spent; and

(c) Whether Government propose to look into the manner in which such amounts have been spent by the said officials and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No funds for meetings miscellaneous expenses as such are placed at the disposal of the District Magistrates.

(b) and (c) Do not arise.

A mendment of Allahabad University Act

*5344. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) Whether Government propose to amend Allahabad University Act;

(b) Whether it is a fact that the Allahabad University Teachers Association has, in its meeting held on the 1st November, 1968, Passed a resolution unanimously opposing the proposed amendment; and

(c) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha azad) : (a) Yes, Sir.

(b) The resolution does not relate to the proposed amendent.

(c) Does not arise.

समुद्री तुफान के कारण पारादीप पत्तन के पत्तनों की क्षति

5345. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 नवम्बर, 1968 को समुद्री तूफान पारादीप पत्तन के भवन से बुरी तरह टकराया तथा उसे क्षति पहुँचाई;

(ख) यदि हां, तो जन तथा सम्पत्ति की हानि का अनुमान कितना है;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों की सहायता तथा पत्तन के पुनः निर्माण के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) पत्तन जहाजों के लिये कब तैयार हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : 11 से 13 नवम्बर, 1968 तक पारादीप क्षेत्र में तूफान चलता रहा। कुछ भवनों की ए० सी० सी० चादरें उड़ गयी और कुछ एच० टी० और एल० टी० लाइनों को क्षति पुहंची। तथापि किसी की जान की हांनि नहीं हुई। ए० सी० सी० चद्रों और एच० टी० और एल० टी० लाइनों के स्थान में दूसरी चद्रें व लाइनें पहले ही लगा दी गई हैं। जहाजों के आवागमन में कोई बाधा नहीं पड़ी।

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का अध्यक्ष (चेयरमैन)

5346. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष को एक ही वर्ष के अन्दर बदल दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम अध्यक्ष तथा वर्तमान अध्यक्ष के क्या नाम हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : मंसा के श्री हिम्मत सिंह जी 29. 9. 1967 से 28. 9. 1968 तक अशोक होटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष (चेयरमैन) पद पर रहे। 28. 9. 1968 से श्री रमेश थापर ने उनसे अध्यक्ष के पद का कार्यभार ले लिया।

यह परिवर्तन इसलिये आवश्यक हो गया क्योंकि अधिक अच्छे समन्वयन की दृष्टि से सरकार ने यह फैसला किया कि अशोक होटल्स लिमिटेड, जनपथ होटल्स लिमिटेड और भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का एक सांझा अध्यक्ष और सांझा बोर्ड होना चाहिये।

होटलों में ठहरने का स्थान

5347. **श्री बृज राज सिंह :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों में लोगों के ठहरने के लिये स्थान की कमी को दूर करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(ख) सरकार की तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की नये होटलों का निर्माण करने की मुख्य योजनायें क्या हैं; और

(ग) 'जम्बो जेट विमान' तथा 'एयर बस' आने के साथ होटलों में ठहरने के लिये जितने अधिक स्थान की आवश्यकता होगी, उसे किस प्रकार पूरा करने का सरकार ने विचार किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार ने होटल आवास व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:–

(1) भारत पर्यटन विकास निगम का, जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है, बहुत से होटलों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों से, यदि ये चौथी पंच वर्षीय योजनाकी अवधि के दौरान कार्यान्वित कर दिये गये, लगभग 2300 शय्याओं की वृद्धि हो जायेगी।

(2) होटल उद्योग में पूंजी लगाने के लिए उत्साहित करने के प्रयोजन से गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा की गयी है। इनमें, करों से पर्याप्त छूट, उदार मूल्य-ह्रास दरें, विकास कटौती, होटल उद्योग की सभी आवश्यकताओं के लिए अग्रता प्रदान करना, दिल्ली क्षेत्र में सरकारी जमीन की रियायती दरों पर बिक्री, और ब्याज पर ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक होटल विकास ऋण योजना सम्मिलित हैं।

वर्ष 1968 के नोबल पुरस्कार विजेता डा० खुराना की सुविधाएं

5348. **श्री हेम बरुआ :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिसर्च स्कालर और इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में नोबल पुरस्कार विजेता डा० खुराना ने किस स्थान पर और किस विषय में अध्ययन-अनुसंधान किया है; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का उन्हें भारत में वापस बुलाने का विचार है, यदि हां, तो सरकार उनकी प्रतिभा का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहती है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) नोबल पुरस्कार विजेता डा० हरगोबिन्द खुराना ने पंजाब विश्वविद्यालय और लीवरपुल विश्वविद्यालय (इङ्गलैंड) में अध्ययन किया था। उनका अनुसंधान क्षेत्र जीव-रसायन और अणु जीव-विज्ञान है और उन्होंने आनुवांशिक संकेत की व्याख्या करने के लिए दो अन्य व्यक्तियों के साथ पुरस्कार बांटा था।

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

5349. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में पाकिस्तानियों ने भारतीय राज्य क्षेत्र में कितनी बार घुसपैठ की है ;

(ख) उन्हें वहां से खदेड़ने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की थी और उन्हें कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) उक्त अवधि में अब तक कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1 दिसम्बर, 1967 से 30 नवम्बर, 1968 तक की अवधि में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने भारतीय राज्य क्षेत्र में 2567 बार घुसपैठ की ।

(ख) भारत में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा दलों द्वारा नियमित और कड़ी गश्त लगाई जा रही है । ये उपाय बड़ी संख्या में घुसपैठ को रोकने में प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं ।

(ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान पकड़े गये घुसपैठियों की संख्या 4426 है ।

मौसम सेवा व्यवस्था

5350. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मौसम सेवा व्यवस्था, जिसमें पूना में अनुसंधान के लिये केवल एक छोटा सा संगणक है, तथा मद्रास, विशाखापतनम और कलकत्ता में तूफान की चेतावनी देने वाले तीन राडार केन्द्र हैं, अन्य देशों की तत्समान सेवा की तुलना में बहुत ही अपर्याप्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में आये चक्रवाती तूफानों के कारण पूर्वोत्तर भारत में जान तथा माल की जो भारी हानि हुई थी, वह काफी हद तक रोकी जा सकती थी, यदि तूफान की पूर्वी चेतावनी देने की पर्याप्त व्यवस्था होती ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में वर्ष 1891 से प्रतिवर्ष औसतन एक चक्रवाती तूफान आता है ; और

(घ) यदि हां, तो तूफानों के कारण होने वाली इतनी भारी हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । भारत मौसम विज्ञान विभाग में फिलहाल उपलब्ध सुविधायें संसार के विकसित देशों में उपलब्ध सुविधाओं

की तुलना में हीन है । परन्तु, साधनों की उपलब्धि के सापेक्ष, इन सूविधाओं में सुधार करने के उपायों पर निरन्तर विचार किया जाता है ।

(ख) इस वर्ष, अक्तूबर के शुरू में, उत्तर पूर्व भारत में होने वाली भारी वर्षा के बारे में चेतावनी समय पर दे दी गयी थी ।

(ग) उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के समुद्रतट पर आने वाले तूफानों की औसत 1.5 वार्षिक है । उत्तरी बंगाल पर प्रभाव डालने वाले तूफानों की संख्या और भी कम है ।

(घ) चौथी योजना की अवधि में समुद्रतट के साथ साथ और अधिक स्टेशनों पर शक्तिशाली तूफान सूचक राडार लगाने तथा मद्रास में एक साइक्लोन विषयक चेतावनी एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

हथियारों को बरामद करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सहायता

5351. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डाकुओं से बरामद किये गये पाकिस्तानी हथियारों की जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर के पंचायत सचिवों की वेतन वृद्धि

5352. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंचायत कर्मचारियों विशेषकर मनीपुर के पंचायत सचिवों के वेतन में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच कर रही है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने भी उनकी वेतन वृद्धि की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : मनीपुर सरकार के पंचायत विभाग के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण असम में समान पदों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के आधार पर किया गया था । पंचायत सचिवों के वर्तमान वेतनमानों में पुनरीक्षण के लिये मनीपुर सरकार ने प्रस्ताव किया था किन्तु यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के वैज्ञानिक

5353. **श्री सिद्धय्या :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद तथा देश की अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने वैज्ञानिक काम कर रहे है ; और

(ख) उनमें काम करने वाले कुल वैज्ञानिकों की संख्या में वे कितने प्रतिशत है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : कुल 3644 वैज्ञानिकों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के इस समय 1 जूनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट और उससे ऊपर 30 वैज्ञानिक हैं और उनकी प्रतिशतता लगभग 0.1 प्रतिशत बनती है। तथापि मैं यह बता दूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और उससे सम्बद्ध राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं / संस्थाओं में प्रथम और द्वितीय श्रेणियों (वैज्ञानिक तथा तकनीकी) के पदों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण सम्बन्धी आदेशों से छूट दी गई है।

विद्यार्थियों को विज्ञान प्रतिभा अनुसन्धान परीक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देना

5354. श्री सिद्दय्या : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान प्रतिभा अनुसन्धान परीक्षा की योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने के लिये अब तक प्रति वर्ष कुल कितने विद्यार्थी छांटे गये ;

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी थे ?

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा में बिलकुल असमान अवसरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान योजना के अन्तर्गत उनके लिये उतने ही स्थान आरक्षित करने अथवा उन लोगों के लिये प्रतिभा अनुसन्धान की कोई नई योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) सूचना नीचे दी जाती है :–

वर्ष	छात्रवृत्तियां देने के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होने स्वयं छात्रवृत्तियों से लाभ उठाया।
1963–64 (प्रायोगिक प्रायोजना)	10	7 ££
1964–65	354	209
1965–66	325	187
1966–67	354	206
1967–68	368	251
1968–69	355	263
	1,766	1,123

££ इन में 3 उम्मीदवार शामिल है, जिन्होंने केवल एम० एस० सी० की छात्रवृत्तियों से लाभ उठाया था।

(ख) चूंकि यह योजना देश में विज्ञान प्रतिभा से घनिष्ठ सम्बन्ध के लिए बनाई गई हैं, अतः कोई अलग आंकडे नहीं रखे गए हैं और न अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों अथवा किसी अन्य विशेष हितों के लिए कोई आरक्षण किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत में उत्तर मैट्रिक अध्यन के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित खानाबदोशों तथा अर्द्ध खाना बदोशों के लिए छात्रवृत्तियों की विशिष्ट योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय भारवाही पोत लक्ष्मी जयन्ती को क्षति

5355. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भारवाही पोत लक्ष्मी जयन्ती को जब वह पारादीप पत्तन से लौह अयस्क लेकर जापान जा रहा था, क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) घायल होने वाले तथा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जी हां। पारादीप पत्तन से 9184 एम० टन खनिज लौह जापान में नाकायमा को लेजाते हुए एम० वी० लक्ष्मी जयन्ती को 22 नवम्बर, 1968 को सैंगांव के निकट भीषण तूफान का सामना करना पड़ा और उससे उसे क्षति उठानी पड़ी।

(ग) अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार तूफान के कारण जहाज में वास्प-नालियों, जीवन-नोकाओं, कुतुबनुमा, तिरपाल, हैच वैटन, फर्निचर ओर फिटिंगस् इत्यादि को क्षति पहुंची। जहाज को बीमे का रक्षावरण प्राप्त है और "जनरल एवरेज" की घोषणा कर दी गई है।

(घ) इस दुर्घटना के फलस्वरूप न तो किसी व्यक्ति की जान गई और न किसी को चोट आई।

भर्ती सम्बन्धी योजना के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की टिप्पणियां

5356. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपने 18 वें प्रतिवेदन में, जिसे हाल में सभा पटल पर रखा गया था विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की इस बात के लिये आलो-

चना की है कि वे कर्मचारियों की आवश्यकता के मामले में कोई पूर्व तथा क्रमबद्ध योजना बनाने में अब भी उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले वर्ष सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों से सेवा निवृति, पदोन्नतियों इत्यादि के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित रिक्तियों सहित सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष भर्ती-वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ध्यान पूर्वक निर्धारित करने और समय पर इन्हें आयोग को सूचित करने का अनुरोध किया था उन अनुदेशों को मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में फिर लाने का विचार है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर दायर किये गये मुकदमे वापिस लेना

5357. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल सरकार के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है कि 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये गये हैं, उन्हें वापिस ले लिया जाये,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार को कोई निदेश जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा केरल सरकार से आग्रहपूर्ण ढंग से यह कहने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि वे इन कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (**श्री विद्याचरण शुक्ल**) (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) केरल सरकार को यह बताया गया है कि एक राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिससे संसद द्वारा बनाये गये नियमों का पालन सुनिश्चित हो तथा मामलों को वापस न लिया जाय ताकि संसद द्वारा बनाये गये कानून के परिणाम निश्फल न हों ।

Dramas Staged by National Schyol of Drama and Asian Theatre Institute

5358. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of dramas in Indian language and in English, separately staged by the National School of Drama and Asian Theatre Institute since the beginning of this year ;

(b) the number of dramas which were originally in Indian languages, the number of those which were translated from one Indian language to another Indian language and the number of those which were translated from foreign language to Indian language, out of the dramas staged in Indian languages ;

(c) the number of dramas which were translated from Indian language, the number of those which were translated from foreign language and the number of those which were originnal in English language, out of the dramas staged in English language :

(d) whether it is a fact that the invitation cards for the programmes organised by this National School' are printed in English language only ; and

(e) if so, whether Government propose to make arrangements for the printing of such invitation cards in Hindi as well in future ?

The Minister of State in the Ministery of Education (Shai Bhagwat Jha Azad): (a)

Hindi..... 2
Urdu..... 1
English... 1

(b) (i) The number of dramas which were originally in Indian languages out of the dramas staged in Indian languages ..... Nil

(ii) The number of dramas which were translated from one Indian language to another Ianguage..... Two

(iii) The number of dramas which were translated from foreign language to Indian languages.....one

(c) (i) The number of dramas which were translated from Indian language out of the dramas staged in English..... ...Nil

(ii) The number of dramas which were translated from foreign language .....One

(iii) The number of dramas which were originally in English .....Nil,

(d) Yes, Sir.

(e) The Sangeet Natak Akademi under which the National School of Drama and Asian Theatre Institute is working has been advised to do so.

Invitation Cards Issued by Various Programmes by Sahitya Akademi

5359. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of times printed invitation cards were sent or distributed by Sahitya Akademi for various programmes since the beginning of this year ;

(b) the number of times the invitation cards were printed only English language ;

(c) the number of times they were printed in English and Hindi both ;

(d) the number of times they were printed only in Hindi lauguage : and

(e) whether Government are making arrangements to get the invitation cards printed in Hindi and English both in future ?

The Minister of State in the Ministery of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Once.

(b) Onee.

(c) NIL

(d) NIL

(e) The Sahitya Akademi has been advised to do so.

Procedure Regarding Translation of Books by the Sahitya Academy

*5360. **Shri S. M. Joshi :**
Shrit Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Education be pleased to State :

(a) the procedure followed by the Sahitya Academy for allotting translation work ;

(b) whether it is a fact that a particular person is alloted more than one book for translation at one time ;

(c) if so, the number of those cases in which some persons have been allotted more than one book for translation at one time and which are at present pending as also the maximum number of books, which is at present lying with any particular person for translation ;

(d) the number of cases in which books given for translation have been lying pending with the Translators concerned for more than five years, eight years and ten years separately, and

(c) whether any time-limit is fixed for completing translation at the time of allotting translation work ?

The Minister of State in the Ministery of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Sahitya Akademi allots its translation work on the recommendation of its Advisory Board in the language concerned.

(b) Normally it is not done ; but in a few cases it has been done.

(c) Only in 3 cases more than one book has been allotted to the same person for translation. The maximum number of books at present pending with any one person is 2.

(d) In five cases translation assignments are pending for more than five years, in nine cases for more than eight years, and in ten cases for more than ten years.

(e) Yes, Sir.

विदेशों में वैज्ञानिक

5361. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और पद क्या हैं और ऐसे देशों के नाम क्या हैं जहां वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक वैज्ञानिक ने विदेशों में क्या विशिष्ट कार्य किया है ;

(ग) उनके विदेशों में चले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने उत्प्रवासी वैज्ञानिकों को वापिस बुलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी 6,000 से अधिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेकनोलाजीविज्ञों ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के भारतीय विदेश अनुभाग में अपने को स्वेच्छा से भरती किया है । उनमें से अधिकतर उच्च अध्ययन, प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए विदेश चले गए हैं ।

(घ) योग्य भारतीयों को विदेशों से लौटाने की सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों को 2 अगस्त, 1968 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 278 के भाग (ग) के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

5362 श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का वार्षिक आय व्ययक कितनी राशि का है ;

(ख) इसके द्वारा किये गये अनुसन्धान की किन बातों को कार्यरूप दिया गया है और किस पैमाने पर ;

(ग) क्या बुनियादी शिक्षा और वयस्क शिक्षा की कुशलता से सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा इसके अनुसंधान के लिये कोई कार्यक्रम सुझाये गये हैं और यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1968-69 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की बजट व्यवस्था (आयोजना तथा आयोजनेतर दोनों के लिए) 3,83,15,000 रूपए हैं।

(ख) और (ग) अनुसंधान प्रायोजनाओं तथा अन्य जांच पड़तालों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है ; जिसमें रा० शै० अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद द्वारा की गई बुनियादी शिक्षा और वयस्क शिक्षा की जांच भी शामिल हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2826/68]

अनुसंधान तथा अन्य जांचों के नतीजे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपने विभिन्न विकसित कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाए गए हैं और लाए जा रहे हैं। जैसे पाठ्यचर्या में सुधार, शैक्षिक पुस्तकों का निर्माण, परीक्षा सुधार, माप तथा मूल्यांकन, अध्यापकों का पूर्वसेवा तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेवावधि बढाना आदि आदि। अनुसंधान तथा जांच की रिपोर्ट राज्य सरकारों, राज्य शिक्षा संस्थाओं, प्रशिक्षण कालेजों उच्च विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डो तथा अन्य रुचि लेने वाली संस्थाओं को भेजी जा चुकी है।

(घ) मंत्रियों तथा राज्य सरकारों द्वारा सुझाई गयी अनुसंधान प्रायोजनाओं की सूची सभा पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2826/68]

हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम

5363. **श्री लोबो प्रभु :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत झा आजाद ने किस आधार पर यह कहा है कि हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालय हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने में समर्थ होंगे ;

(ख) क्या उन्होंने सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से पुस्तकों और स्टाफ की पर्याप्तता के बारे में परामर्श किया है ;

(ग) क्या सरकार विद्यार्थियों की भलाई के लिये प्रादेशिक भाषाओं में अध्ययन किये हुए स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों के कम होने के कारणों की जांच करेगी ; और

(घ) 1956 और 1966 में हुए भारतीय प्रशासन सेवा के परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) आधार यह था कि वाराणसी में, फरवरी, 1968 में हिन्दी भाषी राज्यों के कुलपतियों और शिक्षा सचिवों द्वारा यह आशा व्यक्त की गई थी कि सभी संकायों में प्रथम डिग्री स्तर की शिक्षा का माध्यम 1973 तक बदल कर हिन्दी कर दिया जाए। प्रादेशि भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए, भारत सरकार ने 18 करोड़ की योजना शुरु की है, जिसका संचालन राज्य सरकारों के जरिए उनके विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जा रहा है।

(ग) मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिर्ट नहीं है, जिससे यह मालूम हो सके कि प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन किये हुए स्नातकों के लिए रोगजार के अवसर कम हो गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

जनगणना विवरणी में परिवर्तन

5364. **श्री लोबो प्रभु** : गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनगणना की विवरणी में जाति नहीं लिखी जा रही है जैसी कि 1951 से पूर्व लिखी जाती थी तथा जो कि अब अधिकृत सामाजिक आधार पर योजना बनाने के लिये आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं तथा क्या सरकार अब आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नमूना सर्वेक्षण भ्रान्तिपूर्ण होते हैं सरकार गणना रिकार्ड में प्रति दिन रोजगार के औसत घंटे दिखाने वाला एक अतिरिक्त खाना बनायेगी ; और

(घ) क्या गणना विवरणी में दैनिक औसत आय को शामिल करने का विचार है चाहे उसमें गलती ही क्यों न हो और वे एक दूसरे के विरोधी हों ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जातिवाद का उन्मूलन करने के लिए सरकार की नीति के अनुसरण में सन् 1951 की जनगणना से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मामले को छोड़कर, जातियों की गणना समाप्त कर दी गई थी। योजना के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये ऐसी गणना आवश्यक नहीं है। अतः सन् 1971 की अगली जनगणना में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर, जातियों की गणना करने का विचार नहीं है।

(ग) और (घ): विश्वशनीय पूर्वानुमान देने के लिये नमूना लेने के सिद्धान्त तथा प्रयोग पर्याप्त विकसित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जन-संख्या की गणना द्वारा ऐसी सूचना एकत्रित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां है। अतः जनगणना की विवरणियों द्वारा सूचना एकत्रित करने के लिये व्यस्था करने का विचार नहीं है।

चण्डीगढ़ सचिवालय में पदोन्नतियां

5365. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ सचिवालय के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों में नियम एवं विनियमों का अनुसरण किये बिना ही पदोन्नतियां हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेफा में चीन समर्थक पुस्तिकाएं

5366. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि नेफा के सीमान्त क्षेत्रों में वहां की स्थानीय भाषाओं में चीन-समर्थक साहित्य तथा पुस्तिकायें मुफ्त बांटे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नेफा के सीमान्त क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में चीन-समर्थक साहित्य और पुस्तिकाये मुफ्त बांटने के कोई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संगीत नाटक अकादमी को अनुदान

5367. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी को योजना के अनुसार तथा योजना से अलग, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि अनुदान में दी गई है ;

(ख) राज्यों के संस्थानों को राज्य-वार अनुदानों का वितरण कैसे दिया गया है ; और

(ग) अकादमी द्वारा अनुदान देने के सम्बन्ध में क्या कोई ऐसे भी संस्थान है जिन्हें केन्द्रीय संस्थान माना जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क)

वर्ष	आयोजना	आयोजनेतर
1965-66	कुछ नहीं	13,23,000/-
1966-67	कुछ नहीं	13,50,000/-
1967-68	40,000/-	15,40,000/-

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2827/68]

(ग) जी, हां। निम्नलिखित तीन संस्थाओं को केन्द्रीय संस्थाओं केरूप में माना जाता है ;

(i) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा और एशियन थियटर इंस्टीट्यूट, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली।

(ii) दी इंस्टीटयूट आफ कथक (कत्थक केन्द्र), नयी दिल्ली।

(iii) जवाहर लाल नेहरू मनीपुर डान्स अकादमी, इम्फाल।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5

5368. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 5 की कुल कितनी लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी मरम्मत के लिये अपेक्षित अनुमानित लागत क्या है और अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) क्या विशाखापत्तनम से बरहामपुर तक की सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी अनुमानित राशि मंजूर की गई है तथा काम के पूरा होने की तिथि क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :-

राज्य	लंबाई जिसकी क्षति हुई	आवश्यक अनुमानित लागत रूपये	राशि जो अब तक दी गई रूपये
आन्ध प्रदेश	14 मील	6 लाख	6 लाख
उड़ीसा	22 मील	52.70 लाख	40.00 लाख

(ख) और (ग): नई चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मुख्य मार्गो के विकास के लिए किए गये नियतनों के प्रकाश में इस खण्ड को चौड़ा करके दो गलियों वाला मार्ग बनाने के सवाल की जांच की जायेगी।

"साम्प्रदायिक" शब्द की परिभाषा

5369. **श्री प्र०रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक "साम्प्रदायिक" शब्द की, जो कि न केवल जन साधारण तथा समाचारपत्रों द्वारा बल्कि राजनीतिक नेताओं और सरकारी नेताओं द्वारा भी देश की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, स्पष्ट परिभाषा दी है ;

(ख) यदि हां, तो शब्द की ठीक-ठीक परिभाषा क्या है और किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के विशेष विचारों, कार्यों अथवा कार्यकलापों को इसी श्रेणी का किस प्रकार कहा जा सकता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस शब्द का राजनैतिक प्रयोजन के लिये साम्प्रदायिक ठहरा कर इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार का विचार अब इसकी परिभाषा करने का है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । तथापि साम्प्रदायिक शब्द से निर्दिष्ट गतिविधियां भली प्रकार समझी जाती हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया

5370. श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री सिद्ध्या :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत और प्रक्रिया निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित संगत, संविहित नियमों, प्रशासी आदेशों और प्रशासनिक अनुदेशों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिये निश्चित की गई परिवीक्षा अवधियों के अनुसार उनको स्थायी करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की किन्हीं निश्चित अवधियों के बाद बैठक होनी ही चाहिये;

(घ) सीधे भर्ती किये गये तथा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के स्थायीकरण की तिथियां निर्धारित करने के सामान्य उपबन्ध और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नियुक्तिकर्ता अधिकारी किन्हीं कर्मचारियों के औचित्य पूर्ण स्थायीकरण को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर सकते हैं और निर्धारित परिवीक्षा अवधियों के बारे में बिना कोई पूर्व सूचना दिये स्थायीकरण की कोई भी तिथि निश्चित कर सकते है; और

(च) क्या समय समय पर इस बात की जांच करने की कोई व्यवस्था है कि इस बारे में निर्धारित नियमों, आदेशों और अनुदेशों का ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): सेवाओं/पदों में स्थायीकरण भरती नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत कुछ निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:—

(I) स्थायी पदों की उपलब्धि;

(II) स्थायीकरण के लिए संबंधित व्यक्तियों की उपयुक्तता;

(III) वरीयता; और

(IV) स्थायीकरण के लिए विचार किये जाने वाले व्यक्तियों की उपयुक्तता।

2. स्थायीकरण के लिए सामान्य प्रणाली नीचे दी गई है:-

(I) स्थायीकरण के मामले विभागीय पदोन्नति समिति को भेजे जाने चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य का इन सभी मामलों में अनिवार्यतः संबंध होना चाहिए जब कभी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सेवाओं/पदों में सीधी भर्ती किये या पदोन्नत किये अधिकारियों के स्थायीकरण के उद्देश्य से की जाती है, जिनकी भर्ती आयोग के क्षेत्राधिकार में आती है।

(II) एक विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर पदोन्नति के कोटे में से नियमित तथा दीर्घ काल के आधार पर पहले स्थानापन्न पर पदोन्नत हुआ एक अधिकारी इस प्रकार बाद के पदोन्नत अन्य अधिकारियों से पहले स्थायीकरण का अधिकारी होगा बशर्ते कि वह अपनी दक्षता बनाए रखता है। ऐसे मामलों में स्थायीकरण के उद्देश्य के लिए ऐसे अधिकारियों की तुलनात्मक दक्षता का प्रश्न नहीं उठता।

(III) स्थायी रिक्तियों या ऐसी विज्ञापित रिक्तियों, जिनके स्थायी होने की संभावना है, पर नियुक्त सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को अस्थायी पदों पर भर्ती हुए व्यक्तियों के मुकाबले में चाहे उनकी भर्ती पहले हुई हो, तरजीह दी जाए।

(IV) उन व्यक्तियों के मामले में, जो प्रारम्भ में एक तदर्थ-आधार पर नियुक्त किये गये हों और बाद में जिनका सीधी भर्ती के कोटे पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन और सिफारिश की गई हो, आयोग के पत्र की तारीख, जिसमें नियुक्ति की सिफारिश की गई है, या स्वीकृति दी गई है या नियुक्ति को नियमित किया गया है, जैसा भी मामला हो, आयोग की सिफारिश की तारीख समझी जाएगी। उनके द्वारा की गई पिछली सेवा को स्थायीकरण के लिए विचार में नहीं लाया जायगा।

(V) एक ही चयन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुति किये गये सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों में, योग्यताक्रम, न कि सेवा में प्रवेश की तिथि, स्थायीकरण के लिए प्राथमिकता निर्धारित करेगा।

(VI) उन मामलों में जहां एक साथ विभागीय पदोन्नति समिति को सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के मामले भेजे जाते हैं, समिति को सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित कोटे के अनुसार उपलब्ध स्थायी रिक्तियों की संख्या भी सूचित करनी चाहिए। विभागीय पदोन्नत समिति प्रत्येक वर्ग के

लिए अपेक्षित संख्या में सीधी भर्ती वाले तथा विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों की सिफारिश करेगी। किन्तु यदि भर्ती नियमों के प्रख्यापन से पहले भर्ती किये गये व्यक्तियों के स्थायीकरण करने में निर्धारित कोटे से यदि कोई विचलन वांछनीय हो तो इस सम्बन्ध में नियमों में ही एक आपवादिक-प्रावधान शामिल करना आवश्यक होगा।

(VII) स्थायीकरण, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के सतर्कता एकक के सत्यनिष्ठा के ठीक-ठाक होने की सूचना प्राप्त होने पर ही किया जाता है।

(VIII) चूंकि कर्मचारियों का स्थायीकरण अन्य बातों के साथ साथ स्थायी पदों तथा उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धि पर निर्भर है, अतः विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें जब कभी आवश्यक होता है, बुलाई जाती है।

(ग) से (ङ) सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों तथा पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिए सामान्य व्यवस्था और प्रणाली का ब्यौरा प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में दिया गया है। फिर भी, सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत व्यक्तियों को निश्चित अवधि सामान्यतः दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करना होता है।

सीधी भर्ती के रूप में स्थायी पद पर नियुक्त व्यक्ति को, जिस पर परिवीक्षा की निश्चित शर्तें लगाई गई हों, उस श्रेणी में उस तिथि से स्थायी करना होता है जिस दिन वह सफलतापूर्वक परिवीक्षा-अवधि पूरी करले। इस बात का निर्णय कि क्या उसे स्थायी किया जाय अथवा उसकी परिवीक्षा-अवधि को आगे बढ़ाया जाय, उसकी प्रारम्भिक परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने के बाद शीघ्र, अर्थात, सामान्यतः 6 से 8 सप्ताह के भीतर कर लिया जाए और परिवीक्षा-अवधि बढ़ाने के मामले में इस वृद्धि के कारणों सहित निर्णय उसे सूचित किये जाय। परिवीक्षा पर रखे गए सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए निश्चित कालान्तरों में विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक बुलाने के लिए कोई सामान्य आदेश नहीं है। तथापि यद्यपि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की परिवीक्षा-अवधि की समाप्ति के बाद ही हों, एक स्थायी पद पर परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ नियुक्त व्यक्ति को उस तिथि से स्थायी करना होता है जब वह सफलता पूर्वक परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ले। एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जो सन्तोषजनक प्रगति न दिखा रहा हो या जो अपने को उस सेवा के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करता है, उसे उसकी त्रुटियां प्रारम्भिक परिवीक्षा-अवधि समाप्त होने से काफी पहले बता दी जाए जिससे वह अपने को सुधारने के लिए कठोर प्रयत्न कर सके।

परिवीक्षाधीन पदोन्नत व्यक्तियों को भी यह देखने के लिए मूल्यांकन करना होता है कि क्या उन्होंने परिवीक्षा-अवधि को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया है तो वे परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने की तिथि से या उसके बाद अपने पदोन्नत पद में स्थायीकरण के पात्र हैं। फिर भी, वास्तविक स्थायीकरण तथा अस्थायीकरण की तिथि प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर के पैरा 1 में उल्लिखित जैसी बातों पर निर्भर करते हैं।

(च) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को समय-समय पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्धारित नियमों/आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होता है ।

Posts Reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes

***5371. Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of posts of Technical Assistants, Assistant Education Officers, Assistant Educational Advisers, Education Officers, Deputy Educational Advisers, Hindi Stenographers and Joint Educational Advisers in his Ministry;

(b) the nature of duties of each such post and the number of posts in each category reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) if no post has been reserved for them in any category or if these have not been reserved to the extent or prescribed percentage as laid down by the Ministry of Home Affairs, whether such reservation is proposed to be made in the near future;

(d) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees who are qualified and eligible for such posts but are working on lower posts;

(e) whether it is proposed to appoint them on posts mentioned in part (a) above to the full extent of vacancies reserved for them; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) A statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L T-2828/68]**

(c) Does not arise.

(d) Nil

(e) and (f) Does not arise.

चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

5372. श्रीमती निर्लेप कौर : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों जैसे वरिष्ठता, परिवीक्षा और स्थायीकरण के बारे में कोई नियम नहीं बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रशासन में अधिकांश कर्मचारी पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं । इसलिए उनकी वरिष्ठता, इत्यादि के सम्बन्ध में नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है । मुद्रण तथा लेखन-सामग्री और इंजीनियरिंग विभाग, जिनकी अपनी पदावलियां हैं, पुराने पंजाब के नियमों का अनुसरण करते हैं ।

चण्डीगढ़ में नीलामी

5373. श्रीमती निर्लेप कौर : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1968 के लिए एस्टेट आफिस चण्डीगढ़ द्वारा दिया गया नीलाम का समय समाचार पत्र में प्रकाशित समय के अनुरूप नहीं था तथा उसको 5 मार्च, 1968 को नोटिस के द्वारा ठीक किया गया था जो स्पष्टत: 30 दिन से अधिक समय है; और

(ख) यदि हां, तो क्या 20 मार्च, 1968 का नोटिस एक जाली दस्तावेज नहीं था तथा 15 अप्रैल, 1968 की बिक्री को समाप्त करने के लिए इस उद्देश्य से झूठमूठ बनाया गया था कि जिससे अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति के साथ अनुचित पक्षपात हो तथा सरकार और प्रभावित व्यक्ति को नुकसान हो ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । 29 फरवरी, 1968 को जिलाधीश के कार्यालय के बाहर चिपके घोषणा-पत्र और 5 मार्च, 1968 को प्रेस को भेजे गये घोषणापत्र में समय की अनुरूपता नहीं थी । पहले में नीलामी का समय प्रात: 10 बजे बताया था जबकि बाद वाले में यह 3 बजे अपराह्न बताया गया था । अनुरूपता को समाप्त करने के लिये एक नया नोटिस 20 मार्च, 1968 को जारी किया गया था जिसमें पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 82 में अपेक्षित 30 दिन का समय नहीं छोड़ा था ।

(ख) यह सच नहीं है कि बिक्री को समाप्त करने के लिये तथा उसके परिणामस्वरूप उच्चतम बोली देने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 20 मार्च, 1968 को जारी किया गया नोटिस जाली दस्तावेज था ।

Mant Tehsil, District Mathura

5374. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to shift the Tehsil from Mant to Sonai village as the means of transport are very limited in Mant tehsil of district Mathura; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) The State Government have reported that they are not aware of any request for such shifting of the headquarters of the tehsil.

पालम हवाई अड्डे के नियन्त्रण कक्ष से मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के विमान को निर्देश

5375. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस विमान में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री सवार थे उसके पालम हवाई अड्डे पर उतरने में कई घंटों का विलम्ब किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या पालम हवाई अड्डे से विमान को दी गई गलत सूचना के परिणामस्वरूप यह विलम्ब हुआ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। विमान निर्धारित समय से दो घण्टे बाद पालम हवाई अड्डे पर उतरा।

(ख) जी, नहीं। 28 नवम्बर, 1968 को दो इंजनों वाला मोरवा विमान मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री और उसके दल को लेकर दोपहर बाद 3.30 बजे भोपाल से दिल्ली के लिये रवाना हुआ। विमान चालक ने पहुंचने का अनुमानित समय शाम के 5.00 बजे का दिया। विमान ने दिक्मान (बियरिंग) के लिये पहली बार शाम 5.30 बजे दिल्ली से सम्पर्क स्थापित किया। दिल्ली ने उत्तर दिया था कि संकेत अत्यन्त कमजोर होने के कारण वे दिक्मान देने में असमर्थ हैं।

दिल्ली ने विमान से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया किन्तु काफी देर तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तुरन्त ही, एक वायु सेना के और एक सिविलियन विमान को उस विमान के संकट में होने की स्थिति में उस की मदद के लिये भेजा गया। जब कुछ देर बाद विमान ने दूसरी बार दिल्ली से सम्पर्क स्थापित किया तो संकेत तेज थे तथा दिक्मान दिल्ली की ओर आने के लिये दिये गये। उसी प्रकार के दिक्मान मोरवा विमान को उन विमानों ने भी दिये जो उसकी सहायता के लिये भेजे गये थे। ये दिक्मान अन्ततः विमान को पालम तक लाये।

(ग) और (घ) नागर विमानन के महानिदेशक ने घटना की जांच करायी। जांच से यह पता चला कि विमान का रेडियो कम्पास गलत एवं अविश्वसनीय था, किन्तु अति उच्च आवृति उपस्कर (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट) ठीक काम कर रहा था। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि विमान-चालक ने रेडियो कम्पास द्वारा दिये गये दिक्मानों पर विश्वास किया होगा और इस प्रकार वह गलत मार्ग पर बढ़ता चला गया।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजपथ

5376. श्री जुगल मंडल : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्य के लिये कितना वित्तीय नियतन किया गया ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) पश्चिमी बंगाल में 1966–67 में 166 कार्य जिनकी अनुमानित लागत 21.93 करोड़ रुपये है प्रगति पर थे और 1967–68 में 147 कार्य जिनकी अनुमानित लागत 19.57 करोड़ रुपये है प्रगति पर थे। इनके अलावा तीन नये कार्य जिनकी अनुमानित लागत 35.21 लाख रुपये हैं 1966-67 में मंजूर किये गये और चार नये कार्य जिनकी अनुमानित लागत 67.79 लाख रुपये है 1967-68 में मंजूर किये गये। 67.79 लाख रुपये की राशि में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 41 (कोलाघाट-हल्दिया पत्तन सड़क) जो एक नया राष्ट्रीय मुख्य मार्ग है के लिए 56.214 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(ख) 1966-67 में 202.50 लाख रुपये की राशि और 1967-68 में 208.82 लाख रुपये की राशि आवंटन की गई।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

5377. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है, और

(ख) उस वर्ष के दौरान इस कार्य के लिये कितनी राशि का वित्तीय नियतन किया गया ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) तेहत्तर कार्य जिनकी अनुमानित लागत 15.48 करोड़ रुपये है 1967–68 में प्रगति में थे।

(ख) 1967–68 में उत्तर प्रदेश सरकार को 158.77 लाख रुपये की राशि आवंटन की गई।

उत्तर प्रदेश में पर्यटक केन्द्र

5378. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) उन स्थानों में पर्यटकों के लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और फतेहपुर सीकरी, मथुरा तथा पर्यटन के ऐसे ही अन्य स्थानों पर कौन सी सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1968–69 के दौरान और चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के वे पर्यटन केन्द्र, जहां कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मदद से सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, नीचे दिये गये हैं :—

पर्यटन केन्द्र	प्रदान की गयी सुविधाएं
1. रुद्रप्रयाग	तीर्थ यात्री शाला
2. इलाहाबाद, आगरा, और बनारस	पर्यटक बंगले (श्रेणी II)
3. लखनऊ, पीपरी और आगरा	पर्यटक होस्टल
4. हिमालय तीर्थ यात्रा मार्ग	ऋषिकेश, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, चमोली, कर्ण-प्रयाग और श्रीनगर में विश्राम गृह
5. फतेहपुर सीकरी	विश्राम गृह में सुधार
6. सारावस्ती (सहेत-महेत)	विश्राम गृह
7. कैलाश-मानसरोवर मार्ग	धार चुला, खेला सिकी, जिप्ती, नालपा, करबयांग, गुंजी और कालालानी में विश्रामगृह

(ग) 1968-69 के दौरान निम्नलिखित पर्यटन योजनाओं के आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है :-

1. हरिद्वार में पर्यटक बंगले (श्रेणी II) का पूरा किया जाना;
2. नवगढ़ में पर्यटक बंगले (श्रेणी II) का पूरा किया जाना;
3. रानीखेत, अलमोड़ा और कौसानी में पर्यटक बंगलों (श्रेणी II) के निर्माण के लिए भूमि का अभिग्रहण ।

चौथी योजना के लिए पर्यटन विकास के कार्यक्रम पर अभी विचार किया जा रहा है और उसके क्रियान्वयन के बारे में योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

राजस्थान के श्री वंश प्रदीप सिंह द्वारा गबन

5379. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम लावा (राजस्थान) के भूतपूर्व मुखिया श्री वंश प्रदीप सिंह 1963 से पहले लावा ग्राम के सरपंच थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी वंश प्रदीप सिंह ने पंचायत के सात हजार रुपयों का गबन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा एक मामला रजिस्टर किया गया था तथा उसकी जांच की गई थी और गबन का इल्जाम निर्धारित किया गया था; और

(घ) क्या यह भी सच हैं कि राजस्थान सरकार ने अभियोग के लिये मंजूरी तो दे दी लेकिन कागजात उनके मंत्रालय के पास पड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (क) के अधीन लावा के शासक श्री वंश प्रदीप

सिंह, जो एक सरपंच था, पर मुकदमा चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मांगी है। राज्य सरकार से कुछ और सूचना मांगी है और इसके प्राप्त होते ही मामले पर विचार किया जायगा।

Technical employees in I A. C.

5380. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of technical and non-technical employees in the Delhi base of Indian Airlines Corporation;

(b) whether it is a fact that the number of technical employees is insufficient;

(c) if so, whether Government propose to confirm the temporary technical employees; and

(d) if so, when ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There are 1,265 technical and 2,162 non-technical employees in the Delhi Area of Indian Airlines.

(b) No, Sir. The Indian Airlines do not think so.

(c) and (d) Do not arise.

Purchase of Viscount Planes from I.A.F.

5381. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Indian Airlines Corporation has purchased two Viscount planes from the Indian Air Force;

(b) if so, whether it is a fact that only one plane has been put into service so far and the second plane is lying unused at the Palam Airport;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that there is a proposal to replace Viscount planes by Avro and D.C.-9 planes during the next three years; and

(e) if so, the benefit accruing to the Civil Aviation Department by the purchase of Viscount planes from the Indian Air Force ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): Both the planes which were taken over from the IAF had to be completely overhauled, converted and refurbished to make them suitable for civil passenger traffic. One aircraft has already been so converted and put into operation. The other is expected to be put into operation shortly.

(d) The Committee appointed by Government in 1967 headed by Air Marshal P.C. Lal, had recommended that it was not necessary to replace the Viscount for another five years. This recommendation was accepted by Government. In the meantime, the question of replacement of the Viscounts after this period is being examined.

(e) Addition of two Viscount aircraft to the Indian Airlines fleet will help in improving the capacity of the Airlines.

समाचारपत्रों पर अभियोग

5382. श्री लताफत अली खां : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 (ए) के अन्तर्गत 90 प्रतिशत मुस्लिम समाचारपत्रों पर अभियोग चलाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन अभियोगों की ठीक प्रतिशतता क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) समाचार पत्रों का वर्गीकरण धर्म अथवा सम्प्रदाय के आधार पर नहीं किया जाता है। अतः प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है।

नागपुर में एक मस्जिद के निकट हथियारों का पाया जाना

5383. **श्री लताफत अली खां** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुरु गोलवालकर द्वारा लगाये गये इस आरोप की, कि नागपुर के निकट एक मस्जिद से एक ट्रक भर हथियार तथा गोलाबारूद पकड़े गये थे जांच की है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा कितनी मात्रा में हथियार पकड़े गये हैं; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय पर उनके पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Dacoities in Agra District

5384. Shri Achal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of dacoities committed in the Agra District during tho period from July to November, 1968 and the number of dacoities, out of them, which were committed in places where P.A.C. was deployed;

(b) whether any dacoit was caught red-handed or killed; and

(c) whether any departmental action had been taken against any official for these failures ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the period from July to November 1968, sixteen dacoities were committed in Agra District. No dacoity was committed in villages where P.A.C. was deployed.

(b) No dacoit was caught red-handed. Three dacoits were shot dead in encounters with the police during the said period.

(c) No official was found to be at fault in connection with these dacoities. Therefore, question of taking any departmental action does not arise.

Kidnapping Cases in Agra

5385. **Shri Achal Singh** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of incidents of kidnapping of children and men committed in Agra by dacoits during the period from July to November, 1968 and the number of children or men kidnapped by dacoits in each of those incidents; and

(b) the distance of the place where P.A.C. is deployed from the places of the aforesaid incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) During the period from July to November, 1968, fourteen incidents of alleged kidnapping of children and men by dacoits were reported in Agra District.

A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-2829/68**]

P. A. C. deployed in Agra

5386. **Shri Achal Singh** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of places in Agra District where P.A.C. has been deployed due to the activities of the dacoits and since how many years; and

(b) the number of P.A.C. personnel deployed and the amount being spent on them annually ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government of Uttar Pradesh have reported that at present P.A.C. personnel are deployed at 46 places in Agra District for anti-dacoity duties.

The deployment of P.A.C. Force has been continuing since 1948.

(b) At present the number of such personnel deployed is 950. The approximate annual expenditure incurred is Rs. 20,18,000.

Excavation Work in Rajasthan

5387. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the facilities provided by the Central Government for survey and excavation work in the various places of archaeological importance in Rajasthan and the grants given therefor so far;

(b) the steps taken for excavation work in Jawarbhata near Udaipur; and

(c) the steps taken by Government so far in regard to several ancient and historic places in Rajasthan, the survey of which is yet to be undertaken ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Licences for excavation work in Rajasthan during 1968-69 will be issued to the Government of Rajasthan for conducting excavation at Noh. Tilwara and Bagor, the last two in collaboration with the Deccan College, Post Graduate and Research Institute, Poona. No grant has been given so far.

(b) No action has been taken to excavate the area, as the evidence found at the site does not warrant such action.

(c) A village-to-village survey has been undertaken in Districts Nagaur and Pali. It is proposed to survey the entire State in due course.

Use of Hindi in Offices

5388. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the effective steps taken for the use of Hindi in office work and the spheres in which such steps have been taken after the passage of the Official Languages (Amendment) Act last year;

(b) the work which has been taken in hand by the Central Government in this connection in the Hindi speaking as well as in non-Hindi speaking areas; and

(c) whether it is a fact that some Government officers and senior employees who are holding responsible posts in the administration are indifferent and inactive towards encouraging Hindi as a National or Official language ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Detailed administrative instructions for the implementation of the various provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 were issued under the Ministry of Home Affairs O.M. No. 2/29/68-O.L., dated the 6th July, 1968, a copy of which has already been laid on the Table of the Lok Sabha. A Senior Officer of the rank of Joint Secretary in each Ministry/Department has been assigned reponsibility for ensuring compliance of these instructions Quarterly Progress Reports have been prescribed to be furnished by each Ministry/Department to the Ministry of Home Affairs where these are scrutinised and follow-up action taken, where necessary.

(b) Employees including stenographers and typists who do not know Hindi are being trained under the Hindi Teaching Scheme. Translation staff and Hindi Typewriters are being augmented. The translation into Hindi of departmental manuals/forms is being expedited. Officers/Sections are to be supplied with the necessary help literature.

(c) No, Sir.

Activities of Sheikh Abdullah

5389. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the reasons for which a ban has not been imposed so far on the activities of Sheikh Abdulla in spite of fully knowing his views regarding Kashmir;

(b) whether Government propose to formulate some scheme in regard to Kashmir with the Sheikh might also be made to agree; and

(c) whether it is a fact that the Sheikh's views regarding Kashmir are not now favourable to India and he intends to lean towards Pakistan in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have not considered it necessary in the public interest to impose such a ban.

(b) There is no such proposal.

(c) While Government consider that some of the views of Sheikh Abdullah are misconceived and unrelated to facts and realities, there is no indication that there has been any change in his attitude towards Pakistan.

Transport Facilities at Tourist Centres in Rajasthan

5390. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government this year to increase the transport facilities and other amenities for the tourists to enable them to reach tourist centres in Rajasthan;

(b) the amount allocated for the development of Jaisalmer, Mandsor, Ranakpur, Chittor, Jayasamand, Rajsamand, Ranthambor. Badoli which are places of scenic beauty and tourist attraction; and

(c) the places selected as tourist centres in Rajasthan ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) This is a matter primarily for the State Government. No funds have been allocated for this purpose by the Central Government during the current year.

(b) A sum of Rs. 10.50 lakhs was allocated under Part II of the current year's Plan budget for augmentation of accommodation at Sariska, Jaisamand, Chittorgarh and Udaipur on the basis of fifty per cent subsidy of the State Government. In the absence of plans and estimates from the State Government, this allocation has not been utilised except in the case of Sariska for which Rs 0.93 lakhs has been included in the Revised Budget for 1968-69.

(c) Tourist facilities, which 10% or 50% expenditure incurred by the Central Government, have been provided at Jaipur, Bharatpur, Sariska, Siliserh, Udaipur, Chittorgarh and Mt. Abu.

Publicity Media to Attract Foreign Tourists

5391. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the publicity media being used abroad to attract foreign tourists to India;

(b) the names of places in India in respect of which publicity is made abroad for this purpose; and

(c) the steps being taken by Government to attract more foreign tourists to South and North India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Publicity in foreign countries is done primarily through the medium of the press. Other media include films, window displays, fairs and exhibitions, workshop programmes, cultural programmes, lectures, hospitality in India to foreign travel writers and travel agents, and distribution of tourist literature

(b) Publicity is directed at selling India as a destination point, and includes all the main places of tourist interest.

(c) Government of India provide facilities for tourists not on a regional basis but having regard to the actual or potential attraction of a place from the tourist view-point. Important tourist centres all over India are included in the plan schemes of the Department of Tourism.

जूनियर मॉडल स्कूल, तलवाडा टाउनशिप (होशियारपुर)

5392 **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार पिछले ढाई वर्षों से होशियारपुर जिले में तलवाडा टाउनशिप में एक जूनियर मांडल स्कूल चला रही है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस स्कूल को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य अभिकरण को सौंपने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्कूल की प्रबन्ध व्यवस्था बदली जाने के बाद शिक्षा का माध्यम हिन्दी/पंजाबी रहेगा, जो अब है या माध्यम अंग्रेजी हो जायेगा; और

(घ) क्या यह सच है कि अधिकतर विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक इस परिवर्तन के विरुद्ध हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भागवत झा आजाद : (क), से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Temporary Bridge on Satpuli Bang Ghat Bus Route in District Pauri Garhwal

5393. Shri Shivcharan Lal :
Shri Ram Cnaran :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a temporary bridge is constructed every year in between the Satpuli Bang Ghat bus route of District Pauri Garhwal in Uttar Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid bridge collapses every year;

(c) whether Government propose to construct a permanent bridge there; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shippiug (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c) The proposed bridge on the Satpuli-Banghat motor road would be a State project. The Government of Uttar Pradesh are, therefore, primarily responsible for its construction. Every year a temporary bridge is erected for the fair weather on this road and is dismantled before the start of the rainy season It is, however, understood that the State Government have sanctioned the construction of a pucca bridge at that place at an estimated cost of rupees seven lakhs. Technical sanction to the estimate is also expected to be accorded by the State Chief Engineer shortly, after which the actual construction will be started.

(d) Does not arise.

नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच

5394. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जांच पूरी हो गयी है जिसके न्यायालय में गत वर्ष हिन्दी आन्दोलन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मजिस्ट्रेट के पक्ष में किन-किन व्यक्तियों ने साक्ष्य दिया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख): अदालती कार्यवाही के समाप्त होने के बाद कथित हुई घटनाओं की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव से कहा गया था। जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अलावा 8 वकीलों ने, जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, श्री कपूर, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी और पुलिस के उप अधीक्षक श्री छाबड़ा द्वारा बताए गये घटनाओं के विवरण का समर्थन किया। उन वकीलों के नाम ये हैं :– सर्वश्री के० जी० भगत, वी० आर० हाण्डा, मोतीलाल जैन, एम० एल० शर्मा, जे० आर० प्रिआनी एस०सी० चावला, जे०सी० दिग्पोल और आर०डी० मेहरा।

इन्दिरा मार्केट, दिल्ली

5395. श्री जुगल मंडल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 17 मई, 1968 को "बाजार या गन्दी बस्ती" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो फल विक्रेताओं को इस रिहायशी क्षेत्र पर कब्जा करने के आदेश किसने दिये थे; और

(ग) क्या दिल्ली के उप राज्यपाल और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को तारीख 14 मई, 1968 को कोई तार प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) फल व्यापारियों को रिहायशी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिये किसी ने आदेश नहीं दिये थे। कब्जा अनधिकृत था।

(ग) जी हां। सब्जी मंडी फल बाजार के कुछ व्यापारियों ने, मई, 1968 में सब्जी मंडी में आग लगने के कारण, इन्द्रा मार्केट की सड़क की पटरियों पर कब्जा कर लिया था। जब तक फल बाजार का मलबा साफ नहीं किया गया था, मानवीय आधारों पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। किन्तु जब उनका व्यापार यातायात के लिये एक जोखिम बन गया तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 322 के अधीन उन्हें हटाने के लिए कार्यवाही की गई। अतिक्रमण को हटाने के लिये 9 छापे मारे गये, हटाने की कार्यवाही के अतिरिक्त चार फल व्यापारियों पर मुकदमे भी चलाये गये हैं।

Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology

5396. Shri Deven Sen : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman of the Commission for Scientific and Technical Terminology was over 70 years of age at the time of his appointment;

(b) whether it is also a fact that it had been decided that no person, who is more than 65 years of age, would become a member of this Commission and any member who has already crossed 65 years of age, would be relieved of his duties;

(c) if so, the number who have been relieved of their duties so far;

(d) whether this rule has been violated at the time of appointing the new Chairman; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A decision had been taken that the maximum age of the Chairman, Members or the officials in the Commission for Scientific and Technical Terminology should be 65 years, which may be extended upto 66 years in special cases.

(c) Three.

(d) and (e) The present Chairman of the Commission has been appointed on the basis of a selection made by a high-level Selection Committee on grounds of special qualifications and experience as a linguist. This appointment had the approval of the Cabinet.

अतारांकित प्रश्न संख्या 906 दिनांक 15 नवम्बर, 1968 के उत्तर में शुद्धि
Correction of Answer to unstared Question No. 906 dated 15 November, 1968

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 15 नवम्बर, 1968 के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 906 के अंग्रेजी में दिये गये लिखित उत्तर में प्रश्न के भाग (क) का उत्तर सही तौर पर "No, Sir" दिया गया था ।

परन्तु हिन्दी का उत्तर "जी, नहीं" भूल से "जी, हां" टाइप हो गया । इसलिये उक्त प्रश्न के भाग (क) का सही हिन्दी उत्तर "जी, हां" न होकर "जी, नहीं" है ।

अविम्लबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक इश्तहार का लगाया जाना

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I call the attention of the Home Minister to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"Display of posters derogatory to Mahatma Gandhi on the walls in Delhi."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि 16/17 दिसम्बर की रात को "गांधी शताब्दी का पाखण्ड व गांधीवाद का ढोंग" शीर्षक इश्तहार, जो कि पीपल्ज सोसाइटी के जी० एल० गुप्ता तथा जे० के० आजाद द्वारा जारी किया गया था, दिल्ली के विभिन्न भवनों के दीवारों पर लगाया हुआ पाया गया था । इस इश्तहार में महात्मा गांधी के विरूद्ध अपमानजनक बातें कही गई हैं और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाने पर आपत्ति की गई है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत यह मामला दायर कर दिया गया है और इसकी जांच हो रही है ।

यह खेद का विषय है कि कतिपय असन्तुलित मतिष्क वाले लोगों ने इस खेदजनक कार्य वाही में भाग लिया है। कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी लेकिन मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि दिल्ली के नागरिकों ने इन इश्तहारों को घृणा की दृष्टि से देखा है, जो वाजिब है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इस बारे में सरकार जो कुछ भी कार्यवाही करेगी, सभी दल उसमें सहयोग देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह अमरीकी गुप्तचर एजेंसी के धन से किया गया है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : I am happy that action will be taken against all those who are involved in it. But I want to know whether it is the activity of some unbalanced individuals alone or there is some organisation behind it who wants to malign Mahatma Gandhi ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मामले की जांच चल रही है। लेकिन हमें अब तक जो सूचना मिली है वह यह है कि कोई पीपल्ज सोसाइटी है। मैं नहीं जानता कि इस संस्था के ऐसे कोई अनुयायी है।

Shri Rabi Ray (Puri) : Please tell its name.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी किसी सोसाइटी का नाम लिया गया।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : The posters says that Gandhi was in fact neither Bapu nor Mahatma. The name of the society is ficticious. The stone of the Ghalib Memorial has also been removed. The forces behind it may be brought to books. What has the police done ?

विशेषाधिकार का प्रस्ताव
Motion of Privilege

अध्यक्ष महोदय : कल भी, श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी तथा उच्चतम न्यायालय में उनकी रिहाई के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में बात उठाई गई थी। गृह-कार्य मंत्री जी को इस बारे में जो कहना है, बतायें।

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): मैंने भी मधु लिमये की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय देखा है। इस लिये मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :-

> "कि श्री मधु लिमये की 6 नवम्बर, 1968 को हुई गिरफ्तारी और लक्खीसराय (बिहार) में उन्हें हिरासत में लिये जाने के कारण जो विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है वह विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और उस समिति को यह अनुदेश दिये जायें कि वह इस सभा के विशेषाधिकारों की दृष्टि से संगत मामला तैयार करे तथा उस पर अपना प्रतिवेदन दें।"

अध्यक्ष महोदय : आशा है सभा सहमत है। मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि श्री मधु लिमये की 6नवम्बर, 1968 को हुई गिरफ्तारी और लक्खीसराय (बिहार) में उन्हें हिरासत में लिये जाने के कारण जो विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है वह विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और उस समिति को यह अनुदेश दिये जायें कि वह इस सभा के विशेषाधिकारों की दृष्टि से संगत मामला तैयार करे तथा उस पर अपना प्रतिवेदन दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रशासनिक सुधार आयोग आदि की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का विवरण

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों' के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की कतिपय सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय दर्शाने वाला विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2793/68**]

(2) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप-धारा 3(दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं, 1968

(दो) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1968

(3) वर्ष 1966-67 के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे और उसके वाणिज्यिक परिशिष्ट (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(4) वर्ष 1966-67 के लिये डाक तथा तार के विनियोग लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2794/68**]

उद्योगों के लिये बंगाल राज्य सहायता (संशोधन) अधिनियम

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं पश्चिम बंगाल राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उद्योगों को बंगाल राज्य सहायता (संशोधन) अधिनियम, 1968 (राष्ट्रपति का 1968 का अधिनियम संख्या 31) की एक प्रति जो दिनांक 27 नवम्बर, 1968 के भारत के राज्य पत्र में प्रकाशित हुआ था। सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2795/68]**

प्रसारण तथा सूचना के माध्यमों आदि सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही का विवरण

प्रतिरक्षा मन्त्रालय (प्रतिरक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) बड़े पैमाने पर संचार के माध्यमों का समन्वय के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन के भाग I में दर्ज सिफारिशों पर दी गई कार्यवाही का विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2796/68]**

(2) 'प्रैस सूचना तथा प्रचार' के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णय दर्शाने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2797/68]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :-

(एक) चल चित्र वित्त निगम (फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन) लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चल चित्र वित्त निगम (फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन) लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) चल चित्र वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 523 के 13 नवम्बर, 1968 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2798]**

वर्ष 1967-68 के लिये एयर इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं डा० कर्ण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विमान निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उप धारा (2) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष 1967--68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) विमान निमम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एयर इण्डिया के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 2799/68**]

राष्ट्रीय शैक्षक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : मैं वर्ष 1967-68 के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2799/68**]

विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री इं० कु० गुजराल की ओर से निम्नलिखित विवरण, जिसमें प्रत्येक के सामने दिखाये गये लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :---

(एक)	विवरण संख्या I	छठा सत्र, 1968 (चौथी लोक सभा)
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 4, 5 और 6	पांचवां सत्र, 1968 (चौथी लोक सभा)
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 14	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक सभा)
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 9	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 17	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 14	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक सभा)
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 15	सोलहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक सभा)

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०2800/68**]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डा० एरिंग): मैं श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी की ओर से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2801/68]

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री ल० ना० मिश्र : मैं हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2802/68]

सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क तथा निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) नियम आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं (1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 128 वां संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2178 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2180 की एक प्रति, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1968 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2803/68]

खान तथा खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2107 की एक प्रति, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 2804/68]

पंजाब ढोर (मेले) विनियमन नियम

श्री डी० एरिंग : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 23 अगस्त, 1968 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार)

के साथ पठित पंजाब मैन (विनियमन) अधिनियम, 1967 की धारा 22 की उपधारा 3 के अन्तर्गत पंजाब ढोर मेले (विनियमन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 13 सितम्बर 1968 के पंजाब सरकार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 82/पी० ए० 6/68/एस० 22/68 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2805/68]

कलकत्ता पुलिस तथा कलकत्ता उपनगरीय पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 1968

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता पुलिस तथा कलकत्ता उपनगरीय पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 29) की एक प्रति जो दिनांक 6 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपरोक्त अधिनियम को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या 2806/68]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन नियम, 1968

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962 की धारा 12 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य सम्मेलन नियम, 1968 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या 2807/68]

दिल्ली मोटर-गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1968

श्री भक्त दर्शन : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 31 अक्टूबर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (39)/66-68-टी० पी० टी० की एक प्रति।

(2) उपरोक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2808/68]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS Minutes

कार्यवाही-सारांश

श्री खाडिलकर (खेद) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र में अड़तीसवीं तथा बयालीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

1966-67 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (General) 1966-67

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1966-67 के आय व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :-

(एक) कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण हुई रिक्तता को भरने के बारे में राज्य सभा ने अपनी 19 दिसम्बर, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 19 दिसम्बर, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय राज्य सभा के 67 वें (फरवरी-मार्च, 1969) सत्र के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाया गया है।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पैंतीसवां तथा अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री दत्तामय कुन्टे (कोलाबा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :–

(1) डाक तथा तार लेखे के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति द्वारा अपने छटे तथा तेरहवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 35वां प्रतिवेदन ।

(2) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) 1966 के पैरा 10– इंजनों का निर्माण–के बारे में लोक लेखा समिति द्वारा अपने 70 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 38 वां प्रतिवेदन ।

याचिकाओं का उपस्थापन
PRESENTATION OF PETITION

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I beg to present a petition signed by Shri Bipin Chandra, J. Antani and others demanding the development of Kutch area.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं बिमलगढ़ तालचेर रेलवे लाइन बिछाने तथा रूरकेला से पुरी तक एक रेल कोच की व्यवस्था करने के बारे में श्री एच० के साहू तथा 1100 से अधिक व्यक्तियों से प्राप्त याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक
MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES BILL

संयुक्त समिति के लिये सदस्य की नियुक्ति

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 13 दिसम्बर 1968 से त्याग–पत्र

दिये जाने के कारण हुई रिक्तता में लोक सभा के सदस्य श्री पी० के० वासुदेवन नायर को नियुक्त किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रतक्रियाएं विधेयक, 1967 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 13 दिसम्बर, 1968 से त्याग पत्र दिये जाने के कारण हुई रिक्तता में लोक सभा के सदस्य श्री पी० के० वासुदेवन नायर को नियुक्त किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा के आज के कार्यक्रम में हमने जो अन्तिम चर्चा कलकत्ता के बारे में रखी थी, उसे अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जायेगा।

Shri Bhajahari Mahat (Purulia) : Sir, under rule 377, I wish to bring to the notice of the House a serious incident which took place in my village on the night of 10th December when our house, crops, foodgrains, cows, buffalows and other things were set on fire. It seems that I have become a victim of political frenzy. I suspect all this was done at the instance of Shri Nitai Mahato, a congress member and the Anchal Pradhan, from whose house one man called Hari-Ram Mahato-an alleged murderer, was arrested by the Police. I would, therefore, request the Home Minister to make a statement thereon.

अध्यक्ष महोदय : मेरे ध्यान में यह बात पौने ग्यारह बजे लाई गयी। इस घटना को आज दस दिन हो गये हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि 10 दिन बाद इसे सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। लेकिन वे माने नहीं। तब मैंने सोचा, वह सभा के सदस्य तो हैं ही, और सभा का ध्यान इस ओर दिला सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक बहुत गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ किया जा सकता है तो सरकार उस पर ध्यान देगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : गृह कार्य मंत्री इसकी जांच करने का वचन दें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं इसकी जांच करूंगा।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : इसको कांग्रेस के नाम नहीं थोपा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : दो अथवा तीन माननीय सदस्यों ने मुझे मिल कर कुछ प्रस्तुत करने को कहा था। मैंने भी सोचा कि आज अन्तिम दिन है परन्तु उन प्रश्नों का उत्तर आज नहीं दिया जा सकता क्योंकि मंत्रियों को जानकारी एकत्र करने के लिए पूर्व सूचना चाहिए। इस लिए मुझे आशा नहीं है कि मंत्री महोदय आज उनका उत्तर देंगे। यदि कुछ मामले महत्वपूर्ण हैं तो मैं उनके लिए सरकारी कार्य के पश्चात समय नियत कर दूंगा। मुझे आशा है कि संसद कार्य तथा एक अथवा दो अन्य मंत्री यहां पर उपस्थित होंगे।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : उनको यह लिख कर मंत्रियों को दे देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ अनियमित रूप से करना चाहते है मैं उसको नियमितरूप से करने का प्रयत्न कर रहा हूं। **(अन्तर्बाधाये)** शोर डालने के बजाय आपको मेरे पास आकर मुझे बताना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं। मेरे विचार में आप केवल सरकार को परेशान करने के लिए इस मामले को यहां उठाना चाहते हैं। शाम को सरकारी कार्य तथा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात हम आधे घंटे के लिए बैठेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपके इस निर्णय पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मेरा निवेदन है कि गृह कार्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री यहां उपस्थित रहें ताकि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की समस्या के बारे में कोई निर्णय लिया जा सके।

दूसरे केरल सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर से मुकदमें वापस न लेने को कहा गया हो।

Shri Ram Sewak Yaday (Bara-Banki) : I want to submit that some final decision should be taken about the teachers to-day. We are prepared to sit even for two or three hours more to-day.

अध्यक्ष महोदय : यदि शिक्षा मंत्री अध्यापकों के बारे में कुछ कहें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं उनको बाध्य नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रशासन की कठिनाइयों से अवगत हूं। हम इसको शाम को गैर सरकारी कार्य के पश्चात लेंगे।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : कन्नड़ में बोले।

अध्यक्ष महोदय : इस पर गत दो अथवा तीन दिन में चर्चा की गई थी। साथ साथ अनुवाद के बारे में हम एक नये तरीके की जांच कर रहे हैं। इसमें अंग्रेजी तथा हिन्दी में साथ साथ अनुवाद करने का प्रबन्ध है। इसका प्रबन्ध सभी 16 भाषाओं में नहीं किया जा सकता। यदि कोई कनाडा तथा तामिल में बोलता है तो उसका हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है। हम इसकी जांच कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray (Puri) : This should be done before Budget Session.

अध्यक्ष महोदय : ऐसा शायद सम्भव न हो क्योंकि अनेक समस्याएं हैं। हमें कुछ उपकरणों का आयात भी करना होगा तथा 14 भाषाओं में अनुवादकों को भी प्रशिक्षण देना होगा परन्तु इस प्रबन्ध को करने के लिए हम भी उत्सुक हैं।

श्री जे० एच० पटेल : धन्यवाद।

नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव
MOTION UNDER RULE 388

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL.

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :--

श्री देवानन्द अमात श्री वेदव्रत बरुआ श्री डी० बसुमतारी श्री बी० भगवती श्री आर० डी० भण्डारे श्री अनिल कु० चन्दा श्री एम० के० मजा गौडर श्री हेम बरुआ श्री धीरेश्वर कलिता श्री के० एम० कौशिक श्री निहार रंजन लास्कर श्री बलराज मधोक श्री के० आनन्द नम्बियार श्री निहाल सिंह चौधरी नीतिराज सिंह श्री टी० डी० राममद्रन श्री एम० बी०

राणा चौधरी रणधीर सिंह श्री जे० रमापति राव श्री बी० साम्बसिवम श्री शान्तिलाल शाह श्री नवल किशोर शर्मा श्री प्रकाशवीर शास्त्री श्री शिव नारायण डा० राम सुभग सिंह श्री जी० जी० स्वैल श्री ओम प्रकाश त्यागी श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री जी० विश्वनाथन श्री यशवन्तराव चव्हाण, और

राज्य सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 15 फरवरी, 1969 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये"

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय आसाम के पुर्नगंठन के जटिल प्रश्न को विधेयक के रूप में पेश कर दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

आसाम के आदिमजाति लोगों की समस्याएं अनेक वर्षों से बनी हुई थी। वे इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे थे कि उनको अपने भाव प्रकट करने तथा विकास कार्य के लिए पूरे भावना दिये जाने चाहिए। वे इस पूरे राज्य की मांग कर रहे थे। यह मांग देश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लगभग सभी आदिम जातिय लोगों की है।

ऐसा लगता है कि विधेयक में आसाम के पहाड़ी आदिम जातियों के एक वर्ग की समस्या को ही हल किया गया है। हमें आदिम जाति के सभी वर्गों की समस्याओं को हल करने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि ऐसा न करके हम उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय और समस्याएं उप्पन्न कर देंगे। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों के समूचे पुनर्गठन के बारे में किसी नीति पर विचार किया है। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पहाड़ी लोग अपनी संस्कृति अपने समाज, रहन सहन के ढंग को बनाये रखने तथा साथ साथ समाज के अन्य वर्गों के साथ मिलने के लिए विकास भी करना चाहते हैं। हमने संविधान में उनके लिए कुछ सुविधाएं रखी हुई है। इस बात को स्वीकार किया गया है कि संविधान के लागू होने के 20 वर्ष बाद भी हम उनको सुविधायें तथा अवसर प्रदान नहीं कर

सके है । इसमें समूचे सरकारी प्रशासन के कार्यसंचालन तथा देश में हो रहे विकास कार्यों की निरथकता का पता लगता है ।

पहाड़ी आदिम जाति समस्या का सामाजिक तथा राजनैतिक पहलू भी है । उनमें से से कुछ लोग नाजुक सीमा क्षेत्रों में रहते हैं : अतः सुरक्षा की दृष्टि म भी हमें इस समस्या को देखना है । हम किसी प्रकार का पुनर्गठन करते समय समूची सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा । प्रतिरक्षा की दृष्टि से आसाम में पहाड़ी क्षेत्रो में रहने वाले अ दिम जातियों की समस्या का एक विशेष महत्व है । आसाम में कुछ अन्य क्षेत्र भी सेन्फ र्वमेंन्ट की मांग पा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत से यह समझौता हो गया है कि इस विधेयक के पास होने के पश्चात आन्दोलन को वापस ले लिया जावेगा । और ऐसा नहीं तो क्या जिन के साथ बातचीत द्वारा समझौता का इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है उनको सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है । अभी पर योंही कुछ युवक मुझे लिये थे जो स्वयं को पहाड़ी आदिमजाती लोकतंत्र संगठन आदि के व्यक्ति बताते हैं, कहा था कि उन्होंने सम्पूर्ण पहाड़ी राज्य की मांग को तर्क नहीं किया है । उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस विधेयक से संतुष्ट नहीं है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस संगठन के साथ बातचीत की गई थी कम से कम उस क्षेत्र के लोगों द्वारा कोई आन्दोलन नहीं करेंगे तथा वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

मैं इस विधेयक की कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह प्रस्ताव किया गया है कि इस स्वापत्र सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे तथा कुछ नामनिर्दिष्ट होंगे । मैं नहीं समझ सका कि इसका अर्थ क्या है । पहली बात तो यह है कि उनका नामनिर्दशन कौन करेगा क्या सरकार का विश्वास है कि यदि उनको सभी सदस्य निर्वाचित करने की शक्ति दी गई है तो वे लोग ऐसे सदस्यों को चुने गये जो इस विधेयक के उद्देश्यों को ही समाप्त कर देंगे मेरे विचार अब जब कि हम समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को पूरा करने हेतु संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो हमें उनको उनकी सभा के चुनाव के लिए पूरे अवसर प्रदान करने चाहिए । मुझे आशा है कि जब प्रवर समिति इस पहलू पर विचार करेगी तो सरकार इस भाग को हटाने पर सहमत हो जायेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आल पार्टीहिल लीडर्स कान्फ्रेंस के सभी सदस्यों ने आसाम विधान मण्डल का बहिष्कार कर दिया था । वे स्थान अब भी रिक्त पड़े हुए हैं । अब जबकि समझौता हो गया है तो मेरा विश्वास है कि उन्होंने यह बहिष्कार समाप्त कर दिया होगा । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है । क्या वह उप चुनाव करने वाले हैं ताकि वे लोग वर्तमान सभा के कार्य में भाग ले सके । मुझे बताया गया है कि इस विधेयक के पास होने तथा अथवा इसको क्रियान्वित करने हेतु व्यवस्था स्थापित होने तक उप चुनाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि ऐसा है तो यह बात बहुत आपत्तिजनक है । इससे वे लोग स्वायत राज्य बनाने तक आसाम विधान मण्डल में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने के अवसर से वंचित रहेंगे । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को स्पष्ट करें कि उन स्थानों के लिए यथासम्भव शीघ्र चुनाव कराये जायेंगे ।

जहां तक नये राज्य बनाने का सम्बन्ध है, सरकार को इस बारे में कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए । हमने नागालैण्ड जैसे छोटे राज्य बनाकर गलती की है । मेरे विचार में

हमें छोटे राज्य बनाने बन्द कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार आन्दोलनों को समाप्त करने के लिए गृह मत्री को इस बारे में कुछ संकेत देना चाहिए कि क्या सरकार देश के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिम जातियों के बारे में किसी एकसम नीति पर विचार कर रही है ? यदि इस मामले में उनकी कोई व्यापक नीति है तो पूरा देश उनका समर्थन करेगा तो हम सदा के लिए इस समस्या को हल कर लेंगे। मुझे बताया गया है कि झारखण्ड आन्दोलन अभी चल रहा है।

मुझे यह भी पता लगा है कि उत्तराखण्ड कहलाने वाले क्षेत्रों में अलग सूबे के लिए मांग हो रही है। मेरे विचार में इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य श्री पानिकर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है अतः इसका बंटवारा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के इतना बड़ा होने के कारण हैं यह औद्योगिक तौर पर तथा पढ़ायी लिखाई के हिसाब से सब से पिछड़ा हुआ है। अत यदि पहाड़ी अविकसित क्षेत्रों से पृथक प्रशासन की मांग की जाती है जिसमें कि वे अपने विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें तो यह मांग एक पृथक प्रकार की है। इस बारे में सरकार को कुछ निर्णय करना होगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं और जो क्षेत्र अविकसित है, ऐसी मांग का होना अनिवार्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें भय है कि कुछ अन्य लोग अपने राजनैतिक हितों के कारण उनका शोषण न करें। इस प्रकार देश विघटन का कार्य आरम्भ हो जायेगा। इस को रोकने के लिए सरकार को इन अविकसित लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई एकसम नीति अपनानी चाहिए। मुझे भय है कि इस विधेयक से इस प्रकार के अन्य आन्दोलनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। मेरे विचार में इस विधेयक को चार बजे के लगभग प्रवर समिति को सौंपने के पश्चात गैर-सरकारी कार्य को लिया जावे। मेरे पास कुछ नाम आये हुए हैं। उन सदस्यों को भी बुलाया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे चार बजे तक इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बज कर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes Past Fourteen of the clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को चार बजे तक समाप्त कर दिया जायें। मैं प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने विचार सक्षेप से व्यक्त करें।

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं केन्द्रीय सरकार, आसाम सरकार तथा आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस को इस जटील समस्या का हल ढूंढ लेने के लिए बधाई देता हूं।

मैं आसाम के अन्य राजनैतिक दलों को भी इस हल का समर्थन करने के लिए बधाई देता हूं। मैं गृह-कार्य मंत्री को भी हल ढूंढने तथा यह विधान पेश करने के लिए बधाई देता हूँ।

श्री द्विवेदी ने कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं और कहा है कि सरकार स्थिति के प्रति जागरुक नहीं है और कि इस विधेयक और विघटन होगा। मेरे विचार में श्री द्विवेदी अनेक ऐसे मामलों को मिला दिया है जोकि इस समस्या से पूरी तरह सम्बन्धित नहीं हैं। संविधान की छठी अनुसूची में इन क्षेत्रों को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अतः यह बात नहीं है कि भारत सरकार ने इस अवस्था में स्वायत्त प्रदेश बनाकर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है। जब संविधान बनाया गया था तब भी इन क्षेत्रों को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। उन क्षेत्रों के तथा मैदानी क्षेत्रों के लोग शताब्दियों से शान्तिपूर्ण ढंग से मिलकर रह रहे हैं परन्तु अब वे अपनी संस्कृति तथा आर्थिक जीवन के विकास के लिए कुछ अधिक स्वायत्त शक्तियां ग्रहण करना चाहते हैं। वे चाहते है कि उनकी स्थानीय परिषदों जिनको अब विधान सभा का नाम दिया जा रहा है, को अधिक शक्तियां दी जाये। इसका अर्थ यह नहीं कि देश का विघटन हो रहा है। मैं महसूस करता हूं कि इससे सम्बन्धित क्षेत्रों का एकीकरण तथा शीघ्रता से विकास होगा।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी विभिन्न समस्याओं के हल करने के लिए अलग अलग ढंगों का सुझाव दिया है। आयोग का मुख्य इरादा भाषा के आधार पर राज्य बनाना था। परन्तु उसने इस कसौटी पर पूरी तरह अमल कहीं किया। कई अन्य बातों को भी ध्यान में रखा गया था। उन्होंने अमल हेतु मुख्य मुख्य सिद्धान्त बनाये थे। परन्तु उन्होंने कहा था कि प्रत्येक समस्या को उसके गुणोदोष पर हल किया जाना चाहिए। आदिम जातियां देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है तथा उनकी भौगोलिक स्थिति और समस्यांएं अलग अलग हैं। अतः मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति इन मामलों की पूरी तरह से जांच करे तथा इस सभा में सर्वसम्मिति से प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

मेरा सुझाव है कि देश के अन्य भागों में रहने वाले आदिम जाति लोगों को जिनका विकास नहीं हुआ है, समान अधिकार तथा समान अवसर प्रदान करने की बात को ध्यान में रखना चाहिए।

स्वतन्त्रता के बाद हमने कुछ अवांछनीय तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता लगाया है। परन्तु इस देश में होने वाले प्रत्येक आन्दोलन को विघटन कारी नहीं समझा जाना चाहिए। उन लोगों की आर्थिक समस्याएं भी हैं। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए।

मेरे विचार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग द्वारा किये गये सरकार के प्रयत्न इस समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। हमें इस समस्या को न केवल आर्थिक स्तर बल्कि मानसिक स्तर पर हल करना चाहिए। मेरे अपने राज्य में राजनितिज्ञों ने लोगों की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाया है। वहां पर नक्सलाइयों ने अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या का राजनैतिक लाभ नहीं उठाया जाना

चाहिए। विधेयक में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों का एकीकरण हो जाये और पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों का विकास साथ साथ हो।

हो सकता हैं कि धन के अभाव के कारण इस क्षेत्र का विकास न किया जा सका हो परन्तु इन क्षेत्रों की समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

आदिम जातियों के कल्याण के लिये बहुत सी सहकारी समितियां बनाई गई हैं परन्तु वे पूंजीपतियों तथा अन्य ऐसे लोगों के हाथ में चली गई हैं जिन्होने उन लोगों के अहित में इन समितियों का दुरुपयोग किया है। माननीय मंत्री को इस बात पर भी विचार करना चाहिये।

श्री नंजा गौडर (नीलगिरि) : देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले पहाड़ी लोग काफी समय से आन्दोलन करते आ रहे हैं कि हमारी मांगे स्वीकार की जायें क्योंकि हमारी समस्यायें विशेष रूप की हैं। परन्तु जब पहाड़ी लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से मिला दिया जाता है तो उनकी विकास आदि की विशेष समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है। इससे वे अपने आप को उपेक्षित समझने लगते हैं।

जहां तक आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है उनकी भावनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों तथा छिपे नागाओं द्वारा दुरुपयोग किया गया है। ऐसे तत्वों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के कारण कई घटनायें घट चुकी हैं। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में भी बहुत बेचैनी है। कुछ उपद्रवी लोग हिन्सात्मक कार्यवाहियां कर रहे हैं। हमें यह देखना चाहिये कि समय तेजी से बीत रहा है तथा दिन-प्रति-दिन की देशी राष्ट्र के हित में नहीं है। हमारे देश के लिये यह बहुत ही बुरी बात होगी यदि आसाम के शेष शान्तिपूर्ण क्षेत्र का नेतृत्व वर्तमान देशभक्तों के हाथ से निकाल कर उपद्रवी लोगों के हाथ में चला गया।

भारत सरकार के सामने जो कार्य है वह बिल्कुल स्पष्ट है। उसे 13 जनवरी, 1967 के अपनी उन घोषणाओं और निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये एक विधान बनाना चाहिये जिनके अनुसार समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक "फैडरल स्टेट" बनाने की कल्पना की गई थी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे आशा हैं कि संयुक्त समिति इसपर ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

श्री भागवती (तेजपुर) : आसाम के पहाड़ी क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्यायें हैं। मैं उनके इतिहास में तो नहीं जाना चाहाता परन्तु वहां के अधिकांश लोगों ने एक पृथक् राज्य बनाये जाने की मांग की है। हम मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं समझते कि यह पहाड़ी लोगों एवं आसाम के हित में होगा परन्तु अन्ततोगत्वा हमें समझौता करना ही होगा। गृह मंत्री, श्री चवन, आसाम के मुख्य मंत्री, श्री चालिया तथा अन्य नेताओं ने इस समस्या का समाधान करने के सिलसिले में लम्बी चर्चा एवं वार्ता करने में जो धैर्य दिखाया है उस के लिये वह सराहना के पात्र हैं। अन्ततोगत्वा इस समस्या का हल निकाल ही लिया गया है।

मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को आशंका है कि यह योजना ठीक नहीं रहेगी परन्तु मुख्य प्रश्न तो यह है कि देश के उस भाग के लोगों में एकता कैसे लाई जाये। तुलनात्मक आंकड़े देखने से पता चलता है कि कितने लोग आसाम में अन्य राज्यों के हैं उतके किसी अन्य राज्य में नहीं हैं। वहां भिन्न भिन्न गुटों धर्मों तथा जातियों आदि के लोग हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर एक रुपता लाना बड़ा कठिन कार्य है। अब कुछ समय बीतने के बाद वहां के प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया है। इसी लिये यह फार्मूला लाया गया है। इस फार्मूले से दो शर्तें पूरी होती है। इस से एक तो आसाम राज्य में एकता बनी रहेगी। दूसरे इससे पहाड़ी लोगों की न्यायोचित राजनीतिक महत्व की आकांक्षायें पूरी हो सकेंगी। इससे पहाड़ी लोगों तथा मैदानी लोगों दोनों में संतोष हो जायेगा। मैं आसाम के लोगों की ओर से कहना चाहता हूं कि वे इस फार्मूले को स्वीकार करने को तैयार हैं। यदि इस विधेयक में कोई त्रुटियां होंगी भी तो वे संयुक्त समिति द्वारा दूर कर दी जायेंगी जब यह विधेयक सौंपा जा रहा है।

अब मैं एक दूसरे मामले का उल्लेख करना चाहता हूं जो अनुसूचि छः के 20 वें पैरे में दिया गया है। सरकार ने 11 सितम्बर की अपनी घोषणा में कहा है कि गारो और जैन्तिया पहाडियां तो सीधे ही स्वायतशासी राज्य के अधीन लाई जायेंगी तथा सिकिर और कथल पहाडियों को आसाम में रहने, जैसी कि वे अब हैं, अथवा स्वायतशासी राज्य में मिलने की छूट दी जायेगी। यह निर्णय दो-तिहाई बहुतमत द्वारा किया जायेगा। इसमें मिजो पहाडियों का कोई उल्लेख नहीं किय गया है क्योकि वहां पर स्थिति खराब है। मैं समझता हूँ कि जब वहां पर सामान्य स्थिति हो जायेगी तो सरकार मिजो पहाड़ियों के बारे में भी विचार करेगी।

छठी अनुसूचि के. पैरा 20 के भाग ख को देखने से पता चलता है कि इस योजना में नेफा के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर जब हम इस योजना के अन्तर्गत एक नया राज्य बनाने जा रहे है तो साथ ही साथ हमें नेफा को भी उसी आधार पर कुछ स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिये। हमें इस में देरी नहीं करनी चाहिये। यदि हम देरी करते हैं तो फिर वहां पर आन्दोलन आरम्भ हो जायेंगा।

श्री बलराज मद्योक (दक्षिण दिल्ली) : अठारह वर्षो के दौरान जब से हमारा यह संविधान बना है तब से लेकर अब तक, हमने उसमें 21 बार संशोधन किया है और अब 22 वीं बार संशोधन किया जा रहा है। मुझे संशोधन करने पर कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते संशोधन देश की समस्यओं को हल करने के लिये किया जाये परन्तु दुख की बात तो यह है कि अधिक बार संशोधन अच्छे काम के लिये नहीं बल्कि लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिये किया गया है। कभी कभी मैं यह महसूस करता हूं कि सरदार पटेल ने देश के आजाद होने के पहले दो वर्षो में जो प्राप्त किया था उसे गत 18 वर्षो में नष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने हमें इकट्ठा किया परन्तु उनके बाद देश के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया है।

भारत एक विशाल देश है इस लिये इस में पृथक् पृथक् प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक ही है। दूसरें लोकतंत्र में बहुत सी अच्छाइयों के साथ साथ एक कमजोरी यह है कि इसमें

ब्लोक वोटो की जरुरत होती है तथा ब्लाक वोटों के महत्व के कारण दल पृथक्करण को बढ़ावा देते है । अतः इन पृथक्करण की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये राष्ट्रपिता की जबरदस्त भावना होनी चाहिये जो ऐसी प्रवृत्तियों के बावजूद भी देश को इकट्ठा रख सकती है ।

मैं देश के किसी भी भाग को अधिक से अधिक स्वायत्तता देने के विरुद्ध नहीं हूं। हमें देश के अन्दर ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिये जिससे हर धर्म के लोगों का उत्थान हो सके । परन्तु उनके मन में यही भावना होनी चाहिये कि वे देश के अभिन्न अंग हैं। सविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। इससे लोगों के मन में एक गलतफहमी पैदा होती है तथा हम जब भी देश में कहीं भी एक पृथक राज्य बनाते है तो यह भावना सामने आती है कि "हम प्रभुत्व सम्पन्न राज्य हैं और केन्द्र हमारी दया पर है।" चाहे संविधान में केन्द्र को काफी शक्तियां दी गई हैं परन्तु मनोवैज्ञानिक रूप से एक धारणा पैदा की गई है तथा यह कारण विशेषकर इस लिये घातक है क्योंकि हमने किसी विचार अथवा किसी की सलाह से नहीं बल्कि दबाव में आकर ये छोटे छोटे राज्य बनाये हैं ।

सात वर्ष पूर्व जब नागालैण्ड राज्य की स्थापना की गई थी तो मैं इस संसद में था । उस समय पंडित नेहरु जीवित थे । तब मैं ने उन्हें कहा था कि आप नागालैण्ड में $3\frac{1}{2}$ लाख लोगों का राज्य बना कर देश में पृथक्करण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं । इससे आप जैन्तिया, खासी और मिकिर पहाड़ियों के लोगों की समान राज्य बनाये जाने की मांग को नहीं रोक सकोगे । आज मैं अपने पूर्व अनुमान के सही सिद्ध होने पर प्रसन्न नहीं हूँ । एक दुख की बात यह भी है कि सात वर्ष बाद भी हम उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि हमारा पूर्वी प्रदेश बड़ा संकटग्रस्त प्रदेश है । वहां बहुत समस्यायें हैं । वहां के लोगों की अपनी महत्वकांक्षायें है जिन्हें पूरा भी किया जाना चाहिये । इस लिये हमें एक ऐसा हल ढूंढना चाहिये जिससे इन लोगों की महत्वकांक्षायें भी पूरी हो जाये और साथ ही साथ देश की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें भी पूरी हो जायें क्योंकि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिये कि हमारा पूर्वी प्रदेश एक संवेदनशील प्रदेश है । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि इस प्रदेश पर पाकिस्तान और चीन की बुरी नजर है और दोनों देश वहां पर उपद्रव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें छोटा मोटा समझौता करने की बजाय इस प्रदेश के लिये एक व्यापक योजना बनानी चाहिये । हमें पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की उचित महत्वकांक्षाओं और कठिनाइयों पर भली भांति विचार करना चाहिये । हमें इस बात का भी पता लगाना चाहिये कि किन कारणों से आसाम से अलग होने की भावना पैदा हुई । अतः इस प्रकार भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद हमें एक व्यापक योजना बनानी चाहिये तथा उसके बाद यदि आवश्यकता महसूस की जाये तो केवल तब संविधान में संशोधन करना चाहिये । ऐसा करने से उन लोगों की समस्यायें हमेशा के लिये हल हो जायेंगो । परन्तु जिस प्रकार से काम किया जा रहा है उससे मुझे भय है कि उनकी समस्यायें अधिक जटिल हो जायेंगी ।

हिल स्टेट्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कर ज्ञापन पत्र मेरे सामने है । उन्हो ने वर्तमान योजना को स्वीकार नहीं किया है । वे चाहते हैं कि एक पूर्ण राज्य बनाया जाये । उन्होंने कहा

है कि सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन इस योजना के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि हमें इस हालात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि एक उच्च-शक्ति आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जो नये सिरे से इस सारे मामले पर विचार करके अपने सुझाव दे। यह विधेयक संयुक्त प्रचार समिति को सौंपा जा रहा है तथा वहां इस पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि गृह मंत्री इस पर फिर से विचार करेंगे और सभा के समक्ष एक व्यापक योजना रखेंगे नाकि एक छुपचुट योजना जैसी इस संशोधन में है।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं इस देश के सभी नेताओं से, चाहे वे इस सभा के हों अथवा बाहर के, प्रार्थना करूंगा कि उन्हें देश के उस सामरिक महत्व के क्षेत्र में, जो राष्ट्रीय अखण्डता, सुरक्षा और विकास में सहायक हो, राजनीतिक वातावरण बनाने में हम सब की सहायता करनी चाहिये। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि सरकार ने इस विधेयक को संसद् में लाने का निश्चय कर लिया है। यह विधेयक तो बहुत समय पहले ही पेश किया जाना चाहिये था।

गत छः वर्षों से जब से मैं इस सभा का सदस्य चुन कर आया हूं मैं इस विषय में रुचि लेता रहा हूँ। मुझे पता है कि हमें इस सम्बन्ध में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मुझे यह भी पता है कि इस समस्या को कैसे टाला गया है। सब से पहले स्काटलैण्ड के तरीके के प्रशासन का विचार किया गया, फिर पूरी स्वायत्तता सम्बन्धी नेहरू योजना का विचार किया गया, फिर उप-राज्य की स्थापना करने का विचार किया गया और अन्त में प्रादेशिक फेडरेशन का प्रस्ताव रखा गया। ये सभी प्रस्ताव उचित सिद्ध नहीं हुए और उन्हें एक एक करके छोड़ दिया गया। इसलिये मैं इस सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है इसलिये अब और देरी नहीं होनी चाहिये। श्री मधोक का यह विचार गलत है कि इस समस्या पर और विचार करने के लिये आयोग अथवा समितियां नियुक्त की जानी चाहियें क्योंकि इससे और अधिक देरी हो जायेगी।

यह समस्या बहुत पुरानी है। यह समस्या उस समय की है जब नागालैण्ड पहाड़ी क्षेत्रों तथा आसाम का एक भाग था। अब देश के आजाद होने के बाद तथा अन्य देशों में बदलती हुई स्थिति को देखकर इन लोगों को अपनी विशेष भूमिका और बढ़ती हुई महत्वाकांशाओं का अहसास हो गया है। मुझे पूर्ण बिश्वास है कि यदि सरकार गत 18 वर्षों में इतनी ढील न करती जितनी उस ने की है तो नागालैण्ड और मिजो पहाड़ियों की ये दुर्घटनायें रोकी जा सकती थी। हम इन 18 वर्षों में उन लोगों के आन्दोलन को दबाने में बुरी तरह से असफल रहे है। केवल यह ही नहीं बल्कि हमने उनकी कठिन स्थिति को और कठिन बना दिया है।

मैं अपने दल तथा अपने पहाड़ी लोगों की ओर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक पृथक राज्य बनाने की मांग कभी भी विघटनकारी प्रवृत्तियों से नहीं की है। यह मांग राष्ट्रीय भाव बढ़ाने तथा इसके रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने की आकांक्षा से की गई थी।

मुझे इस बात की खुशी है कि आज सामान्य रुप से यह महसूस किया जा रहा है कि पहाड़ी लोगों की पृथक् राज्य बनाये जाने की मांग को उचित समझा जा रहा है तथा पुरानी गलती को ठीक करने की इच्छा व्यक्त की जा रही है।

मैं 11 सितम्बर के सरकार के निर्णय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हमने पूर्वोत्तर भारत के लोगों तथा समूचे देश के हित को देखते हुए सरकार के इस निर्णय को अजमाना स्वीकार कर लिया है। तथापि इस बात की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के कुछ उपबन्धों से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने अभी भी कोई चीज छिपा रखी है। हमने सरकार से इतनी बार चर्चा की है परन्तु चर्चा के दौरान प्रस्तावित स्वायत्तशासी राज्य की विधान सभा में सदस्यों के नाम-निर्देशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था परन्तु यह चीज विधेयक में आ गई है। आप इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि नाम-निर्देशन लोकतंत्र के सभी सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को बतायें कि उन्हों ने किन कारणों से वशीभूत होकर नाम-निर्देशन को इस विधेयक में स्थान दिया है। अतः मैं यह समझता हूं कि किसी भी कल्पित कठिनाई के कारण लोकतंत्र के विरुद्ध कानून को बनाना अच्छी बात नहीं है।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। मंत्री महोदय को इस विधेयक को इस प्रकार से पेश करना चाहिये जिससे एक तो नाम-निर्देशन के सिद्धान्त को हटाया जाये और दूसरे दोनों सभाओं में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता को समाप्त किया जाये।

{ श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

श्री बासुमतारी (कोकराझर) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये गृह-कार्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। यह व्यवस्था विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ हुई 27 बैठकों के बाद हो पाई। आसाम में एक परिवर्तित राज्य की स्थापना करने की बहुत समय से मांग की जा रही थी और अच्छा है कि उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का हल निकाल लिया गया है।

मैदानी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की समस्या भी हल की जानी चाहिये। इनकी संख्या पर्वतीय आदिवासियों से कहीं अधिक है और अभी तक वे पिछड़े हुए हैं। क्या सरकार उनकी आकांक्षाओं को शीघ्र पूरा करेगी।

जब बंगाल और आसाम के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था तो दिवंगत प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि इसके लिये अभियान करने की आवश्यकता है।

अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आसाम की समस्या का हल किया जाना चाहिये। मैं आदिवासी समुदाय का हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय का विकास किये जाने से पूर्व देश का विकास हो। जब तक देश का विकास नहीं होगा तब तक समुदाय का विकास नहीं हो सकता। आदिवासी लोग भी अलग राज्य के स्थापना की मांग कर रहे हैं। क्या आप उनकी मांग पूरी कर सकते हैं ?

पर्वतीय नेता लोकतन्त्रात्मक दलों ने नागालैंड की भांति नये राज्य की स्थापना की मांग की है। यदि यह बात ठीक है तो विधेयक को फिर से प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात पर विचार करना चाहिये। इस निर्णय से वो लोग खुश हैं जो देश की अखंडता के पक्ष में है यह अवस्था हमेशा के लिये की जानी चाहिये।

श्री स० कण्डप्पन (मैदूर) : असाम पर्वतीय लोगों की मांग के बारे में गृह-मंत्री ने प्रशंसनीय कार्य किया है। यह बात भी प्रशंसनीय है कि उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगों को सीमित रखा है और कम से कम समझौते के रूप में सरकार से कुछ फैसला कर लिया है।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपते हुए गृह-मंत्रालय तथा सयुक्त समिति दोनों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया जाना चाहिये कि इस विधेयक से पर्वतीय लोगों की मांगें पूरी तरह हल नहीं होती। उन्होंने इस समझौते के तौर पर स्वीकार किया है। सरकार को पर्वतीय नेताओं के हाथ मजबूत करने का प्रयास करना चाहिये। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जो लोग पर्वतीय नेताओं से सम्बन्ध तोड़कर चले गये हैं उनके हाथ मजबूत हो जायेंगे। ऐसा करने के परिणाम हम नागालैंड और मिजो क्षेत्र तथा अन्य स्थानों पर देख चुके हैं।

यह कहना कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप देश की अखंडता और एकता को खतरा पैदा हो जायेगा निराधार है। देश की अखडता को तब अधिक खतरा है जब कुछ लोगों के मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाये कि उनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। अतः इस प्रकार की कार्यवाही से देश की अखंडता को खतरा नहीं है।

यह एक कठिन समस्या है। हमारे प्रदेश के उपेक्षा की गई है। यही नहीं बिहार बजट पर चर्चा करते समय बिहार के सदस्यों ने, चाहे वे कांग्रेसी सदस्य थे या गैर-कांग्रेसी, रोष प्रकट किया था कि उनके राज्य के उपेक्षा की गई है। बिहार के लोगों को केन्द्र तथा अन्य स्थानों पर रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किये गये। इसी प्रकार की मांग आसाम के सदस्यों ने भी की थी।

आज भी लोग देश की एकता और अखंडता की ओर ध्यान नहीं देते।

हमें अधिक से अधिक राज्यों को स्वायत्तता देनी चाहिये ताकि उनका स्वस्थ आधार पर विकास हों और प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह अपनी जीविका स्वयं कमा रहा है और उन्हें किसी दल अथवा धन द्वारा शोषित नहीं किया जा रहा है। जब तक ऐसा वातावरण तैयार नहीं किया जा सकता तब तक देश की अखंडता की बातें करना बेकार है।

सरकार को आसाम के पर्वतीय लोगों की स्वायत्तत पर्वत राज्य स्थापित किये जाने की मांग को पूरा करना चाहिये।

विधान सभा के सदस्यों में से कुछ का नाम निर्देशन करने के उपबन्ध का अधिकांश सदस्यों ने विरोध किया है। यह उपबन्ध लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध है। यदि सरकार यह सोचती कि कुछ क्षेत्रों या स्थानों को निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब उनके

लिये कुछ स्थान सुरक्षित करने की बात सरकार सोच सकती थी। अतः इस उपबन्ध को समाप्त किया जाना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I welcome the Bill and congratulate the Home Minister for bringing such a Bill. It is not proper to say that the demands of the Hill tribals will not be fulfilled by bringing this Bill and therefore, they will continue their agitation for a separate State.

I support the motion for referring this Bill to the Select Committee. We have been demanding for a long time that the hill regions of Punjab should be merged with Himachal Pradesh. But the Government did not agree to our demands. A uniform policy should be adopted with regard to all the hill areas of the country. Justice is not being done by the people living in plains with the people of hill areas in Uttar Pradesh. They are being exploited. People of Uttar Pradesh, Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir have demanded for a separate hill State. This demand should be carefully considered.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

But the Government is not paying attention towards this demand.

I support the policy adopted by the Government to give some relaxation. Government should adopt a uniform policy for all States in this matter.

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडे) : इस विधेयक पर सरकार जितनी जल्दी निर्णय ले लेगी उतना ही अच्छा होगा। इस सम्बन्ध में देरी करना देश के लिये अहितकर होगा।

एकता को किसी पर ठूंसा नहीं जा सकता। यह तो जनता के सहयोग से लाई जा सकती है।

श्री मधोक द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन श्री चव्हाण और कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस पर पुनः विचार करने के कारण आश्चर्य होता है।

इन भाषा पर आधारित राज्यों को भी काफी आन्दोलन और खूनखराबे के बाद स्वीकार कर लिया गया था।

पर्वतीय लोगों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सरकार ने उपेक्षा की है। अतः उन लोगों की कठिनाइयां वास्तविक हैं। स्वतन्त्रता के बीस वर्ष बाद भी उनकी वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा नही किया गया है।

सरकार द्वारा 11 सितम्बर को जारी किये गये वक्तव्य में पूर्वोत्तर परिषद के प्रस्ताव की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि यह एक प्रकार का क्षेत्रीय परिषद् होगा जिसका स्थायी सचिवालय होगा और जिसका प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस प्रकार की योजना का हम पूर्णतया विरोध करते हैं और हमारे विचार से इस प्रकार की योजना लोगों में शका पैदा करेगी। अतः सरकार को इस योजना पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मै नाम निर्देशन के विचार का भी विरोध करता हूं। मुझे आशा है संयुक्त समिति इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करेगी। हमें आशा है कि देश इस अनुभव पर ध्यान देगा और इस विधान से पूर्वोत्तर प्रदेश के पर्वतीय लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी।

Shri S. M Joshi (Poona) : I welcome this Bill. Though the decision has been taken a bit late yet it is in correct direction. This question does not relate to any party Instead it pertains to the defence of the country.

We want national integration through Democracy and this can only be achieved when we are united. There are several religions and various languages which are spoken in this country. Therefore it is very necessary that a feeling of oneness must be created. If we have to amend the Constitution for the sake of National integration then it is not a crime. If we want that Democracy may stay in our country then we should not hesitate to bring any change in our Constitutional structure. We are not a static society. We should. be dynamic and changes where we find it necessary.

The case of Assam belongs to the people of Assam themselves. We know they have some grievances. We have to create a love towards nation as well as a sense of belonging in them. It all depends on us. If this bill can brings such an atmo phere it is very good. I whole heartedly support this Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आसाम के पुनर्गठन की समस्या, विशेषकर पहाड़ी राज्य की मांग का एक लम्बा और महत्त्वपूर्ण इतिहास है। हम सब जानते ही हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1954–55 में इस प्रश्न पर विचार किया था और वह इस निर्णय पर पहुँचा था कि पहाडी क्षेत्रों का एक अलग राज्य न तो देश के हित में है और न लोगों के हित में है। 1960 में भी इस मामले को उठाया गया और भिन्न-भिन्न सुझाव दिए गए। 1965 में पाटस्कर आयोग की नियुक्ति की गई। पाटस्कर आयोग ने इस प्रश्न के समस्त पहलुओं की जांच की और अपनी सिफारिशें पेश की परन्तु सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इस पर काफी चर्चा हुई। इस प्रश्न के हर पहलू की जांच करने के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन किया गया। यह एक महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को समझना आवश्यक है। उनके प्रति उदासीन होना गलत होगा। इसके साथ-साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई भी कदम उस क्षेत्र के लिए विघटनकारी सिद्ध न हो। इसलिए हम चाहते थे कि वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक स्वायत्त अधिकार दिए जाएं। 1967 के आरम्भ में सरकार ने क्षेत्रीय संघ का प्रस्ताव पेश किया और इसके साथ-साथ आसाम राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी निर्णय घोषित किया। सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने संघ के विचार पर असहमति प्रकट की। हम कोई न कोई मार्ग ऐसा निकालना चाहते थे जो इसका समाधान ढूंढ सके, अतएव अशोक मेहता के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति में घंटों विचार-विमर्श होता रहा परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बावजूद भी हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। हमने आसाम सरकार, आसाम के राजनीतिक नेताओं और सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन के नेताओं के साथ बातचीत की। हमने साथ ही

साथ यह भी प्रयत्न किया कि इस प्रश्न को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाये और जिसमें सब राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो। मैं सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन के नेताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस विचार को स्वीकार किया है हालांकि उनमें कई ऐसे भी उग्रवादी लोग हैं जो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आसाम घाटी के नेताओं, राजनीतिक दलों और आसाम सरकार ने इस स्थिति को स्वीकार किया है। यह वास्तव में एक प्रकार का राष्ट्रीय मतैक्य है। इस सारे प्रयत्न की यह पृष्ठभूमि है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इसको नहीं मानते परन्तु इसके बावजूद भी इस मामले में मतैक्य है। अब हम इसको संयुक्त समिति को सौंपना चाहते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में मेरी यह प्रार्थना है कि इस मामले में देरी नहीं की जानी चाहिए नहीं तो लोगों में व्यर्थ का संदेह उत्पन्न होगा। अगर इसको उचित समय पर स्वीकार नहीं किया तो इसका उद्देश्य निष्फल हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि संयुक्त समिति अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले दिन तक प्रस्तुत कर दें।

इस मामले में दो-या तीन बातें उठाई गई हैं जिनमें से एक नामनिर्देशन के बारे में है। मैं माननीय सदस्य श्री स्वैल का ध्यान अनुच्छेद 239क(1)(क) की ओर दिलाऊंगा जिसमें ये शब्द लिखे गए हैं "एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो अथवा आंशिक रूप से नामनिर्देशित और आंशिक निर्वाचित हो, हमने यह नहीं कहा है कि विधान मंडल में आवश्यक रूप से नामनिर्देशन किया जाये परन्तु हम केवल इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर संसद् यह चाहती है कि नामनिर्देशन करना आवश्यक है तो इसके लिए उपबन्ध रखा जायेगा। अगर संविधान संशोधन विधेयक में अब यह उपबन्ध नहीं रखा जायेगा तो ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। कुछ अल्पसंख्यक लोग भी हो सकते हैं और सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन के नेता भी नाम निर्देशन का होना आवश्यक समझ सकते हैं।

अगर हम समझते हैं कि नामनिर्देशन का होना आवश्यक है तो संविधान में इसके लिए कुछ ऐसा उपबन्ध रखना आवश्यक है। मैं नामनिर्देशन का सिद्धान्त आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं कर रहा हूं पर इसके लिए व्यवस्था रखी गई है। प्रो० स्वैल ने इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की बात उठाई है। परन्तु यह ठीक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसका निर्णय मामूली बहुमत से नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रत्येक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह एक बुद्धिमतापूर्ण उपबन्ध है और प्रो० स्वैल को कोई आक्षेप नहीं उठाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की कि एक बार हमने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया तो इस प्रकार की अन्य मांगें भी उठेंगी, परन्तु संविधान में भी आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों और अन्य आदिम जाति क्षेत्रों में विशेष भिन्नता बताई है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित आदिमजातियों के बारे में है और छठी अनुसूची मुख्यतः आसाम के आदिमजातियों के बारे में है। संविधान में आसाम के आदिमजाति क्षेत्रों की विशेष स्थिति को स्वीकार किया है, अतएव हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह किसी अन्य बात की शुरुआत है, यह तो केवल आसाम के आदिम जातियों की समस्या का समाधान है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री अब्दुल गनी दार का परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I want to raise a point of order. I have moved the motion for circulation so that I may present my view points to the House. It has never been seen in the Parliamentary History that a mover cannot place his view points. I am being deprived of this facility.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय जब कि मतदान आरम्भ हो चुका है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

Shri Abdul Gani Dar : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to raise another point of order. The fact is that I had submitted certain amendments, but those had not been circulated. On my being pointed out as to why my amendments were not circulated I was told that my amendments were received late. When I pointed out that I submitted my amendments well in time and how it has been said that they were received lated, I was told that my one amendment regarding the quorum of the Select Sub Committee could be considered. But it is surprising that that amendment had also been not circulated. I had submitted my amendments so that I may put my views before the House, but I have been deprived of that opportunity. I have never seen any such thing in Parliamentary history that a member if deprived of putting forward his views, when he has given an amendment.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस शिकायत का प्रश्न है कि कुछ संशोधन दिये गये थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है । इस मामले की देखभाल जरूर की गई होगी ।

अब यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है तथा वहां कोई भी संशोधन पेश किया जा सकता है । जहां तक विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के आपके संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उसे मतदान के लिये रखूंगा । परन्तु आप यदि उसे इसलिये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आपको बोलने का मौका दिया जाये, तो यह सम्भव नहीं है । मैं आपका संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह-कार्य मंत्री का प्रस्ताव का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्:—

(1) श्री देवानन्द अमात ।

(2) श्री वेदव्रत बरुआ ।

(3) श्री फखरूद्दीन अली अहमद ।

(4) श्री बी० भगवती ।

(5) श्री आर० डी० भण्डारे ।

(6) श्री अनिल कु० चन्दा ।

(7) श्री एम० के० मंजा गौडर ।

(8) श्री हेम बरुआ ।

(9) श्री धीरेश्वर कलिता ।

(10) श्री के० एम० कौशिक ।

(11) श्री बाल्मीकि चौधरी ।

(12) श्री बलराज मधोक ।

(13) श्री के० आनन्द नम्बियार ।

(14) श्री निहाल सिंह ।

(15) चौधरी नीतिराज सिंह ।

(16) श्री टी० डी० रामभद्रन ।

(17) श्री एम० बी० राणा ।

(18) चौधरी रणधीर सिंह ।

(19) श्री जे० रमापति राव ।

(20) श्री वी० साम्बसिवम ।

(21) श्री शान्तिलाल शाह ।

(22) श्री नवल किशोर शर्मा ।

(23) श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

(24) श्री शिव नारायण ।

(25) श्री विद्याचरण शुक्ल ।

(26) श्री जी० जी० स्वैल ।

(27) श्री ओम प्रकाश त्यागी ।

(28) श्री अटल बिहारी वाजपेयी ।

(29) श्री जी० विश्वनाथन ।

(30) श्री यशवन्तराव चव्हाण, और

राज्य सभा के 15 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी";

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : Sir, yesterday I raised a question regarding Shri Wanchoo, Steel Secretary and Shri Mukherjee. I want to know about that. I had also raised a Privilege question. I have come to know that Government is going to give a clarification in this regard to-day. Have you received any information in this regard ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

Shri Madhu Limaye : Perhaps he might have given you a note. You can ask the Secretary.

Shri Rabi Ray : The hon. Speaker has assured us to give an hour for asking questions and expressing our points of view.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय की बात कर रहा हूं, बाद की नहीं। मैं समझता हूं गैर सरकारी सदस्यों का काम पूरा होने के बाद सदस्यों को अपनी बात कहने के लिये एक घण्टे का समय दिया जायेगा।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 42 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: FORTY SECOND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

श्री भालजी भाई परभार (दोहद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सस्दयों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 42 वें प्रतिवेदन से, जो 18 दिसम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर–सरकारी सदस्यों के विधेगकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 42 वें प्रतिवेदन से, जो 18 दिसम्बर, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

विदेश व्यापार के बारे में संकल्प-(जारी)

RESOLUTION RE : FOREIGN TRADE-(CONTD)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री देवकी नन्दन पाटोदिया द्वारा 6 दिसम्बर, 1968 के पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :—

"पूर्व यूरोपीय देशों तथा रूस के मामले में अपनाई गई गलत व्यापार पद्धति के कारण भारत के विदेश व्यापार पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव की दृष्टि से, यह सभा संकल्प करती है कि भारत सरकार को विदेश व्यापार नीति में विशेषकर पूर्व यूरोपीय देशों और रूस के साथ व्यापार सम्बन्धी नीति में उपयुक्त परिवर्तन किया जाये।"

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संकल्प तथा संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I stage a walk out. You have acted against the principles of democracy. The hon. Speaker has given me an assurance and you are going against that. I have never seen that the assurance given by the Speaker is broken by the Deputy Speaker.

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक घंटा तथा 40 मिनट का समय बाकी है। 20 मिनट का समय मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिये चाहिये। अतः हमारे पास केवल एक घंटा 20 मिनट का समय रह जाता है। माननीय सदस्य कृपया थोड़ा थोड़ा समय लें। अगला संकल्प भी इतना ही महत्वपूर्ण है तथा यह समय बहुत सोच विचार करके निर्धारित किया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस वादविवाद में भाग लेने का अवसर दिया है। पिछली बार जब श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने इस संकल्प पर वादविवाद आरम्भ किया था, तो मैं सभा में उपस्थित थी तथा मैंने उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनी थी। श्री पाटोदिया ने जो तर्क पेश किये थे, वे पक्षपात पूर्ण थे। मैं इस सम्बन्ध में अपनी निष्पक्ष राय व्यक्त करना चाहती हूं।

{ **श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए**
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

मैं जो कुछ कहूगी वह आर्थिक तथ्यों पर आधारित होगा। यह सही है कि रूस सहित पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारा कुल निर्यात व्यापार 1 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। परन्तु अवमूल्यन के बाद अन्य व्यापारों की भांति इस व्यापार में भी परिवर्तन आया है और यह भी सच है कि विदेशी व्यापार को भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन हानि हुई है। अतः हमें अपने व्यापार के लाभों तथा हानियों का पुनः मूल्यांकन करना चाहिये, जो हम पश्चिमी गुट तथा पूर्व यूरोपीय गुट के साथ कर रहे हैं। वाणिज्य मन्त्री ने यह तर्क पेश किया

हैं कि हमारे द्वारा अवमूल्यन से पहले किये गये किसी व्यापार समझौते के बारे में, यद्यपि उसे पूरा भी न किया गया हो और यदि माल एक दूसरे देश की सीमा में भी न पहुंचा हो तो भी अवमूल्यन से पूर्व तय किये गये मूल्य देने होंगे अथवा दोनों देशों को एक दूसरे को देने होंगे। इसके बाद भी यदि हम निर्यात की जाने वाली मुख्य-मुख्य वस्तुओं के सूचकांकों को देखते तो यह पता चलता है कि रूस तथा शेष विश्व को निर्यात की गई मुख्य-मुख्य वस्तुओं के सूचकांकों में अवमूल्यन के बाद गिरावट आई है।

इस सम्बन्ध में, चाय, काली मिर्च और काफी के निर्यात के अवमूल्यन के बाद के 1967-68 के आंकड़ों की यदि वर्ष 1960-61 के आकड़ों से तुलना की जाये तो ज्ञात होता है कि वर्ष 1967-68 के आंकड़े वर्ष 1960-61 के आंकड़ों की तुलना में कम हैं। अतः इन आंकड़ों से मन्त्रालय का यह तर्क गलत सिद्ध हो जाता है कि व्यापार के वास्तविक मूल्यों में वृद्धि हुई है।

जिन वस्तुओं का हम पूर्वी यूरोप के देशों से और वे देश हमारे देश से व्यापार करते हैं उनके बारे में समन्वय स्थापित किया हुआ है। पूर्वी यूरोप के देशों में हाल में तेजी से आर्थिक उदारीकरण हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के कारण वे देश अब इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि उन्हें अमुक वस्तु का आयात भारत से करना चाहिये अथवा संसार के किसी अन्य देश से। उदाहरण के तौर पर देखिये इस समय यूगोस्लाविया आर्थिक उदारीकरण की नीति का पालन कर रहा है। वस्तुतः अब यह निर्णय उस देश के उत्पादन सम्बन्धी उद्योगों ने करना है कि ऐसी कौन सी सहायता वस्तुयें तथा कच्चा माल हैं, जो हमें आयात करना है। चूंकि उन्हें उदारीकरण की सुविधा दी गई है इसलिये वे इस बारे में निर्णय कर सकते हैं कि वे किस देश से सामान खरीदना चाहते हैं। उन देशों में उदारीकरण ने रुपयों में भुगतान सम्बन्धी निर्णयों को पुराना कर दिया है। अतः यह जरूरी हो गया है कि रुपयों में भुगतान की शर्तों के बावजूद हम अपने समझौतों का पुनरीक्षण करें और उन्हें व्यापार के लिये आर्थिक वांछनीयता के प्रमुख आधार पर नवीनतम बनाये।

तीसरे मैं कहना चाहती हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि सामान खरीदने के लिये विभिन्न देशों को रुपये की सार्थकता के भिन्न-भिन्न विनिमय मूल्य बताये जाने की कटु आलोचना की गई है। यूगोस्लाविया के साथ रुपये की कुछ दर तय हुई है, चेकोस्लेविया के साथ कुछ और रूस के साथ कुछ और। यह ठीक बात नहीं है। परन्तु मुझे इस बात की खुशी है कि अब इतनी आलोचना के बाद वाणिज्य मन्त्रालय ऐसी प्रथा अपना रहा है जो उसने आज तक नहीं अपनाई थी अर्थात् रुपये में भुगतान के व्यापार और अबाध विदेशी मुद्रा में व्यापार के अन्तर को खत्म कर दिया गया है। वाणिज्य मन्त्रालय का कार्य सराहनीय है और मैं इसका समर्थन करती हूं।

इस सम्बन्ध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं कि रुपये में भुगतान किये जाने वाले देशों से व्यापार के परिणामों तथा आर्थिक लाभ का अध्ययन आर्थिक विकास संस्थान द्वारा किया गया था। उसने यह बताया है कि हम मशीनों के लिये रूस को बहुत अधिक मूल्य दे रहे हैं। मैं श्री पाटोदिया की भांति यह नहीं चाहती कि रुपये में भुगतान करार को पूर्णतया

समाप्त किया जाये, परन्तु मैं कहना चाहती हूं कि इस अध्ययन ने हमें यह बाध्य कर दिया है कि जब हम यह महसूस करें कि कोई करार अथवा मसौदा हमारे हित में नहीं है तो हम निश्चय ही उस सम्बन्ध में सतर्क और सावधान रह सकते हैं। पूर्व यूरोप के देशों से सामान के आयात तथा निर्यात के लाभ अथवा हानि का हमें निरन्तर अध्ययन करते रहना चाहिये।

अब मैं बोकारों इस्पात कारखाने का उल्लेख करना चाहती हूं। अब स्वयं सरकार के पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार बोकारो कारखाने पर हमारी अधिक लागत आयेगी। इस कारखाने पर भिलाई, दुर्गापुर तथा रूरकेला इन तीनों इस्पात कारखानों की कुल लागत से अधिक लागत आयेगी। इसका कारण यह है कि बोकारो सम्बन्धी करार के अन्तर्गत हम रूसी मशीनों का अधिक मूल्य दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त रूसी रूबल तथा भारतीय रुपये का पुर्नमूल्यन हुआ है तथा इससे रुपये और रुबल में असमानता कुछ और बढ़ गई है।

मैं ने संसदीय कांग्रेस पार्टी की बैठक में भी यह प्रश्न उठाया था तथा कहा था कि रुबल और रुपये के पुर्नमूल्यन के कारण हमें रूस से की जाने वाली आयात पर कीमत का 87.71 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ता है। अतः बोकारो इस्पात कारखाने पर अधिक लागत आने का यही कारण है।

मैं इस बात से इन्कार नहीं करती कि रुपये में व्यापार से देश को कुछ आर्थिक लाभ होता है। परन्तु इसमें कुछ हानियां भी हैं, जिन्हें रोका जाना चाहिये। एक हानि पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा अन्तरण-व्यापार की है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही 15 से 18 प्रतिशत है। अन्तरण-व्यापार बन्द करना होगा, क्योंकि यह हमें अबाध विदेशी मुद्रा से वंचित रख रहा है। दूसरी हानि बड़े-बड़े सौदे एक साथ ही सोवियत संघ द्वारा हम से करने और हमारे द्वारा सोवियत संघ से करने के सम्बन्ध में हैं। यदि हम भारी मात्रा में सामान खरीदने और बेचने का करार कर लेते हैं तो भारतीय सामान का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य बढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये इन दोनों प्रकार की हानियों को रोका जाना चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि विभिन्न देशों में रुपये का संचय हो गया है। जब हम किसी देश से सामान न खरीदना चाहें और वह देश रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की स्थिति में न हो तो कुल रुपयों के सम्बन्ध में एक बहुप्रयोजनीय करार होना चाहिये कि किसी एक देश में संचित रुपयों से, यदि हम उपयुक्त समझे तो अन्य देश का सामान खरीद लें। अतः हमें इस बात पर आग्रह करना चाहिये कि हम रूस को बिना शर्त स्वर्ण सम्बन्धी खण्ड स्वीकार नहीं करेंगे। भिलाई जैसे करार, जो गत समय में हुए हैं, जिनमें सरकार ने जहां कहीं बिना शर्त स्वर्ण खण्ड का उपबन्ध स्वीकार किया है, उसे बदल दिया जाना चाहिये तथा उनमें सशर्त स्वर्ण खण्ड का उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Chairman, Sir, with your permission I move my amendment that a Committee of Members of Parliament be nominated by the Speaker in order to asses the lossess and gains of our foreign trade with East European countries on rupee payment basis and suggest ways and means to solve the same. I am not one of those who say that we should have no trade with East Europen countries. My point is that our trade should be based on national self interest. I agree we had certain gains in the past in our trade trade with East European countries on rupee

payment basis. But we have to assess the present situation and we have to see as to whether our present system of trade with East European countries is in our interest or it is against our interests. No one can deny the fact that there have been cases of resale and re export of Indian goods sent to East European countries and thus the East European countries are earning foreign exchange by re-exporting Indian goods. Thus we are being deprieved of the foreign exchange which would have been available to us. The Eastimates Committee have observed in their Report on Utilisation of External Assistance.' Cases of diversion and re-sale of Indian goods at and through Hamburg. Antwarp, Rijeka etc. have come to our notice from time to time through indirect sources. The items involved are cashew nuts, H. P. S., groundnuts, spices, E. L. Tanned skins, coffee, tea, mica, jute goods etc. These diversions/resale were stated to have been resorted to by almost all the East Europen countries.

So, it is evident that the East Europen countries are earning much foreign exchange by re-exporting Indian goods. Thus we are at a great loss. Had we exported our goods direct to those countries we would have earned that foreign exchange.

Secondly I want to point out that formerly these countires used to pay us good prices. But when we began to depend on them and increased our production capacity, they hestitated to pay us the good price. They felt that we have no other alternative except to sell the goods to them at cheap rates. There was no other buyers. The result is that we have been suffering loss in our trade with these countries from some years past. We have received an order for the supply of railway wagons. In case we do not settle the price and specification etc. in advance and increase our capacity, then it is most likely that they may sequeze their order and we have to suffer a loss. Government should be cautious in this regard.

I would like to point out one thing more regarding the rupee payment trade. The East European countries purchase goods through their agents. These countries pay higher prices to their agents than the market rate. Thus the profit which the commission agents of these countries earn as a result of difference between thd market rate and the prices paid by these countries is distributed between the agents and the communists of this country. I have facts and sufficient data to prove that huge amounts are given by them for infiltrating their political ideology I have no objection if the communits get money from the public and preach their ideology, but it is dangerous for the security of our country that they are infiltrating their ideology by foreign money. The communists are thus trying to infiltrate in our political life. I would like that an enquiry should be made in this regard through C. B. I. I know that an enquiry has already been made by the hon. Minister through C. B. I. and it has been proved that huge amounts are given to the Communists by these commission agents. So it is a very dangerous state of affairs and something must be done in this regard.

Next I would like to point out that our foreign trade is based on political consideration. It should be based on trade considerations and not on political considerations. We are having trade with Japan and Russia, but we do not have trade in Israel. Even Russia is thinking to have trade with K. M. T. China and U. S. A. in thinking to have trade with Red China. There is no political consideration so far as trade is concerned. But our Government have always political considerations in mind. Israel can supply us fertilizers and rock phosphate at cheaper rates, but we are not having it due to political considerations. Again Israel wanted to buy 200 wagons from us, but our Government did not even supplied them specifications. So my submission is that in trade our consideration should be our interest and any political consideration should not stand in our way.

Lastly I want to submit that all our trade agreements should be reviewed and re-concluded, keeping national interest in view. The agreement recently concluded regarding the supply of machinery for Bokaro Steel Plant is against our national interests and it should be revoked. We can have all these machines from Heavy Engineering Ranchi.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : यद्यपि मेरे से पूर्ववक्ता माननीय सदस्य ने बहुत ओज पूर्ण भाषण दिया है, तथापि उनका भाषण तथ्य पर नहीं अपितु राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित था। मैं जो कुछ कहना चाहती हूं उनका आधार तथ्य और आंकड़े हैं। गत 12 अथवा 15 वर्षों में यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे निर्यातों के लिये यह एक नया क्षेत्र था। इससे हमें आरम्भ में सौदेबाजी का लाभ भी हुआ है। इसलिये वर्ष 1950 से हमारे व्यापार मे वास्तविक वृद्धि हुई है। हमारे निर्यात 3 करोड़ रुपये के मूल्य से बढ़कर 226 करोड़ रुपये के हो गये हैं और आयात 4 करोड़ से बढ़कर 203 करोड़ रुपये के हो गये हैं। यदि हम वृद्धि की दर को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारे व्यापार में हमारे परमरागत सहयोगी ब्रिटेन के साथ व्यापार की दर की वृद्धि से भी कहीं अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु हमें देखना यह है कि व्यापार में वृद्धि के साथ साथ हमारे हितों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इन देशों के साथ हमारा 75 प्रतिशत व्यापार काली मिर्च, काजू, नारियल की जटा, कपास की रद्दी, काफी, चाय, तम्बाकू, पटसन और खाल जैसी परम्परागत वस्तुओं का होता है। एक तरह से व्यापार में वृद्धि उचित ही है, परन्तु इस वृद्धि के करण अबाध विदेशी मुद्रा के कुछ क्षेत्रों में हमारे व्यापार पर कुप्रभाव पड़ा है। मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख किया था। इसलिये मैं इसका विस्तार पूर्ण वर्णन नहीं करना चाहती। इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुयें हम उन दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में बेच सकते थे जो अबाध विदेशी मुद्रा के क्षेत्र हैं परन्तु हमें वे वस्तुयें भी पूर्वी यूरोप के देशों को ही बेचनी पड़ी। इससे इस सीमा तक देश को हानि हुई है।

फिर ऐसे भी उदाहरण हैं कि पूर्वी यूरोप के इन देशों ने हमसे सामान खरीद कर अन्य देशों को बेचा और इससे हमें हानि हुई। श्री गुप्ता ने इस बात का उल्लेख किया है। इस तरह से इन देशों ने अबाध विदेशी मुद्रा वाले देशों के बाजारों में हमारा मुकाबला किया है। इससे हमारे देश की हानि हुई है।

इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के देशों में एक और प्रगति है और वह यह है कि वे हमारा तैयार माल नहीं खरीदना चाहते। पिछले कुछ समय से बहुत दबाव के बाद वे हमारा कुछ तैयार सामान खरीदने को सहमत हुए हैं। इसलिये अब पंखे, लैम्पों तथा मशीनी औजारों इत्यादि तैयार माल का 20 प्रतिशत व्यापार इन देशों के साथ होता है।

अब मैं आयात की स्थिति का उल्लेख करना चाहती हूं। इन देशों से पूंजीगत सामान, मशीनों और अन्य साज सामान का आयात करते हैं। इनके लिये हम उन्हें पाश्चात्य देशों में प्रचलित मूल्यों की अपेक्षा अधिक मूल्य देते हैं। कुछ मामलों में हमने उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक मूल्य दिया है। इसके अतिरिक्त इन देशों से मंगाये जाने वाले सामान की किस्म भी कुछ अच्छी नहीं होती है। परन्तु भुगतान की व्यवस्था रुपयों के आधार

पर होने की सुविधा और आयात नियन्त्रण की व्यवस्था अधिक कठोर न होने के कारण राज्य व्यापार निगम ने कुछ ऐसे सामान का भी आयात किया है, जो हम अपने देश में तैयार कर रहे हैं। इसलिये वहां से जरुरत से ज्यादा सामान मंगाने से हमारे देश के उत्पादकों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हमारी मुख्य समस्या क्या है ? श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने भी हमारी कठिनाई का उल्लेख किया है। हमारी कठिनाई हमारे द्विपक्षीय समझौते हैं। इनके कारण हम जिस देश से सामान खरीदना चाहें, उससे खरीदने को स्वतन्त्र नहीं है और हमें इन देशों से मंहगी दर पर सामान खरीदना पड़ता है। अतः हमें अपने व्यापार को ठीक ढग से संतुलित करना चाहिये।

ज्यों ज्यों हमारे उद्योगों का विकास होगा, त्यों त्यों हमारी आवश्यकतायें भी बदलती जायेंगी। हम पूर्वी यूरोपीय देशों से कुछ औद्योगिक कच्चा माल खरीदना चाहते हैं, परन्तु वे हमें यह माल भेजने के लिये या तो तैयार नहीं है या हमारी स्थिति का लाभ उठाकर ऊंचे मूल्यों पर अपना सामान बेचना चाहते हैं।

इस व्यापार का एक और हानिकारक पहलू यह है कि हम पर उनके ऊंचे मूल्य के सामान को खरीदने का दबाव डाला जाता है। हाल ही में हमारा ध्यान जहाजों की खरीद की ओर गया हैं। हम अन्य देशों से जहाज खरीदना चाहते थे परन्तु रूस के दबाव के कारण यह विचार छोड़ना पड़ा।

इस व्यापार का एक और हानिकारक पहलू है, जिसका पहले भी माननीय सदस्यों द्वारा विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। पहले हमें किसी विशेष वस्तु के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने को कहा जाता है और उस वस्तु की उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने के बाद ये देश अपनी खरीद कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर भिलाई इस्पात कारखाने की वेल्लित इस्पात के उत्पादों और रेलवे वैगनों की रूस द्वारा हमसे जो खरीद की जा रही है, वह हमारे लिये अलाभकर रही है। इस व्यापार को सुदृढ़ करने के लिये हमें अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ानी पड़ी। औद्योगिक क्षमता बढ़ जाने के बाद उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया, क्योंकि इन उत्पादों को हम और कहीं नहीं बेच सके। पिछले कुछ वर्षों से जूते, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े का हमारा व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। अब हमें कुछ कठिनाई अनुभव होने लगी है, क्योंकि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। हम अपना सामान और कहीं नहीं बेच सकते हैं और इन देशों ने खरीद कम कर दी है।

इस प्रकार के द्विपक्षीय सम्बन्धों द्वारा रूस हमें अपने साथ बांधे रखना चाहता है ताकि उसके माल के लिये यहां बाजार निश्चित रूप से बना रहे।

आज हमारी आलोचना इस बात पर हो रही है कि हम पूर्व योरूपीय देशों से ऊंची दरों पर आयात कर रहे हैं और अनावश्यक वस्तुयें मंगा रहे हैं ऐसी वस्तुएं मंगा रहे हैं जिनसे हमारी अपनी उत्पादित वस्तुओं का बाजार घटता है। इसके अतिरिक्त हम अपने माल को

स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के क्षेत्रों को न बेचने को बाध्य हो रहे हैं। ऐसी ही और भी अनेक बातें हम कर रहे हैं जिनसे कि देश को हानि हो रही है।

परन्तु हम इस व्यापार को बन्द नही करना चाहते क्योंकि यह एक नया क्षेत्र है परन्तु हमें इतना अधिक भी आयात नहीं करना चाहिये कि वह हमारे देश की आवश्यकताओं से परे हो। हमें इस बात के लिये भी बाध्य नहीं होना चाहिये कि हर हालत में हम अपना माल केवल रुपये वाले क्षेत्रों में ही बेचें। यदि कोई देश चाहता है कि उसके माल के लिये हमारे यहां बाजार निश्चित हो तो इसके लिए उसे न्याय संगत शर्तें रखनी चाहिए न कि हमारा शोषण करने वाल ' शर्तें।

रूस के साथ हमारे व्यापार की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वहां हमारा माल उतर जाने पर भी रूस हमारे माल को अस्वीकार कर सकता है। ऐसा समझौता केवल रूस के साथ ही है। हमें याद है कि एक बार जूते के व्यापार के समय हमें इस शर्त के कारण कितनी हानि हुई थी।

कई बार जब आवश्यकता के समय जब हमें कलई आदि जैसी विदेशों से खरीदनी होती हैं तो वे देश हमसे अत्याधिक मूल्य लेते हैं। अतः हर वर्ष इन देशों के साथ व्यापार योजना बनाते समय व्यापारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का भी सहयोग ले लेना चाहिये।

यदि ये देश हमसे और हम उन देशों से व्यापार करना चाहते हैं तो हमारी विकास पद्धति में परिवर्तन को देखते हुए उन्हें हमारा तैयार माल भी खरीदना चाहिये तथा हमें केवल परम्परागत वस्तुओं तक ही बांध कर नहीं रखना चाहिये। अन्यथा हम भी उनके साथ अपना व्यापार कम कर दें तथा अपने देश के व्यापार के राष्ट्रीय स्तर तक ही रहने दें। जिस भी देश से व्यापार हो उसमें सन्तुलन तो रहना ही चाहिए।

डा० रानेन सेन (बारसाट : मैं श्री पाटोदिया द्वारा रखे गये प्रस्ताव का निरोध करता हूं तथा श्री कंवरलाल गुप्त और श्रीमती सुचेता कृपालानी द्वारा दिये गये भाषणों को भी अस्वीकार करता हूँ क्योंकि इन भाषणों के पीछे राजनीतिक और सैद्धान्तिक स्वार्थ निहित हैं।

यह सभी जानते हैं कि भारत में पश्चिमी पूंजी से सम्बन्ध रखने वाले अधिकतम् व्यापारी पूर्वी देशों के साथ हमारे व्यापार के बारे में आपत्ति उठाते हैं परन्तु इसके साथ ही एक ऐसा भी एक व्यापारी वर्ग हैं जो इस व्यापार का समर्थन करते हैं। आज के **स्टेस्मैन** में भी एक लेख में डा० आर० के० सिंह ने न केवल इस व्यापार का अनुमोदन किया है बल्कि यह भी भी कहा है कि पूर्वी योरूप के देशों के लिए यह निर्माण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर देना चाहिये तथा भारतीय उद्योग पतियों को इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये।

यहां कहा गया है कि पूर्व योरुपीय देशों को भारत केवल परम्परागत मदों का ही निर्यात कर रहा है। परन्तु मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि न केवल परम्परांगत मदों का ही बल्कि अन्य इन्जीनियरी सामान का हम उन देशों को निर्यात कर रहे हैं। वर्ष 1965-66 में हमने 247 करोड़ रुपये का माल इन पूर्व योरुपीय देशों को

भेजा जिसमें से 216 करोड़ रुपये की परम्परागत मदें थी; परन्तु वर्ष 1967-68 में भारत का निर्यात 226 करोड़ रुपये का था जिसमें परम्परागत मदें केवल 171 करोड़ रुपये की ही रह गईं। इससे स्पष्ट लक्षित होता है कि इन भाषण कर्त्ताओं का यह कहना बिल्कुल निराधार है कि हम इन देशों को केवल परम्परागत मदें ही भेज रहे हैं। इसके बदले में हम अपने देश का औद्योगीकरण हेतु उनका पूंजी माल आयात कर रहे हैं इसके अतिरिक्त केवल हम कई छोटे देशों से कच्चा माल भी प्राप्त कर रहे हैं वे हमें कच्चा औद्योगिक माल दे रहे हैं। ये तथ्य सरकारी रिपोर्टों में दी गई हैं।

इन दो तरफा समझौतों से निर्यात होने वाली हमारी परम्परागत मदों के मूल्य को स्थिर करने में सहायता मिलती हैं। यह इस कारण है कि हमारी इन मदों का निर्यात अन्य पूर्व यूरुपीय देशों को होता है। मेरा अभिप्राय है कि इन पूर्व योरुपीय देशों से हमारा व्यापार संतुलित है तथा कभी कभी यह हमारे लिये लाभदायक होता है। जैसे वर्ष 1967-68 में उन देशों ने भारत से 226 करोड़ रुपये का आयात किया जब कि भारत को निर्यात केवल 203 करोड रुपये का किया। स्पष्ट है कि भारत को लाभ हुआ।

इसी प्रकार यदि हम पश्चिम जर्मनी और अमेरिका से भी तुलना करें तो भी यही बात सिद्ध होगी कि हमें लाभ है। परन्तु आंकड़े बताते हैं कि पूर्व यूरुपीय देशों के साथ हमारा व्यापार घटता जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हम उनके साथ व्यापार न करें बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उन देशों के साथ व्यापार में हमें लाभ है। दरों के विचार से भी हमें इन देशों के साथ व्यापार करने से लाभ हो रहा है।

दूसरा प्रश्न इन पूर्व योरुपीय देशों के साथ आयात और निर्यात का है। रूस जर्मनी तथा पोलैंड के साथ हमारे नौ-वहन समझौते हैं। यह सारा व्यापार रुपये में होता है जब कि यदि यह व्यापार अमरीका से गेहूं की मद में भी किया जाये तो भी हमें डालर में भुगतान करना पड़ता है। अतः मैं कहूंगा कि पूर्व योरुपीय देशों से हमारा व्यापार करना हमारे हित में है, हमारे हितों के विरुद्ध नहीं। पूर्वी योरुपीय देशों से तो वही लोग व्यापार करने के इच्छुक हैं जो कि कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाकर हमारे राजकोष को हर वर्ष प्रायः 300 करोड़ रुपये की हानि पहुंचाते हैं। मुझे भय है कि स्वतन्त्र दल और जनसंघ के कुछ लोग इस प्रकार धन कमा रहे हैं और इसी कारण वे लोग पूर्व योरुपीय देशों के साथ हमारे इस व्यापार के विरुद्ध हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : प्रस्तुत प्रस्ताव में अमेरिका से माल खरीदने का प्रचार किया गया है। इसी सत्र के दौरान यह दूसरा प्रयास है। वास्तविक स्थिति यह है कि पूर्व योरुपीय देशों के साथ हमारे व्यापार से उन शोषकों का एकाधिकार समाप्त हो गया है जो शताब्दियों से हमारे प्राकृति स्रोतों तथा हमारे मानवीय श्रम का शोषण कर रहे थे।

इस देश में यह बात विशेष है कि यहां बेचते कम हैं तथा खरीदते अधिक हैं। पश्चिम देशों के आयातकर्त्ता हमारे साथ बड़े ही धोखे का व्यापार करते हैं। इसके अतिरक्त कम और अधिक धनराशि के बीजक बनाने की भी कुरीति है जिससे हमारे देश को 300 करोड़ रुपये से

अधिक की हानि प्रतिवर्ष होती है। इसी अनुपात से आयकार की भी देश के राजकोष को हानि होती है।

इसके अतिरिक्त बड़े एण्ड कम्पनी, बंज एण्ड कम्पनी, जारडाइन हैन्डरसन्स आदि ऐसी सैंकड़ों कम्पनियां है जिनके गलत कार्यों में हमारी सरकार के केन्द्रीय मन्त्रियों का सहयोग है और इससे भी देश को हर वर्ष अरबों रुपये की हानि होती है। दक्षिण कोरिया से निरोध का आयात होता है जिसके लिये सरकार 30 लाख रुपये का उपदान देती है। कांग्रेस दल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि एक मंत्री का पुत्र है इसका इस व्यापार में हाथ है। परन्तु जहां सरकार ने देशों में चार कारखानों को उपदान देने में 15 लाख रुपये खर्च वहां उन कारखानों में उत्पादन बन्द हो गया। अमरीका और ब्रिटेन से प्रभावित देशों से हमें यही कुछ प्राप्त हो रहा है।

पश्चिमी देश हमारे निर्यात किये गये माल का भी दुरुपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा चाय का व्यापार नहीं है। परन्तु जो चाय हम नार्वे को भेजते हैं वही चाय नार्वे हेराफेरी करके दक्षिण अफ्रीका भेज देता है तथा कई गुना लाभ कमाता है। जबकि हमारे यहां यह लेखा रहता है कि माल नार्वे गया और नार्वे ने ही मूल्य का भुगतान किया। लेकिन नार्वे के लोगों को तो इस माल की हवा भी नहीं लगती।

क्यूबा तथा वियतनाम जैसे समाजवादी देशों के साथ हमारी सरकार की व्यापार नीति ठीक नहीं रही। हमारे देश की नीतियां सदैव अमरीका द्वारा नियंत्रित की जाती रही हैं; जैसे बैल मिशन के कहने से हमारे देश में रुपये का अवमूल्यन हुआ। अमेरिका हमें सदा ही ब्लेक मेल करता रहा है।

इस स्थिति में मैं कहूंगा कि हमें अपनी चीजें जो कि हमारी अपनी मानव शक्ति और प्राकृति स्रोतों की देन है, अपनी स्वेच्छा से ऐसे देशों को बेचनी चाहियें जो हमें अधिक मूल्य देते हैं। हम यहां सदन में किसी भी देश के साथ व्यापार करने के प्रचार का विरोध करते हैं जैसा कि इस प्रस्ताव में स्पष्ट होता है कि यहां अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने का प्रचार किया गया है। हमें तो इस बात का प्रयास करना चाहिये कि पूर्वी यूरोप के देशों से हमारा व्यापार बढ़े तो अच्छा है।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : विदेशों के साथ हमारा व्यापार का यही उद्देश्य होना चाहिये कि इसके द्वारा हमारे आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ बूझ के विकास में कितनी सहायता मिलती है। इस दृष्टि से विदेशी व्यापार एक जटिल मामला सिद्ध होता है। पिछले बीस वर्षों में राजनीति तथा तकनीकी जानकारी अपने माल को क्रय करने की योग्यता तथा बिदेशों से ऋण आदि की बातों के कारण अनेक नई बातें उत्पन्न हुई हैं। यह समय किसी संकीर्ण दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का नहीं है। हमें इस मामले पर उत्तेजित हुए बिना विचार करना है। सोवियत संघ के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों से हमें बड़ा लाभ हुआ है। उस देश से हमें 1400 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है जिससे हम 40 सरकारी उपक्रमों में धन लगा सके हैं। इसके अतिरिक्त उस देश ने हमें तकनीकी जानकारी

तथा मशीनें भी दी हैं । साथ ही रूस तथा अन्य पूर्व योरुपीय देशों के साथ रुपया समझौते से भी हमें प्रारम्भिक लाभ हुए हैं । परन्तु मैं इन मामलों पर किसी अन्य दृष्टिकोण से विचार करता हूँ ।

कई वर्षों से यह कहा जा रहा है कि केवल कुछ विशिष्ट देशों के साथ ही व्यापार करने के कारण हम तकनीकी विकास के क्षेत्र में पीछे रह गये हैं । कुछ अर्थशास्त्रियों का भी यह मत है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद से हमारे रुपये से रुबल में 86-87 प्रतिशत के मूल्य की वृद्धि हो गई है । इससे सोवियत रूस से क्रय किया गया माल हमें अधिक महंगा पड़ता है । इस बारे में हमें अपने आन्तरिक और राष्ट्रीय हितों को अवश्य ध्यान में रखना है ।

अतः हमें अपनी व्यापार नीति पर फिर से विचार करना होगा । मैं इस प्रस्ताव से सहमत नही कि हमें अपनी नीतियों में यथेष्ट परिवर्तन करना चाहिए । मैं तो इस बात को चाहूँगा कि सारे मामले पर नये दृष्टिकोण से विचार हो । इस बारे में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जानी चाहिये । दुर्भाग्य से आज सारा विश्व दो महान शक्तियों में विभाजित हो गया है । एक ओर अमेरिका तथा पश्चिमी योरुपीय देश हैं तथा दूसरी ओर सोवियत रूस तथा उससे सम्बद्ध देश हैं । ये दोनों गुट छोटे विकास शील देशों को अपने राजनैतिक स्वार्थ पूरा करने में प्रयोग कर रहे हैं । अतः कई बार इन विकास शील देशों को अपनी स्वतन्त्र व्यापार नीति बनाने में कठिनाई आती है । विकसित देश, विशेष रूप से पूंजीवादी देश, उन विकाशील देशों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखते । अब तक कोई भी विकसित देश अपनी कुल आय का केवल एक प्रतिशत भी किसी विकासशील देश को नहीं दे सका । भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के माध्यम से भी यह कराने असफल रही कि विकसित देश अल्जीयर घोषणा पत्र का अनुसरण करें जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी और पूंजीवादी देशों और देशों के मध्य सहानुभूति पूर्ण व्यापार समझौते हों।

विकासशील देशों की नई आवश्यकताओं का लाभ उठाकर विकसित देश अपनी प्रति व्यक्ति आय में 60 डालर प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि कर रहे हैं जब कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में केवल 2 डालर प्रतिवर्ष की ही वृद्धि हो रही है। पश्चिम योरुपीय देशों ने विशेषकर पिछले छः सात वर्षों में अपना व्यापार बहुत बढ़ाया है । उन देशों का व्यापार सारे विश्व के व्यापार का 46 प्रतिशत बताया जाता है । अतः हमें अपनी व्यापार नीति का पुनः संकलन करना चाहिए ।

मैं अनुभव करता हूँ कि योरूप तथा अन्य स्थानों पर हमारे दूतावास ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं । वहां नौकरशाही की भावना व्याप्त है तथा वे अपने देश की आवश्यकताओं को उजागर नहीं कर सके हैं । योरुप में हमारी हथ करघा वस्तुओं की बड़ी भारी मांग है । वहां हमारे दूतावासों में सरकार को अधिक सूज बूज और अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए ।

व्यापार के मामले में हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये अन्यथा हम दूसरों के मुकाबले में पिछड़ जायेंगे । मैं यह स्वीकार करता हूं कि व्यापार में राजनीति नहीं लायी

जानी चाहिए परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दक्षिण अफ्रीका को अपना माल बेचना चाहिए। चीन साम्यवाद का ढिंढोरा पीटता है परन्तु वह दूसरे देशों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार करता है। इस के भयकर परिणाम होंगे। इसी प्रकार पूंजीवादी जापान के चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं। अतः हम इस स्थिति में कैसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे यही हमने विचार करना है।

आज अनेक देश अपनी तकनीकी जानकारी बढ़ा रहे हैं, नयी नयी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। अच्छे स्तर का माल पैदा कर रहे है, उनके लिये हर जगह मार्किट है। चीन आदि देशों के माल बड़े अच्छे और सस्ते हैं इस लिये उन पर रोक होते हुए भी वे हमारे देश में चोरी छिपे लाये जाते हैं और बेचे जाते हैं।

अतः व्यापार के बारे में विचार करते समय हमें सबसे पूर्व अपने देश के हितों का ध्यान रखना है। हमें विचारना है कि व्यापार नीतियों पर नये ढंग से विचार और उनका संकलन करने से हमारे देश के व्यापार का विशेष रूप से पूर्व योरुपीय देशों के साथ, कैसे विकास होता है।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : व्यापार के मामले में राजनैतिक दृष्टिकोण अथवा देश की नीति कोई अधिक महत्व नहीं रखते। यह बात हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। हम यहां अमरीका अथवा सोवियत संघ की नीतियों की तुलना नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हमें अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना चाहिये। अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने में यदि हमें कुछ हानि भी हो तो भी अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना चाहिए। जापान अपने निर्यात पर उपदान देता है क्योंकि वह विश्व मंडी को काबू करना चाहता है। ताकि बाद में उसके लाभ उसे मिले। अतः यह बात संगत नहीं कि यदि कोई देश शत्रुता का रवैया रखता है तो नीति अनुसार हमें उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिये।

अमेरिका हमें ऋण देता है, उस पर ब्याज लेता है परन्तु फिर भी हमें बाध्य करता है कि हम अमरीका की मंडियों से ही माल खरीदें। तथा उनके द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदें। इस प्रकार हमें ब्याज और मूल्य दोनों ही देने पड़ते है ? सोवियत संघ के बारे में व्यापार में संतुलन है। उसमें हमें चयन की स्वतन्त्रता है हमारी सरकार चाहे जिस माल को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। इस प्रकार बकाया भुगतान की समस्या समाप्त हो जाती है।

अतः सोवियत संघ के साथ हमारा व्यापार अधिक महत्व रखता है क्योंकि यह अमरीकी व्यापार से बिलकुल भिन्न है। हमें सभी ऋणों से मुक्त होना चाहिये।

अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजा राम (सलेम) : व्यापार में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमारे देश के व्यापार में कटौती हो रही है। व्यापारी को अपनी वस्तुएं बेचने का ढंग होना चाहिये। यदि व्यापार में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तो हमारे व्यापार की स्थिति सामान्य हो सकती

है । हमें अमरीका या चीन का समर्थन करने के स्थान पर अपने हित का ध्यान रखना चाहिये। हमारा व्यापार कम होता जा रहा है । पूरे विश्व में हमारे दूतावास है परन्तु उन्हें व्यापार सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है । हमें व्यापार में प्रशिक्षित लोगों का चयन करके विदेशों में भेजना चाहिये जो वहां जा कर हमारी वस्तुओं का प्रचार करे । इस समय हमारे देश में निर्मित वस्तुओं के प्रचार का बिल्कुल अभाव है । हमने देश में उपलब्ध कच्चे माल का एकदम निर्यात आरम्भ कर दिया था । जैसे मूंगफली एकदम बेचने से अब इसकी मांग नहीं रही है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे व्यापार में अवश्य वृद्धि होनी चाहिये ।

Shri Yespal Singh (Dehradun) : Even after the constant efforts made during the last 21 years our country is considered to be a backward one. I congratulate the mover who has drawn the attention of the Government to it. It is a very strange thing that an article worth Rs. 180 is exported at the rate of Rs. 100 for sake of foreign exchange. Instead of promoting our agriculture, we have become enamoured of other countries. Our policy of neutratity has landed us no where. According to the figures of world Bank, Pakistan occupies the 14th place where as India occupies the 63rd place in the world.

We have been inclined towards Russia but we have been playing the game of a loser. In the beginning Russia had been saying that Kashmir belonged to India but now they have become neutral. We should have follwed Japan in trade matters. Japan and Germany have developed their industry through hard labour and have acquired self sufficiency now. We should also try to become self sufficient and not depend on other countries.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : As we have been ruled by Britishers for a long time, we still think that England is the only capitalist country in the world. Among the capitalist countries the U. S. A., is at top and Japan and Germany occupy 2nd and 3rd places respectively. U. S. A. can export machines for basic industries but instead of importing such machinery we import foodgrains from there Now we are importing this type of machinery from Russia only. We should have persuaded U. S. A. to supply machines required for our basic industries. Our country is not being benefited by the existing trade policy of the Government. Our trade policy has proved to be a failure at home as well as abroad. China has developed its trade with both communist and capitalist countries. We should look to our own interst. We should follw China in this Matter. We cannot make progress by importing foodgrains only. It seems that Government has lost its bargaining capacity. I support the transactions based on rupee payment but the condition of gold is not desirable. In fact our policy is defective and moreover it is not implemented properly. In view of this I oppose this motion.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस संकल्प में रुस तथा पूर्व योरुपीय देशों के साथ हमारे व्यापार में कमी करने की मांग की गयी है । हम यह जानते हैं कि आज चीन भी ब्रिटेन और अमरीका के साथ व्यापार कर रहा है यद्यपि उनकी विचार धाराएं बिल्कुल भिन्न हैं । अतः रूस तथा पूर्व योरुपीय देशों के साथ व्यापार में कमी करने की बात विचार धारा के आधार पर प्रेरित है । किसी देश की विचारधारा के आधार पर विश्व में व्यापार नहीं चल रहा है । हमें भी व्यापार को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठाना चाहिये । यह कहना कि रूस के साथ व्यापार करना हमारे हित में नहीं, अनुचित है । वे हम से माल खरीदते है और हम उनसे खरीदते हैं । जबकि पश्चिमी देशों से माल खरीद तो सकते हैं परन्तु बेच नहीं सकते

हैं । पश्चिमी जर्मनी से आयात में कटौती करनी चाहिए । हमें रूस तथा पूर्व योरुप के देशों के साथ अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाना चाहिये ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Foreign trade should also be based mainly on national interests just as foreign policy. It should not be based on ideological consideration. Our country is a democratic one and there are free institutions. Free institutions cannot go with regimented economy and regimented trade. We have been exporting raw material or traditional goods but now we can export other things also. Our trade with Rusia and other East Europeon countries has been on the increase because we donot have foreign exchange and they accept rupee payment. But they are using this money to destroy democratic institutions in our country. Moreover they sell our goods to a third country and we lose the foreign exchange which we can get otherwise. In view of this we should reconsider this issue. We should not develop trade relations with Russia just because they accept rupee payment. We can see that just because of trade with Russia Finland is now under the control of Russia. Keeping in view all these things we should diversify our trade. We should develop our trade relations with Japan, Eastern Asia, Australia, France, Germany and Latin America, The quality of our goods should be good so that it could be sold on competitive rates in the world market. We should always keep in mind our national interests in our trade matters. With these words we support this motion.

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मुझे प्रसन्नता है कि सभा के सभी माननीय सदस्यों ने अर्थ व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए व्यापार का विकास करने और उसमें विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की है । हमने इस प्रयोजन के लिये आगामी दशक में 2,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है । पूर्व योरुपीय देशों के साथ व्यापार की स्थिति समझने के लिये हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ट भूमि का अध्ययन करना चाहिये । स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे व्यापार पर ब्रिटेन के साम्राज्य का प्रभाव था । हमारा व्यापार बहुपक्षीय आधार पर चलाया जाता था । इसमें मुद्रा की परिवर्तनशीलता ही मुख्यतः रहती थी । हमारे देश में उद्योगो का अभाव था अतः यहां से केवल कच्चे माल का निर्यात होता था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिये पूंजीगत वस्तुओं, मशीनों तथा पुर्जो के आयात के लिये हमें पश्चिमी देशों पर निर्भर करना पड़ता था । इससे हमारी विदेशी मुद्रा का भण्डार अपने आप ही समाप्त हो जाने का भय था । इस बीच रूस आदि समाजवादी देशों ने भी औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली थी । इन परिस्थितियों में हमने पूर्वयोरुपीय देशों के साथ व्यापार का विकास करने का प्रयास किया । हमने इन देशों के साथ जो व्यापार समझौते किये उनसे भारत और देशों को भी लाभ हुआ है । यह संतुलित व्यापार है । हमें अपना औद्योगिक आधार मजबूत करने में रूस तथा पूर्वयोरुपीय देशों ने बहुत सहायता दी है ।

हमारा व्यापार किसी विचार धारा या राजनीतिक संकल्पना से प्रेरित नहीं है । हमारा व्यापार भारत सरकार की अन्तर्भावना तथा जनता की इस इच्छा से प्रेरित है कि हमारे व्यापार का विकास हो । वर्ष 1953 की अपेक्षा वर्ष 1967 में पूर्वयोरुपीय देशों के साथ हमारे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है । इस अवधि में रूस के साथ 7.1 करोड़ रुपये के व्यापार से

227 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस से स्पष्ट है कि इन देशों के साथ हमारे व्यापार की काफी प्रगति हुई है। यह कहना ठीक नहीं कि पश्चिमी योरुप के देशों के साथ व्यापार कम कर के हमने पूर्व योरुपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाया है।

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब हम केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात नहीं करते, बल्कि उनके साथ साथ गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है। इसलिए हमारी इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है। यह कहना अनुचित होगा कि हमने पश्चिमी योरुप के देशों को अपना निर्यात घटा कर पूर्वयोरुपीय देशों को अपने माल का निर्यात किया है। वर्ष 1963–64 में पूर्वयोरुपीय देशों को हमने 520 लाख रुपये का माल निर्यात किया जबकि शेष विश्व को 1621 लाख रुपये का किया। वर्ष 1965–66 यह बढ़कर 520 लाख से 720 लाख हो गया और शेष विश्व में 1623 लाख से 1,959 रुपये हो गया। इससे स्पष्ट है कि हमारे परम्परागत और गैर परम्परागत माल के निर्यात में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हमारे व्यापार में विविधता आयी है। व्यापार के मामले में विचारधारा बाधक नहीं है। हम पूर्व योरुपीय देशों के साथ केवल इस दृष्टिकोण से व्यापार कर रहे हैं कि इससे हमारे देश को लाभ होता है। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध अवश्यम्भावी है। विश्व में अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये हमें पश्चिम के साथ ही नहीं बल्कि पूर्व योरुप के देशों के साथ भी व्यापार करना होगा।

यह कहना अनुचित है कि पूर्व योरुपीय देशों को हम कच्चा माल निर्यात करते है और उन से पुरानी मशीनें प्राप्त करते हैं। अब हम मशीनों और कलपुर्जों के मामले में दूसरे देशों पर बहुत कम निर्भर करते हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में हम स्वयं आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। हम इंजीनियरी की आधुनिक वस्तुएं इन बाजारों में भेज रहे हैं। हम परम्परागत वस्तुओं के साथ साथ कच्ची खालों, कपड़ा, मशीनों, मशीनी औजारों, टिप्पर ट्रकों रेल डिब्बों, बिजली के पंखों, स्वचालित सहायक उपकरणों, बिजली के उपकरण आदि का भी निर्यात कर रहे हैं। हम इन देशों को इसलिये यह माल निर्यात कर रहे हैं क्योंकि ये बाजार हमारे सामान के लिये उपयुक्त हैं।

अब हम इन देशों से समुद्री जहाज, जहाजों के उपकरण और बड़ी मात्रा में यूरिया और गन्धक का आयात कर रहे हैं। हाल ही में यूरिया और गंधक के आयात के लिये पोलैंड के साथ समझौता किया गया है। ये वस्तुएं हमारे उर्वरक कारखानों के लिये अत्यावश्यक हैं। द्विपक्षीय करार होने के कारण हमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ती।

यह ठीक है कि हमारे देश से प्राप्त वस्तुओं को इन देशों के कुछ व्यापारियों ने अन्य देशों को बेचा है और हमारे देश में भी ऐसी कुछ छुटपुट घटनाएं हुई है परन्तु इस व्यापार की मात्रा इतनी कम है कि हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। व्यापार की समीक्षा करते समय इन देशों से कहा जाता है कि जिन देशों के लिये वस्तुओं का निर्यात किया जाये, उन्हीं में उनकी खपत होनी चाहिये। कुछ बेइमान व्यापारी इस प्रकार की कार्यवाहियां करते रहते है। इस सम्बन्ध में सतर्कता रखी जाती है।

यह कहना ठीक नहीं कि हम व्यापार शिष्टमंडलों में हम केवल राजनीतिज्ञों को सम्मिलित करते हैं। हाल ही में हमने एक शिष्टमंडल में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के एक सदस्य को सम्मिलित किया था क्योंकि वह हथकरघा व्यापार का ज्ञाता था।

श्री एस० कन्डपन (मैंदूर) : हमारे प्रतिनिधि ने हमें बताया है कि विभिन्न दूतावासों के व्यापार प्रतिनिधियों को व्यापार की उपयुक्त जानकारी नहीं है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह भी कहा गया है कि हमें अपनी वस्तुओं के दाम कम मिलते हैं। वर्ष 1958 और 1965 के बीच रूस को 8.2 लाख रूपये से बढ़ाकर 17.3 करोड़ रुपये की चाय का निर्यात किया गया है जब कि चाय का कुल निर्यात में 136 रुपये से घटकर 115 करोड़ हो गया है। रूस से हम 7.01 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य प्राप्त कर रहे हैं जबकि अन्य देशों से हम 6.16 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम मिलते हैं। अतः हम अपनी वस्तुएं कम दाम पर नहीं बेच रहे हैं।

यह कहना भी उचित नहीं कि आयात की शर्तें उदार बनाने के बाद हमें इन देशों से ऐसी वस्तुएं खरीदनी पड़ रही है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। वस्तुओं की खरीदारी करने के सम्बन्ध में हमारे व्यापारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमें विश्वास है कि हमारे व्यापारी वहीं वस्तुए खरीदेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है।

पूर्व योरुपीय देशों का आपस में भी मुकाबला है। इस से हमें जहां से सस्ते मूल्य पर वस्तुएं मिल सकती हैं, हम वहां से खरीद सकते हैं। निर्यात के मामले में भी ये देश किसी भी व्यापारी से माल खरीद सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी यूरुप और रूस के साथ व्यापार का हमारा अद्वितीय अनुभव है जिससे परस्पर व्यापार की नई आशाएं और आकाक्षांए पैदा हुई हैं। परस्पर विश्वास और इस नवीन सहयोग से पूर्व योरुप, रूस और भारत के लाखों लोगों को लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कंवर लाल गुप्त का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment of Shri Kanwar Lal Gupta was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री देवकी नन्दन पाटोदिया का संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Resolution was put and negatived

केन्द्रीय सेवाओं के कार्यकरण के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : FUNCTIONING OF CENTRAL SERVICES

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

नम्बियार : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 19 सितम्बर 1968 की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के उपरांत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही दमनकारी नीति से, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है, उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं, सेवा से मुअत्तिल किये जाने के और सेवा में विघ्न के लिये आदेश जारी किये गये है, उत्पन्न गम्भीर स्थिति की दृष्टि से, इस सभा की राय है कि कर्मचारियों में तनाव और कटुता के विद्यमान वातावरण में समस्त भारत में केन्द्रीय सेवाओं के सुगम एवं कुशल कार्यचालन के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त सभी दमनकारी कार्रवाइयां तुरन्त वापस ली जायें और सामान्य स्थिति पुनः स्थापित की जाय।"

भाषण के आरम्भ में मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस निर्णय का कायल है जो अनुच्छेद 863 में दिया हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में हमारे देश के प्रतिनिधि ने इससे सहमति प्रकट की हुई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस करार में भागीदार है कि श्रमिकों को हड़ताल आदि आयोजित करने का मूल अधिकार होना चाहिये और उसे छीना नहीं जाना चाहिये। इस अनुच्छेद का यही अर्थ है।

परन्तु 19 सितम्बर की हड़ताल का परिणाम क्या हुआ ? हमारी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इस कानून का कहां तक उल्लंघन किया है वह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इतने अधिक कर्मचारियों से बदला लिया गया है। इस अधिकार का जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में हमारे प्रतिनिधि ने माना है कि प्रयोग करने के तथा कथित अपराध के कारण जिन व्यक्तियों से बदला लिया गया है उनके जो आंकड़े मैं एकत्र कर पाया हूं वे इस प्रकार हैं :

रेलवे : निलम्बित किये गये कर्मचारियों की संख्या 5,668 जिनकी सेवाएं समाप्त की गई 1,158, गिरफ्तारियां 5798, इस समय कुल बेरोजगार 12,624

डाक तथा तार : 3 744 व्यक्ति निलम्बित किये गये, 4,251 गिरफ्तार किये गये, 1,209 की सेवाएं समाप्त की गईं, योग 9,204

लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग : 131 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, 91 की सेवाएं समाप्त की गईं, 414 निलम्बित किये गये, योग 636

असैनिक उड्डयन : जिनकी सेवा में अन्तर डाला गया 3590

प्रतिरक्षा विभाग : 176 व्यक्तियों को निलम्बित किया गया, 476 को बर्खास्त किया गया ।

बहुत से अन्य विभागों ने भी कर्मचारियों के साथ इस तरह का ही व्यवहार किया है । सब मिला कर संख्या 20,000 से अधिक है । सरकार के आंकड़े भिन्न हो सकते हैं ।

सरकार ने अपने ही नियमों तथा माने हुए सिद्धान्तों को तोड़ा है । सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे संगठनों तथा बाहर के व्यक्तियों को क्या मुंह दिखा सकती है ?

1960 में भी हड़ताल हुई थी । वह एक दिन की नहीं अपितु आम हड़ताल थी । परन्तु जब श्री नेहरू को जो उस समय प्रधान मंत्री थे यह याद दिलाया गया कि हड़ताल करना कर्मचारियों का वाजिब अधिकार है और हड़ताल करने के कारण इन्हें दण्ड नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें विभागों का आदेश दिया कि किसी के साथ बदले की कार्यवाही न की जाये और सब मामला रफा दफा हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली बार जारी रखें । अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे ।

दिल्ली परिषद (अधिग्रहण तथा निष्कासन) संशोधन विधेयक पर वाद विवाद के दौरान दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE. NON IMPLEMENTATION OF ANSSURANCES GIVEN DURING DEBATE ON DELHI PREMISES (REQUISITION AND EVICTION) AMENDMENT BILL

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : On the 29th September, 1951, Shri N.V. Gadgil, the then Minister of Rehabilitation, had given an assurance that the displaced persons who have migrated to India after the division of the country would not be evicted from any building or part of a building on such land occupied by them before the 15th August 1950.

Gadgil assurance is very clear. Shri Gadgil in his speech had further stated :

> "Where eviction is necessary, alternative accommodation should be provided on developed land and as far as practicable near the place of business employment of the displaced person."

This was the clear assurance given to the displaced persons. But this assurance was later on forgotten and when the Master Plan was formulated. This assurance was not communicated to the authorities who prepared the plan. The result was that the displaced persons were asked to leave the permises they were occupying. This was a grave injustice

to those people who had built their houses after clearing the undeveloped land. Therefore Government should view this matter from a humanitarian angle. Whatever compensation is paid by Government, it will be insufficient because the value of these lands has increased manifold.

Moreover it is highly objectionable that an assurance given by a Minister should be so openly flouted. In a parliamentary government it is necessary that the assurances given by Ministers are duly implemented. Therefore, Government should try to implement this assurance and not stand on any false sense of prestige. The houses constructed by the refugees should be regularised so that these people are not put to any difficulties. They should not be equated with the Jhuggi dwellers in this regard.

By implementing this assurance, Government will be saved of the expenditure on abolition, on new constructions and rehabilitation and in addition get the value of land.

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह चर्चा 1951 में श्री गाडगिल के आश्वासनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। यह कहना सही नहीं है कि उन आश्वासनों का आदर नहीं किया गया है। 27,700 व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास या पुनर्वास के लिये सहायता प्रदान की गई है। उनमें से 7200 व्यक्ति ऐसे हैं, जो 15 अगस्त 1950 के बाद बैठे थे और उन पर यह आश्वासन लागू ही नहीं होता है। इसके अलावा दिल्ली नगरपालिका ने 2278 शरणार्थी दुकनदारों को आवास प्रदान किया। सरकार ने लगभग 20 लाख रुपये जो सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने पर क्षति के रूप में इन व्यक्तियों से वसूल किये जाने थे, माफ करने का भी निर्णय किया। इस प्रकार सरकार पहले से ही एक उदार और मानवीय दृष्टिकोण अपना रही है। दुर्भाग्यवश कुछ व्यक्ति रह गये थे और उनकी समस्या हल करनी थी।

1960 में चन्दा समिति ने इस प्रश्न पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति ने सिफारिश की थी कि व्यक्ति रह गये हैं और जिनका सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा है, उन्हें 80 से 200 वर्ग गज तक जमीन दी जाय और वह भूमि पात्र व्यक्तियों तथा शरणार्थियों को उनकी वित्तीय क्षमता तथा उनके परिवार के आकार के आधार दी जाये। सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति चौथी लोक सभा ने इस सिफारिश का समर्थन किया है और इसे कार्यान्वित किया जायेगा। लेकिन निसंदेह इसमें कुछ समय लगेगा। हम कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं।

मास्टर प्लान सितम्बर 1962 में स्वीकार की गई थी और जो भूमि मास्टर प्लान के अनुसार नहीं है हम उसमें से कोई भी भूमि इस्तेमाल के लिये नियत नहीं कर सकते हैं। ये आपत्तियां उचित समय पर उठाई जानी चाहिये थी। यदि उन्होंने कोई आपत्तियां नहीं उठाईं या उनकी आपत्तियां नहीं मानी गईं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी संभव है हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पांच अनधिकृत व्यक्तियों ने पूर्वी मार्ग अर्थात गंगाराम अस्पताल रोड में मकान बनाए हुए हैं उन्हे वैकल्पिक भूमि दी गई है परन्तु वे उन मकानों को गिराना नहीं चाहते। वे न्यायालय में मामला ले गये और अभी तक उनपर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं। हम बचे खुचे मामलों को निपटाने के इच्छुक हैं।

आश्वासनों से मुकर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सरकार आश्वासनों का सम्मान कर रही है और करती रहेगी।

Shri Ishaq Sambhali : When the Master Plan was prepared, did the Ministry convey their commitments and assurances to the framers of the Master Plan and if not, why not ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 1962 में मेरा इससे कोई सरोकार नही था।

Shri Ishaq Sambhali : This is no reply.

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन समाप्त नहीं हो जाते चाहे सरकार ही क्यों न बदल गई हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : चन्दा समिति की सिफारिशों पर भी अभी तक अमल नहीं किया गया है।

श्री जगन्नाथ राव : माननीय सदस्य ने बची खुची समस्या की ओर निर्देश किया था।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

"कि लोक-सभा द्वारा 18 दिसम्बर 1968 को पास किये गये निम्नलिखित विधेयकों के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :–

(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक, 1968

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 6 विधेयक, 1968

बन्द कपड़ा मिलें *
CLOSED TEXTILE MILLS *

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : कपड़ा मिलें देश के लगभग सभी भागों में हैं और इस समय जो मिलें बन्द हैं वे अधिकांशतः छोटे शहरों में हैं। कताई मिलें भी मुफसिल क्षेत्रों में हैं। कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने के कारण छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

आधे घंटे की चर्चा
Half an hour discussion

इस उद्योग में संकट के मुख्य कारणों में से एक यह है कि उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है। दूसरा कारण बहुत ज्यादा उत्पादन शुल्क लगाने की गलत नीति है। तीसरा कारण आधुनिकीकरण के लिये प्रर्याप्त धन की व्यवस्था है। चौथा कारण हाथ के बने कपड़े से प्रतिस्पर्धा है और पांचवां कारण अन्दरूनी मांग में कमी है।

जहां तक उत्पादन लागत में वृद्धि का प्रश्न है, कपास का मूल्य 1963 की तुलना में 48 प्रतिशत बढ़ गया है। कपड़े की उत्पादन लागत में आधी लागत कपास की होती है और इस प्रकार कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण कपड़े के मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मजूरी के कारण कपड़े की उत्पादन लागत में 15 से 16 प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन लागत में 36 से 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई है परन्तु इसके विपरित कपड़े के विक्रय मूल्य में 20 प्रतिशत ही वृद्धि हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कपड़ा उद्योग को उत्पादन लागत का 15 से 16 प्रतिशत मार स्वयं सहना पड़ा है। इस वर्तमान संकट का यह एक मुख्य कारण है।

1955-56 में उत्पादन शुल्क केवल 28 करोड़ रुपये था, अब यह 117 करोड़ रुपये हो गया है, अर्थात इसमें लगभग चार गुना वृद्धि हुई है जबकि उत्पादन में केवल 25 प्रतिशत तक ही वृद्धि हुई है। इसका भी कपड़ा उद्योग पर बोझा पड़ा है।

जहां तक मुनाफे का सम्बन्ध है, मैं रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित किये गये आंकड़े देता हूं। 1960-61 में कुल उत्पादन 611 करोड़ रुपये का था और कर को शामिल करके मुनाफा लगभग 45 करोड़ रुपये था। अब 1967-68 में उत्पादन बढ़कर 901 करोड़ रुपये का हो गया हैं और मुनाफा घट कर केवल 17 करोड़ रुपये रह गया है। उस समय मुनाफे की प्रतिशतता 7 थी और अब यह केवल 2 रह गई है। इसलिये मुनाफा भी बहुत कम रह गया है।

उत्पादन शुल्क के बारे में मैं एक-दो मजेदार उदाहरण देना चाहता हूँ। 50 काउन्ट पर उत्पादन शुल्क $3\frac{1}{2}$ रुपये प्रति किलो हैं और 100 काउन्ट पर भी उत्पादन शुल्क की दर यही है। 50 काउन्ट के धागे का विक्रय मूल्य 12 रुपये है और 100 काउन्ट के धागे का विक्रय मूल्य 30 रुपये है। अतः 30 रुपये और 12 रुपये पर उत्पादन शुल्क एक जैसा है।

भारतीय रुई से बनाए गये 50 काउन्ट के धागे पर उत्पादन शुल्क की दर अधिक हैं और आयातित रुई से बनाए गये 100 काउन्ट के धागे पर कम उत्पादन शुल्क लगता है। इससे देशी रुई के प्रयोग को बढ़ावा मिलता। देश में रुई का उत्पादन कम हो गया है और इसलिये रुई का अधिक मात्रा में आयात किया जाता है। यदि इन त्रुटियों को दूर कर दिया जाये तो कपास का उत्पादन बढ़ जायेगा और रुई का आयात कम हो जायेगा।

15 वर्षों में मूल्य ह्रास शामिल करके इस उद्योग को लगभग 420 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ और उन्होंने आधुनिकीकरण के लिये 420 करोड़ रुपये नियोजित किये। परन्तु यह राशि 600 मिलो के लिये पर्याप्त नहीं थी। जब तक उत्पादन लागत कम नहीं होगी, यह उद्योग

पनप नहीं सकता । मिलों के आधुनिकीकरण के लिये धन की जरूरत है । सरकार ने कपड़ा निगम स्थापित किया है । इसे स्थापित हुए एक वर्ष हो गया है परन्तु अभी तक इसने काम करना आरम्भ नहीं किया है । इस निगम को आधुनिकीकरण के काम में कपड़ा मिलों की सहायता करनी चाहिये और जो संकटग्रस्त मिलें बन्द हो रही हैं उनकी भी सहायता करनी चाहिये । इसे आधुनिकीकरण के लिये उन्हें धन देना चाहिये । इससे कपड़ा बनाने की मशीनें बनाने वालों को भी पर्याप्त काम मिल जायेगा ।

आधुनिकीकरण के लिये निगम द्वारा कपड़ा मिलों को आस्थगित भुगतान की सुविधा दी जानी चाहिये । निगम को छोटे नगरों में स्थित कुछ मिलों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये और उनका आधुनिकीकरण करना चाहिये ।

सरकार को इन सब बातों पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि भारतीय कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले । अत. भारतीय रुई से बने कपड़े पर उत्पादन शुल्क कम और आयातित रुई से बने कपड़े पर उत्पादन शुल्क अधिक होना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उप मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार ने कानपुर के न्यू विक्टोरिया मिल को अपने अधिकार में लेने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है । परन्तु अभी तक सरकार ने इसे अपने नियन्त्रण में नहीं लिया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि उस मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Government's policy towards the textile mills has miserably failed. 80 mills are closed at present and about 17, 18 thousands workers are out of employment. Do Govt. propose to run these mills on co-opretive basis or a corporation is going to be set up to run them ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Now 59 mills have been closed and 60-65 thousands workers have been rendered unemployed. We have been exporting cotten textiles and earning valuable foreign exchange. But due to the wrong policies pursued by the Government, the textile industry is now facing. Do Govt. purpose to appoint a high level commission to take decisions about all these thi. gs so that neither the producers lose for the industry and we may continue our exports as usual ? Have Govt. also taken any steps to provide alternative employment to the workers rendered unemployed ?

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : The Reserve Bank had constitued a working group regarding giving credit facilities to cotton mills. What action is being taken in this connection so that these old mills may be modernised ? It is also reported that Pakistan has captured out main foreign markets. What Govt. are doing in this matter ? What steps Govt. are taking to see that textile corporations are set up in every state ?

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : Will Government create some fund for modernising the old textile mills so that the workers working in them may not have to face starvation due to their closing down ?

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार महालक्ष्मी मिल को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये अधिकृत नियन्त्रक कब नियुक्त करेगी ?

Shri Deorao Patil (Yeotmal): The price of cotton has not gone up as high as the prices of cotton textiles. I want that support price should be fixed for the cotton supplied by the producers to these mills.

श्री एस० कन्डप्पन (मैदूर) : हमें बताया गया था कि जो यह निगम स्थापित किया जा रहा है यह सभी मिलों को अपने नियन्त्रण में ले लेगा। परन्तु अब यह सुनने में आ रहा है कि यह सभी मिलों को अपने नियन्त्रण में नहीं लेगा। मैं इस बारे में मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। जब सरकार इन मिलों के मालिकों को अपने मिलों को चलाने के लिये बाध्य नहीं कर सकती है, तो उन्हें इन मिलों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये तैयार होना चाहिये। यदि सरकार इसके लिये तैयार नहीं हैं तो क्या वह राज्यों को उन मिलों को अपने अधिकार में लेने की अनुमति देने को तैयार है बशर्ते कि केन्द्र इस काम के लिये धन दे ?

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : बम्बई में निर्देशकों तथा प्रबन्ध अधिकर्ताओं के कुप्रबन्ध के कारण बहुत से मिल बन्द पड़े हैं। सरकार उनके विरुद्ध तत्काल क्या कार्यवाही करने जा रही है ? दूसरे, सरकार इन मिलों के कर्मचारियों को जो काफी समय से बेकार पड़े हैं क्या सहायता देने जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : इस मामले पर यहां पर कई बार चर्चा हुई है और इसलिये मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। जहां तक महालक्ष्मी मिल्स का सम्बन्ध है, राज्य सरकार का प्रतिवेदन सरकार के विचारधीन है और शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जाने वाला है।

न्यू विक्टोरिया मिल्स को लेने के बारे में निर्णय कर लिया गया है। यह मामला सरकार के विचारधीन है और इसे नियन्त्रण में लेने में अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री कण्डप्पन ने तमिलनाडु के मिलों के बारे में प्रश्न उठाया था। केन्द्रीय सरकार ने वहां के मिलों के सहायता रूप में पहले ही 50 लाख रुपये मंजूर कर दिये हैं।

Question was asked whether we would take over the mills, this will cover the question of Shri K. L. Gupta also. This textile corporation is not to serve as a sort of a hospital for the sick mills. The corporation will take only those mills which can be run. The mills which will be found unremunerative will be scrapped.

It has been said that the cost of production in the textile industry has gone up. It has to be remembered that the industrialists will have to pay a reasonable price for the cotton and reasonable wages to the workers. It is not as if they can get these things free. Government wants to see that the farmers get remunerative price for their product. We want to help the industry also but we will have to see that ultimately consumers are also benefited.

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बहुत से समाचार पत्रों में यह समाचार निकला है कि केरल सरकार केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों के मामले वापस लेना चाहती थी जिन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लिया था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने केरल में केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों को यह निदेश जारी किये हैं कि वे न्यायालयों से मामलों को वापस लेने का विरोध करें। क्या यह सच है और यदि हां, तो मामलों को वापस लेने के बारे में उनकी विशिष्ट आपत्ति क्या हैं ?

लगभग 800 अध्यापक उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरठ से आज यहां आए हुए हैं। यह कोई दलीय समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। 22 लाख छात्र हड़ताल के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह उनकी रोटी आटे की विनति हैं हमदर्दी की नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री या शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल से इस बारे में कोई बातचीत की है, यदि बातचीत की है, तो उसका क्या परिणाम निकला है ? क्या केन्द्र 2 करोड़ 51 लाख रुपये देने के लिये तैयार है ताकि यह हड़ताल समाप्त हो सके ?

प्रधान मंत्री ने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के एक यूनिट-कूपर एलेन एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लेने का वचन दिया था। परन्तु अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और कल से वे इस कम्पनी को बंद करने जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप 4000 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे।

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : आज सुबह अतारांकित प्रश्न संख्या 5357 का उत्तर देते हुए सभा को यह बताया गया था कि केरल राज्य को सूचित किया गया था कि राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी कार्यपालक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करे जिससे संसद द्वारा बनाए गये कानूनों का पालन हो सके। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अध्यादेश से उत्पन्न और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को वापस नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि इससे संसद द्वारा बनाए गये कानूनों के कानूनी परिणाम बेमानी हो जायेंगे। इस उद्देश्य से केरल या अन्य राज्यों में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 के अन्तर्गत किसी लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉजीक्यूटर) द्वारा किये गये किसी भी आवेदन का विरोध कर रहे हैं ताकि अध्यादेश के उपबन्धों का विधिवत पालन हो सके।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : कुछ दिन पहले यहां पर 2 घण्टे की चर्चा हुई थी। प्रधान मन्त्री राज्यपाल से पूर्ण सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम इस बारे में प्रयत्नशील हैं कि यह समझौता हो जाये कि संसाधनों की दृष्टि में रखते हुए कौन सी मांगें तुरन्त पूरी की जाने वाली हैं और किन मांगों पर बाद में विचार किया जा सकता है। इस आधार पर बातचीत हो रही है। इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु हमें आशा है कि शीघ्र ही राज्य सरकार और अध्यापकों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत पुनः शुरु होगी। हमें आशा है कि यह बातचीत सफल होगी।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परमयी) : यह वर्ष कपास उत्पादकों के लिये बहुत बुरा रहा है क्योंकि एक महीने बराबर दाम घटते गये और अब वे कुछ उभर रहे हैं। कपास उत्पादकों के विचार से वे घटे तो बड़ी तेजी से हैं परन्तु बढ़ बहुत धीमे रहे हैं। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय के पास जब भी यह मामला भेजा जाता है वे कहते हैं कि दाम समर्थन मूल्यों से नीचे नहीं गिर रहे हैं।

जींद तथा देसी कपास के समर्थन मूल्य कपड़ा आयुक्त द्वारा, जो वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत है, निर्धारित किये बताए जाते हैं। वे प्रचलित बाजार भाव से 40% कम हैं। जब कपास के दाम निर्धारित करने का प्रश्न उठाया जाता है, तो वाणिज्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय का नाम ले देता है।

हम चाहते हैं कि सभी सम्बन्धित मंत्रालय आपस में सलाह मश्विरा करें और कपास का मूल्य नियत करें। सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिये। हमारे देश में कपास की अनेक किस्में हैं। सरकार नियत मूल्यों को कानून द्वारा भी लागू कर सकती है। देसी कपास के मूल्यों में कमी हो गयी है।

गत 20 वर्षों में सामान्य वस्तुओं के मूल्यों में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु कपास के मूल्यों में केवल 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे सिद्ध होता है कि सरकार कपास उत्पादकों को दबाना चाहती है। उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। सरकार को दो कार्य करने चाहियें। एक तो कपास का आयात तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिये। और दूसरे कपास के मूल्य नियत किये जाने चाहियें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Government have already made an annoucement in the House that the rate of sugarcae has beeu fixed at Rs. 10 per maund. But inspite of this the farmers are not ready to supply sugarcane at this price. Will the strike of sugar mills continue for an indefinite period or Government propose to make an annoucement after giving second thought to this matter ?

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि मूंगफली की कीमत नीचे आते ही सरकार मूंगफली की खरीद करेगी और मूल्यों को गिरने से रोकेगी।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री देशमुख ने जो प्रश्न उठाये हैं उनका सम्बन्ध वाणिज्य मंत्रालय से है। कपास का मूल्य नियत करने पर सरकार विचार कर रही है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय मूल्य नियत करता है। लोग रूई का मूल्य नियत नहीं कराना चाहते हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि जब तक सभी मंडियों के लिये समान प्रणाली नहीं लागू होती कपास का मूल्य नियत करना बहुत कठिन होगा। हम इस विषय में संसद सदस्यों से बात करेंगे।

श्री नारायण रेड्डी (निज़ामाबाद) : आंध्र में गत 45 दिनों से गन्ना उत्पादकों की हड़ताल चल रही है। इसके फलस्वरूप 11 मिलें बन्द पड़ी हैं। मंत्री महोदय के इस बारे में आश्वासन के बावजूर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। 17 तारीख को श्री जगजीवन

राम जी ने चीनी की न्यूनतम कीमत बढ़ाने का आश्वासन दिया था। परन्तु यह अभी तक नहीं किया गया है। जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है, उसे समाप्त करने के लिये सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

आंध्र में मकई उपलब्ध है। इसे राज्य से बाहर भेजने की अनुमति नहीं है। इसकी केन्द्रीय सरकार ने 55 रुपये प्रति क्विंटल कीमत नियत की है परन्तु गत पांच वर्षों से इसे खरीदा नहीं गया है। कृषकों से इसे कोई 40 रुपये की दर पर भी नहीं लेता। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इसे खाद्य निगम के द्वारा खरीदें अथवा राज्य से बाहर भेजने की अनुमति दें।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गन्ने की स्थिति में गत एक सप्ताह में परिवर्तन हो गया है। अधिकांश चीनी मिलें चालू हो गयी हैं। हमने कहा हैं कि 10 रुपये दिये जायें। मकई पर प्रतिबन्धों को हटाने की यदि आंध्र सरकार की इच्छा है तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सुमर गुह (कन्टाई) : मैं सरकार का ध्यान श्रीमती गीता बागची की दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। वह अक्तूबर में उत्तरी बंगाल में आयी बाढ़ में बहकर पूर्वी पाकिस्तान पहुंच गयी है। ऐसा समाचार है कि उसे वहां पर किसी जगह शरण दे दी गई है। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही हैं। इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये। इस बारे में सरकार ने अधिकृत वक्तव्य क्यों जारी नहीं किया है ? सरकार को राजनयिक सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : सरकार ने सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, के 17 वर्षीय विद्यार्थी श्री त्रिलोक चन्द की पाकिस्तान से रिहाई के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। उसे मुल्तान, तथा लाहौर जेल में बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं। इस बारे में गत 2 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है। यह बड़े दुख की बात है।

श्री समर गुह : पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की दशा बड़ी दयनीय है। उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ यहां आये हैं। यह एक मानवीय समस्या है। उन्हें मजबूरी की हालत में यहां आना पड़ा है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी ओर ध्यान देगी और क्या सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी ताकि वे वापिस जाकर सुख शांति से रह सकें ?

श्री बे० कु० दास चौधरी (कूच-बिहार)। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित बड़ी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके बारे में पुनर्वास उपमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह नितांत रूप से अनुचित हैं। इस से उन लोगों की भावनाओं को दुख हुआ है। माननीय मंत्री को अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहिये। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य इस समस्या के मानवीय पहलू पर जोर देना है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि श्रीमती गीता बागची का मामला बहुत ही दयनीय है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूरे प्रयत्न से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है। पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने भी पूरे सहयोग का वचन दिया है। अभी तक इस महिला के बारे में पता नहीं चला है। हम सभा को और कोई जानकारी नहीं दे सकते।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण): श्री समर गुह ने समाचार पत्रों में छपे एक समाचार की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। मैं ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। कुछ दिन पहले की बात है मुझे घर पर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' वालों ने टेलीफोन किया और पूछा कि सरकार इन विस्थापितों के बारे में क्या करने जा रही है। मैंने उन से कहा कि आप पुनर्वास विभाग के सचिव से बात करें। मैं ने इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा यह जो कुछ छपा है, गलत है।

पन्ना आदि स्थानों से लगभग 180 परिवार आये हैं। इनको 3000 और 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी थी यह गृह निर्माण के लिये थी। अब वे लोग यहां आये हैं और धरना दे रहे हैं। वे और वित्तीय सहायता और सहायता शिवरों में वापस भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। यह बात 110 परिवारों के सम्बन्ध में है। 60 परिवार ऐसे है जो किसी शिविर में नहीं रहे। वैसे केवल वही लोग सहायता के अधिकारी होते हैं जो शिविर में रहे हों। हमें मालूम नहीं कि वे कहां पर थे।

जब पन्ना से पहला दल आया था। उन्हें वापिस भेजा गया था। मै वहां स्वयं गया था और उनकी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया गया था। उनकी सहायता सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। फिर इतने में पता चला कि वे लोग वहां से कहीं जा रहे हैं। वे लोग दिल्ली आ गये। अब हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे वापिस चले जायें। वे कहते हैं कि पन्ना की भूमि अच्छी नहीं है। भूमि राज्य सरकारों को देनी होती है। हम इस भूमि को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे है और सभी प्रकार की सुविधायें जुटा रहे है। इस प्रकार जब तक ये लोग वापिस नहीं जाते और धैर्य से वहां रह कर हमें अवसर नहीं देते, कुछ करना सम्भव नहीं होगा। पीने के पानी के लिये व्यवस्था की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : बिन्नाला, कलकत्ता में भारत सरकार की इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स को बन्द कर दिया गया है। इससे 1800 मजदूर बेकार हो गये है। उनकी हालत बहुत खराब है। उनमें छः मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। उनके परिवार बहुत दुखी है। सरकार ने उनको भविष्य निधि का भुगतान नही किया है। इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। इस बारे में सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : हम इस विषय की ओर ध्यान देंगे।

श्री कन्डप्पन (मैंटूर) : मदुरै में माध्यमिक शिक्षा स्कूल बन्द हो गये है। तमिल नाडु में भाषा का प्रश्न एक जटिल प्रश्न बन गया है। इस प्रश्न पर वहां के लोगों में उत्तेजना उठ खड़ी होती है। वहां के केन्द्रीय स्कूल में स्थानीय लोगों ने हिन्दी के पाठन पर आपत्ति उठायी है। और स्थिति के खराब होने की शंका में स्कूल बन्द कर दिया गया है। क्या शिक्षा मत्रालय आश्वासन देगा कि वहां का केन्द्रीय स्कूल हिन्दी ठोंसने के लिये नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : केन्द्रीय स्कूल की स्थापना वेतन आयोग की सिफारिशों पर उन सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर की गयी थी जिनकी देश के भिन्न भागों में तबदीली हो जाती है। इस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। हम द्विभाषी माध्यम का अनुसरण कर रहे हैं। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नीति को बदला नहीं जा सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, the Vice-Chancellor of Banaras Hindu University is reported to have said that the delay in appointment of Inquiry Committee in the University affairs is not due to him. I want a clarification from the hon. Minister.

Shri Bhagwat Jha Azad : We are trying to appoint a Committee as soon as posible. The statement of the Vice-Chancellor is far from truth.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The non-gazetted employees numbering 2,36,000 of Bihar went on strike from 10th to 25th July. They called off their strike on the announcement of the Home Minister. They were assured that no victimisation would be done in their case. No retrenchment would be made. These people have met the Governor. They have come back disappointed. This question has been raised many a time here-also, but no action has been taken to withdraw cases against them. The employees have been forced to resort to "Dharna". I want to know what action they are taking to fulfil their assurance ?

Sir, in the Banda district Harijans are not allowed to cast their vote. They are subjected to atrocities. This is done with the connivance of police. Even the M. P. from that district is finding himself insecure. I want to know whether Government will transfer the present police officials from there and whether Government will hold an enquiry into the high handedness of the police there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : We will take into consideration the points made by hon. Member in regard to the strike of non-gazetted employees in Bihar.

We have contacted the State Government in the matter of Banda. We are anxious for the safety of all members of Parliament. We have to rely on information supplied by local administration. All he has raised the matter again, we would inform the State authorities.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

P.L.S.48.XXIII. 31. 68(N)
600

© 1968 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक
डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–३ द्वारा मुद्रित ।

© 1968 BY LOK - SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK-SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, DIAMOND PRINTING PRESS, JAIPUR-3